

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186211

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—552—7-7-66—10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H491.25 Accession No. G.H 2567
SS3H

Author

Title

रामलोचन शर्मा
हिन्दी व्याकरण

This book should be returned on or before the date
last marked below.

हिन्दी व्याकरण-चन्द्रोदय

[उच्च कक्षाओं के लिये]

(संशोधित और परिवर्द्धित संस्करणः)



लेखक
आचार्य श्रीरामलोचनशर्मा



पुस्तक-भंडार
लहेरियासराय और पटना

प्रकाशक
पुस्तक-भंडार,
पटना और लहेरियासराय

Checked 1969

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मुद्रक
श्री महादेवसहाय सिंह अष्टाना
श्री हिमालय प्रेस,
पटना—४

भूमिका

हमने पहले 'अपर व्याकरण बोध' * और 'मिड्ल् व्याकरण बोध' नाम की दो छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी थीं। ये पुस्तकें निम्न श्रेणियों के छात्रों के लिये बड़ी उपयोगी प्रमाणित हुई हैं। और, फलस्वरूप पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार की टेक्स्ट-बुक कमिटियों ने पाठ्य-पुस्तकों के रूप में इन्हें स्वीकृत भी किया है।

उक्त दोनों पुस्तकें निम्नकक्षाओं के छात्रों के उपकारार्थ 'अव-रोह-विधि' से लिखी गई हैं, किन्तु उनसे वाद की कक्षाओं के लिये वह शैली उपयुक्त नहीं है। अतएव हमने उन कक्षाओं के छात्रों के लिये 'प्रवेशिका व्याकरण बोध' लिखा है, जिसे उक्त दोनों पुस्तकों का वृहत् संस्करण कहना चाहिये। कहना व्यर्थ है कि उस पुस्तक से भी विद्यार्थियों को अपार लाभ हुआ है।

अब एक ऐसे व्याकरण की आवश्यकता थी, जिससे उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण के अन्य विषयों के साथ-साथ हिन्दी-साहित्य के साधारण ज्ञान-सम्पादन में भी विशेष सहायता पहुँचे। हमने इसीपर दृष्टि रखकर यह ग्रन्थ लिखा है। इसमें कई ऐसी उपयोगी बातों का भी समावेश किया गया है जिनका अन्य व्याकरण-ग्रन्थों में अभाव था। विद्यार्थियों को काव्य-साहित्य के अंग-प्रत्यंग का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये इधर-उधर भटकना न पड़े, इसी विचार से हमने इस

* इस पोथी के लिये मयुक्त प्रदेश (अब उत्तर प्रदेश) की सरकार ने ग्रन्थकर्ता को पारितोषिक देकर सम्मानित किया है। —प्रकाशक

व्याकरण में 'काव्य-विचार' नाम का एक प्रकरण भी रक्खा है। अतएव यह पुस्तक त्रिगार्थियों के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

जहाँ-जहाँ व्याकरण में मतभेद की सम्भावना देख पड़ी है, वहाँ-वहाँ हमने प्रयोग पर ध्यान रखकर अपने विचार प्रकट किये हैं और साथ ही अन्य विद्वानों के मत भी उद्धृत कर दिये हैं। हमारी लिखी व्याकरण की पुस्तकों में उदाहरणों के वाक्य और कहीं-कहीं एक आध अनुच्छेद भी अविकल रूप से प्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थों से ही उद्धृत हुए हैं। ऐसा करने में हमें भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, राजा लक्ष्मण सिंह, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० केशव राम भट्ट, बाबू रामचरण सिंह, पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, पं० कामताप्रसाद गुरु, पं० रामावतार शर्मा, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिलीशरण गुप्त, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय पं० रामजीलाल शर्मा, और बाबू श्यामसुन्दर दास के ग्रन्थों तथा सरस्वती, माधुरी, प्रभा आदि सामयिक पत्र-पत्रिकाओं से विशेष सहायता मिली है, इसलिये हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

हम जानते हैं कि यदि साहित्य के गूढ़ विषयों की बारीकियों पर ध्यान देकर विद्वान् लोग इस व्याकरण की जाँच करें तो उस समय यह अयोग्य ठहरेगा, तो भी हमने यही समझकर यह अनधिकार चेष्टा की है कि मातृभाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को है, चाहे बने या न बने।

विद्वानों और पाठकों से हमारा निवेदन है कि इस ग्रन्थ में यदि किसी प्रकार की भूल पावें तो कृपया हमें सूचित कर दें। उसे सुधारने का यत्न किया जाय।

—ग्रन्थक

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
उपक्रमणिका	१
वर्णविचार—अक्षर, अक्षरो के भेद, स्वर, व्यंजन, उच्चारणस्थान, संयुक्त व्यंजन, 'अ'-अनुच्चरित, स्वराघात, सन्धि, शब्द और प्रत्यय का मेल, मूर्द्धन्य ण, मूर्द्धन्य प, ब या व	२-२५
शब्दविचार—	२५-१६६
शब्द, सार्थक शब्द	२५-३०
विकारी शब्द—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया	३०-१३४
अविकारी शब्द (अव्यय)—क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादि-बोधक	१३४-१४५
शुद्धाद्य—उपसर्ग, प्रत्यय, धातुज नाम, कृदन्त, तद्धित, कारकान्त-प्रत्यय	१४५-१८१
समास, द्विरुक्ति, कुछ अशुद्ध शब्दों पर विचार, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द, शब्दभेदों में परिवर्तन	१८१-१९९
वाक्यविचार—वाक्य, खण्डवाक्य और वाक्याश, उद्देश्य और विधेय, वाक्यभेद (१), (२), (३). वाक्यरचना, मेल, क्रम, लाघव, रोजमर्रा, अध्याहार, वाग्धारा या मुहावरा, वाक्यार्थबोध, वाक्यविभाजन, परिवर्तन, अनुक्त पदों की पूर्ति	१९९-२५०
चिह्नविचार—विराम, अन्य चिह्न, अनुच्छेद	२५१-२६१
काव्यविचार—काव्य के लक्षण और भेद, रस, अलङ्कार, काव्य के दोष	२६२-२९१
छन्दविचार—छन्दों के भेद, गण, दग्धाक्षर, अन्त्यानुप्रास, मात्रिक छन्द, वर्णिक छन्द	२९२-३१२

हिन्दी व्याकरण-चन्द्रोदय

(संचिप्त)
उपक्रमणिका

भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। भाषा का रूप देश और काल के भेद से बदलता रहता है।

अपने विचारों को प्रकट करने के मुख्य दो* साधन हैं— एक, बोलना और दूसरा, लिखना। जब मुझे भूख लगती है, तब मैं दूसरों से कहता हूँ—“मुझे भूख लगी है, भोजन दो।” यह है बोलना। जब मैं परदेश में रहता हूँ, तब पत्र-द्वारा घर से समाचार मँगाता हूँ या वहाँ भेजता हूँ। यह है लिखना।

बोलना ध्वनियों से और लिखना अक्षरों से बनता है। ध्वनियों और अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य † और वाक्यों से भाषा बनती है।

व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जिसमें शब्दों के रूपों और प्रयोगों का अलग-अलग निरूपण हो।

व्याकरण पढ़ने से शुद्ध-शुद्ध बोलना और लिखना आता है। यह शास्त्र भाषा के रूप को स्थिर कर देता है।

* संकेतों से भी विचार प्रकट हो सकते हैं, परन्तु इस व्याकरण में उनका सम्बन्ध नहीं है।

† शब्दों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं, यह सूक्ष्म विचार आगे दिया गया है।

व्याकरण के मुख्य तीन भाग हैं—वर्णविचार, शब्दविचार और वाक्यविचार ।

वर्णविचार में अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनके मिलने के नियम बताये जाते हैं । शब्दविचार में शब्दों के भेद, अवस्था, रूपान्तर, व्युत्पत्ति और बनावट का वर्णन रहता है । वाक्यविचार में शब्दों के द्वारा वाक्य बनाने की रीतियाँ दिखाई जाती हैं ।

नोट—इन दिनों हिन्दी में भी विग्रामादि चिह्नों की आवश्यकता हो गई है, तथा इनका कुछ-कुछ सम्बन्ध व्याकरण से भी है । छन्दविचार अँगरेजी व्याकरण का एक अंग है, परन्तु संस्कृत में यह एक स्वतन्त्र शास्त्र है । कई हिन्दी-व्याकरणों में छन्दविचार और काव्यविचार को भी स्थान मिला है, अतएव हमने भी ये सब विषय इस व्याकरण में दिये हैं ।

अभ्यास

१. भाषा किसे कहते हैं ? २. अपने विचार दूसरों पर कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? ३. व्याकरण किसे कहते हैं ? ४. व्याकरण से क्या लाभ है ? ५. व्याकरण के मुख्य भाग कितने हैं ? ६. भाषा और शब्द किस प्रकार बनते हैं ? ७. वाक्यविचार में क्या बताया जाता है ?

वर्णविचार

अक्षर

शब्द के जिस खण्ड का विभाग नहीं हो सकता, वह वर्ण अक्षर कहलाता है और उसके पहचानने के लिये जो चिह्न बनाये गये हैं वे भी अक्षर कहलाते हैं ।

हमारे शब्दों में—अक्षर वह मूल ध्वनि है, जिसके खण्ड नहीं हो सकते और जिससे शब्द बन सकते हैं ।

हिन्दी-भाषा जिन अक्षरों में लिखी जाती है उन्हें 'देव-नागरी' कहते हैं ।

देवनागरी के ४६ अक्षर हैं—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ ए ऐ ओ औ
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न प फ ब भ म
य र ल व श ष स ह

(अनुस्वार) : (विसर्ग)

ऊपर लिखे अक्षरों में लृ और लृ ये दो अक्षर हिन्दी में कभी नहीं आते तथा ऋ का प्रयोग कदाचित् ही मिलता है।

ड, ढ, क, ख, ग, ज, और फ के नीचे बिन्दी लगाकर ये अक्षर बनाये गये हैं—

ड़, ढ़, क़, ख़, ग़, ज़ और फ़।

इनमें क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ये पाँच हिन्दी में प्रयुक्त फारसी, अँगरेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों में मिलते हैं। इन दिनों हिन्दी के कतिपय लेखक अ, आ, इ, ई, उ, आदि अक्षरों के साथ बिन्दी या अर्द्धचन्द्र (~) लगाकर मअलूम, इल्म, उअम्र, लॉर्ड, जॉर्ज इत्यादि शब्द लिखने लगे हैं।

नोट—ड़ और ढ़ को छोड़ शेष अक्षरों के साथ बिन्दी और अक्षरों के ऊपर अर्द्धचन्द्र चिह्नों का प्रचार सर्वत्र नहीं है।

अक्षरों (वर्णों) के समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं।

अभ्यास

१. अक्षर क्या है ? २. हिन्दी में देवनागरी के कौन-कौन अक्षर आये हैं ? ३. बिन्दी वाले अक्षर कौन-कौन हैं ? ४. फारसी, अँगरेजी आदि

* 'लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्' परन्तु कलाप और सारस्वत व्याकरणों में लृ को भी स्थान मिला है।

† मातृण, पितृण इत्यादि शब्द सान्ध के उदाहरणों में लिखे गये हैं, परन्तु प्रयोग विशेषकर संस्कृत ही में होता है।

भाषाओं के शब्दों में बिन्दीवाले कौन-कौन अक्षर मिलते हैं ?
५. किन-किन अक्षरों के साथ बिन्दी आदि चिह्नों का प्रचार सर्वत्र नहीं है ?

अक्षरों के भेद

१. अक्षरों के दो भेद हैं—स्वर और व्यञ्जन ।

२. स्वर उसे कहते हैं जो आप बोला जाय और जिसके बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े । जैसे—
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ ।

३. व्यञ्जन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, चाहे वह स्वर व्यञ्जन के पहले हो या आगे । जैसे—
प + अ = प, अ + ज = अज् । पीछे क से ह तक सस्वर व्यञ्जन वर्ण हैं, क्योंकि उच्चारण करने के लिये उनमें अ मिला दिया गया है । यदि स्वर नहीं मिलावे तो वे नीचे के रूपों में लिखे जायेंगे ।

क ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ञ् ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म्
य् र् ल् व् श् ष् स् ह्

व्यञ्जन के इस () चिह्न को हल् अर्थात् अ की मात्रा के काटने का चिह्न कहते हैं ।

४. (') अनुस्वार और (:) विसर्ग भी व्यञ्जन * हैं, क्योंकि ये भी अन्य व्यञ्जनों के समान स्वर की सहायता से बोले जाते हैं । जैसे—अ + ' = अं, अ + : = अः (अ + ज् = अज् से मिलाओ) ।

* (') और (:) समय पर क्रम से ङ् ज् ण् न् म् और श् ष् स् हो जाते हैं, इससे भी जान पड़ता है कि ये व्यञ्जन हैं ।

नोट—अनुस्वार और विसर्ग के पहले स्वर सर्वदा आते हैं, परन्तु अन्य व्यञ्जनों से आगे भी ।

संस्कृत में स्वर को 'अच्' तथा व्यञ्जन को 'हल्' कहते हैं । जिन शब्दों के अन्त में स्वर हो वे 'अजन्त' तथा जिनके अन्त में व्यञ्जन हो वे 'हलन्त' कहलाते हैं ।

किसी अक्षर के आगे 'कार' मिलाकर बोलने से भी वही अक्षर समझा जाता है । जैसे—गकार, मकार, इत्यादि ।

अभ्यास

१. स्वर और व्यञ्जन में क्या भेद है ? २. हल् किसे कहते हैं ? ३. अनुस्वार और विसर्ग को स्वर क्यों नहीं कह सकते ? ४. सस्वर व्यञ्जन किसे कहते हैं ? ५. स्वर-रहित व्यञ्जन के आगे अनुस्वार और विसर्ग ला सकते हो ?

स्वर

स्वरों में 'अ, इ, उ, ऋ, लृ' मूल (ह्रस्व) और 'आ, ई, ऊ, ॠ, ॡ, ए, ऐ, ओ और औ' दीर्घ हैं ।

अ के बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं । मात्रा का अर्थ काल का परिमाण है । जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का काल लगे उसे 'ह्रस्व' या 'एकमात्रिक' और जिसके उच्चारण में एक मात्रा का दूना काल लगे उसे 'दीर्घ' या 'द्विमात्रिक' कहते हैं ।

'ए, ऐ, ओ और औ' को संयुक्त स्वर भी कहते हैं । जैसे—
अ + इ = ए, अ + ए = ऐ, अ + उ = ओ, अ + औ = औ ।

चिल्लाने और पुकारने में स्वर के उच्चारण में कभी-कभी एक मात्रा का तिगुना काल लगता है उसे 'प्लुत' कहते हैं । जैसे—
अरे^३. सोहना^३ ।

क ख ग घ ङ—कवर्ग	} स्पर्शवर्ण (स्पृष्ट)
च छ ज झ ञ—चवर्ग	
ट ठ ड ढ ण—टवर्ग	
त थ द ध न—तवर्ग	
प फ ब भ म—पवर्ग	
य र ल व—अन्तःस्थवर्ण (दणन्-स्पर्ण)	
श ष स ह—ऊष्मवर्ण (ईषत् विद्युत्)	

२. जिन अक्षरों में प्रायः ङ की ध्वनि सुनाई देती है उन्हें 'महाप्राण' और शेष को 'अल्पप्राण' कहते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे और पाँचवें अक्षरों को तथा अन्तःस्थ और अनुस्वार को 'अल्पप्राण' और शेष व्यञ्जनों को 'महाप्राण' कहते हैं।

नोट—स्वर भी अल्पप्राण है।

जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें 'घोष' और जिनमें नाद के बदले केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें 'अघोष' कहते हैं।

वर्गों के पहले, दूसरे और श. प. म वर्ण अघोष और शेष वर्ण घोष हैं।

जब किसी व्यञ्जन के साथ स्वर का मात्रा मिलाई जाती है, तब उसका रूप लिखने में कुछ विकृत हो जाता है। जैसे—क, का, कि, की, कु, कू, कृ, क, के, कै, को, कौ, इत्यादि।

नोट—जब उ या ऊ की मात्रा र के साथ मिलाई जाती है तब उसका रूप कुछ विशेष विकृत हो जाता है। जैसे—र, रू।

अभ्यास

१. अन्तःस्थ और ऊष्मवर्ण में क्या भेद है ? २. स्पर्शवर्ण किसे कहते हैं ? ३. महाप्राण और अल्पप्राण में क्या भेद है ? ४. कौन-कौन

वर्ण अल्पप्राण हैं ? ५. घोष और अघोष में क्या भेद है ?
६. अनुस्वार को व्यञ्जनवर्ण में क्यों गिनते हैं ? ७. विसर्ग ऊष्मवर्ण
क्यों है ?

उच्चारणस्थान

मुँह के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उस भाग को उस अक्षर का 'उच्चारण-स्थान' कहते हैं ।

'अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह' कण्ठ से बोले जाते हैं, इसलिये वे 'कण्ठ्य' कहलाते हैं ।

'इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श' तालु पर जीभ लगाने से बोले जाते हैं, इसलिये ये 'तालव्य' कहलाते हैं ।

'ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, ङ, ढ, ण, र और प' मूर्द्धा* पर जीभ लगाने से बोले जाते हैं, इसलिये ये 'मूर्द्धन्य' कहलाते हैं ।

'लृ, लृ, त, थ, द, ध, न, ल और स' दाँतों पर जीभ लगाने से बोले जाते हैं, इसलिये ये 'दन्त्य' कहलाते हैं ।

'उ, ऊ, ए, ओ, व, भ और म' ओठ से बोले जाते हैं, इसलिये ये 'ओष्ठ्य' कहलाते हैं ।

'ए और ऐ' कण्ठ और तालु से बोले जाते हैं, इसलिये ये 'कण्ठतालव्य' कहलाते हैं ।

'ओ और औ' कण्ठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिये ये 'कण्ठोष्ठ्य' कहलाते हैं ।

'व' दाँत और ओठ से बोला जाता है, इसलिये यह 'दन्त्योष्ठ्य' कहलाता है ।

(') अनुस्वार नाक से बोला जाता है, इसलिये यह 'अनु-नासिक' कहलाता है ।

जब अनुस्वार पूर्ण रूप से वानकर उच्चरित होता है, तब

* मूर्द्धा का स्थान तालु के ऊपर है ।

यह () चिह्न लगाते हैं। परन्तु जहाँ कुछ भी तानना नहीं पड़ता, वहाँ यह (°) चिह्न लगाते हैं जिसे अर्द्धानुस्वार या चन्द्रबिन्दु कहते हैं। इसके बदले प्रायः अनुस्वार का प्रयोग होता है; पर यह परिपाटी घट रही है।

‘ङ, ञ, ण, न और म’ इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के स्थान और नाक से उच्चरित होने के कारण अनुनासिक भी कहलाता है।

(‘) और (:) विसर्ग को आश्रयस्थानभागी कहते हैं, क्योंकि ये जिस स्वर के आगे आते हैं उसीका उच्चारण-स्थान पाते हैं। ‘ङ और ढ’ जीभ के अग्रभाग को उलट कर मूर्द्धा में लगान से उच्चरित होते हैं।

क, ख, ग, ज, फ़ आदि अक्षरों के बोलने में कुछ शिथिलता रहती है। ज़ और फ़ में दाँत लगाने पड़ते हैं, ये क्रम से दन्त्यतालव्य और दन्त्योष्ठ्य कहलाते हैं।

नोट—(१) क, ण, ष ये अक्षर केवल संस्कृत के शब्दों में आते हैं। जैसे—कण, कपि, गण, रामायण, पुरुष, इत्यादि। ङ, ञ, और ण हिन्दी के शब्दों के आरम्भ में नहीं आते। विसर्ग केवल थोड़े-से हिन्दी के शब्दों में आता है। जैसे—छः, छिः, इत्यादि।

(२) ‘ड़’ ङ का महाप्राण है। ये दोनों अन्तःस्थवर्ण भी हैं। ये प्रायः शब्दों के अन्त अथवा बीच में आते हैं। जैसे—घोड़ा, बाद, बढ़ाई, चढ़ाई। अनुनासिक दीर्घ स्वरवाले व्यञ्जन के आगे ङ या ढ के बदले क्रम से ङ या ढ भी ला सकते हैं। जैसे—मेढ़ा-मेढा, खाँड़-खाड, इत्यादि।

(३) ‘ऐ और औ’ हिन्दी में प्रायः अय् और अव् तथा संस्कृत शब्दों के अइ और अउ के समान उच्चरित होते हैं। जैसे—कै, चौथा, सदैव, कौतुक।

(४) क का उच्चारण ‘रि’ की भाँति होता है, भेद नहीं जान

पड़ता । य और प को कहीं ज और ख की भाँति भी बोलते हैं । जैसे - सूर्य, षड्यन्त्र । मूर्द्धन्य ए को दन्त्य न और तालव्य श को दन्त्य स के सदृश उच्चारण करना अशुद्ध है । ब और व के बोलने और लिखने में भेद अवश्य रहना चाहिये ॥

(५) अनुस्वार का उच्चारण प्रायः हल् नकार के समान और विसर्ग का हकार के समान होता है ।

(६) व्यञ्जनों के साथ बालको को 'क्ष', 'त्र' और 'ज्ञ' ये तीनों अक्षर भी पढ़ाये जाते हैं, परन्तु ये संयुक्त वर्ण हैं । [आगे देखो]

(७) अक्षरों के उच्चारण करने की रीति को 'प्रत्यन' कहते हैं ।

अभ्यास

१. ड, ढ, ज, झ और श के उच्चारणस्थान बताओ : २. ऐ और औ किस प्रकार उच्चारित होते हैं ? ३. कौन-कौन अक्षर केवल संस्कृत के शब्दों में आते हैं ? ४. ड के बदले ड भी कहाँ आता है ? ५. अनुस्वार (ँ) कहाँ लगाते हैं और चन्द्रबिन्दु (ः) कहाँ ?

संयुक्तव्यञ्जन

स्वर व्यञ्जनों में जब नहीं रहते तब वे मिलाकर लिखे जाते हैं । इस मिलने को 'संयोग' कहते हैं और मिले हुए अक्षरों को 'संयुक्तवर्ण' या युक्ताक्षर कहते हैं । युक्ताक्षर का केवल अन्तिम व्यञ्जन सस्वर बोला जाता है । जैसे—चम्पा, लम्बा, इत्यादि ।

संयोग में जिस व्यञ्जन का उच्चारण पहले होता है वह पहले और जिसका पीछे होता है वह अन्त में लिखा जाता है । संयोग के पूर्व व्यञ्जन का रूप आधा और अन्त का पूरा लिखा जाता है, परन्तु ड्, ढ्, ट्, ठ् और ड् सर्वत्र पूरे ही लिखे जाते हैं । जैसे—गङ्गा, चिट्ठी, टिड्डी, इत्यादि ।

यदि किसी व्यञ्जन का संयोग उसी व्यञ्जन से हो तो इस

* आगे 'मूर्द्धन्य ए' 'मूर्द्धन्य ष' और 'ब' या 'व' के पाठ देखो ।

गकार बना हुआ युक्ताक्षर द्वित्व कहलाता है। जैसे—क, त ।
 * ङ और ञ इन दो अक्षरों में कभी द्वित्व नहीं होता ।

किसी वर्ग के दूसरे या चौथे अक्षर (महाप्राण) के द्वित्वाक्षर का उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिये संयोग का पूर्व वर्ण क्रमशः पहला या तीसरा अक्षर (अल्पप्राण) रहता है ।
 जैसे—अच्छा, शुद्ध, रक्खा, इत्यादि ।

नोट—बोलचाल में वर्ग के पहले और दूसरे या तीसरे और चौथे अक्षरों के पूर्व और ह्रस्व स्वर के परे, उच्चारण का भुकाव क्रमशः उसी वर्ग के प्रथमाक्षर के बिठाने की ओर है । जैसे—कुत्ता, रक्खा, अच्छा, खट्टा, चिट्ठी, कत्था, इत्यादि । पता, चचा, छुटा, चर्चा, लखा, टपा इत्यादि इस नियम के अपवाद हैं, परन्तु इनपर भी भुकाव का प्रभाव पड़ रहा है जिससे कोई चचा, छुटा, मिट्टा इत्यादि बोल बैठते हैं ।

युक्ताक्षर के आदि में यदि पञ्चमवर्ण हो तो इसे लोग अनुस्वार में भी बदलने लगे हैं । यह परिपाटी दिन-दिन जोर पकड़ती जा रही है । जैसे—गङ्गा-गंगा, चञ्चल-चंचल, घण्टा-घंटा, नन्द-नंद, चम्पा-चंपा ।

नोट—(१) बाङ्मय, सम्राट्, तिन्हें, इन्हें इत्यादि शब्दों में आये पञ्चमवर्ण अनुस्वार में नहीं बदलते ।

(२) अन्तःस्थ और ऊष्म वर्णों के पहले अनुस्वार नहीं बदलता ।
 जैसे—पंयोग, संसार, इत्यादि ।

संस्कृत नियमानुसार प्रायः दन्त्य स् के साथ त, थ का, तालव्य श् के साथ च, छ का और मूर्धन्य ष् के साथ ट, ठ का संयोग होता है । जैसे—स्थान, निश्चय, पुष्ट, इत्यादि ।

* 'ङ' का द्वित्व उच्चारण संस्कृत में होता है, जैसे—प्रत्यङ्गात्मा ।

† पंजाबवाले प्रायः वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षरों को क्रमशः पहले और तीसरे में बदलकर उच्चारण करने की ओर भुक्ते हैं । वे भूख, धंधा, घोखा और ठंडा इत्यादि शब्दों को क्रमशः भूक, धंदा, धोका और ठंडा बोलते और लिखते हैं ।

नोट—यह नियम अँगरेजी शब्द के लिये ग्राह्य नहीं है। मास्टर का मास्टर, वेस्ट को वेस्ट, मजिस्टर को मजिस्टर लिखना हम उचित नहीं समझते।

रू जब संयोग के आदि में रहता है तब वह अपने साथी के ऊपर इस (^९) रूप में लिखा जाता है, परन्तु जब संयोग के अन्त में रहता है तब वह अपने आदि व्यञ्जन के नीचे इस (^९) रूप में लिखा जाता है। जैसे—सूर्य, कर्म, चक्र, मुद्रा, इत्यादि।

नोट—‘श्र’ और ‘त्र’ रूप कुछ भिन्न हैं।

स्वर के आगे रू के साथ ह भिन्न किसी व्यञ्जन का संयोग हो तो यह व्यञ्जन विकल्प से दुहरा सकता है। जैसे—कर्म या कर्म, धर्म या धर्म, कार्य का कार्य, सूर्य या सूर्य, कर्ता या कर्ता, इत्यादि।

जिन-जिन अक्षरों की मिलावट से युक्ताक्षर बनते हैं वे संयोग होने पर किसी-न-किसी अंश में अवश्य दिखाई पड़ते हैं, परन्तु क्ष (क् + ष), त्र (त् + र) और ज्ञ (ज् + ञ) के लिये यह बात नहीं है। यही कारण है कि ये तीन अक्षर वर्णमाला में पढ़ाये जाते हैं।

संयुक्त व्यञ्जन क्ष और ज्ञ केवल संस्कृत शब्दों में ही आते हैं। जैसे—परीक्षा, आज्ञा।

हिन्दी में ज्ञ का उच्चारण बहुधा ग्यँ के तुल्य होता है, परन्तु इसका शुद्ध उच्चारण कुछ-कुछ ज्यँ के समान है।

ङ् और ञ् हिन्दी में सदा संयुक्त ही लिखे जाते हैं, परन्तु ए, न और म् अलग और संयुक्त दोनों लिखे जाते हैं। जैसे—गङ्गा; चञ्चल, लवण, मन, राम, घण्टा, दन्त, चम्पा।

हिन्दी भाषा में संयोग बहुधा दो अक्षरों के मिलते हैं, परन्तु कभी-कभी अधिक अक्षरों के भी आते हैं। जैसे—स्त्री,

लक्ष्य, मूर्द्धा, मूर्च्छा—इनमें तीन अक्षरों का संयोग है। 'काकुत्स्थ' में चार और 'कात्स्न्य' में पाँच अक्षरों का संयोग देखते हैं।

अभ्यास

कौन-कौन वर्ण संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं ? २. अच्छा, खट्टा और रक्खा—इन तीन शब्दों के युक्ताक्षरों के लिये तुमने क्या सीखा है ? ३. स्थान, निश्चय और पुष्प इन तीन शब्दों में 'स, श् और ष्' के लिये तुमने क्या सीखा है ? ४. किस अवस्था में पंचम वर्ण अनुस्वार से बदल जाता है ? ५. कर्म और कर्म दोनो लिख सकते हैं, क्यों ?

अनुच्चरित 'अ' *

१. हिन्दी के अकारान्त शब्दों में अन्त्य अ का उच्चारण नहीं होता। जैसे—गात, दिन, मोहन, कलम, लटकन, गपड़-चौथ, इत्यादि।

अपवाद—एकाक्षरी शब्द का, शब्द के संयुक्त अन्त्याक्षर का और इ, ई या ऊ के आगे य का अ पूर्ण उच्चरित होता है। जैसे—ब, न, धर्म, इन्द्र, प्रिय, सीय, राजसूय, इत्यादि।

२. चार अक्षरों के अकारान्त शब्द में दूसरे अकारान्त वर्ण का 'अ' अनुच्चरित रहता है। जैसे—भटपट, कामरूप, इत्यादि।

अपवाद—यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो या पहला अक्षर उपसर्ग हो तो दूसरे अक्षर का अ पूर्ण उच्चरित होता है। जैसे—सत्यलोक, प्रचलित।

३. अकारान्त-भिन्न तीन अक्षरों के शब्द के दूसरे या चार अक्षरों के शब्द के तीसरे अकारान्त वर्ण का अ प्रायः अनुच्चरित रहता है। जैसे—कपड़ा, भागना, निकलना, समझना, इत्यादि।

४. यौगिक शब्दों के मूल अवयवों का अन्त्य अ अनुच्चरित रहता है। जैसे—देवलोक, प्रबलता, लड़कपन।

❀ या शब्द का उच्चारण।

५. शब्द के आदि वर्ण का असदा उच्चरित होता है ।

अभ्यास

१. शब्दों में कहाँ-कहाँ अ का उच्चारण नहीं होता ? २. कहाँ-कहाँ अ का उच्चारण होता है ? ३. 'काम, मोहन, अनबन, राजघाट' इन शब्दों में कहाँ-कहाँ अनुच्चरित अ है ? ४. वर्णों के शब्दों में कहाँ-कहाँ अनुच्चरित अ आता है ?

स्वराघात

किसी शब्द के उच्चारण में प्रत्येक अक्षर पर स्वर का जो धक्का लगता है उसे 'स्वराघात' कहते हैं ।

संयुक्त व्यञ्जन के पूर्वाक्षर का या अनुच्चरित अकारवाले अक्षर के पूर्वाक्षर का स्वर बोलने में तन जाता है । जैसे—पक्ष, अन्न, पार, बोलकर ।

संयोग के पूर्व का स्वर जहाँ तानकर बोलने में क्लेशकर होता है, वहाँ बोलना और लिखना पलट भी देते हैं । जैसे—विपत्ति-विपत्त, सम्पत्ति-सम्पद्, दुःख-दुख, इत्यादि ।

इ, उ या ऋ के पूर्ववर्ती वर्ण का स्वर भी बोलने में तन जाता है । जैसे—हरि, लघु, मातृ, इत्यादि ।

विसर्गवाले अक्षर का उच्चारण भटके के साथ होता है । जैसे—दुःख, निःसन्देह, दुःशासन ।

नोट—भिन्न-भिन्न अर्थोंवाले एकही रूप के शब्दों के अर्थ स्वराघात ही से जाने जाते हैं । जैसे—तू मेरे लड़के को पढ़ा । मैंने ग्रन्थ पढ़ा ।

अभ्यास

१. विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है ? २. स्वराघात किसे कहते हैं ? ३. बोलने में स्वर कहाँ-कहाँ तानते हैं ? ४. स्वराघात से क्या लाभ है ?

सन्धि

दो वर्ण निकट होने से कभी-कभी मिल जाते हैं। उनके मिलने से कुछ विकार होता है उसे 'सन्धि' कहते हैं।

संयोग और सन्धि में यह अन्तर है कि संयोग के अक्षर नहीं बदलते, परन्तु सन्धि में उच्चारण के अनुसार एक या दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी दोनों के बदले एक तीसरा ही अक्षर आ जाता है। संयोग केवल व्यञ्जन में होता है, किन्तु सन्धि स्वर और व्यञ्जन दोनों में होती है।

सन्धि के तीन भेद हैं—स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि और विसर्गसन्धि।

(१) स्वर के साथ स्वर के संयोग को 'स्वरसन्धि' कहते हैं।

(२) व्यञ्जन के साथ स्वर या व्यञ्जन के संयोग को 'व्यञ्जनसन्धि' कहते हैं।

(३) विसर्ग के साथ स्वर या व्यञ्जन के संयोग को 'विसर्गसन्धि' कहते हैं।

स्वरसन्धि

स्वरसन्धि के पाँच भेद हैं—दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि।

(१) दीर्घ— (आ, ई, ऊ, ऋ)

ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ या ऋ से परे क्रम से ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ या ऋ आवे तो दोनों मिलकर उसी क्रम से दीर्घ आ, ई, ऊ या ऋ हो जाते हैं। जैसे—परम + अर्थ = परमार्थ, देव + आलय = देवालय, विद्या + अर्थी = विद्यार्थी, विद्या + आलय = विद्यालय, गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र, कपि + ईश = कपीश, मही + इन्द्र = महीन्द्र, नदी + ईश = नदीश, विधु +

उदय = विधूदय, लघु + ऊर्मि = लघूर्मि, स्वयम्भू + उदय = स्वयम्भूदय, पितृ + ऋण = पितृण ।

(२) गुण—

(ए, ओ, अर्)

ह्रस्व या दीर्घ अकार से परे ह्रस्व या दीर्घ इ, उ या ऋ रहे तो ह्रस्व या दीर्घ अ इ मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ और अ ऋ मिलकर अर् हो जाते हैं । इस विकार को गुणसन्धि कहते हैं । जैसे—देव + इन्द्र = देवेन्द्र, परम + ईश्वर = परमेश्वर, महा + ईश = महेश, हित + उपदेश = हितोपदेश, जल + ऊर्मि = जलोर्मि, महा + उत्सव = महोत्सव, गङ्गा + ऊर्मि = गङ्गोर्मि, हिम + ऋतु = हिमर्तु, महा + ऋषि = महर्षि ।

अपवाद—अब + ऊहिणी = अबौहिणी, प्र + ऊढ = प्रौढ, इत्यादि ।

(३) वृद्धि—

(ऐ, औ)

ह्रस्व या दीर्घ अकार से परे ए, ऐ, ओ या औ रहे तो अ + ए, या अ + ऐ मिलकर ऐ और अ + ओ वा अ + औ मिलकर औ हो जाते हैं । इस विकार को वृद्धिसन्धि कहते हैं । जैसे—एक + एक = एकैक, परम + ऐश्वर्य = परमैश्वर्य, तथा + एव = तथैव, महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य, सुन्दर + ओदन = सुन्दरौदन, महा + ओपधि = महौपधि, परम + ओपध = परमौपध ।

विकल्प—यदि आगे ओष्ठ्य शब्द हो तो विकल्प से ओ भी होना है, जैसे—कण्ठ + ओष्ठ्य = कण्ठोष्ठ्य या कण्ठौष्ठ्य, दन्त + ओष्ठ्य = दन्तोष्ठ्य या दन्तौष्ठ्य, इत्यादि ।

(४) यण—

(य, व, र्)

ह्रस्व या दीर्घ इ, उ या ऋ से परे कोई भिन्न स्वर हो तो क्रम से ह्रस्व या दीर्घ इ का य, उ का व् और ऋ का र् होकर आगे के स्वर से मिल जाता है इस विकार को यण सन्धि कहते हैं ।

जैसे—यदि + अपि = यद्यपि, इति + आदि = इत्यादि, प्रति + उप-
कार = प्रत्युपकार, नि + ऊन = न्यून, प्रति + एक = प्रत्येक, अति +
ऐश्वर्य = अत्यैश्वर्य, गोपी + अर्थ = गोप्यर्थ, देशी + आगम =
देश्यागम, सखी + उक्त = सख्युक्त, अनु + अय = अन्वय, सु +
आगत = स्वागत, अनु + इति = अन्विति, अनु + एषण = अन्वे-
षण, बहु + ऐश्वर्य = बह्वैश्वर्य, सरयू + अम्बु = सरय्वम्बु, पितृ +
अनुमति = पित्रनुमति, मातृ + आनन्द = मात्रानन्द ।

(५) अयादि— (अय् , आय् , अव् , आव्)

‘ए, ऐ, ओ और औ’ आगे कोई स्वर रहने से क्रम से अय्,
आय्, अव् और आव् हो जाते हैं। इस विकार को अयादि
सन्धि कहते हैं। जैसे—ने + अन = नयन, ने + अक = नायक,
पो + अन = पवन, पो + इत्र = पवित्र, पो + अक = पावक,
भो + इनी = भाविनी, भो + उक = भावुक ।

नोट—संस्कृत में पदान्त के ए और ओ ने परे अर-ने से इसका
लोप हो जाता है और लोप के स्थान में लुप्ताकार (ऽ) निह्न अरनी इच्छा
से ला सकते हैं। जैसे—ते + अत्र = तेऽत्र, ते + अपि = तेऽपि ।

अभ्यास

१. सन्धि करो और नियम लिखो—

महा + आत्मा, नै + अक, अनु + अय, तथा + एव ।

२. सन्धि बिलगाओ—

तेऽपि, इत्यादि, नयन, अवरोष्ठ, गणेश ।

व्यञ्जनसन्धि

यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण से परे अनुनासिक
वर्ण रहे तो वह निज वर्ग का अनुनासिक होकर अगले वर्ण से
मिल जायगा। जैसे—वाक् + मय = वाङ्मय, प्राक् + मुख =

प्राङ्मुख, जगत् + नाथ = जगन्नाथ, उन् + मत्त = उन्मत्त, षट् + मास = षणमास, अप् + मय = अम्मय, इत्यादि ।

‘पदान्त म’, आगे स्पर्शवर्ण रहने से अनुस्वार या उसी वर्ण का पञ्चमाक्षर और अन्तःस्थ या ऊष्मवर्ण रहने से अनुस्वार हो जाता है, लेकिन आगे स्वरवर्ण रहने से नहीं बदलता । जैसे— सम् + आचार = समाचार, सम् + उदाय = समुदाय, सम् + ऋद्धि = समृद्धि, अहम् + कार = अहङ्कार, सम् + गम = सङ्गम, किन् + चिन् = किञ्चित्, सम् + चय = सञ्चय, सम् + तोष = सन्तोष, सम् + ताप = सन्ताप, सम् + बन्ध = सम्बन्ध, सम् + बुद्धि = सम्बुद्धि, सम् + भव = सम्भव, सम् + यम = संयम, सम् + वाद = संवाद, सम् + लय = संलय, सम् + सार = संसार, सम् + हार = संहार, इत्यादि ।

क्, च, ट, त् या पू के आगे स्वर, अन्तःस्थ या वर्णों के तीसरे, चौथे व्यञ्जनों में से कोई एक आवे तो क् इत्यादि प्रथम वर्ण क्रम से ग् इत्यादि तीसरे वर्ण हो जाते हैं । जैसे— दिक् + गज = दिग्गज, वाक् + दत्त = वाग्दत्त, दिक् + अम्बर = दिग्म्बर, वाक् + ईश = वागीश, धिक् + याचना = धिग्याचना, अच् + अन्त = अजन्त, षट् + दर्शन = षड्दर्शन, उन् + अय = उदय, सत् + आनन्द = सदानन्द, सत् + आचार = सदाचार, जगन् + इन्द्र = जगदिन्द्र, जगत् + ईश = जगदीश, सत् + उत्तर = सद्गुत्तर, महत् + ओज = महदोज, महत् + औपध = महदौपध, उन् + योग = उद्योग, भविष्यत् + वाणी = भविष्यद्वाणी, सत् + वंश = सद्रंश, पशुवत् + गामी = पशुवद्गामी, उन् + घाटन = उद्घाटन, महत् + धनुष = महद्धनुष, जगत् + बन्धु = जगद्बन्धु, अप् + ज = अब्ज, अप + भूति = अबभूति, इत्यादि ।

‘त्, द् या न’, आगे ल रहने से ल् हो जाता है, परन्तु न् वे

लिये अर्धानुस्वार भी लगता है । जैसे—उत् + लङ्घन = उल्लङ्घन, उत् + लेख = उल्लेख, महान् + लाभ = महाँल्लाभ, इत्यादि ।

‘त् या द्’ आगे च, छ रहने से च्, ज भ रहने से ज्, ट, ठ रहने से ट् और ड, ढ रहने ड् हो जाता है । जैसे—उत् + चारण = उच्चारण, सत् + चिदानन्द = सच्चिदानन्द, सत् + जाति = सज्जाति, उत् + ज्वल = उज्ज्वल, उत् + छिन्न = उच्छिन्न, विषद् + जाल = विषज्जाल, तत् + टीका = तट्टीका, तत् + जय = तज्जय, उत् + डयन = उड्डयन, इत्यादि ।

‘त् या द्’ के आगे श रहने से त् या द् का च् और श का छ तथा ह रहने से त् या द् का द् और ह का ध हो जाता है । जैसे—सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र, उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट, तत् + शरण = तच्छरण, तत् + शरीर = तच्छरीर, उत् + हार = उद्धार, तत् + हित = तद्धित, उत् + हित = उद्धित, उत् + हत = उद्धत, इत्यादि ।

ह्रस्व स्वर के आगे छ रहने से छ के पहले च् बढ़ जाता है, परन्तु दीर्घ स्वर के आगे विकल्प से बढ़ता है । जैसे—वि + छेद = विच्छेद, परि + छेद = परिच्छेद, अव + छेद = अवच्छेद, वृत्त + छाया = वृत्तच्छाया, श्री + छाया = श्रीच्छाया या श्रीछाया, लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया या लक्ष्मीछाया, इत्यादि ।

च् या ज् के आगे न् का न् हो जाता है । जैसे—याच् + ना = याच्ना, यज् + न = यज्ञ ।

मूर्द्धन्य प् के आगे त का ट और थ का ठ हो जाता है । जैसे—आकृष् + त = आकृष्ट, उत्कृष् + त = उत्कृष्ट, षष् + थ = षष्ठ ।

नोट—संस्कृत में व्यंजनसन्धि का विस्तार है । यहाँ जितने नियम दिये गये हैं वे बहुत ही थोड़े हैं ।

अभ्यास

१. सन्धि बिलगाओ—

संतोष, उन्वारण, तद्धि, अञ्ज, सदाचार, उन्मत्त, उच्छिन्न, अनन्त ।

२. सन्धि करो—

जगत् + नाथ, वाक् + ईश, उत् + योग, तत् + शम्भु, अक् + छेद्, यञ् + न ।

विसर्गसन्धि

यदि निः और दुः के विसर्ग से परे क, ख, प या फ रहे तो विसर्ग का ष् हो जाता है, परन्तु और स्थानों में विपर्ग ही बना रहता है। जैसे—निः + कपट = निष्कपट. निः + गप = निष्पाप, निः + फल = निष्फल, दुः + कर = दुष्कर. अन्तः + पुर = अन्तः-पुर, अधः + पतन = अधःपतन. मनः + कामना = मनःकामना ।

अपवाद—दुः + ख = दुःख, नमः + कार = नमस्कार, पुरः + कार = पुरस्कार, भाः + कर = भाकर ।

यदि विसर्ग के परे च, छ या श रहें तो विसर्ग का श्; ट, ठ या ष रहे तो प् और त, थ या स रहें तो स् हो जाता है, परन्तु श, ष या स रहने पर विकल्प है। जैसे—निः + चल = निश्चल, निः + चय = निश्चय, निः + छल = निश्छल, दुः + शासन = दुःशासन या दुःशासन, धनुः + टङ्कार = धनुष्टङ्कार, बहिः + पट् = बहिष्पट् या बहिःपट, मनः + ताप = मनःस्ताप, निः + तार = निस्तार, दुः + तर = दुस्तर, निः + सन्देह = निस्सन्देह या निःसन्देह ।

यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और आगे वर्ग के प्रथम, द्वितीय और श, ष, स वर्णों को छोड़ कोई व्यञ्जन वा स्वरवर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में र् हो जाता है, परन्तु विसर्ग के आगे र रहने से विसर्गवाले र् का लोप और इसके पहले के अ, इ, उ स्वर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे—निः + गुण = निर्गुण, निः + धिन = निर्धिन, निः + जल = निर्जल,

निः + भ्रर = निर्भर, बहिः + देश = बहिर्देश, निः + धन = निर्धन,
 निः + बल = निर्बल, निः + भय = निर्भय, निः + नाथ = निर्नाथ,
 निः + मल = निर्मल, निः + युक्ति = निर्युक्ति, निः + विकार =
 निर्विकार, निः + हस्त = निर्हस्त, निः + अर्थ = निरर्थ, निः +
 आधार = निराधार, निः + इच्छा = निरिच्छा, निः + उपाय =
 निरुपाय, निः + औषध = निरौषध, दुः + नीति = दुर्नीति, निः +
 रस = नीरस, निः + रोग = नीरोग, निः + रन्ध्र + नीरन्ध्र, निः +
 रेफ = नीरेफ, पुनः + रचना = पुनारचना ।

यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो और आगे वर्णों के प्रथम, द्वितीय
 और श, ष, स वर्णों को छोड़ कोई व्यञ्जन हो तो अ और
 विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं । जैसे—मनः + गत = मनो-
 गत, मनः + भाव = मनोभाव, मनः + ज्ञ = मनोज्ञ, मनः + योग
 = मनोयोग, मनः + रथ = मनोरथ, मनः + विकार = मनोविकार,
 मनः + नीत = मनोनीत, तेजः + मय = तेजोमय, मनः + हर =
 मनोहर, सरः + ज = सरोज, पयः + द = पयोद ।

यदि अ पूर्वक विसर्ग के आगे अ हो तो उसके बदले ओ आता
 है और विसर्ग के आगे के अ के लिये लुप्ताकार (ऽ) भी लाते हैं,
 परन्तु आगे अ से भिन्न कोई दूसरा स्वर रहे तो केवल विसर्ग
 का लोप हो जाता है और फिर सन्धि नहीं होती । जैसे—नवः +
 अङ्कुर = नवोऽङ्कुर, प्रथमः + अध्याय = प्रथमोऽध्याय, मनः +
 अनुसार = मनोऽनुसार, मनः + अवधान = मनोऽवधान, यशः +
 अभिलाषी = यशोऽभिलाषी, तेजः + आभास = तेजआभास,
 यशः + इच्छा = यशइच्छा, अतः + एव = अतएव ।

यदि अ के आगे र के बदले का विसर्ग रहे और उसके आगे
 वर्णों के प्रथम, द्वितीय और श, ष, स वर्णों को छोड़ कोई वर्ण हो
 तो विसर्ग फिर र में बदल जाता है । जैसे—पुनः + अपि = पुन-

रपि, पुनः + आगत = पुनरागत, अन्तः + धान = अन्तर्धान, पुनः + जन्म = पुनर्जन्म, अन्तः + गत = अन्तर्गत ।

नोट—ग्रन्थ स् के बदले भी विसर्ग होता है, इसलिये विसर्ग सम्बन्धी सब नियम ऐसे 'स्' के लिये काम आते हैं । ऊपर के उदाहरणों में स् वाले विसर्ग के 'निर्गुण, मनोविकार' इत्यादि कई शब्द आये हैं ।

अभ्यास

१. सन्धि करो—

अन्तः + करण, दुः + तर, निः + धन, देवः + ऋषि ।

२. सन्धि बिलगाओ—

प्रथमोऽध्याय, मनोहर, पुनर्जन्म, निर्गुण, दुस्तर ।

शब्द और प्रत्यय * का मेल

जब शब्द और प्रत्यय संयुक्त होते हैं तब शब्दान्त वर्ण के साथ प्रत्यय का आदि वर्ण यदि मिलने योग्य हो तो मिला देते हैं । जैसे—लड़का + आई = लड़काई, चाप + औती = चापौती, इत्यादि ।

शब्द और प्रत्यय की मिलावट में कहीं तो सन्धि † के नियम लगते हैं और कहीं नहीं । मिलावट में शब्द के अन्त्याक्षर के पूर्व का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है । ऐसी अवस्था में ए को इ से और ओ को उ से बदल देते हैं । शब्द के अन्त्य वर्ण को कहीं लुप्त, कहीं ह्रस्व और कहीं स्वरहित कर देते हैं । आगे उदाहरण दिये जाते हैं—

* जिनके जाड़ने ने शब्द को अवस्था और अर्थ में अन्तर पड़ता है उन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, परन्तु उपसर्ग शब्द के पूर्व और प्रत्यय अन्त में आते हैं । जैसे—उर्जन 'दुर्' उपसर्ग और धनवान् में 'वान्' प्रत्यय है ।

† पीछे सन्धि के जितने नियम दिये गये हैं वे सब-के-सब संस्कृत के हैं ।

स्वरयोग—

(१) लड़ + आई = लड़ाई, बूढ़ा + आपा = बुढ़ापा, गोड़ + ऐत = गोड़ैत, मिल + ओटा = मिलौटा, पी + आम = प्याम, लखनऊ + ई = लखनवी, इत्यादि ।

(२) गाई + इया = गइया = गैया, खाट + इया = खटिया, घर + ऊ = घरू, चौबे + आइन = चौवाइन. इत्यादि ।

स्वर और व्यञ्जनयोग—

(१) ब और ह मिलकर भ तथा त और द मिलकर द हो जाते हैं । जैसे—तब + ही = तभी, जब + ही = जभी, पोत + दार = पोद्दार, इत्यादि ।

(२) बह + ही = बही, यहाँ + ही = यहीं, हम + ही = हमी. तुम + ही = तुमी या तुम्हीं, उस + ही = उभी. तिस + ही = तिसी. जिन + ही = जिन्हीं, दूध + हाँड़ी = दुधौड़ी, इत्यादि ।

अभ्यस**१. मिलाओ—**

बड़ा + आई, भाई + इया, अब + ही, जहाँ + ही ।

२. विच्छेद करो—

कभी, उसी, मिठास, भूखा, गोला ।

मूर्द्धन्य ण (Changes of न into ण)

ऋ, र् और प् के आगे न के बदले ण आता है । जैसे—ऋण, कण, तृष्णा ।

यदि स्वर, कवर्ग पवर्ग य. व, ह और अनुस्वार में से कोई, 'ऋ, र् या प्' और 'न' के बीच में आवे तो भी न के बदले ण होता है । जैसे—रण, वरण, रामायण, रावण, ग्रहण. श्रवण, प्रणाम ।

अपवाद—दुर्नाम, दुर्निवार, दुर्नीति, इत्यादि ।

मूढन्य ष (Changes of स into ष)

अ, आ को छोड़ और किसी स्वर, क् या र् के आगे स् के बदले प होता है । जैसे—जिगीषा, निषिद्ध, विषम, सुषुप्ति ।

अपवाद—विस्मरण, अनुसरण, विसर्ग, इत्यादि ।

व या व (व or व)

बोलने और लिखने में व और व में भेद अवश्य रखना चाहिये । जो वेद को वेद और बात को बात लिखते हैं वे भूल करने हैं । प्रायः अधिकतर विद्यार्थी तो व कभी लिखते ही नहीं । कहीं-कहीं जहाँ व आना चाहिये वहाँ व और जहाँ व लिखना चाहिये वहाँ व लिखते हैं, यह बड़ी भूल है । व और व के उच्चारण स्थानों पर सदा ध्यान रखना उचित है ।

संस्कृत के निम्नलिखित वकारादि शब्द हिन्दी में बहुधा आते हैं—ब्रह्म, बंध, ब्रह्मा, बधिर, ब्राह्मण, बहुधा, बुद्ध, ब्रह्मचर्य, बुध, बन्धु, बहु, बुद्धि, बृहस्पति, बाला, बाहु, बलि, बाल (बालक), बन्धन, बन्ध, बिम्ब, बीज, बिल्व, बालुका, बिल, बिन्दु, बलात्कार, इत्यादि ।

संस्कृत के निम्नलिखित शब्द वैकल्पिक हैं—

वाल्मीकि (वाल्मीकि), वाणिज्य (वाणिज्य), वल (बल), वाली (बाली), वाधा (बाधा), वाण (बाण), बाल (बाल = केश), वक (बक), वाष्प (बाष्प), इत्यादि ।

अभ्यास

शुद्ध करो—

ब्राह्मणी, बिम्बोष्ट, सूर्यग्रहण, मनुष्य, वेद, भवबंधन, धनुसवान, बिम्बरन, चेष्टा, विसमकोन ।

मिश्रित अभ्यास

१. नीचे जहाँ अशुद्ध वर्ण हों उन्हें शुद्ध करो और कारण दो—
गण्डक में बाढ़ आई है। गुफा में साधू रहता है। अछा पुस्तक पढ़ो। ससार में बुरे लोग भी हैं। निश्चय नहीं हुआ है कि यह किस स्थान का पुष्प है। अक्षोहिनी एक बड़ी सेना का नाम है। आपको नमस्कार है। राम को पुरस्कार दो। भासा भास्कर के नियम अब नहीं माने जाते। इस चिन्ह को विसम कहते हैं। यह बात निश्चिन्नेह है। मेरे आपको अन्तस्करण से आसिर्वाद देता हूँ। निरोग रहने के नियम कहिये। बूढ़ापा आ गया। पीआस लगी है। रामायण में राम और रावन की कहानी है। इसका क्या प्रमाण है? विसमकोन किसे कहते हैं। ब्राह्मन से ग्रहन की बात पूछो। मुझे यह बात स्मरण नहीं। चार बेद हैं और अठारह पुराण। तुम यह क्या निसिद्ध काम करते हो!

२. 'देवः + ऋषि' की सन्धि करो तथा यह भी कारण सहित बतलाओ कि उनके रूपों में कुछ अन्तर पड़ेगा या नहीं?

३. क्व दन्त्यस मूर्द्धन्य प हो जाता है और दन्त्य न मूर्द्धन्य ण

४. सन्धि बिलगाओ और उनके नाम कहो—

महेश्वर्य, मनोविकार, उत्तमर्ण, भवन, समाचार, उज्ज्वल और निस्सन्देह।

शब्द-विचार

शब्द (Words)

कान से जो सुन * पड़े उसको शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार

* सुने हुए शब्द या तो ध्वन्यात्मक होते हैं या वर्णात्मक। जिनके अक्षर स्पष्ट न सुन पड़ें वे ध्वन्यात्मक और जिन के अलग-अलग रत्न पड़े वे वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। व्याकरणमें वर्णात्मक शब्दों का विचार होता है।

के हैं—सार्थक और निरर्थक । सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो । जैसे—जल, घर । निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ न हो । कभी-कभी निरर्थक शब्दों का भी व्यवहार होता है । वे वाक्य की थोड़ी-सी शोभा बढ़ा देते हैं या कभी उनसे कोई अर्थ (जैसे—अनुकरण इत्यादि का) समझ लिया जाता है । जैसे—अरे राम, कुछ पानी-वानी पिलाओगे या नहीं ? क्या अल्ल-बल्ल बकता है !

अर्थ तीन प्रकार के हैं—वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य ।

१. जिस शब्द का जो अर्थ नियत है जब वह उसी अर्थ में बोला जाय तब वाच्य * कहलाता है । जैसे—बैल एक पशु है । यहाँ बैल शब्द का अर्थ पैर, सींग और खुग आदिवाला म्वनाम-प्रसिद्ध पशु है, इसीलिये यह अर्थ 'वाच्य' हुआ और बैल शब्द 'वाचक' ।

यदि कोई शब्द नियत अर्थ का बोध न कराके अपने सादृश्य या गुण का बोध करावे तो ऐसा अर्थ लक्ष्य कहलाता है । जैसे—यह मनुष्य बैल है । यहाँ बैल शब्द अपने नियत अर्थ का बोध नहीं कराता, क्योंकि मनुष्य कभी चार पैरों वाला पूँछदार बैल नहीं हो सकता । यहाँ बैल शब्द 'बैल के सदृश' इस अर्थ का बोध कराता है अर्थात् इससे उस मनुष्य की जड़ता, मूर्खता इत्यादि का बोध होता है । यह मनुष्य बैल है ।

* वाच्यार्थ के कई भेद हैं—१ सामान्य—(उदाहरण ऊपर देखो)

२. विशेष—(जैसे—पंकज) यहाँ पंक = कीच, ज = जन्मा, इसलिये पंकज का अर्थ हुआ—कीच से जन्मा हुआ पदार्थ; परन्तु इस शब्द से कीच से जन्मे हुए सब सामान्य पदार्थों के अर्थ को छोड़कर 'विशेष अर्थ' कमल का बोध होता है । (आगे योगरूढ़ संज्ञा देखो) ।

अर्थान् वह मनुष्य मूर्ख है, इसलिये वह अर्थ 'लक्ष्य' हुआ और वेल शब्द 'लक्ष्यक' ।

३. एक अर्थ व्यङ्ग्य भी होता है । जैसे—आचार्य ने कहा कि सूर्यास्त हुआ । इससे छात्रों ने समझा कि सन्ध्योपासन के लिये आचार्य आज्ञा देते हैं ।

जिस शक्ति से वाच्य-अर्थ का बोध होता है, उसे 'अभिधा' जिससे लक्ष्य अर्थ का ज्ञान हो, उसे 'लक्षणा' तथा जिससे व्यङ्ग्य अर्थ जान पड़े, उसे 'व्यञ्जना' कहते हैं ।

नोट—हिन्दी में जितने शब्द बोले जाते हैं वे व्युत्पत्ति के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी होते हैं ।

(१) तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूपों में हिन्दी में आये हैं । जैसे—माता, कवि, वायु । (२) तद्भव वे हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं । जैसे—खेत, राय, मेह । (३) देशज शब्द संस्कृत से नहीं निकले हैं, वे भरतखण्ड के आदिम निवासियों की बोलियों से लिये गये हैं । जैसे—छाती, पेट । (४) विदेशी शब्द फारसी, अंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं से आये हैं । जैसे—आदमी, इम्तहान, तोप नीलाम, नोटिस, इत्यादि ।

सार्थक शब्द (Articulate Words)

रूपान्तर के अनुसार सार्थक शब्दों के दो भेद हैं—विकारी और अविकारी ।

लिङ्ग, वचन और पुरुष के कारण जिस शब्द के रूप में कोई विकार होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं । जैसे—

लड़का—लड़की, लड़के, लड़कों	...	...	} विकारी शब्द
वह—उस, उन, वे, उन्होंने	...	...	
अच्छी—अच्छी-अच्छे, अच्छों	...	...	
पढ़—पढ़ना-पढ़ा, पढ़ा, पढ़ें, पढ़कर	...	...	

लिङ्ग, वचन इत्यादि के कारण जिस शब्द के रूप में विकार नहीं होता उसे अविकारी (अव्यय) कहते हैं । जैसे—

अभो, अब, तब,	...	...	...	} अविकारी शब्द (अव्यय)
पास, समीप, आगे	...	...	...	
और, व, या, वा	...	...	...	
हाय ! अरे ! वाह !	...	...	...	

प्रयोग के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी के तथा क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक अविकारी (अव्यय) के भेद हैं । इस प्रकार सब मिलाकर सार्थक शब्दों के आठ भेद होते हैं—

१. संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं । जैसे—पुस्तक, काशी, गोविन्द ।

नोट—यहाँ ध्यान रहे कि संज्ञा कोई वस्तु नहीं है, वरन् वह वस्तु का नाम है ।

२. जो शब्द संज्ञा के स्थान में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं । जैसे—राम ने कहा कि मैं जाऊँगा । कौन जायगा ? जो आवेगा वह पढ़ेगा ।

३. जो संज्ञा की विशेषता बतलावे उसे विशेषण कहते हैं । जैसे—काली गाय आती है । वह अच्छे ग्रन्थों को पढ़ता है ।

नोट—विशेषण संज्ञा की व्यापकता को बाँध देता है । विशेषणरहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है विशेषणसहित से उससे कम का होता है । गाय शब्द से जितने प्राणियों का बोध होता है 'काली गाय' से उतने का नहीं होता, क्योंकि 'काली' शब्द 'गाय' की व्यापकता को बाँधता है । परन्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले, उसकी विशेषता प्रकट करने के लिये आया हुआ विशेषण संज्ञा की व्यापकता को नहीं बाँधता । जैसे—पितृभक्त राम ।

४. जिससे किसी व्यापार या काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे—मैं कहता हूँ। गम मोता है।

५. जो क्रिया के अर्थ में कोई विशेष बात पैदा करे उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—काम भटपट कर डालो। गम धीरे-धीरे बढ़ता है।

६. जो अव्यय संज्ञा या संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले शब्द के बहुधा आगे आकर उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे सम्बन्धबोधक कहते हैं। जैसे—इस कविता का अव्यय सहित अर्थ लिखो। गम अपने परिवार समेत घर चला गया। धन के बिना काम नहीं चलता।

७. जो अव्यय क्रिया की विशेषता न बतलाकर दो वाक्यों का परस्पर अव्यय दिखलाता है उसे समुच्चयबोधक या उभयान्वयी कहते हैं। जैसे—गम और लक्ष्मण वन से आये। जाओ या बैठो।

८. जो मनोविकार को अर्थान् आश्चर्य, दर्प, पीड़ा, आदि को प्रकट करता है, उसे विस्मयादिवोधक कहते हैं। जैसे—ओह ! तुम आ गये। वाह ! वाह ! ❀

अभ्यास

१. शब्द किसे कहते हैं ? २. शब्द कितने प्रकार के हैं ? ३. व्युत्पत्ति के अनुसार कितने प्रकार के शब्द हिन्दी में बोले जाते हैं ? ४. अर्थ कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो। ५. रूपान्तर के अनुसार सार्थक शब्दों के

* संस्कृत भाषा में शब्दों के केवल तीन भेद हैं—संज्ञा, क्रिया और अव्यय। हमने ऊपर लिखे आठ भेद विद्यार्थियों की सुविधा के लिये कर दिये हैं।

कुल कितने भेद हैं ? प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण दो । ६. विशेषण संज्ञा को क्या करता है ? 'गाय' और 'काली गाय' में क्या भेद हैं ?

विकारी शब्द (Declinable Words)

संज्ञा (Nouns)

(१) व्युत्पत्ति * के विचार से भेद

व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञाओं के तीन भेद हैं—रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ ।

जिस शब्द के खण्ड † सार्थक न हों सकें उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं । जैसे—धन, गज, इत्यादि । धन शब्द में ध' और न दोनों निरर्थक हैं । इसी प्रकार, ऐसे शब्दों के सब खण्ड अलग-अलग निरर्थक हैं । परन्तु प्रत्येक समूचा शब्द एक अर्थ का बोधक है ।

किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या दूसरे शब्द के मिलाने से जो संज्ञा बने उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं । ऐसे शब्द के खण्ड सार्थक होते हैं तथा खण्डार्थ और शब्दार्थ में पूर्ण सम्बन्ध भी रहता है । जैसे—दुर्जन (दुर् + जन,) धनवान् (धन + वान्), पाठशाला (पाठ + शाला), इत्यादि ।

जो यौगिक संज्ञा के समान ही बने, परन्तु सामान्यार्थ को छाँड़ विशेषार्थ का प्रकाश करे उसे योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं । जैसे—पङ्कज, जलज, चक्रपाणि, चारपाई, इत्यादि ।

* व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा से भिन्न शब्द दो ही प्रकार के होते हैं—रूढ़ और यौगिक ।

† एकाक्षरी कोष के विचार से प्रत्येक अक्षर का भी अर्थ होता है, परन्तु वह अर्थ मूल शब्द के अर्थ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता । यही कारण है कि रूढ़ शब्द के खण्ड सार्थक नहीं समझे जाते ।

पङ्क=कीच, ज=जन्मा, इसलिये पङ्कज का अर्थ हुआ 'कीच से जन्मा हुआ पदार्थ'. परन्तु इस शब्द से कीच से जन्मे हुए सामान्य पदार्थों के अर्थ छोड़ विशेषार्थ कमल का बोध होता है।

चक्रपाणि में चक्र एक अस्त्र का नाम है और पाणि हाथ का। इसका सामान्य अर्थ हुआ 'जिसके हाथ में चक्र हो' किन्तु इसका विशेषार्थ केवल विष्णु होता है।

ऐसी यौगिक संज्ञा को योगरूढ़ कहते हैं। यह संज्ञा भी दोहरी होती है, परन्तु इसके शब्दार्थ और खण्डार्थ में पूर्ण सम्बन्ध नहीं रहता।

(२) अर्थ के विचार से भेद

अर्थ के विचार से संज्ञाओं के पाँच भेद किये जा सकते हैं—जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।

१. जिस शब्द से जाति-भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—हाथी, मनुष्य, कुत्ता, बालक, घोड़ा, इत्यादि।

इन शब्दों में प्रत्येक किसी एक ही वस्तु के लिये नहीं आता, किन्तु उस प्रकार की सब वस्तुओं के लिये आता है। हम सब हाथियों को हाथी शब्द से पुकारते हैं। बालक शब्द प्रत्येक बालक के लिये आता है, इत्यादि।

२. जिस शब्द से केवल एक ही पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—राम, पटना, हिमालय, गङ्गा, भारत।

इन शब्दों से एक मनुष्य, एक नगर, एक पहाड़, एक नदी और एक देश से अधिक का बोध नहीं हो सकता। राम

एक पुरुषविशेष का नाम है और गङ्गा एक नदीविशेष का । सब नदियों को गङ्गा नहीं कह सकते । इसी प्रकार सब पहाड़ों को हिमालय नहीं कह सकते, इत्यादि ।

३ जिस शब्द के कहने से पदार्थ में पाये जानेवाले किसी धर्म (गुण, अवस्था या व्यापार) का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे—लड़कपन, शीतलता, उष्णता, लम्बाई, चढ़ाव, इत्यादि ।

प्रत्येक पदार्थ में कोई-न-कोई धर्म अवश्य पाया जाता है । लड़के में लड़कपन, जल में शीतलता, आग में उष्णता और किसी पदार्थ में लम्बाई रहती है । कोई-कोई धर्म कई पदार्थों में पाये जाते हैं । जैसे—लम्बाई, चौड़ाई, मुटाई, आकार, इत्यादि ।

नोट—(१) किसी पदार्थ का धर्म उसमें अलग नहीं रह सकता, अर्थात् हम यह नहीं कह सकते कि यह लड़का है और वह लड़के का लड़कपन, यह जल है और वह जल की शीतलता, इत्यादि । तो भी हम अपनी कल्पनाशक्ति द्वारा परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भावनाओं को अलग-अलग कर सकते हैं । हम जल के और-और भागों की भावना न कर केवल उसको शीतलता की भावना मन में ला सकते हैं । और, इसे किसी दूसरे पदार्थ (जैसे—पानी) को भावना के साथ मिला सकते हैं ।

(२) निम्नलिखित नाम भी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं ।
(क) गुणों के; जैसे—सफेदी, म्याही, नमी, इत्यादि । (ख) रोगों के; जैसे—ज्वर, हैजा, आदि । (ग) समय या समय-विभागों के; जैसे—दिन, घंटा, आदि । (घ) विद्याओं के; जैसे—गणित, व्याकरण, आदि । (ङ) मन के भावों के; जैसे—क्रोध, दवा, इत्यादि । (च) कामों के; जैसे—सपना, जागरण, चाल-ढाल, इत्यादि ।

४. जिस शब्द के कहने से बहुत पदार्थों के एक समूह

का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—भोड़, सभा, भुंड, गुच्छा, इत्यादि।

५. जिस शब्द के कहने से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—पानी, दूध, घी, आटा, मोन, इत्यादि। व्यवहार में इन द्रव्यों को नापते या तोलते हैं।

नोट—समूहवाचक और द्रव्यवाचक वास्तव में जातिवाचक ही के अन्तर्गत है।

विशेषता

कुछ जातिवाचक संज्ञाएँ प्रयोग में व्यक्तिवाचक के समान आती हैं। जैसे—पुरी (जगन्नाथ), देवी (दुर्गा), दाऊ (बलदेव), सवत् (बिहारी सवत्), इत्यादि। कुछ उपनाम के शब्द—सितारे हिन्द (राजा शिव-प्रसाद), भारतेन्दु (बाबू हरिश्चन्द्र), गुसाईजी (गोस्वामी तुलसीदास), दक्षिण (दक्षिणी हिन्दुस्तान), इत्यादि। कुछ योगशब्द संज्ञाएँ—गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल, इत्यादि।

कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिविशेष के गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण के रहनेवाले सब पदार्थों के लिये आती है, ऐसी अवस्था में वह जातिवाचक हो जाती है। जैसे—‘आल्प्स यूरोप का हिमालय है।’ ‘शेक्सपियर यूरोप के कालिदास थे।’ इन वाक्यों में हिमालय का अर्थ है ‘ऊँचा पहाड़’ और कालिदास का अर्थ है ‘महाकवि’, इसलिये यहाँ इनको व्यक्तिवाचक कहेंगे।

व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बहुवचन नहीं होते। जब इनका प्रयोग बहुवचन में होता है तब ये संज्ञाएँ जातिवाचक हो जाती हैं। जैसे—मेरे वर्ग में तीन राम हैं। पानीपत में तीन लड़ाइयाँ हुईं। दोनों सेनाओं में यह समाचार फैल गया। तेली के पाम भिन्न-भिन्न प्रकार के तेल बिकते हैं। आश्चर्य है कि छोटी-मोटी कुपाएँ मन को मुग्ध कर लें ! उनकी जानतोड़ कोशिशें प्रजा को मनुष्यकोटि

में लाने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके आगे सब रूपवती स्त्रियाँ निरादर हैं। ये सब कैसे अच्छे पहिरावे हैं।

नोट—‘गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतन्त्र हो गया था।’ इस वाक्य में ‘गुप्तों’ शब्द से अनेक बोध होने पर भी वह व्यक्ति-वाचक संज्ञा है, क्योंकि उससे कुछ व्यक्तियों के एक विशेष समूह का ही बोध होता है।

भाववाचक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं—

१. संज्ञा से (विशेषकर जातिवाचक संज्ञा से)—लड़का-लड़कपन, शत्रु शत्रुता, मनुष्य-मनुष्यत्व, मित्र-मित्रता, चोर-चोरी, इत्यादि।

२. विशेषण से—मोटा-मिठास, गर्म-गर्मी, बुद्धिमान्-बुद्धिमानी, सरल-सरलता, मूर्ख-मूर्खता, इत्यादि।

३. क्रिया से—लड़ना-लड़ाई, दौड़ना-दौड़, मारना-मार, कूदना-कूद, लेना-देना—लेन-देन, इत्यादि।

नोट—क्रिया का सामान्य रूप भाववाचक संज्ञा का काम देता है। जैसे—‘चलना’ ठीक है। ‘घूमना’ अच्छा है।

अभ्यास

१. व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञाओं में कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दो। २. अर्थ के विचार से संज्ञाओं के कितने भेद हैं? प्रत्येक की परिभाषा कहो। ३. व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब होती है? उदाहरण दो। ४. पाँच उदाहरण ऐसे दो जिनसे जान पड़े कि प्रयोग में जातिवाचक संज्ञाएँ भी व्यक्तिवाचक होती हैं। ५. किन-किन संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते? ६. ‘ये सब कैसे अच्छे पहिरावे हैं’, इस वाक्य में ‘पहिरावे’ कौन संज्ञा है? ७. भाववाचक शब्द किन-किन शब्द-भेदों से बनते हैं? उदाहरण दो।

संज्ञाओं के हेर-फेर (Inflections of Nouns)

लिंग, वचन और कारक इत्यादि के कारण प्रायः संज्ञा के

रूप और अर्थ में विकार हो जाते हैं। जैसे—घोड़ा-घोड़ी, घोड़ा-घोड़े, घोड़े ने-घोड़ा ने, घोड़ी ने-घोड़ियां ने, इत्यादि।

लिंग उसे कहते हैं जिससे पुरुष या स्त्री का ज्ञान हो।

जैसे—घोड़ा (पुँ)—घोड़ी (स्त्री०)।

वचन उसे कहते हैं जिससे एक या अनेक पदार्थों का बोध हो। जैसे—घोड़ा (एक)—घोड़े (अनेक), घोड़ी (एक)—घोड़ियां (अनेक)।

कारक उसे कहते हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो अर्थात् जो किसी शब्द का सम्बन्ध क्रिया से बतावे। जैसे—घोड़े ने खाया। घास को खाया। गेहूँ में खाया।

रूपों में विकार या ह्रास हो जाने के कारण कुछ संज्ञाएँ विकृत हो जाती हैं और कुछ अच्युत ही रहती हैं। जैसे—घोड़े ने खाया। पिता ने पुकारा। (आगे शब्दों की रूपावली देखो।)

लिंग (Gender)

लिंग दो हैं—पुंलिंग और स्त्रीलिंग।

पुरुषजातिबोधक शब्द पुंलिंग और स्त्रीजातिबोधक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—घोड़ा (पुंलिंग)—घोड़ी (स्त्रीलिंग)।

संस्कृत तथा अन्य कई भाषाओं में तीन लिंग होते हैं—पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं है। इस भाषा में सब सजीव-निर्जीव पदार्थों के लिंग व्यवहारानुसार हैं।

जिन जीवधारियों के जोड़े होते हैं, उनके लिंग जानने में कठिनाता नहीं होती। जैसे—घोड़ा (पुँ०)—घोड़ी (स्त्री०), पुरुष (पुँ०)—स्त्री (स्त्री०), नर (पुँ०)—नारी (स्त्री०), (आगे स्त्री-प्रत्यय देखो)

जोड़ेवाले शब्दों को छोड़ शेष शब्दों के लिंगसूचक नियम नीचे दिये गये हैं—

पुँल्लिंग होते हैं—

१. थोड़े-से प्राणिवाचक शब्द—

चीलर, तीतर, नीलकंठ, बेंग, भींगुर, काग, भेड़िया, छलुन्दर, कौआ, चीता, फिंगा, पक्षी, पंछी, पिल्लू, आदि ।

नोट—(१) नीचे लिखे शब्द दोनों लिंगों के लिये हैं, परन्तु पुँल्लिंग ही बोले जाते हैं—

बछरू (बाछा-बाछी), पठरू (पाठा-पाठी), शिशु (लड़का-लड़की), कुतरू (कुत्ता-कुत्ती), दम्पति (पति-पत्नी), परिवार, इत्यादि ।

(२) बुलबुल शब्द पुँल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में बोला जाता है ।

२. मटर, उरद, जौ, गोहूँ, धान, बूट, चन्ना, गन्ना, तिल, धनिया, नीबू, इत्यादि ।

३. संस्कृत के नपुंसक और पुँल्लिंग शब्द ।

अपवाद—जय, देह सन्तान, वास, गंध, दाह, सुगन्ध, शपथ, तान, श्रौषध, इन्द्रिय, पु. तक्र, उपाधि, राशि, विधि, मृत्यु, ऋतु, वस्तु, आय इत्यादि स्त्रीलिंग है ।

वैकल्पिक—विजय, सपाज, तरंग, उमंग, सामर्थ्य, वायु, पवन, अग्नि, शरण इत्यादि शब्द प्रयोग में स्त्रीलिंग और पुँल्लिंग दोनों है ।

४. अकारान्त और आकारान्त * शब्द—

कीचड़, वाल, वैल, मुँह, बन्धा, जाड़ा, पहिया, इत्यादि ।

अपवाद—[१] आँच, बौँह, आँव, बूँट,, सौँह, आँख, दूब, मोच, नाक, सौँस, जहर, सड़क, घास, दाल, हींग, मिर्च, ईट, सार, कीच, भौँह, मूँछ, काँख इत्यादि स्त्रीलिंग है ।

* इस नियम में संस्कृत के नपुंसक और पुँल्लिंग से बने तद्भव शब्द भी रखे गये हैं ।

[२] लघुनासूचक 'या' प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं । जैसे—
डिब्रिया, त्रिष्टिया, हँडिया, खटिया, पटिया, इत्यादि ।

[३] संस्कृत में आत्मन्, महिमन् इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं ।
इनसे बने आत्मा, महिमा इत्यादि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग व्यवहृत हैं,
परन्तु कोई-कोई आत्मा को पुल्लिंग भी लिखते हैं ।

५. प्रायः उर्दू ढंग के आवभगान्त, बकारान्त और शकारान्त
शब्द—गुलाब, जुलाब, हिसाब, कबाब, खिजाब, जवाब, पेशाब,
नमीब, मजहब, मतलब, ताश, गोश, जोश, इत्यादि ।

अपवाद—शराब, किताब, राब, मिहराब, तलब, किम्लाब,
तर्कीब, शब इत्यादि स्त्रीलिंग हैं । *

६. आव, त्व, पन, पा, आपा, पना और यप्रत्ययान्त शब्द—
चढ़ाव, मनुष्यत्व, लड़कपन, बुढ़ापा, गुंडपना और राज्य ।

७. पहाड़ों, ग्रहों, दिनों, महीनों, वृत्तों, नगों और धातुओं के
नाम—हिमालय, चन्द्रमा. सोमवार, वैशाख, पीतल, नीलम,
मोना, इत्यादि ।

अपवाद—धातुओं में चाँदी, पीतल और निकल स्त्रीलिंग हैं ।

८. इ, ई, ऋ, लृ और लृ को छोड़ शेष अक्षरों के नाम ।

स्त्रीलिंग होते हैं—

१. थोड़े-से प्राणिवाचक शब्द—

लीख, उड़ीस, चील, भेड़, बटेर, कोयल, मैना, हिलसा,
दीमक, श्यामा, चिड़िया, जूँई, तूती, जूँ, जोंक, इत्यादि ।

नोट—'सन्तान' शब्द दोनों लिंगों के लिये है, परन्तु स्त्रीलिंग ही
विन्या जाता है ।

२. मिर्च, मूँग, अग्रहर, गाजर, दाख, सरसों, इत्यादि ।

* स्त्रीलिंग शब्दों की सूची आगे देखो ।

३. संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द—

दया, कृपा, आशा, माला, माया, चन्द्रिका, इत्यादि ।

अपवाद—‘तारा’ और ‘देवता’ प्रयोग में पुल्लिंग हैं ।

४. अरबी के आकारान्त और ‘त फ अ ई ल’ के वजनवाले शब्द—

जमा, हवा, दगा, सजा, दवा, दुआ, हया, खता, बला, रजा, कजा, अदा, गिजा, वफा, तमन्ना, कोमिया, दुनिया, तस्वीर, तदवीर, तरकीब, तफसील, तक्सीर, तङ्गीर, इत्यादि ।

अपवाद—‘तारीज’ पुल्लिंग है ।

५. ईकारान्त, तकारान्त तथा आ न ओर इस भागान्त शब्द—रोटी, चिट्ठी, रात, छत, गत, पत, तँत, नौबत, दौलत, प्यास, आस, मिठास, उँचास, कोशिश, बख्शिश, इत्यादि ।

अपवाद—पानी, घो, दही, जी, मोती, भात, दाँत, गोत, मूत, पूत, शर्बत, वक्त, दरख्त, सुबूत, कोत, खत, खिलखत, गश्त, गोश्त, दस्तखत, बन्दोबस्त, तख्त, भूत, प्रेत, निकास इत्यादि पुल्लिंग हैं ।

६. आई, ता, वट, हट, न और कृदन्तीय शून्य प्रययान्त शब्द—लड़ाई, मित्रता, बनावट, चिकनाहट, कतरन, चालचलन, उज्जभन, चमक, पकड़, पूँछ, मारपीट, चालढाल, इत्यादि ।

नोट—‘चालचलन’ को कोई-कोई पुल्लिंग भी लिखते हैं ।

अपवाद—खेल, बिगाड़, बोझ, बोल इत्यादि पुल्लिंग हैं ।

७. तिथियों, नदियों, नक्षत्रों और भाषाओं के नाम—

परिवा, दूज, तीज, गङ्गा, जमुना, अश्विनी, भरणी, हिन्दी, अँगरेजी, फारसी, इत्यादि ।

अपवाद—पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र पुल्लिंग हैं ।

८. इ, ई, ऋ, ॠ, लृ और लृ अक्षरों के नाम ।

९. पुँल्लिंग नियमों के अपवाद शब्द ।*

नोट—१. यौगिक शब्द का लिंग उसके अन्तिम खंड के अनुसार होता है । जैसे—पाठशाला (स्त्रीलिंग), दयासागर (पुँल्लिंग), इत्यादि ।

अपवाद—परमात्मा, महात्मा इत्यादि पुँल्लिंग हैं ।

यदि यौगिक शब्द का अन्तिम खंड अव्ययसूचक हो तो उसका लिंग प्रथम खंड के अनुसार रहता है । जैसे—आज्ञानुसार (स्त्रीलिंग), शिक्षा-निमित्त (स्त्रीलिंग), प्रश्नानुसार (पुँल्लिंग), इत्यादि । आज्ञानुसार, इच्छानुसार आदि शब्द पुँल्लिंग में भी व्यवहृत मिलते हैं । †

२. अंगरेजी के बहुत से शब्द हिन्दी में आये हैं जिनमें बोलत, डेस्क, इंजिन, जालटेन, पेंसिल, रिपोर्ट, रेल, लैम्प, कॉग्रेस, कान्फरेन्स और लिस्ट इत्यादि स्त्रीलिंग हैं ।

३. जो शब्द दोनों लिंगों में बोला जा सके उसे स्त्रीलिंग और जिसके लिंग में सन्देह हो उसे पुँल्लिंग बोलना उचित है—(सितारे हिन्द)

४. संस्कृत के कुछ पुँल्लिंग शब्द हिन्दी में स्त्रीलिंग भी बोले जाते हैं । जैसे—अग्नि, वायु, दारा, देह, राशि, इत्यादि ।

५. संस्कृत के कुछ स्त्रीलिंग शब्द हिन्दी में पुँल्लिंग माने जाते हैं । जैसे—देवता, व्यक्ति, इत्यादि ।

६. संस्कृत के कुछ शब्दों के रूप और लिंग हिन्दी में बदल गये हैं । जैसे—बाहु (पुँ०)—बाँह (स्त्री०), बिन्दु (पुँ०)—बूँद (स्त्री०) ।

अप्राणिवाचक शब्दों के लिंगों के लिये नियम ठहराना बहुत ही कठिन है । ऊपर जितने नियम दिये हैं वे केवल पथ-प्रदर्शन के लिये

* व्यवहार में आनेवाले स्त्रीलिंग शब्दों की एक बड़ी सूची आगे दी गई है ।

† कुछ यौगिक शब्दों के लिये 'समास-प्रयोग' देखो ।

हैं। यदि लिंग-ज्ञान भलीभाँति प्राप्त करना चाहो तो अच्छे-अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करो, पढ़ने के समय वाक्यों के शब्दों को जाँचा करो कि किस लिंग में कौन शब्द आया है।

पुँल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम *

(स्त्री-प्रत्यय)

१. अकारान्त वा आकारान्त पुँल्लिंग शब्दों में ई † लगाने से—देव-देवी, नर-नारी, घोड़ा-घोड़ी, अच्छा-अच्छी, तेरा-तेरी, इत्यादि।

२. 'वा' प्रत्ययान्त पुँल्लिंग शब्दों में इया लगाने से—कुतवा (कुत्ता)—कुतिया, बुढ़वा (बुढ़ा-बूढ़ा)—बुढ़िया, घोड़वा (घोड़ा)—घोड़िया, बछवा (बच्छा)—बछिया, इत्यादि।

३. प्रायः व्यापारवाची पुँल्लिंग शब्दों में 'इन' लगाने से—ग्वाला-ग्वालिन, नेली-तेलिन, चमार-चमारिन, लुहार-लुहारिन, अहीर-अहीरिन, इत्यादि।

अन्य शब्द—ऊँट-ऊँटिन, बाघ-बाघिन, हंस-हंसिनी, इत्यादि।

नोट—(१) कुँजड़न, दुलहन, कसेरन इत्यादि प्रयोग उर्दू के विद्वान् करते हैं।

(२) अहीरिन और चमारिन के लिये प्रयोग में अहीरी और चमारी शब्द भी मिलते हैं।

(३) बोलचाल में लुहारिन और चमारिन के बदले लोहाइन और चमाइन की प्रधानता है।

* ये नियम प्रायः उन्हीं प्राणिवाचक शब्दों में लगते हैं जिनके जाड़े होते हैं।

† प्रत्यय लगाने के पहले ही शब्दों का अन्य स्वर गिर जाता है, फिर प्रत्ययवाला स्वर उसके स्थान में आ मिलता है; पर ऐसा तभी होता है जब प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो, अन्यथा नहीं।

४. कुछ शब्दों में नी लगाने से—

ऊँट-ऊँटनी, सिंह-सिंहनी, चोर-चोरनी, हाथी-हाथनी, इत्यादि ।

५. कई उपनामवाची शब्दों में आइन लगाने से—

चौबे-चौबाइन, पण्डा-पण्डाइन, ठाकुर-ठाकुराइन, इत्यादि ।

६. कई उपनामवाची तथा थोड़े से अन्य पुँल्लिंग शब्दों में आनी लगाने से—

ठाकुर-ठाकुरानी, खत्रो-खत्रानी, पण्डित-पण्डितानी, देवर-देवरानी, मामू-ममानी, चचा-चचानी, जेठ-जेठानी, इत्यादि ।

नोट—बोलचाल में ममानी और चचानी के बदले मामी और चाची की प्रधानता है ।

७. संस्कृत में कई पुँल्लिंग शब्दों में आ लगाने से—

वाल-वाला, पाठक-पाठिका, बालक-बालिका, नायक-नायिका, प्रिय-प्रिया, प्रियतम-प्रियतमा, पूज्य-पूज्या, इत्यादि ।

८. अनियमित—

पिता-माता, बाप-मा, राजा-रानी, बैल या साँड़-गाय, भाई-भाभी या भौजाई, * ससुर-सास, पुरुष-स्त्री, वेटा-पतोहू या बहू, दमाद-बेटा, मियाँ-बीबी, साहब-मेम या बीबी ।

नोट—(१) 'रानी' राना शब्द का स्त्रीलिंग रूप जान पड़ता है । यह भी संभव है कि यह राज्ञी शब्द का अपभ्रंश हो ।

(२) यदि साहब शब्द आदर्श, किसी अन्य शब्द के अन्त में मिलाया जाय तो उसका स्त्रीलिंग रूप साहिबा होगा । जैसे—राजा सद्दब बनारस गये । रानी साहिबा महल में है ।

(१) साँड़िनी = ऊँटनी ।

* 'भ्रातृजः' शब्द का अपभ्रंश भौजाई और 'भ्रातृभर्या' का भाभी है ।

थोड़े-से अप्राणिवाचक आकारान्त पुल्लिंग शब्दों में 'इया' लगाने से—

डिब्बा-डिबिया, पीढ़ा-पिढ़िया, लोटा-लुटिया, इत्यादि ।

स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम

१. कतिपय प्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों में ओई, आ और आव लगाने से—

बहिन-बहिनी, ननद-ननदोई, रोंड़-रंडा, भैंस-भैंसा, बिल्ली-बिलाव, इत्यादि ।

२. कतिपय अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों में आ, अ और ओटा लगाने से—

पोथी-पोथा, गाड़ी-गाड़ा, लकड़ी-लकड़ा, अधन्नी-अधन्ना, गठरी-गठरा, लकड़ी-लकड़, टिकड़ी-टिकड़, सिल-सिलौटा, इत्यादि ।

व्यवहार में आनेवाले स्त्रीलिंग शब्द

अकारान्त शब्द—

अहेर, अरुड़, अचकन, अटक, अद्रक, अधवाड़, अवेर, अलड़वलड़, अक्ल, अकयून (अफीम), अफवाह, अमावस, अग्ल, अनवन, अरील, अरहर, आग, आतश, आमद, आव, आवाज, आस्तीन, आह, आपद, आँट, आड़, आन, आय, आँल, आँव, आवभाव, आशीस, आसिख, इल्म, ईंट, ईल, उशीर, उठ-बैठ, उड़ान, उतरन, उरेब, उलभन, उमीद, उम्र, ऊव, एवज, ऐंठ, ओट, ओभल, ओह, ओलाद, औषध, कदर, कन्दील, कमर, कपान, कल, कलक, कलम, कचक, कचकच, कचपच, कचमच, कतरन, कमर, कसर, कमीज, कसम, कानफरेन्स, कांसे, काल, काटकूट, किमखाव, बिताव, किश्मिश, किरण, किरीच, कुल, कूक, कोटर, कोयल, कोशिश, कौम, क्षेम । खरीद, खरभर, खबर,

खस, खलार, खटक, खाज, खातिर, खाल, खाट, खान, खिभ, खीर, खीज, खींच, खुशामद, खैर, खैच, खोरिश, ख्वादिश । गच, गजल, गपशप, गरज, गर्ज, गर्द, गर्दन, गर्दिश, गलबौह, गवर्नमेंट, गहवर, गाज, गाँठ, गागर, गुजर, गेंद, गोंद, गोलमिर्च, गंव, गंधक । घोल, घास, घिन, घुमण्ड, घूम । चरब, चश्म, चलन, चश्मक, चखचुख, चपरास, चपेट, चमक, चकाचक, चकाचौंध, चटक, चटशाल, चयक, चट्टान, चसक, चहकार, चहलपहल, चार, चाय, चाह, चाट, चाल, चालचलन, चादर, चाय, चालढाल, चिट, चिल, चिलवन, चीज, चुहल, चुस्ट, चूक, चूतड़, चैन, चोट, चोंच, चौक, चौखट, चंग । छटोक, छठ, छड़, छलक, छल्लंग, छल्ल, छौंद, छौटन, छौंद, छान, छाय, छार, छोट, छीक, छूट, छेन, छेक । जगह, जमीन, जड, जड़ावर, जलन, ज्ञान, जागीर, जायदाद, जाजिम, जाँध, जाँच, जीभ, जेब, ज्वार । भक्कौर, भयास, भलक, भौक, भौभ, भाड़न, भालर, भाड़, भिभक, भिड़क, भिलम, भील, भूमक, भूल, भीक । टक, टकसाल, टकर, टकोर, टनक, टमक, टर, टसक, टहल, टौक, टौंग, टोंड, टाप, टाल, टौस, टूट, टूम, टेक, टेम, टेर, टेव, टोक, टोकटाक, टंल । ठठक, ठमक, ठिठक, ठिटुर, ठुनुक, ठेक, ठीक, ठोकर, ठोर, ठौर, ठण्ड, ठण्डक । डकार, डग, डगर, डाढ़, डार, डाह, डाँट, डींग, डीठ, डोर । ढलक, ढार, ढाल, ढोल, ढूँक, ढूक । तड़क, तड़प, तफ, तमक, तरंग, तलवार, तर्स, तलछट, तहसील, तरह, तकरार, तकलीफ, तदबीर, तफसील, तर्ज, तरकीब, तलब, तलाक, तसवीर, तहवील, तलाश, तकसीर, तनखाह, तहरीर, ताक, तान, तातील, तारीख, तारीफ, तालीम, तुमक, तौंद, तोल । थाह । दखल, दलील, दरग, दरगाह, दलक, दस्तावेज, दाल, दाढ़, दामन, दाख, दाव, दाद, दिक, दीठ, दीवार, दुम, दूर, दूकान, देह, देखरेख, देर, दोजख, दोहर, दौड़, दौड़धूप । धधक, धमक, धरहर, धरोहर, धौय-धौय, धाह, धाक, धुन, धूर, धूल, धूप, धूम, धौल । नकल, नस, नजर,

नजीर, नजम, नब्ज, नख, नखल, नसर, नाक, नाव, नास, नालिश,
 निकल, निछावर, निगाह, निमाज, नींद, नेवर, नेयाज, नोकभोंक । पकड़,
 पलटन, परेड, परवरिश, परवाह, पलक, पहुँच, पास, पहचान, पत्तल,
 परख, पह, पहल, पखाज, पचक, पछाड़, पजेव, पटकन, पढ़न, पतवार,
 पागुर, पायल, पात, पाग, पिस्तौल, पीनक, पीच, पीठ, पीव,
 पीर, पुलिस, पुस्तक, पुकार, पूछ, पूँछ, पेट, पैँठ, पोथ, प्यास ।
 फटकन, फड़, फतह, फूल, फूव, फवन, फस्ल, फौक, फाँट, फिकिर,
 फीस, फूँक, फूट, फूटन, फूहार, फेंक, फेंट, फोंक, फौज । बक, बम,
 बहर, बहल, बहीर, बन्दूक, बकभक, बकबक, बटन, बवासीर, बहस,
 बखशीश, बतास, बर्फ, बगल, बाँक, बाँह, बाछ, बाढ़, बान, बार, बारुद,
 बाल-छड़, बास, बागडोर, बिध, बिलावल, बिहनौर, बीट, बीन,
 बुहारन, बुनियाद, बूँद, बूझ, बेन. बैठक, बैस, बोटल, बौछार, बंधेज ।
 भगेल, भड़क. भस्म, भर, भनक, भरमार, भौँवर, भाँग, भाप, भीख,
 भीड़, भूख, भूल, भेट, भ्रंस । मटक, मढ़न, मरिच, मरोड़, मलार,
 मउक, महक, मदद, मस्जिद, मसनद, महताब, मलमल, मंजिल, मज-
 लिस, माँग, माँद, मालिश, मार, मिठास, मिर्च, मीच, मीयाद, मीजान,
 मीनार. मुहीम. मुगद, मुशिकल, मुहनाल, मुश्क, मुहर, मूँग, मूँछ,
 मूँज, मेंढ़, मेहराव, मेज, मेख, मेरुदार, मेकराज, मोच, मोड़, मौज,
 मंजिल । याद । रगड़, रपट, रसीद, रहकल, रहट, रहन, रहाइस, रसद,
 रक्म, रनिश, राग्व, राव, राल, राब, रास, राह, राय, रिस, रिपोर्ट, रीझ,
 रीढ़, रीस, रुच, रूह, रूबकार, रेड, रेख, रेल, रेलपेल, रेह, रोश्रास,
 रोक, रोकड़, रोकन, रोर । लकीर, लचक, लट, लटक, लड़, लताड़, लप,
 लपक, लपेट-भपेट, ललक, लहक, लहकावर, लहर, लहर-बहर, लश,
 लगाम, लाज, लाद, लार, लाश, लाठ, लाह, लाग, लिम, लीक, लीद,
 लीर, लू, लूक, लूख, लूह, लेव, लोटन, लोथ, लौंग । वयस, वजह,
 वारिश, वार, विधि, विजय । शकल, शमशेर, शर्म, शव शराब, शकर,

शरण, शाल, शाम, शाहराह, शिकार । सकुच, गज, सकट, सटल, सटासट, सड़क, सड़न, समझ, समेट, सरकार, समाल, सहन, समाद, सदन, सहत, सजाह, साँक, साँकर, साँग, साँभ, साख, साध, सान, साँस, साजिश, सिनक, सिरफोड़ौवळ, सिफारिश, सीक, सीख, सीन, सुगन्ध, मुट्ठकन, मुड़प, सुध, सुझ, सुलह, सूज, सूभ, सूँद, सूजन, सेव, सैन, सेर, सौध, सौठ, सौफ, सौगन्ध, सौँह । सड़, हरताल, इराबल, हलचल, हद, हाँक, हाट, हिंस, होक, हैकल, होड़, हौल, हौस, इत्यादि ।
 आकारान्त शब्द—

अदा, अँगिया, अँटिया, अढ़ैया, अर्वा, आत्मा । इस्तीफा । उखड़ा । कला, कगारा, कटिया, कठोलिया, किरिया, कील, कीमिया, कुटिया, कुल्हिया, कोहरा । खता, खटिया, खड़िया, खड़खड़िया, खूँटा । गटिया, गोवा, गुटिका, गुफा, गुड़िया, गुटका, गोखा । घँवरा, घटा । जमा, जँधिया । टँकिया । ठिलिया । डिबिया । तकिया, तमन्ना, तूटिया, तोलिया । थलिया । दफा, दवा, दगा, दुनिया, दुबहरिया, दाआ । नरिया । पगिया, पटिया, पुड़िया, पिड़िया । फरिया । बला, बाँह, बाहबा, बिरिया, बुँदिया । भुजा । मनसा, मलिया, मचिया, मढ़ैया, मिर्चा । वफा । लूका । सजा, सटिया, सुविधा, सलूका, सभी । हवा, हवास, इत्यादि ।
 अन्य स्वरान्त शब्द—

अपमृत्यु, आयु, कुहु, बाहु, रेणु, वायु, वेणु, आवरू, आरजू, खड़ाऊँ, खूँ, गुप्तगू, भाड़ू, तराजू, दारू, बालू, बू, भू, ब्यालू, ब्यारू, हरँ, कै, सेवै, जै, अधगो, गो, टेओ, दासो, सरसों, पतियारो, कादो, गौ, दौ, परचौ, पौ, मौँ, लौ, इत्यादि ।

अभ्यास

१. लिंग कितने हैं ? २. संस्कृत शब्दों के लिंग कैसे जाने जाते हैं ? ३. जोड़नेवाले शब्दों को छोड़ शेष में पुल्लिंग शब्दों के पहचानने के कौन-कौन नियम हैं ? ४. पाँच प्राणिवाचक शब्दों के नाम लो जो स्त्रीलिंग ही बोले जाते हैं । ५. यौगिक शब्दों के लिंग कैसे जाने जाते हैं ?

६. प्राणिवाचक पुँल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कौन-कौन नियम हैं ? ७. न्त्रलिंग से पुँल्लिंग बनाने के कौन-कौन नियम हैं ? उदाहरण दो। ८. पाँच ऐसे शब्द कहो जो दोनों लिंगों में बोले जाते हों। ९. नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताओ—

उड़िस, भीगुर, दीमक, बुलबुल, तार, दाल, हवा, निकास, तिल, समाज, जाड़ा, घास, पीतल, नीलम, छत, कौख, मिठास, किताब, चिराग, गन्ध ।

वचन (Number)

वचन दो हैं—एकवचन और बहुवचन ।

शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक-वचन कहते हैं। जैसे—लड़का आता है। दासी काम करती है।

शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे—लड़के आते हैं। दासियाँ काम करती हैं।

अपन लिये और आदर में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे—पण्डितजी आये। हम गये।

बहुत-से शब्द ऐसे हैं जिनके रूप एकवचन और बहुवचन में एक से रहते हैं, इसलिये उन शब्दों के आगे 'लोग, गण, सब, जाति, वर्ग और जन' इत्यादि शब्द लगाकर बहुवचन बना लेते हैं। जैसे—ब्राह्मणलोग, बालकगण, गुरुजन, बन्धुवर्ग, इत्यादि।

नोट—'स्त्रीलिंग' लिखना उचित नहीं, क्योंकि 'लोग' शब्द पुँल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग 'लुगाई' है।

वाक्य में किसी संज्ञा का वचन विशेषण और क्रिया से भी जाना जाता है। जैसे—अच्छा बालक आया, अच्छे बालक आये। बालक आया, बालक आये।

जातिवाचक संज्ञा के एकवचन प्रयोग से बहुत्व का भी बोध होता है। जैसे—घोड़ा बली पशु है। यहाँ 'घोड़ा' शब्द से सब घोड़ों का बोध होता है। घोड़े बली पशु हैं।—ऐसा वाक्य भी प्रयोग में है।

यदि कोई शब्द ही बहुवचनबोधक हो तो उसका बहुवचन नहीं बनाना चाहिये। जैसे—मेरे भोजन की सामग्री खरीद दो। जाने की तैयारी करो। ऐसी जगह सामग्रियाँ और तैयारियाँ लिखना उचित नहीं, परन्तु भिन्नता के अर्थ में बहुवचन भी लिख सकते हैं। जैसे—दोनों सेनाओं में लड़ने की तैयारियाँ होने लगीं।

कई शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन ही में होता है। जैसे—प्राण, दाम, लोग, होश, दर्शन, अन्ततः, ओठ, इत्यादि।

नोट—‘बहुवचन के चिह्न’ आगे ‘रूपाचना’ में दिये गये हैं।

कारक (Case)

क्रिया की उत्पत्ति में छः प्रकार के सहायक हैं जो कारक कहलाते हैं।

१. जो काम करे उसे कर्त्ता कहते हैं। जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम से पुस्तक पढ़ी गई। रानी से बैठा नहीं जाता। कर्त्ता के तीन चिह्न हैं—०, ने और से।

नोट—शून्य चिह्न से तात्पर्य चिह्न-रहित का है।

कर्त्ता दो प्रकार के होते हैं—प्रधान और अप्रधान। वाक्य में यदि क्रिया के लिंग, वचन, कर्त्ता के अनुसार हों तो उसका कर्त्ता प्रधान (उक्त) कहलाता है। जैसे—राम पुस्तकें पढ़ता है, सीता ग्रन्थ पढ़ती है। यदि क्रिया के लिंग, वचन कर्त्ता के अनुसार न हों तो उसका कर्त्ता अप्रधान (अनुक्त) कहलाता है। जैसे—राम ने पुस्तक पढ़ी। राम से पुस्तक पढ़ी गई। रानी से बैठा नहीं जाता।

जिसकी प्रेरणा से क्रिया का व्यापार हो उसे प्रेरक और जो व्यापार करे उसे प्रेर्य कहते हैं। जैसे—शिक्षक विद्यार्थी से पत्र लिखाते हैं। इस वाक्य में ‘शिक्षक’ प्रेरक और ‘विद्यार्थी’ प्रेर्य हैं। (प्रेरक को प्रधान और प्रेर्य को अप्रधान में गिनते हैं)।

ने और से—अप्रधान कर्ता के चिह्न । *

२. जिसपर काम का फल हो उसे कर्म कहते हैं । जैसे—श्याम ने पुस्तक पढ़ी । राम ने सीता को पुकारा । किसे कहूँ ?

कर्म के चिह्न ये हैं—शून्य, को ।

कर्म भी प्रधान और अप्रधान होते हैं । 'श्याम ने पुस्तक पढ़ी', 'श्याम से पुस्तक पढ़ी गई' । इन वाक्यों में कर्म उक्त हैं, क्योंकि पुस्तक के अनुसार क्रियाएँ हैं । 'राम दुष्टों को मारता है । सीता आम खाती है ।' इन वाक्यों में कर्म अनुक्त हैं, क्योंकि क्रियाएँ कर्ता के अनुसार हैं ।

यदि किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी के धातु से बना हुआ या उससे मिलता-जुलता कोई कर्म आवे तो वह सजातीय कर्म कहलाता है । जैसे—राम प्रतिदिन एक लम्बी दौड़ दौड़ता है । मेरी सेना अच्छी लड़ाई लड़ती है ।

कई सकर्मक क्रियाएँ दो कर्म लेती हैं । जैसे—उसने राम को ग्रन्थ दिखाया । मैंने उसको एक रीति बताई । ऐसी क्रिया का एक कर्म वस्तुबोधक और दूसरा प्राणिबोधक होता है । वस्तुबोधक को मुख्य कर्म और प्राणिबोधक को गौण † कर्म कहते हैं ।

३. जिसके द्वारा काम हो उसे करण कहते हैं । जैसे—बालक कलम से लिखता है ।

नोट—हेतु, द्वारा, कारण, पूर्वक, करके इत्यादि शब्दों के लगाने से भी करण कारक का अर्थ निकलता है । जैसे—आलस्य के हेतु राम नहीं पढ़ सका । ज्ञान द्वारा सुख मिलता है । दया के कारण वह परीक्षोत्तीर्ण हुआ । राम ने दया करके देखा ।

* उद्देश्य किस कारक में रहता है ?—यह वाक्य-प्रकरण में देखो ।

† गौण कर्म सम्प्रदान कारक में होता है । पर कहीं-कहीं अपादान में भी । (यह बात आगे मिलेगी) ।

अनेक स्थानों में करण का चिह्न 'से' लुप्त भी रहता है। जैसे—न आँखों देखा न कानों सुना।

४. जिसके लिये काम किया जाय उसे सम्प्रदान कहते हैं। जैसे—पुस्तक को पढ़ो। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी दो। सम्प्रदान का चिह्न 'को' है।

नोट—के लिये, के अर्थ, के निमित्त इत्यादि शब्दों के लगाने से भी सम्प्रदान का अर्थ निकलता है। जैसे—विद्यार्थी के लिये पुस्तक खरीदी। ब्राह्मण के निमित्त कपड़े लाये हैं। धन के अर्थ कर्म करो।

५. जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं।

जैसे—पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं। अपादान का चिह्न 'से' है।

नोट—यद्यपि अपादान कारक का चिह्न भी करण कारक ही के समान है, तथापि दोनों कारकों की पहचान प्रसंग से की जाती है।

सकर्मक क्रिया का गौण कर्म (ऊपर देखो) सम्प्रदान कारक में रहता है; परन्तु कहना, पूछना, दुहना, जाँचना, पकाना इत्यादि क्रियाओं के साथ अगदान कारक में आता है। जैसे—इसने राम को ग्रन्थ दिखाया। राम ने मुझे एक रीति बताई। मैं तुमसे (को) एक बात कहता हूँ। उसने आपसे (को) क्या पूछा? रसोइया चावल से भात पकाता है। दरिद्र धनी से धन जाँचता है। हम गाय से दूध दुहते हैं। अन्तिम तीनों वाक्यों के बदले नीचे लिखे वाक्य भी प्रयोग में हैं—रसोइया चावल (को) पकाता है। दरिद्र धनी (को) जाँचता है। हम गाय (को) दुहते हैं।

६. आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे—लोटे में जल है। वह घर में है। यह चटाई पर बैठा है।

अधिकरण के चिह्न 'में' और 'पर' हैं।

नोट—'को' से भी अधिकरण का अर्थ लेते हैं। जैसे—राम हाट (को) गया। तुम कलकत्ते (को) गये।

आधार तीन प्रकार के हैं—औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक ।

(१) औपश्लेषिक उस आधार को कहते हैं जिसके किसी अवयव से आप्थेय का संयोग हो । जैसे—वृद्ध पर पच्ची है । दरी पर बैठता है । वह घर में है । (२) वैषयिक वह आधार है जिससे विषय का बोध हो । जैसे—ईश्वर में मन है । भोजन में चित्त लगा है । इन वाक्यों में मन का विषय ईश्वर और चित्त का विषय भोजन है । (३) अभिव्यापक वह आधार है जिसमें आप्थेय सम्पूर्ण रूप से व्याप्त हो । जैसे—परमेश्वर सब में है । तिल में तेल है ।

सम्बन्ध और सम्बोधन

जो लगाव, स्वत्व या अपनापन का बोध करावे, उसे सम्बन्ध कहते हैं और जिसके साथ लगाव हा वह सम्बन्धी कहलाता है । जैसे—राम का बेटा, पीतल का लोटा, घड़े का जल, पाणिनि का व्याकरण ।

सम्बन्ध का चिह्न 'का' है ।

किसीको पुकारकर या चिताकर अपनी ओर सावधान करने को सम्बोधन कहते हैं । जैसे—हे राम ! दया करो । अरे लड़के ! कहाँ जाते हो ?

सम्बोधन के चिह्न 'हे', 'अरे' इत्यादि हैं, पर चिह्न-रहित प्रयोग भी करते हैं । जैसे—मोहन, आज इधर कहाँ ? सम्बोधन के चिह्न दो प्रकार के हैं—आदरसूचक (हे राम), अनादर-सूचक (अरे लड़के) ।

नोट—सम्बन्ध और सम्बोधन का क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं है, इसलिये इन्हें संस्कृत के वैयाकरणों ने कारक नहीं माना है । भाषा-भास्कर, भाषा-प्रभाकर आदि पुस्तकों में ये कारक माने गये हैं ।

अभ्यास

१. कारक कितने हैं ? २. 'सम्बन्ध और सम्बोधन' कारक हैं या नहीं ? कारण बताओ । ३. आधार कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो ।

४. 'से' किस कारक का चिह्न है ? उदाहरण दो । ५. कर्म और सम्प्रदान में क्या भेद है ? ६. कर्त्ता कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण दो । ७. प्रेरक और प्रेर्य में क्या भेद है ? ८. सजातीय कर्म के दो उदाहरण दो । ९. दो उदाहरण दो, जिनमें कारकों के चिह्न लुप्त हों । १०. 'स्त्री लोग आई हैं' क्या यह वाक्य शुद्ध है ? कारण बताओ । ११. गौण कर्म किस कारक में रहता है ?

संज्ञा के रूप (Declension of Nouns)

रूपों में हेरफेर होने के कारण संज्ञाएँ दो प्रकार की हैं—
विकारी और अविकारी ।

जिस स्वरान्त संज्ञा का अन्तिम स्वर कारकादि के कारण बदल जाता है वह विकारी कहलाती है । जैसे—लड़का पढ़ता है । लड़के ने पढ़ा । (ऐसी संज्ञाएँ प्रायः हिन्दी और फारसी भाषाओं की होती हैं ।)

जिस स्वरान्त संज्ञा का अन्तिम स्वर कारकादि के कारण नहीं बदलता वह अविकारी कहलाता है । जैसे—चन्द्रमा से शीतल प्रकाश पाते हैं । चन्द्रमा में भी कलंक है । (ऐसी संज्ञाएँ प्रायः संस्कृत और अरबी भाषा की होती हैं)

अविकारी आकारान्त शब्द—

१. संस्कृत के ऋकारान्त शब्द से बने शब्द—पिता, माता, भ्राता, जामाता, दाता, इत्यादि ।

२. संस्कृत के अन् प्रत्ययान्त शब्दों से बने शब्द—राजा, ब्रह्मा, आत्मा, इत्यादि ।

३. संस्कृत के सकारान्त शब्दों से बने शब्द—चन्द्रमा, वेधा, इत्यादि ।

४. संस्कृत की आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाएँ—सभा, माला, पाठशाला, दया, लता, आशा, निशा, इत्यादि ।

५. पारिवारिक आकारान्त शब्द—बाबा, नाना, काका, चाचा, इत्यादि ।

६. अरबी और फारसी के कई शब्द—खुदा, बला, हवा, सजा, कजा, दवा, इत्यादि ।

७. कुछ स्थानवाचक शब्द—गया, एशिया, अफ्रिका, अमेरिका, इत्यादि ।

नोट—(१) राजा, महाराजा, पाठशाला, देवता, तारा ❀ इत्यादि शब्दों के कहीं-कहीं विकारी रूप भी मिलते हैं । उनमें तारा शब्द के विकारी रूप विशेष प्रचलित हैं । जैसे—देश-देश के राजे आये । महाराजों की कौन चलावे । मैं सब पाठशालों को देख चुका । देवतों के ध्यान में भी जो नहीं आता कभी । तारे निकल आये ।

(२) दादा, दुलहा, जरा, अदना, आला इत्यादि शब्द वैकल्पिक हैं ।

(३) बहुत-से स्थानवाचक शब्द विकारी हैं—

पटना, आरा, दरभंगा, छपरा, कलकत्ता, इत्यादि ।

(क) कोई-कोई लेखक स्थानवाचक विकारी शब्द को भी अविकारी के समान व्यवहार में लाते हैं जिससे उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है । 'छपरा से आया । दरभंगा से गया । कलकत्ता में रहता है ?' इत्यादि वाक्य ऐसे हैं ।

(ख) कुछ विकारी आकारान्त शब्दों का प्रयोग सम्बोधन के एकवचन में अविकारी-सा होता है । जैसे—छिपे हो कौन से पर्दे में, बेटा !

(ग) कोई-कोई लेखक हिन्दी में आये हुए संस्कृत के कतिपय तत्सम शब्दों के सम्बोधन एकवचन रूप संस्कृत ही के नियमानुसार रखते हैं । जैसे—हे भगवन्, सीते, हे देवि, हे प्रभो, मातः, इत्यादि ।

रूप बनाने की रीतियाँ

१. संज्ञाओं के रूप ने, को आदि चिह्नों के पहले

(क) एकवचन संज्ञाओं में कुछ विकार नहीं होता ।

अपवाद—आकारान्त विकारी संज्ञा का अन्त्य स्वर 'ए' से बदल जाता है ।

❀ तारा-नक्षत्र

जैसे—बालक ने, बात ने, लड़के ने, चिड़िये ने, पिता ने, हरि ने, तिथि ने, माली ने, देवी ने, भानु ने, धेनु ने, बाबू ने, बहू ने, दूबे ने, हरें ने, बरें ने, जै ने, कोदो ने, सरसों ने, गौ ने, इत्यादि । (इसी प्रकार को, से इत्यादि चिह्न भी लगाओ ।)

(ख) बहुवचन संज्ञाओं में 'ओं' मिलाते हैं ।

अकारान्त और विकारी आकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वरों के बदले तथा शेष संज्ञाओं के आगे 'ओं' लाते हैं । 'ओं' लगाने के पहले दीर्घ ईकारान्त और ऊकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वरों को ह्रस्व कर देते हैं । दोनों इकारान्त के आगे 'ओं' 'यों' में बदल जाता है । सम्बोधन में अर्द्धानुस्वार गिर पड़ता है । जैसे—

बालकों ने, बातों ने, लड़कों ने, चिड़ियों ने, पिताओं ने, माताओं ने, हरियों ने, तिथियों ने, मालियों ने, देवियों ने, भानुओं ने, धेनुओं ने, बाबुओं ने, बहुओं ने, दूबेओं * ने, हरेंओं ने, बरेंओं ने, जैओं ने, कोदोओं ने, सरसोंओं ने, गौओं ने, इत्यादि । (इसी प्रकार को, से, इत्यादि दूसरे चिह्न भी लगाओ ।) सम्बोधन में—हे बालको, हे बातो, हे लड़को, हे चिड़ियो, हे पिताओ, हे देवियो इत्यादि रूप होते हैं ।

❧ यदि चिह्न छिपा हो, परन्तु उसका संस्कार रहे तो भी एकवचन और बहुवचन में ऊपर के ही नियम लगते हैं । जैसे—न आँखों देखा न कानों सुना । बच्चा घुटनों चलता है । बालको, सत्य बोलो ।

* कोई एकारान्त और ओकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वरों के बदले भी 'ओं' लाते हैं । जैसे—दूबों ने, हरों ने, कोदों ने, सरसों ने, इत्यादि । ऐसे रूपों से कभी-कभी अकारान्त या आकारान्त संज्ञाओं के रूपों का बोध होता है, इसलिये त्यागना ही उचित है ।

२. संज्ञाओं के रूप कर्ता और कर्म में, शून्यचिह्न के पहले—

(क) एकवचन में कोई विकार नहीं होता । जैसे—बालक आता है । बात अच्छी है । मैं यह बात सुनता हूँ । इत्यादि ।

(ख) बहुवचन में—१. पुल्लिङ्ग संज्ञाओं में कोई विकार नहीं होता, परन्तु विकारी अकारान्त का अन्त्य स्वर 'ए' से बदल जाता है । जैसे—बालक आये हैं । दो लड़के आये हैं । मैं दो घोड़े बेचूँगा ।

२. स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं में एँ* (अकारान्त और विकारी आकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वरों के बदले तथा शेष संज्ञाओं के आगे) लाते हैं । जैसे—बातें अच्छी हैं । मैं अच्छी बातें सुनाता हूँ । तीनों धेनुएँ अच्छी हैं । दोनों बहुएँ चली गईं । सब गौएँ चर रही हैं । मैं नाना प्रकार की लताएँ देखता हूँ, इत्यादि ।

ऊपर के नियमानुसार विकारी आकारान्त तथा दोनों इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के चिड़िँ, देविँ, तिथिँ इत्यादि बने हुए रूप प्रयोग में कदाचित् ही आते हैं । उनके बदले चिड़ियाँ, तिथियाँ, देवियाँ इत्यादि रूप प्रयोग में हैं ।

नोट—अब यह भली-भाँति समझ में आ गया होगा कि एकवचन संज्ञा को बहुवचन बनाने में ए, एँ, ओ, ओं, यो, यों और यों चिह्न लगाये जाते हैं ।

रूपावली †

(१) पुल्लिङ्ग शब्द

अकारान्त पुल्लिङ्ग 'बालक' शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने

* विशेषकर मुरादाबाद की ओर के कतिपय लेखक ऐसे रूप लिखते हैं ।

† ऊपर लिखी रीतियाँ समझ लेने पर रूपावली की आवश्यकता नहीं; परन्तु पूर्ण रूपावली दिखा देने की इच्छा से लिखते हैं ।

	एकवचन	बहुवचन
कर्म	बालक, बालक को	बालक, बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
सम्प्रदान	बालक को	बालकों को
अपादान	बालक से	बालकों से
सम्बन्ध	बालक का, की, के	बालकों का, की, के
अधिकरण	बालक में, पर	बालकों में, पर
सम्बोधन	(हे) बालक	(हे) बालको

नोट—सभी आकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

विकारी आकारान्त पुँल्लिङ्ग 'घोड़ा' शब्द

कर्त्ता	घोड़ा, घोड़े ने	घोड़े, घोड़ों ने
कर्म	घोड़ा, घोड़े को	घोड़े, घोड़ों को
करण	घोड़े से	घोड़ों से
सम्प्रदान	घोड़े को	घोड़ों को
अपादान	घोड़े से	घोड़ों से
सम्बन्ध	घोड़े का, की, के	घोड़ों का, की, के
अधिकरण	घोड़े में, पर	घोड़ों में, पर
सम्बोधन	(हे) घोड़े	(हे) घोड़ो

नोट—सभी विकारी आकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं, परन्तु 'बेटा' शब्द का सम्बोधन एकवचन रूप अविकारी रहता है । जैसे—छिपे हो कौन से पदों में, बेटा ।

अविकारी आकारान्त पुँल्लिङ्ग 'पिता' शब्द

कर्त्ता	पिता, पिता ने	पिता, पिताओं ने
कर्म	पिता, पिता को	पिता, पिताओं को
करण	पिता से	पिताओं से
सम्प्रदान	पिता को	पिताओं को

	एकवचन	बहुवचन
अपादान	पिता से	पिताओं से
सम्बन्ध	पिता का, की, के	पिताओं का, की, के
अधिकरण	पिता में, पर	पिताओं में, पर
सम्बोधन	(हे) पिता	(हे) पिताओ

नोट—सभी अविकारी आकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं, परन्तु राजा, महाराजा, देवता और तारा * शब्दों के विकारी रूप भी मिलते हैं। इसमें से तारा शब्द के विकारी रूप अधिक प्रचलित हैं। जैसे—देश-देश के राजे आये। महाराजों की कौन चलावे ! देवतों के ध्यान में भी जो नहीं आता कभी। तारे निकल आये।

इकारान्त पुँल्लिङ्ग 'मुनि' शब्द

कर्त्ता	मुनि, मुनि ने	मुनि, मुनियों ने
कर्म	मुनि, मुनि को	मुनि, मुनियों को
करण	मुनि से	मुनियों से
सम्प्रदान	मुनि को	मुनियों को
अपादान	मुनि से	मुनियों से
सम्बन्ध	मुनि का, की, के	मुनियों का, की, के
अधिकरण	मुनि में, पर	मुनियों में, पर
सम्बोधन	(हे) मुनि	(हे) मुनियो

नोट—सभी इकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं।

ईकारान्त पुँल्लिङ्ग 'माली' शब्द

कर्त्ता	माली, माली ने	माली, मालियों ने
कर्म	माली, माली को	माली, मालियों को
करण	माली से	मालियों से

	एकवचन	बहुवचन
सम्प्रदान	माली को	मालियों को
अपादान	माली से	मालियों से
सम्बन्ध	माली का, की, के	मालियों का, की, के
अधिकरण	माली में, पर	मालियों में, पर
सम्बोधन	(हे) माली	(हे) मालियो

नोट—सभी ईकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

	उकारान्त पुँल्लिङ्ग 'गुरु' शब्द	
कर्ता	गुरु, गुरु ने	गुरु, गुरुओं ने
कर्म	गुरु, गुरु को	गुरु, गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को	गुरुओं को
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का, की, के	गुरुओं का, की, के
अधिकरण	गुरु में, पर	गुरुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) गुरु	(हे) गुरुओ

नोट—सभी उकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

	उकारान्त पुँल्लिङ्ग 'डाकू' शब्द	
कर्ता	डाकू, डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
कर्म	डाकू, डाकू को	डाकू, डाकुओं को
करण	डाकू से	डाकुओं से
सम्प्रदान	डाकू को	डाकुओं को
अपादान	डाकू से	डाकुओं से
सम्बन्ध	डाकू का, की, के	डाकुओं का, की, के
अधिकरण	डाकू में, पर	डाकुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) डाकू	(हे) डाकुओ

नोट—सभी उकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

एकारान्त पुँल्लिङ्ग 'चौबे' शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	चौबे, चौबे ने	चौबे, चौबेओं ने
कर्म	चौबे, चौबे को	चौबे, चौबेओं को
करण	चौबे से	चौबेओं से
सम्प्रदान	चौबे को	चौबेओं को
अपादान	चौबे से	चौबेओं से
सम्बन्ध	चौबे का, की, के	चौबेओं का, की, के
अधिकरण	चौबे में, पर	चौबेओं में, पर
सम्बोधन	(हे) चौबे	(हे) चौबेओं

नोट—(१) सभी एकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

(२) चौबों ने, चौबों को इत्यादि के लिये पीछे देखो ।

ऐकारान्त पुँल्लिङ्ग 'बरें' शब्द

	बरें, बरें ने	बरें, बरेंओं ने
कर्ता	बरें, बरें को	बरें, बरेंओं को
कर्म	बरें से	बरेंओं से
करण	बरें को	बरेंओं को
सम्प्रदान	बरें से	बरेंओं से
अपादान	बरें का, की, के	बरेंओं का, की, के
सम्बन्ध	बरें में, पर	बरेंओं में, पर
अधिकरण	(हे) बरें	(हे) बरेंओं
सम्बोधन		

नोट—सभी ऐकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं

ओकारान्त पुँल्लिङ्ग 'कोदो' शब्द

कर्ता	कोदो, कोदो ने	कोदो, कोदोओं ने

	एकवचन	बहुवचन
कर्म	कोदो, कोदो को	कोदो, कोदोओं को
करण	कोदो से	कोदोओं से
सम्प्रदान	कोदो को	कोदोओं को
अपादान	कोदो से	कोदोओं से
सम्बन्ध	कोदो का, की, के	कोदोओं का, की, के
अधिकरण	कोदो में, पर	कोदोओं में, पर
सम्बोधन	(हे) कोदो	(हे) कोदोओ

नोट—(१) सभी ओकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।
 (२) कोदों ने, कोदो को इत्यादि के लिये पीछे देखो ।

औकारान्त पुँल्लिङ्ग 'जौ' शब्द

कर्ता	जौ, जौ ने	जौ, जौओं ने
कर्म	जौ, जौ को	जौ, जौओं को
करण	जौ से	जौओं से
सम्प्रदान	जौ को	जौओं को
अपादान	जौ से	जौओं से
सम्बन्ध	जौ का, की, के	जौओं का, की, के
अधिकरण	जौ में, पर	जौओं में, पर
सम्बोधन	(हे) जौ	(हे) जौओ

नोट—सभी औकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

(२) स्त्रीलिङ्ग शब्द

अकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'बात' शब्द

कर्ता	बात, बात ने	बातें, बातों ने
कर्म	बात, बात को	बातें, बातों को
करण	बात से	बातों से

	एकवचन	बहुवचन
सम्प्रदान	बात को	बातों को
अपादान	बात से	बातों से
सम्बन्ध	बात का, की, के	बातों का, की, के
अधिकरण	बात में, पर	बातों में, पर
सम्बोधन	(हे) बात	(हे) बातों

नोट—सभी आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

विकारी आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'चिड़िया' शब्द *

कर्ता	चिड़िया, चिड़िये ने	चिड़ियाँ, † चिड़ियों ने
कर्म	चिड़िया, चिड़िये को	चिड़ियाँ, † चिड़ियों को
करण	चिड़िये से	चिड़ियों से
सम्प्रदान	चिड़िये को	चिड़ियों को
अपादान	चिड़िये से	चिड़ियों से
सम्बन्ध	चिड़िये का, की, के	चिड़ियों का, की, के
अधिकरण	चिड़िये में, पर	चिड़ियों में, पर
सम्बोधन	(हे) चिड़िये	(हे) चिड़ियो

नोट—सभी विकारी आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

अविकारी आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'माता' शब्द

कर्ता	माता, माता ने	माताएँ, माताओं ने
कर्म	माता, माता को	माताएँ, माताओं को
करण	माता से	माताओं से
सम्प्रदान	माता को	माताओं को
अपादान	माता से	माताओं से
सम्बन्ध	माता का, की, के	माताओं का, की, के

* कोई-कोई इस शब्द को अविकृत ही मानते हैं ।

† आगे नदी शब्द का दूसरा नोट देखो ।

	एकवचन	बहुवचन
अधिकरण	माता में, पर	माताओं में; पर
सम्बोधन	(हे) माता	(हे) माताओं

नोट—(१) सभी अविकारी आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं

(२) 'पाठशाला' शब्द के रूप विकारी आकारान्त के समान भी मिलते हैं जैसे—मैं सब पाठशालों को देख चुका ।

इकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'तिथि' शब्द

कर्त्ता	तिथि, तिथि ने	तिथियाँ, * तिथियों ने
कर्म	तिथि, तिथि को	तिथियाँ, * तिथियों को
करण	तिथि से	तिथियों से
सम्प्रदान	तिथि को	तिथियों को
अपादान	तिथि से	तिथियों से
सम्बन्ध	तिथि का, की, के	तिथियों का, की, के,
अधिकरण	तिथि में, पर	तिथियों में, पर
सम्बोधन	(हे) तिथि	(हे) तिथियो

नोट—सभी इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'नदी' शब्द

कर्त्ता	नदी, नदी ने	नदियाँ, नदियों ने
कर्म	नदी, नदी को	नदियाँ, नदियों को
करण	नदी से	नदियों से
सम्प्रदान	नदी को	नदियों को
अपादान	नदी से	नदियों से
सम्बन्ध	नदी का, की, के	नदियों का, की, के

* आगे नदी शब्द का दूसरा नोट देखो ।

	एकवचन	बहुवचन
अधिकरण	नदी में, पर	नदियों में, पर
सम्बोधन	(हे) नदी	(हे) नदियो

नोट—सभी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

चिड़िँ, तिथिँ, नदिँ इत्यादि रूप भी कोई-कोई लेखक लिखते हैं, परन्तु सर्वत्र प्रचलित नहीं है । (पीछे रूप बनाने की रीतियाँ देखो) ।

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'वस्तु' शब्द

कर्ता	वस्तु, वस्तु ने	वस्तुएँ, वस्तुओं ने
कर्म	वस्तु, वस्तु को	वस्तुएँ, वस्तुओं को
करण	वस्तु से	वस्तुओं से
सम्प्रदान	वस्तु को	वस्तुओं को
अपादान	वस्तु से	वस्तुओं से
सम्बन्ध	वस्तु का, की, के	वस्तुओं का की, के
अधिकरण	वस्तु में, पर	वस्तुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) वस्तु	(हे) वस्तुओं

नोट—सभी उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'बहु' शब्द

कर्ता	बहु, बहु ने	बहुएँ, बहुओं ने
कर्म	बहु, बहु को	बहुएँ, बहुओं को
करण	बहु से	बहुओं से
सम्प्रदान	बहु को	बहुओं को
अपादान	बहु से	बहुओं से
सम्बन्ध	बहु का, की, के	बहुओं का, की, के
अधिकरण	बहु में, पर	बहुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) बहु	(हे) बहुओं

नोट—सभी उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

एकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'हरें' शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	हरें, हरें ने	हरेंएँ, हरेंओं ने
कर्म	हरें, हरें को	हरेंएँ, हरेंओं को
करण	हरें से	हरेंओं से
सम्प्रदान	हरें को	हरेंओं को
अपादान	हरें से	हरेंओं से
सम्बन्ध	हरें का, की, के,	हरेंओं का, की, के
अधिकरण	हरें में, पर	हरेंओं में, पर
सम्बोधन	(हे) हरें	(हे) हरेंओं

नोट—(१) सभी एकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

(२) हरें ने, हरें को इत्यादि रूपों के लिये पीछे देखो ।

एकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'जै' शब्द

	जै, जै ने	जैएँ, जैओं ने
कर्ता	जै, जै को	जैएँ, जैओं को
कर्म	जै से	जैओं से
करण	जै को	जैओं को
सम्प्रदान	जै से	जैओं से
अपादान	जै का, की, के	जैओं का, की, के
सम्बन्ध	जै में, पर	जैओं में, पर
अधिकरण	(हे) जै	(हे) जैओं
सम्बोधन		

नोट—सभी एकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'सरसों' शब्द

	सरसों, सरसों ने	सरसोंएँ, सरसोंओं ने
कर्ता	सरसों, सरसों को	सरसोंएँ, सरसोंओं को
कर्म		

	एकवचन	बहुवचन
करण	सरसों से	सरसोंओं से
सम्प्रदान	सरसों को	सरसोंओं को
अपादान	सरसों से	सरसोंओं से
सम्बन्ध	सरसों का, की, के	सरसोंओं का, की, के
अधिकरण	सरसों में, पर	सरसोंओं में, पर
सम्बोधन	(हे) सरसों	(हे) सरसोंओं

नोट—(१) सभी औकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

(२) बहुवचन सरसों ने, सरसों को इत्यादि रूपों के लिये पीछे देखो ।

औकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'गौ' शब्द

कर्ता	गौ, गौ ने	गौँ, गौओं ने
कर्म	गौ, गौ को	गौँ, गौओं को
करण	गौ से	गौओं से
सम्प्रदान	गौ को	गौओं को
अपादान	गौ से	गौओं से
सम्बन्ध	गौ का, की, के	गौओं का, की के
अधिकरण	गौ में, पर	गौओं में, पर
सम्बोधन	(हे) गौ	(हे) गौओं

नोट—सभी औकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं ।

अभ्यास

१. कारकादि के कारण कैसे शब्दों के अन्त्यस्वर अविकारी रहते हैं ?
२. इन शब्दों के रूप लिखो—सिलौटी, राजा, आशा, लड़का, लड़क़, मधु, छात, खटिया, बन्धु । ३. आगे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—तीन नदी से चार मछली लाया । उन किताबों को क्या करोगे ? गायों जा रही हैं । उन ग्राम से आठ बालकों आये । पाँच बैल को लाओ । खेतों पर प्यारक

अन्नो ले आओ। कलकत्ता से आया। छपरा में रहता है। देविणें आती हैं। माता चली गई। हे बालकों! कहाँ जाते हो? तारा निकल आये। नदियें बह रही हैं।

पदच्छेद (Parsing)

किसी वाक्य के पदों में व्याकरण घटाने के समग्र संज्ञा, क्रिया आदि भेद-प्रभेदों को विलगाने; लिङ्ग, वचन आदि को बिखराने और दूसरे-दूसरे शब्दों से उनका सम्बन्ध बताने को 'पदच्छेद' कहते हैं।

नोट—वाक्यविवरण, पदपरिचय, पदनिर्देश, पदनिर्णय, शब्दबोध और व्याकरण घटाना ये नाम भी पदच्छेद के पर्यायवाचक हैं।

संज्ञा के पदच्छेद में संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिङ्ग, वचन, कारक आदि और अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध—इतनी बातें बताई जाती हैं।

उदाहरण—नारायण कहता है कि मैं राम की पुस्तकें पढ़ूँगा।

नारायण—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, कर्ताकारक, 'कहता है' क्रिया का कर्ता।

राम—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, सम्बन्ध, इसका सम्बन्धी शब्द 'पुस्तकें'।

पुस्तकें—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिङ्ग, बहुवचन, कर्मकारक, 'पढ़ूँगा' क्रिया का कर्म।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों की संज्ञाओं का शब्दबोध बताओ—

आश्चर्य है कि छोटी-मोटी कुपाएँ मन को मुग्ध कर लें। उसके आगे सब रूपवती स्त्रियाँ निरादर हैं। गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर वह स्वतन्त्र हो गया था। हे मोहन, राम ने पाठशाला में आलमारी से अपने विद्यार्थी के लिये हाथ से पण्डितजी की पुस्तक का निकाला।

सर्वनाम (Pronouns)

सर्वनाम के ६ भेद हैं—पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय-वाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक और प्रश्नवाचक ।

१. जो सर्वनाम बोलनेवाले का, सुननेवाले का और जिसके विषय में कुछ कहा जाय उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं । जैसे—मैं तुमसे उसकी कथा कहता हूँ । इस वाक्य में मैं बोलनेवाले के बदले, तुम (तू शब्द का रूप) सुननेवाले के बदले और जिसकी कथा कही गई है उस व्यक्ति के बदले उस (वह शब्द का रूप) का प्रयोग हुआ है ।

बोलनेवाले को उत्तमपुरुष, सुननेवाले को मध्यमपुरुष और जिसका वर्णन हो उसे अन्यपुरुष कहते हैं ।

आदर के लिये मध्यम और अन्यपुरुषों में तू और वह के बदले आप शब्द आता है । मध्यमपुरुष—आप आइये । आप कहाँ जाते हैं ? अन्यपुरुष—किसी वस्तु पर लक्ष्य करने या उसकी ओर संकेत करने से । जैसे—रामजी अनसूया की ओर संकेत करके सीताजी से कहते हैं—“आप कर्दम प्रजापति की कन्या हैं” ।*

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद और उदाहरण

(१) उत्तमपुरुष—मैं

(२) मध्यमपुरुष—तू और आप

(३) अन्यपुरुष—(नीचे का नोट पढ़ो) और आप

नोट—मैं, तू और आप (म० पु०) को छोड़ शेष सभी सर्वनाम (संज्ञाएँ) अन्यपुरुष हैं, क्योंकि इनके विषय में बोलनेवाला सुननेवाले

* किसीसे किसी वाटिका के बारे में पूछा जाय कि यह किसकी वाटिका है और वह उसी की हो तो वह मनुष्य यह कहने के बदले कि ‘मेरी है’, कहता है ‘आपकी है ।’

को कुछ-न-कुछ कह सकता है। इसी कारण उत्तम और मध्यमपुरुषों को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऊपर लिखे सर्वनामों के भेदों में निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक और प्रश्नवाचक—ये पाँचो वास्तव में अप्रधान पुरुषवाचक ही के भेद हैं। इन सबके बदले अन्यपुरुष के उदाहरण में केवल 'वह' शब्द लाते हैं।

२. जो सर्वनाम 'स्वयं' या निज का बोधक हो उसे निजवाचक सर्वनाम * कहते हैं। जैसे—मैं आप वहाँ से आया हूँ। वह अपने को सुधारता है।

३. जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का बोध करावे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—दोनों पुस्तकों में यह अच्छी है और वह बुरी। इसका दूसरा नाम निर्देशार्थक या संकेतवाचक भी है।

निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हैं—निकटवर्ती और दूरवर्ती। 'यह' निकटवर्ती है, क्योंकि निकट के पदार्थों के लिये आता है। 'वह' दूरवर्ती है, क्योंकि दूर के पदार्थ को बतलाता है।

पूर्वकथित दो वस्तुओं में पहली ^१ के लिये 'वह' ^२ और दूसरी के लिये 'यह' का प्रयोग करते हैं। जैसे—महात्मा ^१ और दुर्गात्मा ^२ में इतना ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक रहते हैं और इनके भिन्न-भिन्न।

४. जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का बोध न करावे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—ऐसा न हो कि कोई आ जाय। पानी में कुछ है।

५. जो सर्वनाम किसी संज्ञा से सम्बन्ध सूचित करता है उसे

* कोई-कोई 'निजवाचक' सर्वनाम को 'पुरुषवाचक' सर्वनाम के ही अन्तर्गत समझते हैं।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—बाघ, जो बैठा था, मारा गया। जो बोले सो धो को जाय। जिसकी लाठी उसकी भैंस।

‘जो’ के साथ ‘सो’ या ‘यह’ का नित्य सम्बन्ध रहता है, जिन्हें नित्यसम्बन्धी सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम निश्चय-वाचक हैं। सम्बन्धवाचक और नित्यसम्बन्धी सर्वनाम एक ही संज्ञा के बदले आते हैं।

‘जो’ और ‘सो’ के बदले कभी-कभी क्रम से ‘जौन’ और ‘तौन’ भी मिल जाते हैं। जैसे—जौन आवेगा तौन पड़ेगा। इन दोनों प्रयोगों में केवल जो और वह अधिक आते हैं, शेष के प्रयोग कम हो रहे हैं।

६. जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—हे महाराज, आप कौन हैं? तुम क्या कर सकते हो?

नोट—(१) यदि सर्वनाम न हो तो वाक्य में बराबर संज्ञाओं के प्रयोग से एक तो वह भड़ा जान पड़ेगा और दूसरे बढ़ भी जायगा। जैसे—मोहन कल घर गया, वहाँ जाकर मोहन ने मोहन की माता से कहा कि मोहन को भूख लगी है, भोजन दे दो। माता ने कहा कि हे मोहन, मोह के पिताजी फल लाते होंगे, फल खाकर मोहन की भूख शान्त कर लेना।

ऊपर के वाक्य सर्वनाम-रहित हैं, इसलिये वे व्यर्थ बढ़े हुए और भड़े जान पड़ते हैं। उनके बदले नीचे के वाक्य प्रयोग में हैं।

मोहन कल घर गया, वहाँ जाकर उसने अपनी माता से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। उसने कहा कि हे मोहन, तुम्हारे पिता फल लाते होंगे, उन्हें खाकर अपनी भूख शान्त कर लेना।

(२) जब संज्ञा के बदले दूसरी संज्ञा आती है तब सर्वनाम नहीं कहलाती, संज्ञा ही कहलाती है। जैसे—अयस पाति

अनुरागा । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा । यहाँ 'त्रायस' के बदले
॥ हुआ 'कागा' शब्द सर्वनाम नहीं, वरन् संज्ञा ही है ।

अभ्यास

१. सर्वनाम कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो । २. अन्यपुरुष सर्व-
। कौन-कौन हैं ? ३. 'आप' कौन सर्वनाम है ? वाक्यों में प्रयोग
। ४. 'वह' कौन सर्वनाम है ? कारण दो । 'यह' और 'वह' के
। ग में क्या भेद है ? ६. सर्वनाम से क्या लाभ है ?

सर्वनाम के रूपों में विकार

संज्ञा के समान सर्वनाम के रूपों में भी वचन और कारकादि
कारण हेर-फेर होते हैं । जैसे—हमको क्या कहते हो ? मुझको
ज्ञाना ।

सर्वनाम का कोई लिङ्ग नियत नहीं है, इसलिये लिङ्ग के
। रण उसके रूपां में कुछ विकार नहीं होता । जैसे—सीता ने
हा कि मैं आऊँगी । राम ने कहा कि मैं जाऊँगा ।

जिस संज्ञा के स्थान में सर्वनाम आता है उसी के अनुसार
। मके लिङ्ग और वचन होते हैं । जैसे—सीता अच्छी लड़की
। वह झूठ नहीं बोलती । तीनों लड़के पढ़ने गये हैं । वे संध्या
। आवेंगे ।

नोट—प्रायः सर्वनाम के साथ कर्म और सम्प्रदान के चिह्न 'को' के
। र्थ में एकवचन में 'ए' और बहुवचन में 'एँ' भी लाते हैं ।

सर्वनामों में सम्बोधन-रूप प्रायः ❀ नहीं होते ।

सर्वनाम के रूप

में और तू

प बनाने की रीति—

कर्त्ता के एकवचन में मैं और तू दोनों ज्यों-के-त्यों बने रहते

* ऐ तू, जिसने सम्पूर्ण वस्तुएँ बनाई, मेरी सुन—व्याख्याविधि ।

हैं, परन्तु बहुवचन में वे क्रम से हम और तुम हो जाते हैं। शेष कारकों के एकवचन में मैं को मुझ और तू को तुझ तथा बहुवचन में हम और तुम कर देते हैं, परन्तु 'के लिये' और सम्बन्ध चिह्नों के पहले, मैं और तू को एकवचन में क्रम से मे और ते तथा बहुवचन में हमारा और तुम्हा करते हैं तथा चिह्नों के 'क' को भी 'र' से बदल देते हैं।

रूपावली

मैं

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमको, हमें
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मेरे लिये, मुझको, मुझे	हमारे लिये, हमको, हमें
अपादान	मुझसे	हमसे
सम्बन्ध	मेरा, मेरी, मेरे	हमारा, हमारी, हमारे
अधिकरण	मुझमें, मुझपर	हममें, हमपर

नोट—(१) मैं का बहुवचन 'हम' है परन्तु 'हम' बहुवचन का अर्थ संज्ञा के बहुवचन से भिन्न है। 'लड़के' शब्द एक से अधिक लड़कों का सूचक है, परन्तु 'हम' शब्द प्रायः एक से अधिक मैं (बोलनेवालों) का सूचक नहीं। एक साथ गाने, प्रार्थना करने या सबकी ओर से लिखे हुए लेख में हस्ताक्षर करने के सिवा प्रायः कभी एक से अधिक लोग मिलकर नहीं बोल सकते, ऐसी अवस्था में 'हम' का ठीक अर्थ यही है कि वक्ता अपने साथियों की ओर से प्रतिनिधि होकर सबके विचार एक साथ प्रकट करता है। 'हम' से बहुत्व का बोध कराने के लिये उसके साथ बहुधा 'लोग, सब' इत्यादि शब्द लगा देते हैं। जैसे—हमने

पहले किसी अंक में यह बात लिखी है । हमलोग प्रथम वर्ग में पढ़ते हैं । हम सब बड़े घर की स्त्रियाँ हैं ।

(२) मेरे को, मेरे में, हमारे में इत्यादि प्रयोग भी मिलते हैं । जैसे—भगवान् जाने हमारे में यह सुमति कब आयेगी ।—(प्रताप)
तू

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुझको, तुझे	तुमको, तुम्हें
करण	तुझसे	तुमसे
सम्प्रदान	तेरे लिये, तुझको, तुझे	तुम्हारे लिये, तुमको, तुम्हें
अपादान	तुझसे	तुमसे
सम्बन्ध	तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे
अधिकरण	तुझमें, तुझपर	तुममें, तुमपर

नोट—(१) 'हम' जिस अर्थ में आता है 'तुम' का भी उसी अर्थ में प्रयोग होता है । 'तुम' से बहुत्व का बोध कराने के लिये उसके साथ 'लोग, सब' इत्यादि शब्द लगाते हैं । जैसे—तुमलोग अभी तक कहाँ थे ? तुम सब कहाँ जाती हो ?

(२) 'तैं, तैंने, तेरे को, तेरे से, तेरे में, तेरे पर, तुम्हारे में, तुम्हारे पर, इत्यादि रूप भी कहीं-कहीं बोले जाते हैं ।

आदरसूचक—आप

रीति—एकवचन में 'आप' शब्द में कोई विकार नहीं होता, परन्तु बहुवचन में बहुत्ववाचक 'लोग, सब' इत्यादि शब्द जोड़कर बालक शब्द के समान रूप बना लेते हैं । जैसे—आपलोगों ने कहा । आप सब कहाँ गये थे ? आपलोग दीनों की अच्छी सहायता करते हैं ।

आप

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	आप, आपने	आपलोग, आपलोगों ने
कर्म	आपको	आपलोगों को
करण	आपसे	आपलोगों से
सम्प्रदान	आपके लिये, को	आपलोगों के लिये, को
अपादान	आपसे	आपलोगों से
सम्बन्ध	आपका, की, के	आपलोगों का, की, के
अधिकरण	आपमें, पर	आपलोगों में, पर

नोट—आपलोग ने, आपलोग की इत्यादि प्रयोग भी मिलते हैं।

निजवाचक

‘आप’ और (इसीमें सम्बन्धसूचक ना प्रत्यय लगाकर आदि का आकार ह्रस्व कर देने से बना हुआ) ‘अपना’ ये दो निजवाचक सर्वनाम हैं। ‘अपना’ शब्द सार्वनामिक अर्थ देने के सिवा, विशेषण और (आगे विशेष्य लुप्त रहने पर) संज्ञा का बोध भी कराता है। जैसे—मैं आप वहाँ जाऊँगा। कृपाकर मेरा अपराध क्षमा कर, अब मैं अपने को अवश्य सुधारूँगा। मेरा अपना पराया कोई काम नहीं आया। जब अपनों ने कोई सहायता नहीं की तब पराये की कौन आशा! सभी अपनों की खोज-खबर लेते हैं। अपनों मे विरोध करनेवाला नष्ट होता है। ✓

‘आप’ और ‘अपना’ दोनों निजसूचक सार्वनामिक अर्थ में सदा एकवचन रहते हैं, परन्तु जब ‘अपना’ अन्य अर्थ देता है तब बहुवचन भी होता है।

रूप बनाने की रीतियाँ—

(१) निजसूचक आप शब्द के रूपों के लिये आदरसूचक

आप शब्द के एकवचन रूप देखो । उन रूपों में 'के लिये' और सम्बन्ध-चिह्नवाले रूप निजसूचक अर्थ में नहीं आते ।

(२) अपना शब्द की रूपावली 'घोड़ा' शब्द के समान होती है, परन्तु सार्वनामिक अर्थ में कर्त्ता का एकवचन रूप नहीं आता । 'के लिये' के बदले केवल 'लिये' लगाते हैं तथा सम्बन्ध में चिह्न नहीं आते, क्योंकि 'ना' स्वयं सम्बन्धसूचक है ।

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	अपने ने*	अपनों ने
कर्म	अपने को	अपनों को
करण	अपने से	अपनों से
सम्प्रदान	अपने के लिये, को †	अपनों के लिये, को
अपादान	अपने से	अपनों से
सम्बन्ध	अपने का, की, के ‡	अपनों का, की, के
अधिकरण	अपने में, पर	अपनों में, पर

परस्परबोधक 'आपस'

'आपस' शब्द 'आप' ही का अनिवार्य रूप है । केवल सम्बन्ध और अधिकरण में इसके रूप आते हैं जैसे—आपस की लड़ाई आपस ही में लिपटा लेनी चाहिये । आपस की फूट बुरी होती है । उन लोगों की बातें आपस में नहीं मिलती ।

अभ्यास

१. सर्वनाम का कौन लिङ्ग है ? २. 'हम' का क्या अर्थ है ?
उदाहरण दो ।

* सर्वनाम के अर्थ में नहीं ।

† सार्वनामिक अर्थ में 'अपने लिये' ?

‡ सार्वनामिक अर्थ में 'अपना, अपनी, अपने' ।

३. 'तू' और 'तुम' में, क्या भेद है ? उदाहरण दो । ४. अपना शब्द कौन-कौन अर्थ देता है ? ५. 'आपस' क्या है ? ६. 'आप' शब्द से कौन-कौन सर्वनाम बने हैं ? ७. 'अपना' शब्द की रूपावली सार्वनामिक अर्थ में करो । ८. चार ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें 'अरना' शब्द 'संज्ञा' का अर्थ दे । ९. 'तुम कहाँ जाते हो ?' और 'तुम-लोग कहाँ जाते हो ?' इन दोनों वाक्यों में क्या भेद है ?

यह, वह, कोई, जो (जौन), सो (तौन) और कौन

रीति—शून्य चिह्न के पहले कुछ विकार नहीं होता, परन्तु बहुवचन में यह को ये और वह को वे कर देते हैं । 'कोई' शब्द का बहुवचन रूप नहीं होता । अन्य चिह्नों के पहले ऊपर के शब्द-क्रम से एकवचन में इस, उस, किसी, जिस, तिस और किस तथा बहुवचन में इन, उन, वे, * जिन, तिन और किन हो जाते हैं ।

नोट—(१) इन्होंने, उन्हींको, जिन्हेंसे, तिन्हेंके लिये, किन्हों में इत्यादि रूप भी प्रयोग में मिलते हैं । इनमें 'इन्होंने, उन्हींने' इत्यादि कर्ता के रूप, नियमानुसार बने रूपों से अधिक प्रचलित हैं, परन्तु अन्य रूप † कम आते हैं ।

(२) एँ चिह्न के साथ नियमानुसार इनँ, उनँ इत्यादि रूप बनते हैं, परन्तु ये बहुत कम प्रचलित हैं । प्रचलित रूप 'इन्हें' उन्हें' इत्यादि हैं ।

यह

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह, इसने	ये, इनने, इन्होंने

* कोई शब्द का बहुवचन का रूप नहीं होता, इसी कारण शून्य (०) दे दिया ।

† कोई-कोई इस्ने, उस्ने, जिस्ने, किस्को, तिस्में इत्यादि लिखते हैं, परन्तु गद्य में ऐसे प्रयोग अब नहीं होते हैं ।

	एकवचन	बहुवचन
कर्म	यह, इसको, इसे	ये, इनको, इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसके लिये, इसको, इसे	इनके लिये, इनको, इन्हें
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका, की, के	इनका, की, के
अधिकरण	इसमें, पर	इनमें, पर

वह

कर्ता	वह, उसने	वे, उनने, उन्होंने
कर्म	उसको, उसे	उनको, उन्हें
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसके लिये, उसको, उसे	उनके लिये, उनको, उन्हें
अपादान	उससे	उनसे
सम्बन्ध	उसका, की, के	उनका, की, के
अधिकरण	उसमें, पर	उनमें, पर

नोट—(१) बहुवचन 'ये' और 'वे' के बदले क्रम से यह और वह * भी बोलते हैं। जैसे—यह दोनों लड़के बड़े मुशील हैं। वह दोनों भाई पढ़ने चले गये।

(२) निश्चय अर्थ में 'यह' और 'वह' के साथ 'ही' भी लाते हैं। जैसे—यही तो चाहते हैं। जिसकी खोज में थे, वही मिल गया। इसी की आवश्यकता है। उन्हीं को बुलाया था। इन्हीं ने ऐसा किया।

(३) 'यह' क्रियाविशेषण भी होता है। जैसे—लीजिये महाराज, यह मै चला।

* उर्दूवाले प्रतिष्ठा के लिये 'वह' के बदले 'वो' भी बोलते हैं। जैसे—उनके देखे से जो आ जाती है रौनक मुँह पर, 'वो' समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।

कोई

	एकवचन
कर्त्ता	कोई, किसीने
कर्म	किसीको *
करण	किसीसे
सम्प्रदान	किसीके लिये, किसीको
अप्रादान	किसीसे
सम्बन्ध	किसीका, की, के
अधिकरण	किसीमें

बहुवचन

ए
क
ह
न
ह
ए

नोट—(१) 'कोई' शब्द के बहुवचन रूप नहीं होते, परन्तु जब वाक्य में दोहरा आता है तब क्रियामात्र बहुवचन हो जाती है। जैसे—कोई-कोई कहते हैं। किसी-किसीको यह रीति पसन्द नहीं आती।

(२) आदर में भी 'कोई' के साथ बहुवचन क्रिया आती है। जैसे—आपके यहाँ कोई आये हैं ?

(३) 'कोई' के बदले 'एक' का भी प्रयोग मिलता है। जैसे—सभा में एक आता है तो एक जाता है।

(४) 'कोई' शब्द क्रियाविशेषण भी होता है। जैसे—उसने कोई बीस पुस्तकें पढ़ीं। इसमें कोई २०० पृष्ठ हैं।

(५) कतिपय लेखक कोई शब्द का बहुवचन रूप 'किन्हीं' लिखते हैं।

जो (जौन)

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	जो (जौन), जिसने	जो (जौन) जिनने, जिन्होंने
कर्म	जो (जौन), जिसको, जिसे	जो (जौन), जिनको, जिन्हें
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसके लिये, जिसको	जिनके लिये, जिनको, जिन्हें

* 'कोई' के साथ 'को' चिह्न के बदले 'ए' का प्रयोग नहीं होता।

	एकवचन	बहुवचन
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बन्ध	जिसका, की, के	जिनका, की, के
अधिकरण	जिसमें, पर	जिनमें, पर

नोट—‘जो’ शब्द अव्यय भी है। जैसे—जो पढ़े तो विद्वान् होय।
जो कौड़ी दोगे तो पैसा पाओगे।

सो (तौन)

कर्ता	सो (तौन), तिसने	सौ (तौन), तिनने, तिन्होंने
कर्म	सो (तौन), तिसको, तिसे	सौ (तौन), तिनको, तिन्हें
करण	तिससे	तिनसे
सम्प्रदान	तिसके लिये, तिसको, तिसे	तिनके लिये, तिनको, तिन्हें
अपादान	तिससे	तिनसे
सम्बन्ध	तिसका, की, के	तिनका, की, के
अधिकरण	तिसमें, पर	तिनमें, पर

कौन

कर्ता	कौन, किसने	कौन, किनने, किन्होंने
कर्म	कौन, किसको, किसे	कौन, किनको, किन्हें
करण	किससे	किनसे
सम्प्रदान	किसके लिये, किसको, किसे	किनके लिये, किनको, किन्हें
अपादान	किससे	किनसे
सम्बन्ध	किसका, को, के	किनका, की, के
अधिकरण	किसमें, पर	किनमें, पर

क्या और कुछ

क्या—

कौन शब्द के समान ‘क्या’ भी प्रश्नवाचक है।

इसके भिन्न-भिन्न रूप नहीं होते। काहे को, काहे से, काहे के लिये, काहे का इत्यादि रूप एक-दो पुस्तकों में मिले हैं, परन्तु वे शुद्ध हिन्दी में कदाचित् ही आते हैं। हाँ, उर्दूवाले तो बोलते हैं।

नोट—(१) 'क्या' अव्यय भी होता है। जैसे—घोड़े दौड़े क्या हैं, उड़ आये हैं। क्या गाड़ी चली गई ?

(२) कौन और क्या जब अकेले आवें तब 'कौन' से प्राणी का और 'क्या' से प्रायः अप्राणी का बोध होता है। जैसे—कौन पढ़ता है ? कौन है ? क्या गिरा ? क्या है ? (यदि कौन और क्या के विषय में पहले से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो तो यह नियम नहीं लगता ।)

कुछ—

'कोई' शब्द के समान 'कुछ' भी अनिश्चयवाचक है।

'कुछ' के भिन्न-भिन्न रूप नहीं होते। जैसे—मेरी इच्छा है कि इससे कुछ पूछूँ। आपके मन में कुछ है। क्या पानी में कुछ मिला दिया ?

नोट—'कुछ' क्रियाविशेषण भी होता है। जैसे—लड़की कुछ छोटी है। तेरे शरीर का ताप कुछ घटा या नहीं।

सर्वनाम-सम्बन्धी अन्य बातें

निज, स्वतः, इत्यादि।

१. 'निज' विशेषण है। स्वतः, स्वयं, खुद इत्यादि अव्यय हैं। ये निजसूचक सर्वनाम के अर्थ में भी आते हैं। 'निज' का प्रयोग केवल सम्बन्धकारक में आता है। जैसे—हम तुम्हें एक अपने निज के काम में भेजा चाहते हैं। राजा स्वतः वहाँ गये थे। हम आज अपने-आपको भी हैं स्वयं भूले हुए। तुम खुद यह बात समझ सकते हो।

२. एक, दो, दोनों, दूसरा, एक दूसरा; कई, बहुतेरे, सब ❀ अन्य, इत्यादि ।

ऊपर के शब्द वास्तव में विशेषण हैं, क्योंकि इनके रूप और प्रयोग विशेषणों के समान होते हैं । जब ये बिना विशेष्य के आते हैं तब संज्ञाओं के अर्थ देते हैं, परन्तु प्रयोग की भिन्नता कई शब्दों में पाई जाती है । (आगे विशेषण का वर्णन देखो) ।

३. सर्वनाम के आगे 'विशेष्य' आने से वह विशेषण कहलाता है । ऐसी अवस्था में सर्वनाम कारकादि के चिह्न छोड़ तो देता है, परन्तु उसमें संस्कार अवश्य बना रहता है । जैसे—इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा मत कीजिये ।

नोट—कौन, जौन, तौन इत्यादि यदि 'सा, से, सी' प्रकारार्थक प्रत्ययों के साथ आवें तो वे ऊपर की अवस्था में नहीं बदलते । जैसे—छिपे हो कौन-से पदों में बेटा । रहो जौन से देश में । इत्यादि ।

४. इस, उस, जिस, तिस और किस के इ का ऐ और उ का वै करके शब्दान्त स्वर को दीर्घ करने से गुणवाचक (सादृश्य या प्रकार अर्थ में) विशेषण बनते हैं । जैसे—ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा । इसी प्रकार ऊपर के शब्दों के 'स' को 'तना' कर देने से परिमाणवाचक विशेषण बनते हैं । जैसे—इतना, उतना, जितना, कितना ।

५. यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ और कहाँ ये पाँच स्थानवाचक अव्यय क्रम से 'यह, वह, जो, तौन और कौन' के आदि व्यञ्जनों के आगे 'हाँ' मिलाने से बने हैं । इसी प्रकार अब, जब और कब ये चार अव्यय क्रम से 'यह, जो, तौन और कौन' के प्रथमाक्षर को अ, ज, त और क करके आगे 'ब' लगाने से बने हैं ।

❀ 'सब' सर्वनाम में प्रबलता के द्योतन में 'ही' अव्यय लगा देते हैं । जैसे—सबही या सभी ।

अभ्यास

१. 'कोई, यह और वह' इन तीनों सर्वनामों का प्रयोग अविकृतरूपों में बहुवचन में करो। २. 'कौन' और 'क्या' इन दोनों सर्वनामों का भेद है ? उदाहरण दो। ३. 'सो' कौन सर्वनाम है ? कारण दो। ४. 'एक' का प्रयोग सार्वनामिक अर्थ में करो। ५. 'किन्हीं' शब्द का विषय में तुम्हारा क्या विचार है ? ६. 'आप' दौड़े क्या है, उड़ आ है।' इस वाक्य में 'क्या' को सर्वनाम क्यों नहीं कह सकते ? ७. आजकल 'जो' के बदले 'कौन' सर्वनाम अधिकतर बोला जाता है ? उदाहरण दो। ८. 'कौन' और 'जौन' में कब विकार नहीं होता ? उदाहरण दो। ९. सर्वनाम कब विशेषण कहलाता है ? १०. किन-किन सर्वनामों में कौन-कौन अव्यय बने हैं ?

११. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

हम कोई दिन में तुमको यहाँ जायँगे और तुमके लिये उचित प्रबन्ध करा देंगे। मैं पर वह की बात विदित हो गई। कौन किताब को पढ़ोगे जौन तौन बालक के साथ मत जाओ। उन्हीं से काहे को बोलते हैं मेरे लिये पढ़ता हूँ।

१२. नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम रखो—
—लाठी उसकी भैंस। क्या—अपना पाठ याद कर लिया। आप—बढ़ाते हैं ? —कौन कहता है ? क्या—नहीं जानते कि तुम्हें ही लिखन होगा ? जो परिश्रम करते हैं—सुख पाते हैं। मैं—उसकी कथा कहता हूँ

पदच्छेद (Parsing)

सर्वनाम के पदच्छेद में संज्ञा ही के समान सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध—इतनी बातें बताई जाती हैं।

उदाहरण—कौन कहता है कि मैंने किसीको इसके लिये यत्न करते नहीं देखा ? बाघ, जो जंगल में बैठा था, मारा गया ।

कौन—सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुँल्लिंग, एकवचन, 'कहता है' क्रिया का कर्ता ।

मैंने—सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तमपुरुष, पुँल्लिंग या स्त्रीलिंग, एकवचन, 'देखा' क्रिया का कर्ता ।

किसीको—सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुँल्लिंग या स्त्रीलिंग, एकवचन, 'देखा' क्रिया का कर्म ।

इसके लिये—सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुँल्लिंग या स्त्रीलिंग, एकवचन 'देखा' क्रिया का सम्प्रदान ।

जो—सर्वनाम, सम्बन्धवाचक, पुँल्लिंग, एकवचन, 'बैठा था' क्रिया का कर्ता । यह सर्वनाम 'बाघ' के बदले आया है ।

अभ्यास

१. नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों का पार्जिङ्ग (पदच्छेद) करो—
जिसकी लाठी उसकी भैंस । मैं तुमसे उसकी कथा कहता हूँ । उनलोगों की राय आपस में नहीं मिलती । मेरी इच्छा है कि इससे कुछ पूछूँ ।
कौन कहता है कि मैंने यह काम नहीं किया ?

विशेषण (Adjectives)

विशेषण के भेद

विशेषण के चार भेद हैं—गुणबोधक, संख्याबोधक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक ।

१. गुणबोधक से गुण, अवस्था, रंग, आकार या दशा इत्यादि का बोध होता है । जैसे—चतुर बालक आता है । रोगी मनुष्य की सेवा करो । नीची भूमि पर मत रहो । लम्बी लकीर खींचो । बाल कपड़ा लाओ ।

२. संख्याबोधक से किसी वस्तु की संख्या समझी जाती है। जैसे—चार मनुष्य, छठा वर्ग, दसगुने रुपये, हर मनुष्य, तीनों काल, बहुत मनुष्य, इत्यादि।

संख्याबोधक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—निश्चयबोधक और अनिश्चयबोधक। (१) निश्चयबोधक से निश्चित संख्या जानी जाती है। जैसे—चार मनुष्य, छठा वर्ग, तीनों लोक, हर मनुष्य, इत्यादि।

(२) अनिश्चयबोधक से निश्चित संख्या नहीं जानी जाती। जैसे—सकृत्, बहुतेरे घोड़े, थोड़े मनुष्य, कुछ गाड़ियाँ, अधिक विद्यार्थी।

निश्चयबोधक विशेषण पाँच प्रकार के होते हैं—

(१) गणनावाचक—एक, दो, पाव, आध, पौन। (२) क्रम-वाचक—पहला, दूसरा, तीसरा। (३) आवृत्तिवाचक—दुगुना, तिगुना, चौगुना। (४) समुदायवाचक—तीनों, तीनो, चारों, चारो, बीसों, बीसो, पचीसों, पचीसो। (५) प्रत्येकवाचक—हर मनुष्य, प्रत्येक पुस्तक, प्रति वर्ष, हर दूसरे वर्ष में।

[गणनावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं—पूर्णाङ्कबोधक—एक, दो, तीन, चार। (२) अपूर्णाङ्कबोधक—पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़।]

३. परिमाणबोधक से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है। जैसे—थोड़ा पानी दो। बहुत भात मत खाओ। सब जङ्गल। सारा देश। इत्यादि।

परिमाणबोधक विशेषण के दो भेद हैं—(१) निश्चित—जैसे—पाव भर पानी, दो सेर आटा, आदि। (२) अनिश्चित—जैसे—कुछ दूध, थोड़ी चीनी, इत्यादि।

४. जो सर्वनाम विशेषण होकर आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे—उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना। किस व्यक्ति को यह कार्य सौंपते हो ?

[सार्वनामिक विशेषणों के भेद सर्वनाम के ही अनुसार होते हैं]

जैसे—उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ना । कौन विद्यार्थी आवेगा ? इन वाक्यों में 'उस' संकेतवाचक और 'कौन' प्रश्नवाचक विशेषण हैं ।)

व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के हैं—मूल और यौगिक । (१) मूल वह है जो बिना किसी रूपान्तर के संज्ञा के साथ आवे । जैसे—यह बात, कोई पुस्तक, कुछ आम, इत्यादि । (२) यौगिक वह है जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने में बने । जैसे—जैसी तानी वैसी भरनी, इतना पानी, इत्यादि ।

विशेषण जिसका गुण बताता है उसे विशेष्य कहते हैं । जैसे—चतुर बालक, अच्छा काम, मीठी बात ।

विशेषण विशेष्य के साथ दो प्रकार से आता है, विशेष्य के पहले और आगे । पहले आने से विशेष्यविशेषण और आगे आने से विधेयविशेषण कहलाता है । जैसे—विशेष्यविशेषण—यह अच्छा लड़का है । वह चतुर बालक है । विधेयविशेषण—लड़का अच्छा है । बालक चतुर है । रघुनाथ चौबे सोये हैं । दया बड़ी है ।

नोट—(१) सर्वनाम के पहले विशेषण का प्रयोग प्रायः नहीं होता । जैसे—तुम बड़े सीधे हो । वह अच्छा है । आप नेक हैं ।

अपवाद—सब कोई कहते हैं । यह काम हर कोई नहीं कर सकता । हम समझते सब कुछ हैं । वह बहुत कुछ जानता है ।

(२) वह बालक निरा बैल है । रामचन्द्र सच्चा आदमी है । कुत्ता भी है शेर अपनी गली के अन्दर । देह सूखकर लकड़ी हो गई । राधा, कृष्ण बन गई । इन वाक्यों में 'निरा बैल, सच्चा आदमी, शेर, लकड़ी और कृष्ण' संज्ञाओं के साथ विधेयभाव में हैं ।

विशेषणों के हेरफेर

विशेषण के लिङ्ग, वचन और कारक आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं । जैसे—काला घोड़ा चरता है । काली घोड़ी चरती है । अच्छा लड़का आता है । अच्छे लड़के आते हैं ।

अच्छे लड़के को बुलाओ । अच्छे लड़कों को बुलाओ । भले घर (में) कन्या व्याही ।

विशेषणों के रूप

आकारान्त विशेषण

(१) आकारान्त विशेषण स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त हो जाता है । जैसे—मैंने काली गाय खरीदी । वह गोरी कन्या हरी साड़ी पहने हुई है । इन लचीली लताओं की हरी-भरी पत्तियाँ मन को अच्छी लगती हैं । सारी पृथ्वी इस वसन्त की वायु से कैसी सुहावनी हो रही है ।

(२) 'बहुवचन में', और कारकादि के चिह्न या संस्कार रहने पर 'एकवचन में', पुल्लिङ्ग संज्ञा का आकारान्त विशेषण एकारान्त हो जाता है । जैसे—अच्छे लड़के आते हैं (बहुवचन) । अच्छे लड़कों को बुलाओ (बहुवचन) । अच्छे लड़के को बुलाओ (चिह्नयुक्त एकवचन) । भले घर कन्या व्याही (चिह्न संस्कारयुक्त एकवचन) ।

अकारान्त विशेषण

हिन्दी में अकारान्त विशेषणों के रूपों में विशेष्य के कारण कोई हेर-फेर नहीं होता । जैसे—सुडौल शरीर, सुघड़ लड़की ।

नोट—संस्कृत विशेषणों में जो स्त्रीलिङ्ग प्रयोग करने से खटकते हैं उन्हें बदल देते हैं तथा जो कभी किसी रूप में नहीं खटकते उन्हें दोनों रूपों में लिखते हैं और बहुत-से तो अविकृत ही लिखे जाते हैं । जैसे—श्रीमान् राजा—श्रीमती रानी, गुणवान् पुरुष—गुणवती स्त्री, बुद्धिमान् बालक—बुद्धिमती बालिका, सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्त्री या सुन्दरी स्त्री, चंचल बालक—चंचल शिखा या चंचला नारी, शोभित गृह—शोभित लता या शोभिता लता ।

सार्वनामिक विशेषण के रूप सर्वनाम ही के अनुसार होते हैं। जैसे—किसी पुरुष को बुलाओ। ये पुस्तकें अच्छी हैं। (पीछे सर्वनाम प्रकरण में 'अन्य बातें' शीर्षक पाठ का तीसरा नोट देखो।)

जब विशेषण संज्ञा की भाँति प्रयोग में आता है तब उसके रूप संज्ञा ही के समान बनाये जाते हैं। जैसे—अच्छों का सङ्ग करो। बुरों से बचो।

नोट—'सब' बहुवचन का द्योतक है, परन्तु परिणाम में एकवचन भी होता है। रूपान्तर करने में दोनों वचनों में 'सब' ज्यों-का-त्यों बना रहता है। कोई-कोई बहुवचन में अन्त्य स्वर को ओ से भी बदल देते हैं। जैसे—सब-सब ने-सबों ने, सब सबको-सबों को, इत्यादि। बहुवचन में कुछ लोग व को भ से भी बदल देते हैं। जैसे—सभों ने, सभों को, इत्यादि।

अभ्यास

१. विशेषण के कितने भेद हैं ? २. सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं ? ३. सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के हैं ? लक्षण और उदाहरण कहो। ४. विशेषण वाक्य में कहाँ आता है ? उदाहरण दो। ५. विशेषण का कौन लिंग है और कौन वचन ? ६. आकारान्त विशेषण बदलने के कौन-कौन नियम हैं ? ७. संस्कृत विशेषणों में किस रीति पर परिवर्तन होता है ? ८. 'सब' किस वचन में आता है ?

९. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

श्रीमान् सीता देवी की कथा बड़ा मीठा है। गोरा स्त्री पीला साड़ी पहने हुई है। रूखा-सूखा बात बड़ा कड़वा होता है। यह किताब का क्या मोल है ? यह लड़की को बुलाओ। कौन घर में रहते हो ? कोई काम में शीघ्रता मत करो। इस पुस्तकों का क्या मोल है ? उस घरों में कौन रहते हैं ?

तुलना (Comparison)

दो या अधिक वस्तुओं के गुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना के विचार से गुणबोधक तथा थोड़े से परिमाण और संख्याबोधक विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—स्वरूप अवस्था, आधिक्यबोधक अवस्था और अतिशयबोधक अवस्था।

१. जब विशेषण में सामान्यता रहती है, कुछ विशेषता नहीं तब उसे स्वरूप अवस्था कहते हैं। जैसे—मोहन अच्छा बालक है।

२. जब दो वस्तुओं के बीच न्यूनता या अधिकता की तुलना होती है तब विशेषण की आधिक्यबोधक अवस्था होती है। जैसे—मोहन श्याम से अच्छा है। दोनों में मोहन अच्छा है।

आधिक्यबोधक चिह्न 'से' और 'में' हैं। कभी-कभी स्वरूप अवस्था में 'से' या 'में' के आगे 'अधिक' या 'अधिक न्यून' इत्यादि शब्द लगाकर भी 'आधिक्यबोधक' बना लेते हैं। जैसे—राम मोहन से अधिक चतुर है। मेरा भाग उससे अधिक न्यून है।

३. जब दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करते हैं और उनमें से एक को श्रेष्ठता देते हैं तब विशेषण की अतिशयबोधक अवस्था होती है। जैसे—विद्यार्थियों में मोहन सबसे अच्छा है। रामचन्द्र सबमें दानी है।

अतिशयबोधक में 'सब', 'सबमें' लगाते हैं।

संस्कृत के शब्दों में आधिक्यबोधक अवस्था में तर और अतिशयबोधक में तम लगाते हैं। जैसे—प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीनतम। गुरु से गुरुतर, गुरुतम। स्त्री को परिवार प्रिय है, पुत्र प्रियतर है और पति प्रियतम है। इत्यादि।

नोट—(१) 'सा' से बराबरी का बोध होता है। जैसे—भीम हनुमान् सा बलवान् पुरुष था।

(२) 'थोड़ा सा, कुछ' इत्यादि शब्दों के लगाने से न्यूनता का तथा 'अति, अत्यन्त, अधिक, बहुत और बहुत ही', इत्यादि शब्दों के लगाने से अधिकता का बोध होता है। जैसे—थोड़ा-सा पीला, कुछ लाल, अति सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर, बहुत लाभदायक, बहुत ही छोटा, इत्यादि।

(३) जब विशेषण की अतिशयता प्रकट करनी होती है तब विशेषण को दुहरा देते हैं। जैसे—लाल-लाल आँखें दिखाने से मैं नहीं डरूँगा। भीनी-भीनी सुगन्ध से मन प्रसन्न हो गया। वह-वह तमाशे दिखावेगे कि अक्ल दंग हो जायगी।*

अभ्यास

१. तुलना किसे कहते हैं? २. 'रामचन्द्र सबमें दानी है।' यदि इस वाक्य में 'सबमें दानी' के बदले केवल 'दानी' आता तो क्या भेद पड़ता? ३. विशेषण कब दुहराया जाता है? ४. 'सा' से क्या बोध होता है? ५. 'छोटा' और 'बहुत ही छोटा' में क्या भेद है?

अन्य बातें

१. बहुत-से परिमाणबोधक विशेषण, बहुवचन विशेष्य के साथ अनिश्चित संख्याबोधक हो जाते हैं। जैसे—थोड़े मनुष्य, बहुत लड़के, इत्यादि।

२. निश्चयबोधक संख्याओं के पहले लगभग, प्रायः इत्यादि शब्दों के लगाने से या दो पूर्णाङ्क संख्याओं को एक साथ लिखने से अनिश्चयबोधक विशेषण बनते हैं। जैसे—लगभग चालीस विद्यार्थी, प्रायः बीस लड़के, चार-पाँच आम, पाँच-सात दिन, इत्यादि।

नोट—डेढ़-दो रुपये, दार्द-तीन वर्ष इत्यादि प्रयोग भी इसी अर्थ में हैं। किसी पूर्णाङ्क संख्या के आगे 'एक' लगाने से 'लगभग' का अर्थ निकलता है। जैसे—चालीस एक आदमी।

* आगे द्विरुक्ति का पाठ देखो।

३. बीसो, पचीसो, पचासो, हजारो इत्यादि संख्याएँ निश्चय-बोधक विशेषण हैं, परन्तु जब इनका अन्त्य स्वर 'ओं' रहे तब अनिश्चय का बोध होता है। जैसे—बीसो आदमी आये। पहले से केवल बीस ही का निश्चय था। बीसों आदमी आये। (कई बीस आदमी, अनिश्चय ।

नोट—आजकल बीसों, पचीसों, सैकड़ों, हजारों, लाखों इत्यादि कतिपय अनिश्चयबोधक संज्ञाओं को छोड़ शेष दोनों, तीनों, चारों इत्यादि शब्द दोनों, तीनों, चारों के समान निश्चयबोधक में भी लिखे जाते हैं।

४. थोड़े-से विशेषण अकेले भी आते हैं, ऐसी अवस्था में उनके लुप्त विशेष्य अनुमान से समझते हैं। जैसे—बापुरे बटोही पर बड़ी कड़ी बीती। महाराजजी ने बिछावन पर लम्बी तानी।

५. विशेष्यरहित विशेषण संज्ञा का अर्थ देता है। जैसे—बड़ों का कहना मानो। इतने में ऐसा हुआ। जैसे को तैसे मिले। पण्डितजी आये।

नोट—ऐसी संज्ञाएँ कभी जातिवाचक होती हैं और कभी व्यक्ति-वाचक। जैसे—भूठ बोलना पंडितों को उचित नहीं (जातिवाचक), पण्डितजी नहीं आये (व्यक्तिवाचक)।

६. कुछ विशेषण सर्वनामों को भाँति आते हैं। जैसे—सभा में एक (कोई) आता है तो एक (कोई) जाता है। एक दूसरे (आपस) में प्रेमव्यवहार रहना चाहिये। दुबिधा में दोनों गये, माया मिली, न राम। इत्यादि।

७. कोई-कोई विशेषण क्रियाविशेषण भी होते हैं। जैसे—राम ने सीता को बहुत समझाया। एक तुम्हारे ही दुःख से हम दुखी हैं। वह मरने से इतना क्यों डरता है ? इत्यादि।

८. विशेषण का भी विशेषण होता है। जैसे—अतिशय दयालु पुरुष, बहुत बड़ा लड़का, बहुत ही हानिकारक पदार्थ, इत्यादि।

९. सा, नाम, नामक, सम्बन्धी, रूपी इत्यादि शब्दों को संज्ञा के साथ मिलाकर विशेषण बनाते हैं। 'सा' सर्वनाम के साथ भी आता है। जैसे—फूल-सा शरीर, बाहुक नामक सारथी, दशरथ नामक राजा, पाठशाला-सम्बन्धी काम, तृष्णारूपी नदी, आप-सा विद्वान्, इत्यादि।

१०. कभी-कभी निरर्थक शब्द संज्ञा के साथ लगकर 'इत्यादि' का अर्थ देता है, उसे 'निरर्थक अनुक्रमी' कहते हैं। जैसे—

पानी बानी पिला लो। जूता ऊता लाओ।

११. सभी प्रकार के शब्दों से विशेषण बनते हैं—

संज्ञा से—धनी, पेढ़, मैला, पहाड़ी, इत्यादि।

सर्वनाम से—इतना, आप वाली, इत्यादि।

विशेषण से—लघुतर, प्राचीनतम, इत्यादि।

क्रिया से—पढ़नेवाला (बालक), खाया (मुँह), नहाया (बदन),

पढ़ता (सुगा), चलती (गाड़ी), इत्यादि।

अव्यय से—भीतरी (बातें), बाहरी (मनुष्य), इत्यादि।

नोट—विशेष वर्णन तद्धित और कृदन्त में देखो।

१२. विशेषण के बदले विशेष्य और विशेष्य के बदले विशेषण का प्रयोग करना अनुचित है। जैसे—'वह सन्तोष हो गया।' यह वाक्य अशुद्ध है, इसके बदले 'वह सन्तुष्ट हो गया' या 'उसे सन्तोष हो गया' लिखना उचित है।

१३. बहुत्व के अर्थ में विशेषण और विशेष्य दोनों में किसी एक ही को बहुत्वबोधक रखना उचित है। जैसे—बहुसंख्यक बालक या बालकगण, बहुत-से धनी या धनी लोग। ऐसी

जगह 'बहुसंख्यक बालकगण' और 'बहुत-से धनी लोग' लिखना अशुद्ध है ।

समानाधिकरण शब्द (Words in Apposition)

किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिये जो शब्द आता है उसे समानाधिकरण शब्द कहते हैं । जैसे—मैं रामप्रसाद इकरार करता हूँ । इस वाक्य में मैं और रामप्रसाद दोनों आपस में समानाधिकरण हैं, क्योंकि मैं शब्द विशेषण के समान रामप्रसाद संज्ञा की व्यापकता को बाँध नहीं देता, बल्कि यहाँ रामप्रसाद शब्द मैं के अर्थ को स्पष्ट करता है ।

जो विशेषण संज्ञा की व्यापकता को नहीं बाँधता उसे समानाधिकरण विशेषण कहते हैं । जैसे—प्रतापी भोज को कौन नहीं जानता ! इस वाक्य में प्रतापी शब्द भोज के अर्थ को केवल स्पष्ट करता है । 'भोज' और 'प्रतापी भोज' एक ही व्यक्ति के सूचक हैं ।

व्यक्तिवाचक के विशेषण और जातिवाचक के साधारण धर्म सूचित करनेवाले विशेषण समानाधिकरण विशेषण होते हैं । जैसे—पतिव्रता सीता की जीवनी पढ़ो । ठंडी बर्फ, काला कौआ, मूक पशु, अबोध बच्चा, इत्यादि ।

पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम भी समानाधिकरण होते हैं । जैसे—मैं रामप्रसाद इकरार करता हूँ । लड़की आप आई थी ।

अभ्यास

१. नीचे के प्रत्येक जोड़े में क्या भेद है ?

सार देश—सारे देश । पाँच आम—चार-पाँच आम । चालीस आदमी—चालीस एक आदमी । पचासो आदमी—पचासों आदमी ।

२. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

बीस विद्यार्थी परीक्षा में गये थे, बीसों उत्तीर्ण हो गये। माली ने सब पेड़ को काट डाला। सैकड़ों बार हमने समझाया। बहुसंख्यक मनुष्यगण यहाँ आये थे। बहुत-से धनी लोगों को हमने देखा था।

३. नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण के भेद और तुलना बताओ—

बुरे आदमी का कोई मनुष्य मान नहीं करता। सच्ची बात कहने से कभी डरना न चाहिये। आठ बुरे आदमियों ने दोनों ग्रामों को लूट लिया। राम का दूसरा बेटा धीरे-धीरे पढ़ता है। मोहन राम-सा तेज है। श्याम सबसे तेज है। यह पुस्तक उससे अच्छी है।

४. दो ऐसे वाक्य कहो, जिनमें परिमाणबोधक विशेषण प्रयोग में अनिश्चित संख्याबोधक बन गये हों। ५. दो ऐसे वाक्य बताओ जिनमें विशेषण बिना विशेष्य के आये हों। ६. 'परिणतजी आये'—इस वाक्य में परिणतजी कौन संज्ञा है? ७. चार ऐसे वाक्य कहो, जिनमें विशेषण क्रियाविशेषण होकर आये हों। ८. किन-किन शब्द-भेदों से विशेषण बनते हैं? उदाहरण दो। ९. संज्ञा में किन शब्दों के लगाने से वह विशेषण हो जाती है? १०. विशेषण संज्ञा को क्या करता है? ११. जो विशेषण संज्ञा की व्यापकता को नहीं बाँधता उसे क्या कहते हैं? १२. समानाधिकरण शब्द किसे कहते हैं? १३. समानाधिकरण शब्द और विशेषण में क्या भेद है? १४. समानाधिकरण विशेषण कौन-कौन होते हैं? १५. कौन-कौन सर्वनाम समानाधिकरण होते हैं? १६. प्रयोग के अनुसार कुछ विशेषण सर्वनाम की भाँति भी आते हैं। उदाहरण दो।

पदच्छेद (Parsing)

विशेषण के पदच्छेद में संज्ञा ही के समान सब बातें कहनी पड़ती हैं, अर्थात् विशेषण के भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य।

उदाहरण—इस पत्र में लिखा है । चौथे बालक ने दीन नु यों को थोड़ा आटा दिया था ।

इस—विशेषण, सार्वनामिक, संकेतवाचक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, अधिकरण कारक, इसका विशेष्य 'पत्र' है ।

चौथे—विशेषण, क्रमवाचक (संख्याबोधक का भेद), पुल्लिङ्ग, एकवचन, कर्ता कारक, इसका विशेष्य 'बालक' है ।

दीन—विशेषण, गुणबोधक, पुल्लिङ्ग, बहुवचन, सम्प्रदान कारक, इसका विशेष्य 'मनुष्य' है ।

थोड़ा—विशेषण, परिमाणबोधक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, कर्मकारक, इसका विशेष्य 'आटा' है ।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं, सर्वनामों और विशेषणों का पदनिर्देश करो—

राम का बड़ा बेटा आप आया था । प्रतापी भोज को कौन नहीं जानता ? दुबिधा में दोनों गये, माया मिली न राम । मोहन राम-सा तेज है । बुरे आदमी का कोई मनुष्य मान नहीं करता ।

क्रिया (Verbs)

'ना' अन्तवाला शब्द, जिससे किसी व्यापार का बोध हो, क्रिया का साधारण रूप है । जैसे—आना, लाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, इत्यादि ।

नोट—यदि व्यापार का बोध न हो तो, 'ना' अन्तवाले शब्द क्रिया नहीं कहला सकते । जैसे—सोना (एक द्रव्य), काना, दाना, नाना, अँगना, पटना, भगिना, इत्यादि । *

* 'बेलना' संज्ञा और क्रिया दोनों हैं । जैसे—यह बेलना चन्दन का है । इससे रोटियाँ बेकी जाती हैं ।

क्रिया का साधारण रूपः क्रियार्थक संज्ञा भी कहलाता है। जैसे—यहाँ का 'रहना' हमें पसन्द नहीं। मेरे 'खाने-पीने' का कोई ठिकाना नहीं। इत्यादि।

क्रिया के साधारण रूप 'ना' का लोप करके जो शेष रहता है, वह क्रिया का धातु है। क्रिया के सब रूपों में धातु सदा अटल रहता है। जैसे—पढ़, लिख, जा, आ, खा, पी, इत्यादि।

नोट—धातुओं के दो पहलू हैं—व्यापार और फल। जैसे—गुरु ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पढ़ने का व्यापार गुरु करता है और पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ता है। 'राम सोता है' इस वाक्य से सोने का व्यापार राम करता है और सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, अर्थात् वही सोता है।

क्रिया के भेद (Classes of Verbs)

क्रियाओं के दो भेद हैं—सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म लग सके अर्थात् जिस क्रिया का फल कर्त्ता को छोड़ कर्म पर पड़े उसे 'सकर्मक क्रिया' कहते हैं। जैसे—“गुरु ने लड़कों को पढ़ाया। हम राम को देखते हैं। मोहन ने श्याम को मारा होगा।” इन वाक्यों में कर्म आये हैं जिनपर क्रियाओं के फल पड़ते हैं। पहले वाक्य में 'पढ़ाया' क्रिया का व्यापार गुरु में है और पढ़ाने के व्यापार का फल गुरु को छोड़ 'लड़का' पर पड़ता है अर्थात् पढ़ाने के कार्य लड़कों पर किये गये हैं, इसलिये 'पढ़ाया' क्रिया सकर्मक हुई। इसी प्रकार 'देखते हैं' और 'मारा होगा' भी सकर्मक क्रियाएँ हैं।

जिसमें कर्म नहीं लग सके अर्थात् जिस क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्त्ता ही में रहें उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।

* संज्ञा होने के कारण इसकी कारक-रचना भी होती है। यह संज्ञा कृदन्तीय भाववाचक का एक भेद है। (आगे देखो।)

जैसे—“राम सोता है । हम हँसते थे ।” इन वाक्यों में कर्म नहीं आये हैं । पहले वाक्य में सोने का व्यापार राम करता है और सोता भी वही है, अर्थात् सोने का काम और सोना दोनों कर्ता ही में है, इसलिये ‘सोता है’ क्रिया अकर्मक हुई । इसी प्रकार ‘हँसते थे’ अकर्मक क्रिया है ।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं । जैसे—उसका सिर खुजलाता है (अकर्मक)—वह सिर को खुजलाता है (सकर्मक) । जी घबराता है (अ०)—विपद् मुझे घबराती है (स०) । आपका जी ललचाता है (अ०)—वह मिठाई दिखलाकर श्याम को ललचाता है (स०) । बूँद-बूँद करके तालाब भरता है (अ०)—प्यारी ने आखें भरके कहा (स०) । गिलास भरा है (अ०)—हमने गिलास भरा है (स०) । ँड़ी घिसती है (अ०)—मैं चंदन घिसता हूँ (स०) । रीति बदली है (अ०)—मैंने गति बदली है (स०) ।

सकर्मक क्रिया—

बहुतेरी सकर्मक क्रियाएँ केवल एक कर्म लेती हैं । जैसे—कुत्ते ने लड़के को काटा ।

कई सकर्मक क्रियाएँ दो कर्म लेती हैं, क्योंकि एक कर्म से उनके अर्थ पूरे नहीं होते । ऐसी क्रियाएँ द्विकर्मक कहलाती हैं । जैसे—उसने नंगों को वस्त्र दिये । मैंने उसको एक रीति बतलाई । देना, बतलाना, कहना, सिखाना, पढ़ना, पूछना इत्यादि द्विकर्मक क्रियाएँ हैं । द्विकर्मक क्रिया का पहला कर्म वस्तुबोधक और दूसरा प्राणिबोधक होता है । वस्तुबोधक को मुख्य कर्म और प्राणिबोधक को गौण कर्म कहते हैं । (पीछे कारक प्रकरण देखो)

कई सकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं, जो एक कर्म लेती हैं और कुछ शब्द अपने अर्थ पूर्ण करने के लिये चाहती हैं । ऐसी

क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक कहलाती हैं। जैसे—सरकार ने धावले को जज बनाया। मैंने उसे स्वतन्त्र कर दिया। राम उस चोर को दण्ड दिलाना चाहता है। सकर्मक क्रिया की पूर्ति 'कर्मपूर्ति' कहलाती है। उदाहरण के वाक्यों में, 'जज', 'स्वतन्त्र' और 'दण्ड दिलाना' ये तीनों पूर्तियाँ हैं।

नोट—जब ये क्रियाएँ पूर्ति नहीं चाहती तब अपूर्ण भी नहीं कहलाती। जैसे—कुम्हार घड़ा बनाता है। विद्यार्थी पाठ समझते हैं।

जब कोई अकर्मक क्रिया अपने ही धातु से बना हुआ या उससे मिलता-जुलता सजातीय कर्म चाहती है तब वह सकर्मक कहलाती है। जैसे—राम प्रतिदिन एक लम्बी दौड़ दौड़ता है। मेरी सेना अच्छी लड़ाई लड़ती है।

अकर्मक क्रिया—

अकर्मक क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं—पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक।

पूर्ण अकर्मक वह है जिसके कहने से पूरा अर्थ प्रतीत हो। जैसे—सोता हूँ।

अपूर्ण अकर्मक वह है जो पूर्ण अर्थ के लिये पूर्ति की अपेक्षा करे। जैसे—वह मनुष्य बीमार हो गया।

होना, बनाना, दीखना, निकलना, कहलाना, पढ़ना, रहना इत्यादि अपूर्ण अकर्मक है। * अकर्मक क्रिया की पूर्ति को उद्देश्यपूर्ति कहते हैं।

* किया जाना, बनाया जाना, समझा जाना, पाया जाना और रक्खा जाना इत्यादि संयुक्त क्रियाएँ भी अपूर्ण हैं। जैसे—मेरा भाई राजा बनाया गया। कौआ चालाक समझा जाता है। यह बात भूटी पाई गई। लड़के होशियार किये जायेंगे। बच्चे का नाम मैथिलीशरण रक्खा जायगा।

नोट—ये क्रियाएँ जब पूर्ति नहीं चाहतीं तब अपूर्ण भी नहीं कह-
लातीं । जैसे—ईश्वर है । सबेरा हुआ । चाँद दिखाई देता है । सूरज
निकला । इत्यादि ।

यदि कर्म की विवक्षा न रहे अर्थात् क्रिया का केवल कार्य-
मात्र ही प्रकट हो तो सकर्मक क्रिया भी अकर्मक-सी हो जाती
है । जैसे—ईश्वर का कृपा से बहरा सुनता है और गूँगा
बोलता है ।

अभ्यास

१. धातु किसे कहते हैं ? २. धातुओं के कौन-कौन अर्थ हैं ? सम-
भाओ । ३. क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं ? ४. सकर्मक क्रिया कब अकर्मक
होती है ? उदाहरण दो । ५. अकर्मक क्रिया कब सकर्मक होती है ?
उदाहरण दो । ६. कौन-कौन क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती
हैं ? ७. अपूर्ण सकर्मक किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । ८. अपूर्ण अकर्मक
किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । ९. द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ?
१०. कर्म पूर्ति और उद्देश्यपूर्ति में क्या भेद हैं ? ११. पाँच ऐसे वाक्य
बनाओ जिनकी अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं से पूर्णता का अर्थ निकले ।

वाच्य (Voice)

क्रिया के उस रूपान्तर का नाम वाच्य है जिससे यह
विदित होता है कि उस क्रिया का फल कर्त्ता वा कर्म पर पड़ता
है या स्वतन्त्र ही रहता है ।

वाच्य तीन हैं—कर्त्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ।

यदि कर्त्ता के अनुसार क्रिया के लिङ्ग, वचन आदि हों तो
वह कर्त्तृवाच्य कहलाती है । जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है ।
सीता ग्रन्थ पढ़ती है ।

नोट—“कलम नहीं चलती । भोजन बनता है । फल पकते हैं । मेघ बरसता है । कपड़े भींगते हैं । पानी बहता है ।” ऐसे वाक्यों में कर्म करनेवाला कर्त्ता नहीं बताया जाता । यह दिखाया जाता है कि काम आप-से-आप होता है, ऐसी क्रियाएँ वास्तव में कर्मकर्त्तृवाच्य हैं ।

यदि कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन आदि हों तो वह क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है । जैसे—सीता ने भात खाया । राम ने रोटी खाई । मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है । राम से रोटी खाई गई ।

यदि कर्त्ता या कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन आदि न हों, बल्कि वह सदा एकवचन, पुल्लिङ्ग और श्रान्यपुरुष में रहे तो वह क्रिया भाववाच्य कहलाती है । जैसे—रानी ने सहेलियों को बुलाया । मुझसे सोया नहीं जाता । आया जाय ।

कर्त्तृवाच्य के कर्त्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में कोई चिह्न नहीं लगता । भाववाच्य के कर्त्ता में ‘ने’ और कर्म में ‘को’ लगाते हैं ।

कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्त्ता में ‘ने’ लाते हैं, परन्तु इसका अपवाद ‘खा-जा’ इत्यादि ‘जा धातु’ से युक्त ‘संयुक्त’ धातुओं के प्रयोग में पाया जाता है । ऐसे धातुओं के साथ कर्त्ता में ‘ने’ के बदले ‘से’ लगाते हैं । जैसे—‘मैं खा गया’ इसका कर्मवाच्य ‘मुझसे खाया गया’ है न कि ‘मुझने खाया गया’ । ‘खाया गया’ खा-जा इस संयुक्त धातु का कर्मवाच्य है, धातु ‘खा’ का नहीं । (पं० रामावतार शर्मा)

कर्मवाच्य क्रिया केवल सकर्मक होती है, परन्तु कर्त्तृवाच्य और भाववाच्य क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं ।

उपर्युक्त वर्णन स्व० पण्डित रामावतार शर्मा की पुस्तक के आधार पर है, परन्तु पण्डित कामतासाद गुरु अपने ग्रन्थ में यह लिखते हैं—

व्या० चं०—७

‘कर्तृवाच्य’ क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य (Subject) क्रिया का कर्ता है। जैसे—लड़का दौड़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी। रानी ने सहेलियों को बुलाया। हमने खाया।

‘कर्मवाच्य’ क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य (Subject) क्रिया का कर्म है। जैसे—कपड़ा सिया जाता है। चिट्ठी भेजी गई। मुझसे यह बोझ न उठाया जायगा। उसे उतरवा लिया जाय।

‘भाववाच्य’ क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य (Subject) क्रिया का कर्ता या कर्म कोई नहीं है। जैसे—यहाँ कैसे बैठा जायगा? धूप में चला नहीं जाता।

अभ्यास

१. वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? २. ‘कलम नहीं चलती। फल पकते हैं।’ इन वाक्यों में क्रियाएँ किस वाच्य में हैं? ३. कर्मवाच्य और भाववाच्य में किसके मत से क्या भेद है? ४. ‘से’ चिह्न किस वाच्यवाली क्रिया के कर्ता में आता है? ५. ‘मुझसे रोटी खाई गई’ इस वाक्य में क्रिया किस वाच्य में है और यह किस क्रिया से बनी है? ६. कर्मवाच्य क्रिया अकर्मक होती है या सकर्मक? उदाहरण दो।

काल (Tense)

क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे ‘काल’ कहते हैं।

काल के तीन भेद हैं—भूत, वर्तमान और भविष्यत्।

जिससे बीता हुआ समय जाना जाय उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे—मैं लाया। राम ने खाया है। तूने खाया था। सीता

खाती थी। मोहन ने खाया होगा। यदि श्याम नहीं खाता तो भात बच जाता।

जिसका आरम्भ हो चुका हो, पर समाप्ति नहीं हुई हो उसे वर्तमानकाल कहते हैं। जैसे—मोहन पढ़ता है। राम पढ़ता होगा।

आनेवाले समय को भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे—राम पुस्तक पढ़ेगा। वे पढ़ेंगे।

भूतकाल—

भूतकाल के छः भेद हैं—सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, सन्दिग्धभूत और हेतुहेतुमद्भूत।

१. जिससे भूतकाल की सामान्यता समझी जाती है, कोई विशेषता नहीं, उसे सामान्यभूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—राम बैठा। वह आया। मैंने पढ़ा। श्याम कलकत्ते गया।

नोट—सामान्यभूतकाल की क्रिया से यह नहीं जान पड़ता है कि काम को हुए अधिक देर हुई या थोड़ी देर। जैसे—‘उसने पढ़ा।’ यहाँ पढ़े हुए एक मिनट हुआ हो या एक वर्ष—बराबर कहेंगे कि ‘पढ़ा’।

२. जिससे जान पड़ता है कि काम, भूतकाल में आरम्भ होकर अभी-अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्नभूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—मैंने अभी भोजन किया है। वह बाजार से आया है। तूने मुझे यह बात कही है।

नोट—कभी-कभी दूर-बाह्यीन क्रिया के लिये भी आसन्नभूत का प्रयोग होता है। जैसे—कालिदास ने शकुन्तला लिखी है। मनु ने कहा है।

३. जिससे जान पड़ता है कि काम बहुत ही पहले पूर्ण हुआ था उसे पूर्णभूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—श्याम आया था। मैंने गत वर्ष परीक्षा दी थी। मुझे पिताजी से भेंट हुई थी।

४. भूतकाल की जो क्रिया पूरी नहीं हुई हो उसे अपूर्णभूत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे—वह खाता था। मैं पुस्तक पढ़ता था।

नोट—जिस अपूर्णभूत का होता रहना उसी क्षण जान पड़े उसे तात्कालिक अपूर्णभूत कहते हैं। जैसे—मैं खा रहा था। वह पुस्तक पढ़ रहा था। (यह अपूर्णभूत का ही भेद है)।

५. जिसके होने में सन्देह विदित हो उसे सन्दिग्धभूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—मैंने लिखा होगा। श्यामलाल आया होगा।

६. जिस क्रिया में कार्य-कारण का फल भूतकाल का कहना होता है उसे हेतुहेतुमद्भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—धन रहने पर मैं अवश्य पढ़ता। यदि परीक्षा देते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। वह जाता तो खाना पाता। ❀

नोट—हेतुहेतुमद्भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि काम भूतकाल में होनेवाला तो था, पर न हो सका।

वर्त्तमानकाल—

वर्त्तमानकाल के दो भेद होते हैं—सामान्यवर्त्तमान और सन्दिग्धवर्त्तमान।

१. जिससे वर्त्तमानकाल की सामान्यता समझी जाती है उसे सामान्य वर्त्तमानकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—राम खाता है। मैं पढ़ता हूँ। तू लिखता है। सूर्य दिन में और चन्द्रमा रात में उगते हैं।

* कार्य-कारण का सम्बन्ध भविष्यत् और वर्त्तमान में भी पाया जाता है। जैसे—पैसा होगा तो वस्तु खरीदेंगे। पढ़ता है तो विद्वान् होता है। वह जाय तो भोजन पावे।

नोट—जिस वर्तमानकालिक क्रिया का होता रहना उसी क्षण जान पड़ता है उसे तात्कालिक वर्तमानकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—राम खा रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ। तू लिख रहा है। (यह सामान्यवर्तमान का ही भेद है)। इसको कोई-कोई ‘अपूर्ण वर्तमान’ भी कहते हैं।

२. जिस वर्तमानकालिक क्रिया से सन्देह प्रकट हो उसे सन्दिग्धवर्तमानकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे—राम खाता होगा। हम पढ़ते होंगे। तुम लिखते होगे।

भविष्यत्काल

भविष्यत्काल के दो भेद हैं—सामान्यभविष्यत् और सम्भाव्यभविष्यत्।

१. जिस क्रिया से भविष्यत्काल की सामान्यता समझी जाय उसे सामान्यभविष्यत्काल की क्रिया कहते हैं। जैसे—मैं करूँगा। तू लड़ेगा। वह बैठेगा।

२. यदि भविष्यत्काल में काम करने या होने की केवल इच्छामात्र समझी जाय, चाहे वह हो या न हो उसे सम्भाव्य-भविष्यत्काल की क्रिया कहते हैं। जैसे—मैं बैठूँ। तू बैठे। वे बैठें। तू खावे।

नोट—इसका दूसरा नाम सम्भावना भी है। यह क्रिया कभी-कभी धातुरूप में आती है। जैसे—यदि आना हो तो हमसे मिलना।

विधि [आज्ञा] *

विधि से आज्ञा का बोध होता है। जैसे—आओ, आइये, आइयेगा, आइयो। इन उदाहरणों में ‘आओ’ साधारणविधि, ‘आइये’ † आदरविधि, ‘आइयेगा’ प्रार्थनाविधि और ‘आइयो’ पराक्षविधि है।

* यह क्रिया भविष्यत्काल से ही सम्बन्ध रखती है।

† चाह (चाहना) धातु से बना ‘चाहिये’ आदरविधि का अर्थ कदाचित्

नोट—(१) कहीं केवल धातु ही विधि का अर्थ देता है। जैसे—
माता, थोड़ा पानी देना। तुम प्रतिदिन दूध पीना। ‘लगा कहने चल
भाग रे फिर न आना। मियाँ मैं भी चलता हूँ टुक रहके जाना।’

(१) विधि में कर्ता ‘तू और तुम’ प्रायः लुप्त रहते हैं। इसका
प्रयोग प्रायः मध्यमपुरुष में ही होता है।

पूर्वकालिक—

जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया किसी
काल में करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है।
जैसे—‘चोर उठ भागा। राम खाके सोता था। वह पढ़कर
जाता है। मैं लाकरके जाऊँगा।’ यह क्रिया अकेली प्रयोग में
नहीं आती, दूसरी क्रिया के साथ आती है।

पूर्वकालिक के चिह्न ‘०, के, कर और करके’ हैं।

नोट—“लड़के दौड़ते-दौड़ते थक गये। इंश्वर की माया को लोग
सोचते और विचारते ही रहते हैं, परन्तु उसके भेद का पता किसी को
नहीं लगता। खाया मुँह नहाया बदन नहीं छिपता। कृष्ण आये हुए
रथ पर शीघ्र बैठ गये। दाता से बिना दिये रहा नहीं जाता। बैठे-बैठे
मन नहीं लगता।” इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छुपे अंश क्रिया ही
से बने हैं, परन्तु वे विशेषण या क्रियाविशेषण हैं। (आगे कृदन्त और
तद्धित देखो।)

ही देता है। ‘तुम खाओ’ के बदले आदरविधि में ‘आप खाइये’ बोलते
हैं, परन्तु ‘तुम चाहो’ के बदले ‘आप चाहिये’ प्रायः नहीं बोलते। ‘मुझे
एक पुस्तक चाहिये। आपको जाना चाहिये’ इन वाक्यों में ‘चाहिये’ का
प्रयोग क्रियाविशेषण के समान है और उसके आगे होना क्रिया लुप्त
दिखाई देती है। ऐसे वाक्यों में उद्देश्य (कर्ता) सम्प्रदान कारक में
रहता है और कर्म वा क्रिया का साधारण रूप ही कर्ता सा दीख पड़ता
है (वाक्य-प्रकरण देखो)।

प्रकार (Moods)

सभी क्रियाओं के प्रकार-कृत तीन भेद हैं—साधारण, सम्भाव्य और आज्ञार्थक (विधि) ।

१. साधारण अवस्था की क्रिया को 'साधारण क्रिया' कहते हैं। साधारण क्रिया में सम्भव या आज्ञा नहीं पाई जाती। जैसे—मैंने खाया। तुम कहाँ जाते हो ?

२. जिस क्रिया से सम्भव अर्थात् अनिश्चय, इच्छा या संशय पाया जाय उसे सम्भाव्य क्रिया कहते हैं। जैसे—यदि हम खाते थे, तो आप क्यों नहीं ठहर गये ? धन रहता तो वह अवश्य पढ़ता। मैंने खाया होगा तो केवल भात ही। मैं वहाँ जाऊँ तो क्या मिलेगा।

नोट—हेतुहेतुमद्भूत, सम्भाव्य भविष्यत् और सन्दिग्ध क्रियाएँ इसी श्रेणी की हैं। 'यदि' और इसी अर्थ के अन्य शब्दों के साथ शेष क्रियाएँ भी सम्भाव्य हो जाती हैं।

३. आज्ञार्थक (विधि) से आज्ञा, उपदेश और प्रार्थनासूचक क्रियाओं का बोध होता है। जैसे—यहाँ से जाओ। भलाई किया करो। कृपा करके पत्र का उत्तर अवश्य दीजिये।

अभ्यास

१. काल किसे कहते हैं ? २. 'खाता था' और 'खा रहा था' में क्या भेद है ? ३. 'पढ़ता हूँ' और 'पढ़ रहा हूँ' में क्या भेद है ? ४. भविष्यत्काल के कितने भेद हैं ? प्रत्येक का लक्षण कहो। ५. 'नाहिये' क्या है ? उदाहरण दो। ६. पूर्वकालिक क्रिया किस काल में होती है ? ७. 'आइये, आइयो और आओ' में क्या भेद है ? ८. क्रियाओं के प्रकार-कृत कितने भेद हैं ? ९. किन-किन कार्यों की क्रियाएँ सम्भाव्य

होती हैं ! १०. 'सूर्य दिन में और चन्द्रमा रात में उग रहे हैं।' क्या यह वाक्य शुद्ध है ? क्यों ?

क्रियाओं के हेरफेर

क्रियाओं में भी ❀ लिङ्ग, वचन और पुरुष होते हैं। जैसे—
मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ती हैं। तू बैठा, तुम बैठो। वह आवेगा, वह आवेगी। इत्यादि।

'ने' चिह्नयुक्त कर्त्ता की क्रिया, कर्म चिह्नरहित हो तो कर्म के लिङ्ग, वचन आदि के अनुसार और कर्म चिह्नसहित हो तो सदा एकवचन, पुँल्लिङ्ग और अन्यपुरुष में होती है। (पीछे वाक्य प्रकरण में देखो)

पहले लिख आये हैं कि 'ने' चिह्न कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाओं में कर्त्ता के आगे रहता है। यहाँ इसे यों भी लिखते हैं कि 'ने' चिह्न केवल 'सकर्मक' क्रिया के सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतकालों में कर्त्ता के आगे आता है। (विशेष वर्णन आगे मिलेगा)

ऊपर लिखे कारणों से क्रिया के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं, इसलिये क्रिया की रूप-रचना नीचे बताई जाती है।

*क्रिया में लिङ्गभेद का आ जाना अत्यन्त आश्चर्य है, क्योंकि यद्यपि क्रिया का विशेषण संस्कृत में भी माना है, तथापि उसे लिङ्गयुक्त किसीने नहीं माना। यहाँ तक कि प्राकृत में भी 'ऐसो आ अच्छइ—ऐसा आ अच्छइ' इत्यादि ही होते हैं। सूक्ष्म विचार से जान पड़ता है कि संस्कृत के कुदन्त से क्रिया में लिङ्ग होते-होते 'क्रियापद' में लिङ्ग-विकार हो गया। जैसे—इसन्ती अस्ति = हँसती है, इसन् अस्ति = हँसता है। नपुंसक तो हिन्दी में है ही नहीं। फिर सामान्यजनों की बोली के परिवर्तन से 'था-थी, गा-गी' इत्यादि भेद भी हो गये।

—पंडित अम्बिकादत्त व्यास।

क्रियाओं के रूप (Conjugations)

रीतियाँ—

सभी क्रियाएँ धातु से बनती हैं, परन्तु धातु में नाममात्र के हेरफेर करने से सामान्यभूत और हेतुहेतुमद्भूत क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—बैठ (धातु), बैठ + आ = बैठा (सामान्यभूत)। बैठ + ता = बैठता (हेतुहेतुमद्भूत)।

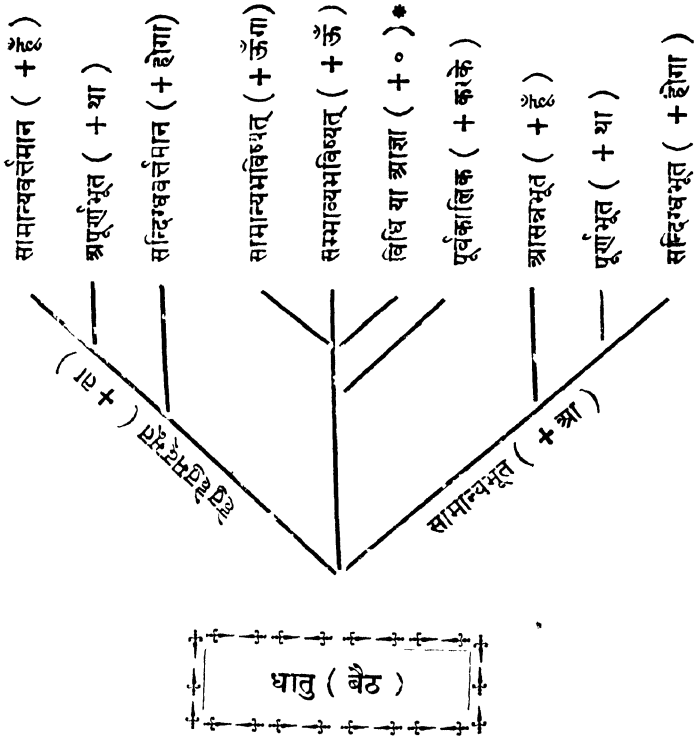
१. सामान्यभूत से आसन्नभूत, पूर्णभूत और सन्दिग्धभूत-कालों की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—बैठा + हूँ = बैठा हूँ (आसन्नभूत), बैठा + था = बैठा था (पूर्णभूत), बैठा + होगा = बैठा होगा (सन्दिग्धभूत)।

२. हेतुहेतुमद्भूत से अपूर्णभूत, सामान्यवर्त्तमान और सन्दिग्धवर्त्तमान काल की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—बैठता + था = बैठता था (अपूर्णभूत), बैठता + हूँ = बैठता हूँ (सामान्यवर्त्तमान), बैठता + होगा = बैठता होगा (सन्दिग्धवर्त्तमान)।

३. धातु से बननेवाली शेष क्रियाएँ। जैसे—बैठ + ० = बैठ (विधि, मध्यमपुरुष, एकवचन), बैठ + ऊँ = बैठूँ (सम्भाव्यभविष्यत्), बैठूँ + गा = बैठूँ गा (सामान्यभविष्यत्), बैठ + ०, के, कर या करके = बैठ, बैठके, बैठकर, बैठ करके (पूर्वकालिक)।

नोट—(१) विधि को छोड़ शेष क्रियाओं के जितने रूप ऊपर बताये गये हैं, वे सब उत्तमपुरुष, एकवचन और पुल्लिङ्ग में हैं।

(२) आगे क्रिया-वृत्त दिया जाता है।



अभ्यास

१. किन-किन कारणों से क्रिया के रूपों में हेर-फेर होता है ?
२. हेतुहेतुमद्भूत से कौन-कौन क्रियाएँ बनती हैं ? उदाहरण दो ।
३. सामान्यभूत से कौन-कौन क्रियाएँ बनती हैं ? उदाहरण दो ।
४. पूर्वकालिक क्रिया कैसे बनती है ?
५. सामान्यभूत और हेतुहेतुमद्भूत क्रियाएँ कैसे बनती हैं ? उदाहरण दो ।

* मध्यमपुरुष एकवचन रूप (घास्तव में यही रूप विधि का है भी) ।

रूप-रचना (विस्तृत)

१

सामान्यभूत और उससे बननेवाली क्रियाएँ

१. सामान्यभूत—धातुओं के अन्तिम स्वरों में अ के बदले और ऊ के आगे एकवचन में 'आ' और बहुवचन में 'ए' लगाने से तथा स्वरों के आगे एकवचन में 'या' और बहुवचन में 'ये' लगाने से पुँल्लिङ्ग और एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ई' लगाने से स्त्रीलिङ्ग सामान्यभूत की क्रियाएँ बनती हैं। प्रत्यय जोड़ने के पहले धातुओं के अन्त्य स्वरों में 'ई * और ए' को 'इ' से तथा 'ऊ' को 'उ' से बदल देते हैं। जैसे—बैठ से—बैठा-बैठे, बैठी-बैठी। खा से खाया-खाये, खाई-खाई। पी से—पिया-पिये, पी-पी। छू से छुआ-छुए, छुई-छुई। दे से—दिया-दिये, दी-दी। सो से—सोया-सोये, सोई-सोई, इत्यादि।

(सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और सन्दिग्धभूत)

नोट—(१) 'सोआ, धोआ, रोआ' ये रूप भी प्रयोग में हैं।

(२) हो (होना), जा (जाना) और कर (करना)—ये धातु अनियमित हैं। जैसे—हो से—हुआ-हुए, हुई-हुई। जा † से—गया-गये, गई-गई। कर से—किया-किये, की-की।

* प्रस्तुत है पय पियो उठो, नवजीवन से जियो उठो-(मैथिलीशरणगुप्त)

† भावप्रधान और नित्यताबोधक क्रिया में जाना का जाया रूप होता है। जैसे—राम से जाया नहीं जाता। सोहन स्कूल जाया करता था।

(३) मर (मरना) से मरा और मृत्वा दोनों रूप होते हैं । रखना धातु का रूप सामान्यभूत में रखा और रक्खा दोनों होते हैं ।

(४) कोई-कोई स्त्रीलिंग में आई, खाई, गई इत्यादि को आयी, पायी, गयी इत्यादि लिखते हैं । इनसे 'य' अनुच्चरित वर्ण का दोष देवान्नर की पवित्र वर्णमाला पर लगता है । हाँ, संस्कृत शब्दों को—जो संस्कृत व्याकरण से शुद्ध हैं—लिखना अनुचित नहीं । जैसे—घराशायी, सामयिक, दायित्व, अनुयायी, इत्यादि ।

(५) 'हुआ' के बदले हुवा और हुया तथा 'हुए' के स्थान में हुये और हुवे प्रयोग भी त्याज्य है ।

२. आसन्नभूत—अकर्मक धातु की सामान्य भूतकालिक क्रियाओं के आगे वचन और पुरुष के अनुसार 'हूँ-हैं, है-हो, है-हैं' के लगाने से और सकर्मक धातु की सामान्यभूतकालिक क्रियाओं के आगे 'है--हैं' के लगाने से आसन्नभूतकालिक क्रियाएँ बनती हैं ।

३. पूर्णभूत—सामान्यभूतकालिक क्रियाओं के आगे लिङ्ग और वचन के अनुसार 'था-थे' थी-थी' के लगाने से पूर्णभूतकाल की क्रियाएँ बनती हैं ।

४. सन्दिग्धभूत—सामान्यभूतकालिक क्रियाओं के आगे लिङ्ग और वचन के अनुसार 'होगा-होंगे, होगी-होंगी' के लगाने से सन्दिग्धभूतकालिक क्रियाएँ बनती हैं, परन्तु मध्यमपुरुष के बहुवचन में अर्द्धानुस्वार रहित 'होंगे और होगी' लगाते हैं ।

नोट—होऊंगा, हूँगा, होवेगा, होवेंगे, होओगे, होंगे इत्यादि रूप भी प्रयोग में आते हैं । रूपावली में सरलता और अधिक प्रचार के कारण हमने ये ढेर से रूप दिये हैं ।

(१०६)

(१) रूपावली बैठना (बैठ धातु)

कर्त्ता पुल्लिङ्ग

कर्त्ता स्त्रीलिङ्ग

(१) सामान्यभूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं बैठा	हम बैठे	मैं बैठी	हम बैठी
म०	तू बैठा	तुम बैठे	तू बैठी	तुम बैठी
अ०	वह बैठा	वे बैठे	वह बैठी	वे बैठी

(२) आत्मनभूत

उ०	मैं बैठा हूँ	हम बैठे हैं	मैं बैठी हूँ	हम बैठी हैं
म०	तू बैठा है	तुम बैठे हो	तू बैठी है	तुम बैठी हो
अ०	वह बैठा है	वे बैठे हैं	वह बैठी है	वे बैठी हैं

(३) पूर्णभूत

उ०	मैं बैठा था	हम बैठे थे	मैं बैठी थी	हम बैठी थी
म०	तू बैठा था	तुम बैठे थे	तू बैठी थी	तुम बैठी थी
अ०	वह बैठा था	वे बैठे थे	वह बैठी थी	वे बैठी थी

(४) मन्दिग्धभूत

उ०	मैं बैठा हूँगा	हम बैठे होंगे	मैं बैठी हूँगी	हम बैठी होंगी
म०	तू बैठा होगा	तुम बैठे होंगे	तू बैठी होगी	तुम बैठी होगी
अ०	वह बैठा होगा	वे बैठे होंगे	वह बैठी होगी	वे बैठी होंगी

* नियमानुसार 'बैठी हैं, बैठी हो' इत्यादि रूप उचित हैं, परन्तु अनुच्चरित के कारण प्रयोग में नहीं आते ।

(११०)

सकर्मक क्रिया
लिखना (लिख धातु)
(१) सामान्यभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग—			
एकवचन—मैंने-हमने	तूने-तुमने	उसने-उन्होंने	ग्रन्थ लिखा ।
बहुवचन—	”	”	ग्रन्थ लि
कर्म स्त्रीलिङ्ग—			
एकवचन—मैंने-हमने	तू-तुमने,	उसने-उन्होंने	पुस्तक लिखी ।
बहुवचन—	”	”	पुस्तकें लिखीं ।

२) आसन्नभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग—			
एक०—मैंने-हमने,	तूने-तुमने,	उसने-उन्होंने	ग्रन्थ लिखा है ।
बहु०—	”	”	ग्रन्थ लिखे हैं ।
कर्म स्त्रीलिङ्ग—			
एक०—मैंने-हमने,	तूने-तुमने,	उसने-उन्होंने	पुस्तक लिखी है ।
बहु०—	”	”	पुस्तकें लिखी हैं ।

(३) पूर्णभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग—			
एक०—मैंने-हमने	तूने-तुमने,	उसने-उन्होंने	ग्रन्थ लिखा था ।
बहु०—	”	”	ग्रन्थ लिखे थे ।
कर्म स्त्रीलिङ्ग—			
एक०—मैंने-हमने,	तूने-तुमने	उसने-उन्होंने	पुस्तक लिखी थी ।
बहु०—	”	”	पुस्तकें लिखी थीं ।

(४) सन्दिग्धभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग—

एक०—मैंने-हमने, तूने-तुमने, उसने-उन्होंने ग्रन्थ लिखा होगा ।

बहु०— ” ” ” ” ” ग्रन्थ लिखे होंगे ।

कर्म स्त्रीलिङ्ग—

एक०—मैंने-हमने तूने-तुमने उसने-उन्होंने पुस्तक लिखी होगी ।

बहु०— ” ” ” ” ” पुस्तकें लिखी होंगी ।

अभ्यास

१. 'खाई' और 'खायी' में किस रूप को अच्छा समझते हो ? कारण दो । 'हुवा, हुआ, हुवे' हुये' रूप त्याज्य हैं या नहीं ? ३. 'मुन्ना' के विषय में तुम्हारा क्या विचार है ? ४. आसन्नभूतकाल की क्रियाएँ किस प्रकार बनती हैं ? ५. खाना क्रिया के रूप पूर्णभूतकाल में लिखो ।

६. नीचे लिखे रूप किन-किन क्रियाओं के हैं—

पड़ा होगा, खाया था, लाया है, खाया होगा, खाई, पड़ी थी, चला, चली थी ।

हेतुहेतुमद्भूत और इससे बननेवाली क्रियाएँ

(हेतुहेतुमद्भूत, अपूर्णभूत, सामान्यवर्त्तमान और सन्दिग्धवर्त्तमान)

१. हेतुहेतुमद्भूत—धातु के आगे लिङ्ग और वचन के अनुसार 'ता-ते, ती-तीं' के लगाने से हेतुहेतुमद्भूतकाल की क्रिया बनती है ।

२. अपूर्णभूत—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिंग और वचन के अनुसार 'था-थे, थी-थीं' के लगाने से अपूर्णभूतकाल की क्रिया बनती है ।

३. सामान्यवर्त्तमान—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार 'हूँ-हैं, है-हो, है-हैं' के लगाने से सामान्यवर्त्तमानकाल की क्रिया बनती है ।

४. सन्दिग्धवर्त्तमान—हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिङ्ग और वचन के अनुसार 'होगा-होंगे, होगी-होंगी' के लगाने से सन्दिग्धवर्त्तमानकाल की क्रिया बनती है। परन्तु मध्यमपुरुष के बहुवचन में लिङ्गानुसार अनुस्वार-रहित 'होगे या होगी' लगाते हैं।

(१) रूपावली

अकर्मक क्रिया

बैठना (बैठ धातु)

कर्त्ता पुल्लिङ्ग

कर्त्ता स्त्रीलिङ्ग

(१) हेतुहेतुमद्भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं बैठता*	हम बैठते	मैं बैठती	हम बैठतीं
म०	तू बैठता	तुम बैठते	तू बैठती	तुम बैठतीं
अ०	वह बैठता	वे बैठते	वह बैठती	वे बैठतीं

(२) अपूर्णभूत

उ०	मैं बैठता था	हम बैठते थे	मैं बैठती थी	हम बैठती थीं
म०	तू बैठता था	तुम बैठते थे	तू बैठती थी	तुम बैठती थीं
अ०	वह बैठता था	वे बैठते थे	वह बैठती थी	वे बैठती थीं

(३) सामान्यवर्त्तमान

उ०	मैं बैठता हूँ	हम बैठते हैं	मैं बैठती हूँ	हम बैठती हैं
म०	तू बैठता है	तुम बैठते हो	तू बैठती है	तुम बैठती हो
अ०	वह बैठता है	वे बैठते हैं	वह बैठती है	वे बैठती हैं

* सक धातु का हेतुहेतुमद्भूत 'सकता' है, परन्तु कोई-कोई 'सक्ता' लिखते हैं।

(४) सन्दिग्धवर्त्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं बैठता हूँगा	हम बैठते होंगे	मैं बैठती हूँगी	हम बैठती होगी
म०	तू बैठता होगा	तुम बैठते होगे	तू बैठती होगी	तुम बैठती होगी
अ०	वह बैठता होगा	वे बैठते होंगे	वह बैठती होगी	वे बैठती होगी

सकर्मक क्रिया के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

नोट—(१) तात्कालिकवर्त्तमान—धातु के आगे लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार 'रह' धातु के आसन्नभूतकालिक रूप लगा देने से तात्कालिक वर्त्तमानकाल की क्रियाएँ बनती हैं । जैसे—मैं बैठ रहा हूँ—हम बैठ रहे हैं, तू बैठ रहा है—तुम बैठ रहे हो, वह बैठ रहा है—वे बैठ रहे हैं । मैं बैठ रही हूँ—हम बैठ रही हैं, तू बैठ रही है—तुम बैठ रही हो, वह बैठ रही है—वे बैठ रही हैं ।

(२) तात्कालिकभूत—धातु के आगे लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार 'रह' धातु के आसन्नभूतकालिक रूप लगा देने से तात्कालिकभूत की क्रियाएँ बनती हैं । जैसे—मैं बैठ रहा था—हम बैठ रहे थे, तू बैठ रहा था—तुम बैठ रहे थे, वह बैठ रहा था—वे बैठ रहे थे । मैं बैठ रही थी—हम बैठ रही थीं, तू बैठ रही थी—तुम बैठ रही थी, वह बैठ रही थी—वे बैठ रही थीं ।

अभ्यास

१. खाना क्रिया के रूप सन्दिग्धवर्त्तमानकाल में कहो । २. सोना क्रिया के रूप तात्कालिकवर्त्तमानकाल में बताओ । ३. 'घर बनता था' और 'घर बना रहा था' में क्या भेद है ? ४. नीचे लिखे रूप किन-किन कालों की क्रियाओं के हैं—खा रहा है, खाता है, खाता होगा, पढ़ती थी, पढ़ रही थी, सोती, आती ।

(३)

शेष क्रियाएँ—जो धातु से बनती हैं

(सम्भाव्यभविष्यत्, सामान्यभविष्यत्, विधि और पूर्वकालिक)

व्या० चं०—८

१. सम्भाव्यभविष्यत्—धातुओं के अन्त्य स्वरों में अ के बदले वचन और पुरुष के अनुस्वार ऊँ—एँ, ए—ओ, ए—एँ के लगाने से तथा अन्य स्वरों के आगे ऊपर के चिह्नों में से ऊँ और ओ को विना बदले तथा शेष में व् या य् :मिलाकर लगाने से सम्भाव्यभविष्यत् काल की क्रियाएँ बनती हैं। (सम्भाव्य-भविष्यत् में लिंग-भेद नहीं है।)

२. सामान्यभविष्यत्—सम्भाव्यभविष्यत् क्रियाओं के आगे लिंग और वचन के अनुसार 'गा—गे, गी—गीं' के लगाने से सामान्यभविष्यत्काल की क्रियाएँ बनती हैं।

३. विधि—इसके रूप ठीक सम्भाव्यभविष्यत् के समान होते हैं, परन्तु मध्यमपुरुष एकवचन में धातुमात्र ही रूप होता है। (विधि में लिङ्ग-भेद नहीं है।)

नोट—सम्भाव्यभविष्यत् और विधि के रूपों में प्रयोग और स्वरा-घात से भेद जान पड़ते हैं। जैसे—यदि तुम बैठो तो मैं कार्य समाप्त कर लूँ। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ।

धातु में 'इये' लगाने से 'आदरविधि', 'इयो' से 'परोक्षविधि' और 'आदरविधि' के आगे 'गा' लगाने से 'प्रार्थनाविधि' की क्रियाएँ बनती हैं।

नोट—करना, पीना, लेना, देना और होना इत्यादि के अनियमित रूप होते हैं। जैसे—कीजिये—कीजियेगा—कीजियो, पीजिये—पीजियेगा—पीजियो, लीजिये—लीजियेगा—लीजियो, दीजिये—दीजियेगा—दीजियो, हूजिये—हूजियेगा—हूजियो, इत्यादि।

४. पूर्वकालिक—धातु के अन्त में ०, के, कर और करके मिलाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। (इसमें लिंग, वचन और पुरुष का भेद नहीं होता है।)

(३) रूपावली

अकर्मक क्रिया

सम्भाव्यभविष्यत्

बैठना (बैठ धातु)

होना (हो धातु)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं बैठूँ	हम बैठें	मैं होऊँ	हम होवें, होयें
म०	तू बैठे	तुम बैठो	तू होवे, होये	तुम होओ
अ०	वह बैठे	वे बैठें	वह होवे, होये	वे होवे, होयें

नोट—सम्भाव्यभविष्यत् में हम होयें, तू होय, तुम हो, तुम होय, वे होयें इत्यादि अनियमित रूप भी आते हैं। तुम होओ, तुम खाओ के बदले तुम होवो, तुम खावो लिखना उचित नहीं जान पड़ता। *

सामान्यभविष्यत्

बैठना (बैठ धातु)

उ०	मैं बैठूँगा	हम बैठेंगे	मैं बैठूँगी	हम बैठेंगी
म०	तू बैठेगा	तुम बैठोगे	तू बैठेगी	तुम बैठोगी
अ०	वह बैठेगा	वे बैठेंगे	वह बैठेगी	वे बैठेंगी

होना (हो धातु)

उ०	मैं होऊँगा	हम होवेंगे	होयेंगे	मैं होऊँगी,	हम होवेंगी,	होयेंगी
म०	तू होवेगा,	होयेगा	तुम होओगे	तू होवेगी,	होयेगी,	तुम होओगी
अ०	वह होवेगा,	होयेगा,	वे होवेंगे,	वह होवेगी,	होयगी,	वे होवेंगी,
			होयेंगे			होयेंगी

नोट—ऊपर के रूप नियमानुसार बने हैं, परन्तु होयगा, होवेंगे,

ॐ पाना, सोना इत्यादि क्रियाओं के रूप ऊपर के अनियमित रूपों की भाँति प्रयोग में नहीं आते।

होयेंगी, होयँगी भी प्रयोग में हैं। इसके अतिरिक्त नीचे लिखे रूप अधिकतर प्रचलित हैं। पुँल्लिङ्ग—मैं हूँगा—हम होंगे, तू होगा—तुम होगे, वह होगा—वे होंगे। स्त्रीलिङ्ग—मैं हूँगी—हम होंगी, तू होगी—तुम होगी, वह होगी—वे होंगी। इसी प्रकार देना, लेना में भी दूँगा—दोगे—देंगे, लूँगा—लोगे—लेंगे इत्यादि बोलते और लिखते हैं। जाना धातु में उत्तमपुरुष पुँल्लिङ्ग बहुवचन में जायेंगे और जायँगे दोनों बोले जाते हैं, इसके मध्यमपुरुष बहुवचन रूप 'तुम जाओगे—जाओगी' के बदले 'तुम जावोगे-जावोगी' लिखना उचित नहीं। इसी प्रकार 'आवोगे-आवोगी' इत्यादि रूप भी अनुचित हैं।

विधि

उ०	मैं बैठूँ	हम बैठें	आदरविधि—	बैठिये
म०	तू बैठ	तुम बैठो	प्रार्थनाविधि—	बैठियेगा
अ०	वह बैठे	वे बैठें	परोक्षविधि—	बैठियो

पूर्वकालिक

बैठ, बैठके, बैठकरके

इस धातु के दो प्रयोग हैं—(१) विद्यमानताबोधक और (२) उत्पत्तिबोधक।

'मैं पण्डित हूँ,—इस वाक्य में 'हूँ' से पाण्डित्य की विद्यमानता समझी जाती है। 'मैं पण्डित होता हूँ'—इस वाक्य में 'होता हूँ' से पाण्डित्य की उत्पत्ति और विद्यमानता दोनों का बोध होता है। इन दोनों वाक्यों में 'हूँ' और 'होता हूँ' दोनों क्रियाएँ सामान्यवर्त्तमान हैं और 'हो' धातु से बनी हुई भिन्न-भिन्न प्रयोगों में हैं।

इन दोनों प्रयोगों के रूप केवल सामान्यवर्त्तमान और पूर्णभूत में भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु अन्य क्रियाओं में एक ही से होते हैं।

(११७)

सामान्यवर्त्तमान

विद्यमानताबोधक

उत्पत्तिबोधक

पुँल्लिंग

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन •
उ० मैं हूँ	हम हैं	मैं होता हूँ	हम होते हैं
म० तू है	तुम हो	तू होता है	तुम होते हो
अ० वह है	वे हैं	वह होता है	वे होते हैं;

स्त्रीलिंग

स्त्रीलिङ्ग रूप भी पुँल्लिंग के समान होते हैं ।	मैं होती हूँ तू होती है वह होती है	हम होती हैं तुम होती हो वे होती हैं

पूर्णभूत

पुँल्लिंग

उ० मैं था	हम थे	मैं हुआ था	हम हुए थे
म० तू था	तुम थे	तू हुआ था	तुम हुए थे
अ० वह था	वे थे	वह हुआ था	वे हुए थे

स्त्रीलिंग

उ० मैं थी	हम थीं	मैं हुई थी	हम हुई थीं
म० तू थी	तुम थीं	तू हुई थी	तुम हुई थीं
अ० वह थी	वे थीं	वह हुई थी	वे हुई थीं

नोट—‘हूँ, है, हैं—था, थे, थी, थीं—होगा, होगे, होगी, होंगी इत्यादि हो धातु के रूप अन्य क्रियाओं के अंश होकर भिन्न-भिन्न कालों के रूप साधने में सहायता देते हैं, इस दशा में इन्हें सहायक क्रियाएँ

कहते हैं। जैसे—मैं खाता हूँ। मोहन खाता था। राम खाता होगा। इन उदाहरणों में 'हूँ', 'था' और 'होगा' सहायक क्रियाएँ हैं।

अभ्यास

१. सम्भाव्यभविष्यत् और विधि के रूपों में क्या भेद है ?
२. 'जावोगे, जावोगी, आवोगे, आवोगी' ये रूप त्याज्य है या नहीं ? कारण दो।
३. क्या 'जायेंगे' के समान पीना और सोना क्रियाओं के रूप भी प्रयोग में हैं ?
४. पीना धातु के रूप सम्भाव्यभविष्यत् में कहो।
५. होना क्रिया के सम्भाव्यभविष्यत् में कौन-कौन रूप अधिकतर प्रचलित हैं ?
६. 'मैं विद्यार्थी हूँ' और 'मैं विद्यार्थी होता हूँ' इन दोनों वाक्यों की क्रियाओं में कौन धातु है ?

कर्मवाच्य क्रिया

'ने' चिह्नयुक्त कर्त्ता के साथ कर्मवाच्य के रूप पीछे कहे गये हैं। ऐसे रूप केवल सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्धभूतों में उन सकर्मक धातुओं से बनते हैं, जिनके कर्त्ता में 'ने' चिह्न* आता है, परन्तु सभी सकर्मक धातुओं में एक अन्य प्रकार से भी कर्मवाच्य क्रियाएँ बनती हैं। रीति नीचे देखो।

नोट—इस दशा में जो रूप बनते हैं वे मूल धातु के कर्मवाच्य नहीं कहलाते, बल्कि 'जा' अन्तवाले यौगिक धातु के रूप कहलाते हैं।—(पण्डित रामावतार शर्मा)

रीति—सामान्यभूतकालिक रूपों के आगे काल, पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार जा (जाना) धातु के रूपों को जोड़ने से किसी भी सकर्मक धातु की कर्मवाच्य क्रिया बन जाती है।

* 'ने' चिह्न कहाँ आता है ? इसका साधारण वर्णन पीछे और विशेष वर्णन आगे देखो।

रूपावली

कर्मवाच्य—देखा जा (यौगिक)

सामान्यभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ० मैं देखा गया	हम देखे गये	मैं देखी गई	हम देखी गई
म० तू देखा गया	तुम देखे गये	तू देखी गई	तुम देखी गई
अ० वह देखा गया	वे देखे गये	वह देखी गई	वे देखी गई

नोट—नीचे लिखे रूपों के साथ उ०, म०, अ० तथा इनके सर्वनाम नहीं दिखाये गये हैं। पढ़ते समय मिलाकर पढ़ो।

आसन्नभूत

१. देखा गया हूँ	देखे गये हैं	देखी गई हूँ	देखी गई हैं
२. देखा गया है	देखे गये हो	देखी गई है	देखी गई हो
३. देखा गया है	देखे गये हैं	देखी गई है	देखी गई हैं

पूर्णभूत

१. देखा गया था	देखे गये थे	देखी गई थी	देखी गई थी
२. देखा गया था	देखे गये थे	देखी गई थी	देखी गई थी
३. देखा गया था	देखे गये थे	देखी गई थी	देखी गई थी

सन्दिग्धभूत

१. देखा गया होगा	देखे गये होंगे	देखी गई होगी	देखी गई होगी
२. देखा गया होगा	देखे गये होंगे	देखी गई होगी	देखी गई होगी
३. देखा गया होगा	देखे गये होंगे	देखी गई होगी	देखी गई होगी

हेतुहेतुमद्भूत

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
१. देखा जाता	देखे जाते	देखी जाती	देखी जातीं
२. देखा जाता	देखे जाते	देखी जाती	देखी जातीं
३. देखा जाता	देखे जाते	देखी जाती	देखी जातीं

अपूर्णभूत

१. देखा जाता था	देखे जाते थे	देखी जाती थी	देखी जाती थीं
२. देखा जाता था	देखे जाते थे	देखी जाती थी	देखी जाती थीं
३. देखा जाता था	देखे जाते थे	देखी जाती थी	देखी जाती थीं

नोट—तात्कालिक भूत में 'देखा जा रहा था—देखे जा रहे थे' 'देखी जा रही थी—देखी जा रही थीं' रूप होते हैं ।

सामान्यवर्तमान

१. देखा जाता हूँ	देखे जाते हैं	देखी जाती हूँ	देखी जाती हैं
२. देखा जाता है	देखे जाने हो	देखी जाती है	देखी जाती हो
३. देखा जाता है	देखे जाते हैं	देखी जाती है	देखी जाती हैं

नोट—तात्कालिक वर्तमान में 'मैं देखा जा रहा हूँ, हम देखे जा रहे हैं, तू देखा जा रहा है—तुम देखे जा रहे हो, वह देखा जा रहा है, वे देखे जा रहे हैं और मैं देखी जा रही हूँ—हम देखी जा रही हैं, तू देखी जा रही है—तुम देखी जा रही हो, वह देखी जा रही है—वे देखी जा रही हैं' रूप होते हैं ।

सन्दिग्धवर्तमान

१. देखा जाता होगा, देखे जाते होंगे	देखी जाती होगी, देखी जातो होगी
२. देखा जाता होगा, देखे जाते होंगे	देखी जाती होगी, देखी जाती होंगी
३. देखा जाता होगा, देखे जाते होंगे	देखी जाती होगी, देखी जाती होंगी

सम्भाव्यभविष्यत्

१. देखा जाऊँ	देखे जावें, जायँ	देखी जाऊँ,	देखी जावें, जायँ
२. देखा जावे जाये,	देखे जाओ	देखी जावे, जाये	देखी जाओ
३. देखा जावे-जाये,	देखे जावें, जायँ	देखी जावे, जाय	देखी जावें, जायँ

नोट—‘देखा जाय, देखे जायँ—देखी जाय, देखी जायँ’ अनियमित रूप भी अधिकतर प्रयोग में आते हैं ।

सामान्यभविष्यत्

१. देखा जाऊँगा, देखे जावेंगे, जायँगे	देखी जाऊँगी, देखी जावेंगी, जायँगी
२. देखा जावेगा, जायेगा	देखी जावेगी, जायेगी
देखे जाओगे	देखी जाओगी
३. देखा जावेगा, जायेगा	देखी जावेगी, जायेगी
देखे जावेंगे	देखी जावेंगी, जायँगी

नोट—‘देखा जायगा, देखे जायँगे—देखी जायगी, देखी जायँगी’ अनियमित रूप भी अधिकतर प्रयोग में हैं ।

विधिक्रिया

१. देखा जाऊँ, देखे जावें, जायँ	देखी जाऊँ	देखी जावें, जायँ
२. देखा जा देखे जाओ	देखी जा	देखी जाओ
३. देखा जावे, जाये देखे जावें, जायँ	देखी जावे, जाये	देखी जावें, जायँ

नोट—‘देखा जाय, देखे जायँ—देखी जाय, देखी जायँ, अनियमित रूप भी अधिकतर प्रयोग में हैं ।

पूर्वकालिक

आदरविधि—देखे जाइये । प्रार्थनाविधि—देखे जाइयेगा ।
परोक्षविधि—देखे जाइयो ।

(देखा जाके, देखा जाकर, देखा जा करके)

नोट—ऊपर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के जितने बहुवचन रूप आये

हैं वे आदरसूचक 'आप' के साथ नहीं आते। इसके साथ अन्यपुरुष-वाले बहुवचन रूप आते हैं। परन्तु कहीं-कहीं परिचय, बराबरी और लघुता के विचार से मध्यमपुरुषवाले बहुवचन रूप भी आते हैं। जैसे—(१) आप बैठे हैं। आप बैठते हैं। आप बैठें। आप खावें। आप लिख जायें। (२) आप सूर्यकुल के भूषण हो। आप मोल लोगे ? आप अगलों की रीति पर चलते हो।

काल और रूप-सम्बन्धी विशेष बातें

१. समीपी भूत और भविष्यत् में वर्तमानकाल का व्यवहार होता है। जैसे—

आप कब आये ? मैं अभी आता हूँ।

जो तुम कहते हो सो हम समझते हैं।

आप कब जायँगे ? मैं शीघ्र ही जाता हूँ।

तुम यहाँ बैठो; हम अभी आते हैं।

कचहरी कब खुलेगी ? बस, परसों खुलती है।

२. लेखक कभी-कभी भूतकाल के लिये वर्तमान का प्रयोग करते हैं जिसे ऐतिहासिक वर्तमान कहते हैं। जैसे—गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं—“धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परखिये चारी।”

३. धमकी आदि के अर्थ में भविष्यत् के लिये भूतकाल का प्रयोग करते हैं। जैसे—यदि बात खुली तो मारे जाओगे। बचोगे न तुम औ' न साथी तुम्हारे, अगर नाव डूबी तो डूबोगे सारे।

पूर्णभूत के लिये सामान्यभूत और आसन्नभूत की क्रियाएँ भी कभी-कभी आती हैं। जैसे—पिता की आज्ञा से रामचन्द्रजी वन गये। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है।

५. जब कहनेवाला तनिक क्रोध या उदासी से कुछ कहता है तब क्रिया का लोप हो जाता है। जैसे—जब क्रिया नहीं तब डर कैसा ? आपको इससे क्या मतलब ?

६. (क) जब सामान्यवर्त्तमानकाल की क्रिया के आगे 'नहीं' आवे तब हूँ, है हैं, इत्यादि सहायक अंशों का लोप कर देते हैं। जैसे—अब वह यहाँ नहीं आता। आप मेरे यहाँ कभी नहीं खाते।

(ख) रचना की उत्तमता के लिये और अभ्यास के अर्थ में कभी-कभी क्रिया के सहायक अंश था, थे इत्यादि को छोड़ भी देते हैं। जैसे—जब वह आता तब पैसे ले जाता। दोनों बली दिन-भर तो युद्ध करते और साँझ को घर आ एक साथ भोजन कर विश्राम (करते)। *—प्रेमसागर)

७. कभी-कभी क्रियार्थक संज्ञा में सम्बन्ध के चिह्न जोड़कर उससे भविष्यत् का अर्थ निकालते हैं। जैसे—अब वह विपत्ति की घड़ी टलने की नहीं। गया तो फिर यह नहीं मेरे हाथ आने का—(भट्टजी)

८. क्रिया के साधारण रूप के आगे—'वाला' प्रत्यय मिलाकर या यों ही विद्यमानतायोधक हो (होना) धातु के सामान्य वर्त्तमानकालिक रूप लगाने से भविष्यत् का अर्थ निकलता है। जैसे—यदि कुछ काटना है तो बोना पड़ेगा। डरो उसे जो वक्त है आनेवाला।—(भट्टजी)

अभ्यास

१. पढ़ना क्रिया के रूप सामान्यभूत में लिखो। २. 'आप' के साथ

* वाक्य-रचना में 'कर्ता और क्रिया का मेल' शीर्षक पाठ का बारहवाँ नियम देखो।

क्रियाओं के कौन रूप आते हैं ? ३. कर्म पुँल्लिग और बहुवचन हो तो देना क्रिया का रूप आसन्नभूत में कैसा होगा ?

४. नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाएँ क्या अर्थ देती हैं ?—

आप कब खायँगे ? मैं अभी खाता हूँ । शुक्रदेवमुनि राजा परीक्षित से कहते हैं । अगर नाव डूबी तो डूबोगे सारे । रामायण में गुसाईंजी ने कहा है ।

५. नीचे लिखे वाक्यों के व्यर्थ अंशों को हटा दो—

आप को इसपे क्या मतलब है ? आप उसके यहाँ कभी नहीं जाते हैं । यह बात उचित नहीं है । जब क्रिया नहीं तब डर कैसा है ?

यौगिक धातु (Derivative Verbs)

व्युत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार के धातु होते हैं—मूल और यौगिक । जो धातु किसी दूसरे शब्द से न बने वह मूल * और जो दूसरे शब्द से बने वह यौगिक कहलाता है । जैसे—‘चलना’ मूल और ‘चलाना, रँगना और चल देना’ यौगिक हैं ।

यौगिक धातु तीन प्रकार से बनते हैं—(१) धातु में :प्रत्यय मिलाने से (लिख-ना से लिखवा-ना) । (२) कई धातुओं को संयुक्त करने से (लिखना + देना = लिख दे-ना) । (३) दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोड़ने से (बात से बतियाना)

(१) धातु में प्रत्यय मिलाने से

प्रेरणार्थक (Causative Verbs)

जिस क्रिया के व्यापार में कर्त्ता पर किसीकी प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक कहते हैं । जैसे—शिक्षक विद्यार्थी से पत्र

* जो धातु हिन्दी में मूल समझे जाते हैं उनमें बहुत से संस्कृत धातुओं से बने हैं परन्तु हिन्दी में इस विचार की आवश्यकता नहीं ।

लिखवाते हैं। इस वाक्य में 'लिखवाते हैं' प्रेरणार्थक क्रिया, शिक्षक 'प्रेरक' तथा विद्यार्थी 'प्रेर्य' कर्त्ता * है।

नोट—जिस वाक्य में कर्त्ता स्वयं बिना किसी प्रेरणा से क्रिया के व्यापार को करता है उसकी क्रिया स्वार्थक कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के साथ एक से अधिक प्रेरक कर्त्ता आ सकते हैं।

जैसे—वह पुस्तक लिखती है। (स्वार्थक)

मैं उससे पुस्तक लिखवाता हूँ। (प्रेरणार्थक)

तू मुझसे, उससे पुस्तक लिखवाता है। (द्विप्रेरणार्थक)

प्रयोग में द्विप्रेरणार्थक वाक्य कम आते हैं, क्योंकि वे अच्छे नहीं लगते और उनके अर्थ भी भली-भाँति नहीं समझते। हाँ, एक प्रेरक कर्त्ता के आगे 'द्वारा' इत्यादि शब्द मिलाकर द्विप्रेरणार्थक वाक्य बोलते हैं। जैसे—तू मेरे द्वारा उससे पुस्तक लिखवाता है।

प्रेरणार्थक बनाने के नियम

नियम-सम्बन्धी बातें—

(क) आना, जाना, सकना, चुकना, रुकना और होना, इत्यादि अकर्मक धातुओं से प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं बनतीं। इनको छोड़ शेष सभी धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—ढोल बजता है—राम ढोल बजाता है—श्याम राम से ढोल बजवाता है। बेटा पुस्तक पढ़ता है—बाप बेटे को पुस्तक पढ़ाता है—बाप शिक्षक से बेटे को पुस्तक पढ़वाता है।

(ख) सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं, परन्तु खाना, पीना, पढ़ना, सुनना, देखना और समझना इत्यादि से बनी प्रेरणार्थक क्रियाएँ द्विकर्मक होती हैं। जैसे—बेटे को पुस्तक पढ़ाओ। श्रोताओं को कथा सुनाइये।

* पीछे कारक प्रकरण देखो।

नियम—

१. मूल धातु के अन्त में आ बढ़ाने से पहला और वा से दूसरा प्रेरणार्थक धातु बनाते हैं। जैसे—उठना, उठाना, उठवाना। गलना, गलाना, गलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। फिरना, फिराना, फिरवाना। बजना, बजाना, बजवाना।

(क) तीन अक्षरों के धातु में पहले प्रेरणार्थक का दूसरा अक्षर अनुच्चरित 'अ' रहता है। जैसे—भटकना, भटकाना, भटकवाना। खटकना, खटकाना, खटकवाना। पिघलना, पिघलाना, पिघलवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। बदलना, बदलाना, बदलवाना। समझना, समझाना, समझवाना।

(ख) यदि दो अक्षरों के धातु का पहला अक्षर दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व* कर देते हैं, परन्तु 'ऐ' और 'औ' ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। जैसे—जागना, जगाना, जगवाना। भागना, भगाना, भगवाना। बितना, बिताना, बितवाना। छींकना, छिंकाना, छिंकवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। लेटना, लिटाना† (लेटाना), लिटवाना। बोलना, बुलाना, + बुलवाना। ओढ़ना, उढ़ाना, उढ़वाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। औटना, औटाना, औटवाना।

नोट—(१) कुछ सकर्मक धातुओं के केवल दूसरे प्रेरणार्थक

* आ, ई, ऊ, ओ और ए के बदले क्रम से अ इ उ ब और ई लाते हैं। ऐ को कभी नहीं बदलते।

† 'लिटाना' (सुलाना), लेटाना (कीचड़ में लेटना)।

+ 'बोलना' अपने प्रेरणार्थक रूपों से भिन्न अर्थ रखता है।

बनते हैं। जैसे—गाना-गवाना, खेना-खिवाना, लेना-लिवाना, खोलना-खुलवाना, इत्यादि।

(२) कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक में एक-एक और रूप होते हैं जो प्रायः 'ओ' स्वर लेते हैं। जैसे—चुभना, चुभाना—चुभोना, चुभवाना। डुबना, डुबाना—डुबोना, डुबवाना। भीगना, भिगाना, भिगोना—भिगवाना।

एकाक्षरी धातु के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके 'ला' बढ़ाने से पहला और 'लवा' बढ़ाने से दूसरा प्रेरणार्थक धातु बनाते हैं। जीना, जिलाना, जिलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। चूना, चुलाना, चुलवाना। छूना, छुलाना, छुलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। रोना, रलाना, रलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना।

नोट—'खाना' के आदि स्वर को 'इ' से बदलकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। जैसे—खाना, खिलाना, खिलवाना।

३. कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप वैकल्पिक हैं, अर्थात् आ और ला दोनों से बनते हैं, परन्तु दूसरे प्रेरणार्थक में केवल वा लगाते हैं।

कहना, कहाना—कहलाना, कहवाना।

सूखना, सुखाना—सुखलाना, सुखवाना।

सीखना, सिखाना—सिखलाना, सिखवाना।

नोट—(१) बैठना के कई प्रेरणार्थक रूप प्रयोग में हैं। जैसे—बैठाना, बैठलाना, बिठाना, बिठलाना, बिठलवाना।

(२) 'कहना' और 'कहलाना' प्रयोग में श्रकर्मक भी है। जैसे—'दिखाना' और दिखलाना भी। जैसे—विभक्ति सहित शब्द पद कहाता है। ऐसे ही लोग मूर्ख कहलाते हैं। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई रत्नक अपना दिखलाता।

कुछ धातुओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप एक ही अर्थ देते हैं। जैसे—कटना, कटाना, कटवाना। गड़ना, गड़ाना, गड़वाना। बाँधना, बाँधाना, बाँधवाना। रखना, रखाना, रखवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। खुलना, खुलाना, खुलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। इत्यादि।

कुछ धातु वास्तव में मूल अकर्मक या सकर्मक हैं, परन्तु स्वरूप में प्रेरणार्थक से जान पड़ते हैं। जैसे—घबराना, कुम्हलाना, इठलाना, इत्यादि।

अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम

१. दो अक्षरों के धातु के प्रथमाक्षर को और तीन अक्षरों के द्वितीयाक्षर को दीर्घ करने से अकर्मक धातु सकर्मक हो जाते हैं। जैसे—लदना-लादना, कटना-काटना, मरना-मारना, टलना-टालना, गड़ना-गाड़ना, फँसना-फाँसना, कढ़ना-काढ़ना, पिसना-पीसना, पिटना-पीटना, लुटना-लुटाना, उखड़ना-उखाड़ना, सँभलना-सँभालना, निकलना-निकालना, बिगड़ना-बिगाड़ना, इत्यादि।

२. यदि अकर्मक धातु के प्रथमाक्षर में इ या उ स्वर हो तो इसे गुण करके सकर्मक धातु बनाते हैं। जैसे—घिरना-घेरना, दीखना-देखना, फिरना-फेरना, छिदना-छेदना, खुलना-खोलना, मुड़ना-मोड़ना, इत्यादि।

३. टकारान्त अकर्मक धातुओं के ट को ड में बदलकर पहले या दूसरे नियम से सकर्मक बनाते हैं। जैसे—फटना-फाड़ना, जुटाना-जोड़ना, छूटना-छोड़ना, टूटना-तोड़ना, इत्यादि।

४. कुछ अकर्मक धातुओं से सकर्मक अनियमित रूप से बनते हैं। जैसे—बिकना-बेचना, रहना-रखना, इत्यादि।

नोट—१. कई धातुओं के सकर्मक और प्रथम प्रेरणार्थक रूप भिन्न-भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे—गड़ना-गाड़ना (धरती के भीतर रखना)—गड़ना (चुभाना)। घुलना-गुलना (मिलाना)-घुलाना (गलाना)। चलना-चालना (आटा चालना)-(चलाना) (फेंकना)।

२. सकर्मक धातु 'देखना' से अकर्मक धातु 'दीखना' बनता है—जिम्का अर्थ होता है दिखाई देना या दिखाई पड़ना। जैसे—राम सुन्दर दीखता है या दिखाई पड़ता या देता है।

इच्छार्थक धातु

कतिपय धातुओं में 'वास' प्रत्यय के मिलाने से इच्छार्थक धातु बनते हैं। जैसे—बकना—बकवासना, भुकना-भुकवासना, इत्यादि।

अभ्यास

१. व्युत्पत्ति के अनुसार धातु कितने प्रकार के होते हैं ? २. यौगिक धातु कितने प्रकार से बनते हैं ? उदाहरण दो। ३. प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? ४. स्वार्थक क्रिया से क्या समझने हो ? ५. द्विप्रेरणार्थक वाक्यों में क्या भेद डालने से वे मधुर हो जाते हैं ? ६. प्रेरणार्थक बनाने के कौन-कौन नियम हैं ? उदाहरण दो। ७. किन-किन क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं बनती ? ८. अकर्मक से सकर्मक बनाने के कौन कौन नियम हैं ? ९. नीचे लिखी क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाओ—

चलना, फटना, खुलना, लदना, देना, बैठना, गाना।

(२) धातुओं को संयुक्त करने से

संयुक्त क्रिया (Compound Verbs)

जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है और नया अर्थ देती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे—खा लिया, दे दिया, घुमा-फिराकर बातें कर लीं।

व्या० चं—६

अर्थ के विचार से संयुक्त क्रियाओं के कई भेद हैं—

१. निश्चयबोधक—धातु के आगे उठना, बैठना, आना, जाना, पड़ना, डालना, लेना, देना, चलना और रहना आदि के लगाने से निश्चयबोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। ऐसी कई क्रियाओं से पूर्णता और नित्यता इत्यादि का भी बोध होता है। जैसे—बोल उठना, मार बैठना, कह आना, ले जाना, गिर पड़ना, दे डालना, ले लेना, चल देना, ले चलना, सो रहना, इत्यादि।

२. शक्तिबोधक—धातु के आगे 'सकना' मिलाने से शक्तिबोधक क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—चल सकना, उठ सकना, भर सकना, पीट सकना, बैठ सकना, दे सकना, इत्यादि।

३. समाप्तिबोधक—धातु के आगे चुकना* मिलाने से समाप्तिबोधक क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—कह चुकना, मार चुकना, इत्यादि।

४. नित्यताबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रियाओं के आगे 'करना' जोड़ने से नित्यताबोधक (पौनःपुन्य अर्थसूचक) क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—आया करना, बैठा करना, खेला करना, पढ़ा करना, देखा करना, जाया करना, इत्यादि।

५. तत्कालबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रियाओं के अन्तिम स्वर 'अ' को 'ए' करके आगे डालना या देना लगाने से तत्कालबोधक क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—कहे डालना, कहे देना, दिये डालना, दिये देना, इत्यादि।

६. इच्छाबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रियाओं के आगे चाहना लगाने से इच्छाबोधक क्रियाएँ बनती हैं। इन क्रियाओं से कुछ तत्काल व्यापार का बोध होता है। जैसे—लिखा

* चुकना अकेले भी आता है। जैसे—घर में जो अन्न आया था, अभी नहीं चुका।

चाहना, पढ़ा चाहना, गिरा चाहना, जाया चाहना या गया चाहना, इत्यादि ।

७. आरम्भबोधक—क्रिया के साधारण रूप 'ना' को 'ने' करके 'लगना' मिलाने से आरम्भबोधक क्रियाएँ बनती हैं । जैसे—पढ़ने लगना, देने लगना, इत्यादि ।

८. अवकाशबोधक—क्रिया के साधारण रूप के 'ना' को 'ने' करके पाना या देना मिलाने से अवकाशबोधक क्रियाएँ बनती हैं । जैसे—जाने पाना, जाने देना, बोलने पाना, बोलने देना, इत्यादि ।

९. परतन्त्रताबोधक—क्रिया के साधारण रूप के आगे पड़ना लगाने से परतन्त्रताबोधक क्रियाएँ बनती हैं । जैसे—लिखना-पड़ना (लिखना पड़ा), उठना-पड़ना, इत्यादि ।

१०. कुछ संयुक्त क्रियाएँ एकार्थबोधक होती । जैसे—बोलना-चालना, समझना-बूझना, देखना-भालना, चलना-फिरना, कूदना-फाँदना, मारना-पीटना, लोटना-पोटना, इत्यादि ।

अन्य शब्दभेदों के साथ भी धातु मिलते हैं । जैसे—ध्यान करना, भय खाना, अच्छा करना, बाहर करना, इत्यादि ।

नोट—(१) संयुक्त क्रियाएँ केवल सकर्मक धातुओं के मिलने से या केवल अकर्मक धातुओं के मिलने से या दोनों के मिलने से बनती हैं । जैसे—

केवल सकर्मक धातुओं के मिलने से—खा लेना, देख लेना ।

केवल अकर्मक धातुओं के मिलने से—सो जाना, उठ बैठना ।

सकर्मक और अकर्मक दोनों के मिलने से—चल देना, दे आना ।

(२) संयुक्त क्रिया के आदि खण्ड को 'मुख्य' क्रिया (Principal Verb) कहते हैं । जैसे—मैं रोटी खा लेता हूँ । वह पुस्तकें दे जाता है । इन वाक्यों में 'खा' और 'दे' मुख्य क्रिया हैं । संयुक्त क्रिया के

अन्तिम खंड का नाम 'सहायक क्रिया' (Auxiliary Verb) है। ऊपर के दोनों वाक्यों में 'लेता हूँ' और 'जाता है' सहायक क्रियाएँ हैं। ने चिह्न के प्रयोग में इस प्रधानता से विशेष लाभ नहीं। (आगे देखो)

(३) संयुक्त क्रिया के खंड करके बहुत-से विद्वान् प्रत्येक खंड अलग-अलग लिखते हैं। कुछ लोग एक ही साथ लिखते हैं।

(४) लौटा लेना की जगह लौटालना का प्रयोग भी मिलता है। ऐसे ही जागना की जगह जगना, भागना की जगह भगना, खोचा जाना की जगह खिंचना आदि भी मिलते हैं।

अतिशयार्थक धातु

कतिपय धातुओं को द्वित्व करने से अतिशयार्थक धातु बनते हैं। जैसे—जलना, जलजलाना, गोदना-गुदगुदाना, इत्यादि।

(३) दूसरे शब्दभेदों में प्रत्यय जोड़ने से

(नामधातु *)

क्रिया को छोड़ दूसरे शब्दभेदों से जो धातु बनते हैं उन्हें नामधातु कहते हैं।

नामधातु बनाने के नियम—

१. कई शब्दों में 'आ' कई में 'या' और कई में 'ला' के लगाने से नामधातु बनते हैं। जैसे—लाज-लजाना, ठंढा-ठंढाना, गर्म-गर्माना, लात-लतियाना, बात-बतियाना, मूठ-मुठलाना, इत्यादि।

२. कई शब्दों में शून्य प्रत्यय लगाने से नामधातु बनते हैं। जैसे—रँग-रँगना, गाँठ-गाँठना, चिकना-चिकनाना, इत्यादि।

३. अनियमित—दाल-दलना, चीथड़ा-चिथेड़ना।

*क्रिया के सिवा अन्य शब्दभेदों को संस्कृत में 'नाम' कहते हैं।

४. ध्वनिविशेष के अनुकरण से भी नामधातु बनते हैं। इन्हें अनुकरण धातु भी कहते हैं। जैसे—भनभन-भनभनाना, भरभर-भरभराना, छनछन-छनछनाना, टर्-टर्नाना, इत्यादि।

नोट—धातुज और नामज क्रियाओं की रूपरचना मूल क्रियाओं के समान होती है।

अभ्यास

१. संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? २. तत्कालबोधक संयुक्त क्रियाओं के चार उदाहरण दो। ३. संयुक्त क्रियाओं के अर्थ करने में कौन खण्ड मुख्य समझा जाता है? ४. एकार्थबोधक संयुक्त क्रियाओं के चार उदाहरण दो। ५. अतिशयार्थक धातुओं के चार उदाहरण दो। ६. नाम-धातुओं के बनाने के कौन-कौन नियम हैं? एक-एक उदाहरण दो।

पदच्छेद (Parsing)

क्रिया के पदच्छेद में क्रिया के भेद, वाच्य, प्रकार, काल, लिंग, वचन, पुरुष और वह शब्द जिससे क्रिया सम्बन्ध रखती है—इतनी बातें बताई जाती हैं।

उदाहरण—वह राम का नाम लेता है। राम ने श्याम को रोटियाँ खिलाई। इसके लिये जी तोड़कर उपाय करना वृथा है। राम पढ़ें तो पुस्तक देदूँगा।

लेता है—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, साधारण, सामान्यवर्तमान, पुल्लिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, इसका प्रधान कर्ता 'वह' और 'कर्म' राम है।

खिलाई—क्रिया, द्विकर्मक, कर्मवाच्य, साधारण, सामान्यभूत, स्त्रीलिंग, बहुवचन, अन्यपुरुष, इसका अप्रधान कर्ता राम, मुख्य कर्म रोटियाँ और गौणकर्म (सम्प्रदान कारक में) श्याम है।

तोड़कर—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, साधारणपूर्वगति, वर्तमानकाळ, लिंग, वचन और पुरुषरहित तथा कर्म 'जी' है।

पहले जंगल था । जब धर्म ही नहीं तो धन कहाँ से ? (ग) अनुबद्ध (जो अवधारण के लिये किसी भी शब्द के साथ आवे) । जैसे—अपना मात्र कहो, सब समझ जाऊँगा । तूने अभी खाया तक नहीं ।

रोतिवाचक के प्रयोजनवाचक, कारणवाचक, स्वीकार-वाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक और प्रश्नवाचक उपभेदों को स्वतंत्र मानकर कोई-कोई क्रियाविशेषण के नौ भेद मानते हैं ।

क्रियाविशेषणों की रचना

यौगिक क्रियाविशेषण नीचे लिखे शब्दभेदों से बनाते हैं—

(१) संज्ञा से—रातभर, दिनतक, कृपापूर्वक । (२) सर्वनाम से—यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, किसलिये, इसलिये, अब, तब, जब, कब । (३) विशेषण से—ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, कैसे । (४) धातु से—बैठते, लिये, चाहे । (५) अव्यय से—यहाँतक, भटपट, योंही ।

संयुक्त-क्रियाविशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं—

(१) शब्दों की द्विरुक्ति से—

(क) संज्ञाओं की द्विरुक्ति से—हाथोहाथ, घड़ी-घड़ी, पुर्जे-पुर्जे ।

(ख) विशेषणों की द्विरुक्ति से—एकाएक, साफ-साफ ।

(ग) अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से—पड़ापड़, सटासट, गटागट ।

(घ) क्रियाविशेषणों की द्विरुक्ति से—धीरे-धीरे, बैठे-बैठे, कभी-कभी ।

(२) भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से—

(क) दो भिन्न-भिन्न क्रियाविशेषणों के मेल से—रात-दिन, देश-विदेश ।

(ख) दो भिन्न-भिन्न क्रियाविशेषणों के मेल से—जब कभी, जहाँ-तहाँ ।

(ग) दो क्रियाविशेषणों के बीच में 'न' रखने से—कहीं-न-कहीं, जब-न-तब ।

(घ) संज्ञा और विशेषण के मेल से—एक साथ, हरदम ।

(ङ) अव्यय और दूसरे शब्द-भेदों के मेल से—यथाशक्ति, अनजाने ।

(च) पूर्वकालिक और विशेषण के मेल से—मुख्य करके, बहुत करके ।

नीचे भिन्न-भिन्न शब्दों के आगे प्रत्यय या अन्य शब्द मिलाकर यौगिक क्रियाविशेषण बनाये गये हैं—

संस्कृत—नियमानुसार, कृपया, वस्तुतः, भाग्यवश, दैववश, भाग्य-वशात्, संयोगवश, सर्वदा, कृपापूर्वक, सर्वत्र, क्रमशः, पूर्ववत्, नाममात्र, बहुधा, कदाचित्, इत्यादि ।

हिन्दी—बैठा, लिये, खाता, राततक, देखकर, पढ़करके, गया-सा, रातभर, अन्त को, इधर से, कब का, उतने में, कैसे, वहाँ, किधर, क्यों, किसलिये, कब, भरसक, अपने भर ।

उर्दू — पौरन, मसलन, जबरन, इत्यादि ।

नीचे भिन्न-भिन्न शब्दों के पहले उपसर्ग या अन्य शब्द मिलाकर यौगिक क्रियाविशेषण बनाये गये हैं *

संस्कृत—प्रतिदिन, आजन्म, निःसन्देह, अनायास, समृद्ध, यथाशक्ति, व्यर्थ, यावज्जीवन ।

हिन्दी—अनजाने, निधड़क ।

उर्दू—हरघडी, दरअसल, बदस्तूर, बेगक ।

नोट—(१) कई क्रियाविशेषणों के अन्त में 'ही' या 'ही' मिलाने से निश्चय का बोध होता है । जैसे—ज्योही, यही, कही, इत्यादि ।

* ये यौगिक शब्द अव्ययीभाव समास हैं ।

क्रियाविशेषणों की द्विरुक्ति से भी निश्चय का बोध होता है ।
जैसे—ज्यों-ज्यों, त्यों-त्यों ।

दो क्रियाविशेषणों के बीच में 'न' लगाने से अनिश्चय का बोध होता है । जैसे—कहीं-न कहीं, जब-न-तब, जहाँ-न-तहाँ ।

(२) क्रियाविशेषण के शब्द 'विशेषण और क्रियाविशेषण' के भी विशेषण होते हैं । जैसे—लगभग चागीस आम । जरा धीरे पढ़ो, इत्यादि ।

नहीं, न और मत में भेद—

(१) सामान्यवर्तमान, तात्कालिकवर्तमान, आसन्नभूत और किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं का प्रयोग होता है । जैसे—मैं नहीं खाता । वह नहीं आ रहा है । इह वर्ष मैंने आम नहीं खाया है । तुमने परीक्षा दी है ? नहीं ।

(२) दो या अधिक में किसीका निषेध जानना हो तब और 'विधि' में 'न' का प्रयोग होता है । जैसे—न धर्म, न विद्या; न धन, कुछ काम न आया । न खाया, न पिया, न कुछ बात ही की, यों ही चला गया । इसे न ले अभी । उपन्यास कभी न पढ़ना । वह पुस्तक और किसीके हाथ में न दीजियो ।

(३) ऊपर के नियमों को छोड़ अन्यत्र न और नहीं दोनों आते हैं । भेद इतना ही है कि केवल निषेध में 'न' और निषेध की निश्चयता में 'नहीं' का प्रयोग होता है । जैसे—वह न आया—वह नहीं आया ! मैं न पढ़ूँगा । मैं नहीं पढ़ूँगा ।

(४) 'मत' केवल विधि में लाते हैं । जैसे—तुम मत जाओ ।

नोट—(१) 'न' निश्चय के अर्थ में प्रश्नार्थक अव्यय है ।
जैसे—तुम तो इसी समय पढ़ लोगे न ? बोओ न, जाओगे ?

(२) 'न—न' जब समुच्चयबोधक होकर आते हैं तब पहले 'न' से 'न तो' और दूसरे से 'और न' का बोध होता है । जैसे—उसने न पढ़ा न पढ़ेगा ।

सच पूछिये तो—यह वाक्यांश क्रियाविशेषण के समान आता है ।
इसका अर्थ है सचमुच । जैसे—सच पूछिये तो मैं यह बात नहीं जानता ।

अभ्यास

१. अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दो । २. रूप के अनुसार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो । ३. प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण सहित लक्षण बताओ । ४. कैसे क्रियाविशेषणों में निश्चय का बोध होता है ? उदाहरण दो । ५. नहीं और न के प्रयोग में क्या भेद है ? उदाहरण दो । ६. 'मत' कहाँ आता है ? ७. कैसे क्रियाविशेषणों से अनिश्चय का बोध होता है ? ८. संयुक्त क्रियाविशेषण किन-किन शब्दों के मेल से बनते हैं ? उदाहरण दो । ९. पाँच ऐसे क्रियाविशेषण बताओ जो अन्य शब्दों के पहले उपसर्गों या दूसरे शब्दों के मिल्ने से बने हैं । १०. सभी शब्दभेदों से बने हुए क्रियाविशेषणों के दो-दो उदाहरण दो । ११. नीचे लिखे शब्दों से क्रियाविशेषण बनाओ—हाथ, एक, देश, शक्ति, कृपा, भय, पडा, जन्म ।

सम्बन्धबोधक (Preposition)

प्रयोग के अनुसार सम्बन्धबोधक अव्यय दो प्रकार के हैं—सम्बन्ध और अनुबद्ध ।

(१) 'सम्बन्ध'—संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं ।
जैसे—बिना, नाई, पहले, लिये, मारे, विरुद्ध, पास, इत्यादि ।
(प्रयोग—धन के बिना, नर की नाई पूजा से पहले, धन के लिये, भूख के मारे, उसके पास, इत्यादि ।)

(२) 'अनुबद्ध'—संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं ।
जैसे—तक, भर, सहित, समेत, इत्यादि । (प्रयोग—किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत, इत्यादि ।)

नोट—(१) 'सम्बन्ध' अव्ययों के पहले बहुधा सम्बन्धकारक के चिह्नों का प्रयोग होता है।

(२) ओर, तरफ, तरह, मार्फत, नाई, खातिर, अपेक्षा, जगत, बढौलत इत्यादि के पहले 'की' का प्रयोग होता है। जैसे—राम की ओर, खेत की तरफ, लडके की तरह, उसकी मार्फत, इत्यादि। (यदि संख्यावाचक विशेषण आगे रहे तो 'ओर' के पूर्व कोई-कोई 'के' भी लाते हैं। जैसे—नगर के चारो ओर)।

(३) 'परे' और 'रहित' के पहले 'से' आता है। आगे, पीछे, पहले, बाहर, ऊपर, नीचे इत्यादि के पहले 'के' के बदले 'से' भी लाते हैं।

जैसे—स्वर से परे, दोष से रहित, समय से पहले, घर से पीछे, जाति से बाहर, इत्यादि।

(४) आगे, पीछे, तले, बिना आदि कभी-कभी बिना विभक्ति के भी आते हैं। जैसे—पैर तले, पीठ पीछे, कुछ दिन आगे, घर बिना, इत्यादि।

(५) रहित, सहित, समेत, पर्यन्त इत्यादि के आगे कारको के चिह्न नहीं मिलते हैं।

(६) जब सम्बन्धबोधक अव्ययो के आगे कारकचिह्न आते हैं तब वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे—देवमन्दिर घर के आगे में है।

(७) बहुत से अव्यय क्रियाविशेषण और सम्बन्धबोधक दोनों हैं। जैसे—मैं पीछे आया (क्रियाविशेषण)। मैं राम के पीछे आया (सम्बन्धबोधक)।

व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्धबोधक अव्यय दो प्रकार के हैं—मूल और यौगिक।

(१) **मूल**—विना, पर्यन्त, नाई, समेत, पूर्वक, इत्यादि (हिन्दी में मूल शब्द बहुत कम हैं।)

(२) **यौगिक**—(ये दूसरे शब्दभेदों से बने हैं।)

(क) **संज्ञा से**—पलटे, वास्ते, और, अपेक्षा, नाम, लेखे, विशेष,

मार्फत, इत्यादि । (ख) विशेषण से—तुल्य, समान, उलटी, जबानी, सरीखा, जैसे, ऐसा, इत्यादि । (ग) क्रियाविशेषण से—ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे, इत्यादि । (घ) क्रिया से—लिये, मारे, करके, इत्यादि ।

समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunction)

जो अव्यय दो या अधिक वाक्यों को जोड़ते या अलग करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक कहते हैं—

(१) समानाधिकरण अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं । वे चार प्रकार के हैं—

(क) संयोजक—जो दो या अधिक वाक्यों का संग्रह करता है । जैसे—और, एवं, तथा, व, भी, इत्यादि ।

नोट—‘व’ यावनी शब्द है, इसका प्रयोग अच्छे लेखक नहीं करते । ‘तथा’ और शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करता है । जैसे—इस बात की पुष्टि में चटर्जी महाशय ने रघुवंश के तेरहवें सर्ग का एक पद्य और रघुवंश तथा कुमारसम्भव में व्यवहृत ‘संघात’ शब्द भी दिया है । ‘भी’ यह पहले वाक्य से कुछ सादृश्य मिलाने के लिये आता है । जैसे—कुछ माहात्म्य पर ही नहीं, गंगाजी का जल भी ऐसा ही उत्तम और मनोहर है ।

(ख) विभाजक—जो दो या अधिक से किसी एक का ग्रहण या दोनों का त्याग करता है । जैसे—वा, अथवा, किंवा, कि, या, क्या-क्या, या-या, चाहे-चाहे, न-न, न-कि, नहीं-तो, इत्यादि ।

नोट—‘कि’ का अर्थ यहाँ ‘या’ के समान है, इसका प्रयोग ब्रज-भाषा, अवधी, मैथिली आदि की कविता में होता है । जैसे—रखिहँ भवन कि लेहँ साया । ‘कि’ से कभी-कभी दो शब्दों को भी मिलते हैं । जैसे—‘यद्यपि कृपण, कि अपव्ययी ही हँ धनी मानी यहाँ ।’ ‘या-या, क्या-क्या, न-न, न-कि’ के उदाहरण—या तो इस पेड़ में फाँसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा में कूद पड़ूँगी । क्या स्त्री क्या पुरुष सब ही के मन में

आनन्द छा रहा था (प्रेम सागर) । न उसे नींद आती थी न उसे प्यास लगती थी । अँगरेज लोग व्यापार के लिये आये थे न कि देश जीतने के लिये ।

(ग) फलदर्शक—इन अव्ययों से जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है । जैसे—अतः, अतएव, इसलिये, इत्यादि ।

(घ) विरोधदर्शक—ये अव्यय वाक्य के द्वारा पहले का निषेध या अपवाद सूचित करते हैं । जैसे—परन्तु, लेकिन, मगर, पर, किन्तु, वरन्, बल्कि, इत्यादि ।

(२) व्यधिकरण अव्ययों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं । ये भी चार प्रकार के हैं—

(क) कारण बोधक*—इस अव्यय से प्रारम्भ होने-वाला वाक्य अपूर्ण का समर्थन करता है । जैसे—क्योंकि, जोकि, इसलिये कि । (प्रयोग—इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था, क्योंकि मैं संस्कृत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ ।)

(ख) उद्देश्यवाचक—इस अव्यय के पश्चात् आने-वाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य सूचित करता है । जैसे—कि, जो, ताकि, इसलिये, कि । (प्रयोग—हम तुम्हें वृन्दावन भेजना चाहते हैं कि तुम उनका समाधान कर आओ । किया क्या जाय जो देहातियों की प्राणरक्षा हो ।)

(ग) संकेतवाचक—इस अव्यय के कारण पूर्ववाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है । जैसे—कि, यदि-तो, जो-तो, चाहे, परन्तु, यद्यपि—तथापि, या, तो भी । (प्रयोग—शैव्या रोहिताश्व

*‘कारणबोधक’ को कोई-कोई व्याख्यानवाचक भी कहते हैं ।

का मृतक कम्बल फाड़ा चाहती है कि रङ्गभूमि की पृथ्वी हिलती है ।) शेष उदाहरण आगे मिलेंगे ।

(घ) स्वरूपवाचक—इसके द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है । जैसे—कि, जो, अर्थात्, यदि, इत्यादि । (प्रयोग—श्रीशुकदेव मुनि बोले कि महाराज, अब आगे कथा सुनिये । मेरे मन में आता है कि इससे कुछ पूछूँ । यही विचारो जो मथुरा और वृन्दावन में अन्तर ही क्या है ।)

नोट—समुच्चयबोधक अव्ययो के जो मुख्य वर्ग माने गये हैं उनकी आवश्यकता वाक्यविभाजन के विचार से है ।

जो अव्यय दो-दो करके एक साथ आते हैं वे नित्य सम्बन्धी कहलाते हैं । जैसे—यदि—तो, जो—तो, यद्यपि—तथापि या तो भी; इत्यादि । (प्रयोग—यदि ठंड न लगे तो यह दवा बहुत दूर तक चली जाती है । जो आप आज्ञा करें तो हम जन्मभूमि देख आवें । यद्यपि मैं वहाँ नहीं गया तथापि मैंने वहाँ का सारा वृत्तान्त सुना ।)

अन्य नित्यसम्बन्धी अव्यय—जब-तब, ज्यों-त्यों, जहाँ-वहाँ, या तहाँ, जिधर-इधर, जो भी-सो भी, अगर्चे-ताहम्, इत्यादि ।

नोट—समुच्चयबोधक अव्यय का सम्बन्ध समान शब्दों का वाक्यों इत्यादि के अन्वय में होता है । ‘श्याम’ और खाते हैं,—यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि ‘श्याम’ संज्ञा है और ‘खाते’ हैं, क्रिया । श्याम और राम खाते हैं—यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि श्याम और राम दोनों संज्ञाएँ हैं, जो एक ही क्रिया में अन्वित होते हैं ।

विस्मयादिबोधक (Interjections)

विस्मयादिबोधक अव्यय कई प्रकार के हैं—

आश्चर्यसूचक—ओहो ! ऐं ! ओफ् !

आनन्दसूचक—धन्य ! वाह ! अहा !

क्लेशसूचक—हाय ! आह ! उह ! बापरे !

अनादरसूचक—छिः ! धिक् ! फिश् ! हुश् !

स्वीकारसूचक—हूँ ! हाँ ! अच्छा !

अनुमोदनसूचक—ठीक ! वाह ! अच्छा ! भला !

सम्बोधनसूचक—हे, अरे, अरी, ऐ ।

आशीर्वादसूचक—जय हो ।

नोट—(१) दैयारे ! मैयारे ! बप्पारे ! बाप रे बाप ! इत्यादि में केवट्र ‘रे’ मात्र अव्यय हैं, परन्तु दुःख, विस्मय इत्यादि की सूचना में सभी ‘उमस्त शब्द’ अव्यय होते हैं ।

(२) “जो है सो, राम आनरे, क्या कहना है, क्या नाम करके” इत्यादि को कोई-कोई वाक्यों में बिना आवश्यकता के बोलते हैं, इनको पादपूरक (तक्रियाकलाम) कहते हैं । इनसे अर्थ में कोई भी बाधा नहीं आती, किन्तु ऐसे प्रयोग भाषा के दूषण समझे जाने हैं ।

अभ्यास

१. सम्बन्धबोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं ? २. किन-किन सम्बन्धबोधक अव्ययों के पहले ‘के’ लाते हैं ? ३. सम्बन्धबोधक अव्यय कब संज्ञा हो जाता है ? उदाहरण दो । ४. ‘पीछे’ ‘आगे’ ये शब्द क्रिया विशेषण भी होते हैं ? उदाहरण दो । ५. समुच्चयबोधक अव्ययों के कौन कौन भेद हैं ? उदाहरण दो । ६. नित्यसम्बन्धी अव्यय किसे कहते हैं ? ७. चार ऐसे वाक्य बनाओ, जिनमें नित्यसम्बन्धी अव्यय हो । ८. सम्बन्धबोधक और समुच्चयबोधक अव्ययों में क्या भेद है ? ९. विस्मयादि-बोधक अव्ययों के भेद उदाहरण सहित बताओ ।

१०. नीचे लिखे वाक्यों में शब्द-भेद को बताओ—

तुम अवश्य जाओ । मैं पीछे गया । धिक्-धिक्, ऐसा काम मत करो पशुओं को कभी न सताओ । राम और श्याम पढ़ते हैं । मैं जाऊँगा, परन्तु कुछ खाऊँगा नहीं । वाह ! मैं नहीं जाऊँगा ।

पदच्छेद (Parsing)

अव्यय के पदच्छेद में अव्यय, अव्यय के भेद और यदि अव्यय सम्बन्ध रखनेवाला हो तो सम्बन्धी शब्द—इतनी बातें लिखी जाती हैं ।

उदाहरण—हाय ! आप कहाँ जाते हैं ? अपने भाई सहित आना ।
राम और मोहन घर गये ।

हाय !—विस्मयादिबोधक अव्यय (केशसूचक) ।

कहाँ—स्थानवाचक, क्रियाविशेषण, 'जाते हैं' क्रिया की विशेषता वनलाता है ।

सहित—सम्बन्धबोधक अव्यय 'भाई' शब्द से सम्बन्ध रखता है ।

और—समुच्चयबोधक अव्यय 'राम' और 'मोहन' को मिलाता है ।

अभ्यास

नीचे दिये वाक्यों के प्रत्येक शब्द का पदनिर्देश करो—

तुम अवश्य जाओ । मैं पीछे गया । राम आगे पीछे गया । थोड़े दौड़े क्या हैं, उड़ आये हैं । लीजिये महाराज, मैं यह चला । तुम मेरी मदद पत्थर करोगे ।

शब्दांश (Prefixes and suffixes)

कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्वयं अर्थ नहीं देती, परन्तु जब वे शब्दों के साथ मिलाई जाती हैं तब सार्थक हो जाती हैं, ऐसी परतन्त्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं । जैसे—दुर्, निर्, प्र, वि, त्व, पन, वाला, ने, को, इत्यादि । ये शब्दों के साथ मिलकर सार्थक होते हैं । जैसे—दुर्जन, निर्दोष, प्रबल, वियोग, मनुष्यत्व, लड़कपन, घरवाला, राम ने, सीता को ।

शब्दांश दो प्रकार से आते हैं—(१) शब्दों के पूर्व में और (२) शब्दों के अन्त में ।

व्या० चं०—१०

जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ऊपर 'दुर्जन, निर्दोष और प्रबल' में 'दुर्', निर् और प्र' उपसर्ग हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अन्त में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ऊपर मनुष्यत्व, लड़कपन, घरवाला, राम ने और सीता को, में 'त्व, पन, वाला, ने और को' प्रत्यय हैं।

नोट— उपसर्ग और प्रत्यय अक्षर नहीं हैं, क्योंकि उनके अर्थ शब्दों के समान ही होते हैं।

☞ 'पनिहारिन की, इसमें 'हारा' 'इन' और 'की' तीन प्रत्यय हैं। यहाँ 'की' के लिये पनिहारिन, 'इन' के लिये पनिहारा और 'हारा' के लिये 'पानी' मूल शब्द है। इस उदाहरण में 'की' के बाद फिर कोई प्रत्यय नहीं ला सकते। जिन प्रत्ययों के बाद दूसरे प्रत्यय नहीं लगते उन्हें चरम प्रत्यय कहते हैं। चरम प्रत्यय लाने से शब्द का जो रूपान्तर होता है वही उसकी अन्तिम विकृति है और उसे पद कहते हैं।

नोट—चरम प्रत्यय को विभक्ति कहते हैं।

अभ्यास

१. शब्दांश किसे कहते हैं? २. शब्दांश कितने प्रकार के हैं? प्रत्येक के उदाहरण लक्षण सहित बताओ। ३. चरम प्रत्यय किसे कहते हैं? ४. पद किसे कहते हैं? ५. विभक्ति किसे कहते हैं?

(१) उपसर्ग (Prefixes)

'उपसर्ग' शब्दों के पूर्व में मिलकर उनके अर्थ बदल देते हैं। जैसे—यश—अयश, गुण—अवगुण, जय—पराजय, योग—वियोग, इत्यादि।

भिन्न-भिन्न उपसर्गों के साथ एक मूल शब्द के (विशेषकर संस्कृत के किसी धातु के) भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं। जैसे—प्रहार (मारना), आहार (भोजन), संहार (क्षय),

विहार (क्रीड़ा, खेल), परिहार (छोड़ना, त्यागना), उपहार (भेंट), व्यवहार (आचरण), इत्यादि । इन शब्दों में संस्कृत का ह (हरना) धातु है ।

कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन और कहीं चार उपसर्ग भी एक साथ लाते हैं । जैसे—वि + हार = विहार, वि + अव + हार = व्यवहार, सु + वि + अव + हार = सुव्यवहार, सम् + अभि + वि + अव + हार = समभिव्यवहार, इत्यादि ।

हिन्दी में अधिकतर संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, परन्तु कुछ हिन्दी के और दो-एक फारसी के भी हैं ।

(१) संस्कृत के बीस उपसर्ग हैं—प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निर्, दुर, अभि, वि, अधि, सु, उत्, अति, नि, प्रति, परि, अपि, उप और आङ् । *

संयोग से उत्पन्न उपसर्गों के प्रधान अर्थ या भाव उदाहरण सहित आगे लिखे जाते हैं —

प्र—अतिशय, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति या व्यवहार आदि का प्रकाशक है । जैसे—प्रबल, प्रमाण, प्रताप, प्रसिद्ध, प्रयोग, इत्यादि ।

परा—विपरीत, नाश और अनादर आदि का प्रकाशक है । जैसे—पराजय, पराभव, परास्त, पराधीन, इत्यादि ।

अप—हीनता, लघुता आदि का प्रकाशक है । जैसे—अप-यश, अपवाद, अपशब्द, अपमान, अपकार, इत्यादि ।

सम्—सहित और उत्तमता आदि का प्रकाशक है । जैसे—सन्तुष्ट, सम्बन्ध, सम्मुख, संस्कार, संस्कृत, इत्यादि ।

अनु—सादृश्य, पश्चात् और क्रम आदि का प्रकाशक है ।

जैसे—अनुरूप, अनुगामी, अनुचर, अनुपात, इत्यादि ।

* प्रपरापसमन्ववनिर्दुरभि व्यधिसुदतिनिप्रतिर्यपयः ।

उपआङ्गिर्तिर्विशतिरेऽसखे, उपसर्गविधिः कथितः कविना ॥

अव—अनादर, हीनता आदि का प्रकाशक है । जैसे—
अवज्ञा, अवगुण, अवनति, अवतार, इत्यादि ।

निर्—निषेध और राहत आदि का प्रकाशक है । जैसे—
निर्दोष, निराकार, निर्जीव, निर्भय, इत्यादि ।

दुर्—कठिनता, दुष्टता, निन्दा और हीनता आदि का प्रका-
शक है । जैसे—दुर्गम, दुर्जर, दुर्दशा, दुर्बुद्धि, दुर्मति, इत्यादि ।

अभि—अधिकता और इच्छा आदि का प्रकाशक है ।
जैसे—अभिमत, अभिप्राय, अभिमान, इत्यादि ।

वि—भिन्नता, हीनता, अमानता और विशेषण आदि का
प्रकाशक है । जैसे—वियोग, विलाप, विकार, विवरण, विहार,
विशेष, विलक्षण, इत्यादि ।

अधि—प्रधानता, समोपता और उपरिभाव आदि का प्रका-
शक है । जैसे—अधिराज, अधिपति, अव्यक्त, अधिकार, इत्यादि ।

सु—उत्तमता, सुगमता और श्रेष्ठता आदि का प्रकाशक है ।
जैसे—सुजाति, सुगम, सुयश, सुजन, सुजन्म, इत्यादि ।

उत्—उच्चता और उत्कर्ष आदि का प्रकाशक है । जैसे—
उदय, उद्गम, उदाहरण, उत्पत्ति, इत्यादि ।

अति—अतिशय और उत्कर्ष आदि का प्रकाशक है । जैसे—
अतिकाल, अतिभाव, अतिगुप्त, इत्यादि ।

नि—बहुत और निषेध आदि का प्रकाशक है । जैसे—
निरोध, निवारण, निषेध, नियोग, इत्यादि ।

प्रति—प्रत्येक, बराबरी, विरोध और परिवर्तन आदि
का प्रकाशक है । जैसे—प्रतिदिन, प्रतिशब्द, प्रतिवादो, प्रत्युत्तर,
इत्यादि ।

परि—सर्वतोभाव, अतिशय और त्याग इत्यादि का प्रकाशक
है । जैसे—परिपूर्ण, परिजन, परितोष, परिच्छेद, इत्यादि ।

* 'प्रति' सम्बन्धबोधक अव्यय भी है । जैसे—मेरे प्रति क्यों भ्रुकतेहो ?

अपि—निश्चय और छिपाव आदि का प्रकाशक है । जैसे—
अपिधान ।

उप—समीपता, लघुता और सहायता आदि का प्रकाशक है । जैसे—उपवन, उपग्रह, उपकार, इत्यादि ।

आ—सीमा, ग्रहण, विरोध, चढ़ाव और बिंचाव आदि का प्रकाशक है । जैसे—आसमुद्र, आजन्म, आदान, आगमन, आरोहण, आकर्षण, इत्यादि ।

(१) ऊपर लिखे उपसर्गों के सिवा नीचे लिखे शब्दांश भी उपसर्गवत् आते हैं ।

अ, अन्—निषेध और अभाव आदि के प्रकाशक हैं । जैसे—अपवित्र, अयश, अनादि, अनन्त, इत्यादि ।

कु—बुराई और नीचता आदि का प्रकाशक है । जैसे—कुपुत्र, कुजाति, कुपात्र, कुयश, इत्यादि ।

स—साथ, संयोग आदि का प्रकाशक है । जैसे—साकार, सप्रेम, सपत्नीक, इत्यादि ।

सह—साथ, सङ्गति आदि का प्रकाशक है । जैसे—सहगमन, सहयोगी, सहचर, इत्यादि ।

(२) हिन्दी उपसर्ग (या संस्कृत के तद्भव उपसर्ग)

अ, अन्—निषेध और अभाव के प्रकाशक हैं । जैसे—अतोल, अमोल, अजान, अपढ़, अनमिल, अनरीति, अनपढ़, इत्यादि ।

अप—हीनता, लघुता आदि का प्रकाशक है । जैसे—अपसगुन, अपयश, इत्यादि ।

नि—निषेध और अभाव आदि का प्रकाशक है । जैसे—निकाम, निडर, निकम्मा, निगोड़ा, इत्यादि ।

स—(सु)—उत्तमता, साथ आदि का प्रकाशक है । जैसे—सपूत, सजग, इत्यादि ।

क (कु)—बुराई और नीचता आदि का प्रकाशक है ।
जैसे—कपूत, कुटेव, कुढङ्गा, कुखेत, इत्यादि ।

वि—‘विना’ का प्रकाशक है । जैसे—विचारा ।

(३) उद्ग' ढंग के उपसर्ग—

ला, बे—अभाव अर्थ में आते हैं । लाचार, लापरवाह,
लासानी, बेशक, बेकार, बेशुमार, इत्यादि ।

ब, बा—अनुसार का अर्थ देता । जैसे—बदस्तूर, बजिन्स,
बाकायदा, बाजाप्ता, इत्यादि ।

हर—प्रति का अर्थ देता है । जैसे—हररोज, हरघड़ी,
हरसाल, हरजगह, इत्यादि ।

दर—में का अर्थ होता है । जैसे—दरअसल, दरहकीकत,
इत्यादि ।

अभ्यास

१. उपसर्ग शब्द को क्या करता है ? २. भिन्न-भिन्न उपसर्गों के साथ एक मूल शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाओ । ३. नीचे लिखे शब्दों में जो उपसर्ग आये हैं, उनके अर्थ लिखो । आगमन, परिपूर्ण, प्रत्युत्तर, कुपात्र, निषेध, विहार, अनुचर, प्रयोग, अवतार, दुर्जन, उत्पत्ति, अतोल, अपयश, सपूत, कपूत, बेशक, बदस्तूर, दरअसल । ४. ऊपर लिखे शब्दों के अर्थ बताओ ।

(२) प्रत्यय (Suffixes)

प्रत्यय दूसरे शब्द के अन्त में रहकर उसके अर्थ और अवस्था में परिवर्तन करते हैं । ये ‘संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय’ सभी प्रकार के शब्दों में आते हैं । जैसे—

मनुष्यत्व = मनुष्य (संज्ञा) + त्व ।

आत्मवाला = आप (सर्वनाम) + वाला ।

मन्दरता = मन्दर (विशेषण) + ता ।

लिखावट = लिख (धातु) + वट ।

आया = आ (धातु) + या ।

बाहरी = बाहर (अव्यय) + ई ।

प्रत्यय दो प्रकार के हैं—(१) वे जो धातु के अन्त में आते हैं । (२) वे जो नाम के अन्त में आते हैं । ऊपर 'वट' और 'या' पहले के तथा 'त्व, वाला, ता और ई' दूसरे के उदाहरण हैं ।

धातु के अन्त में आनेवाले प्रत्यय दो प्रकार के हैं । कृत्-प्रत्यय और क्रिया-प्रत्यय । धातुओं में जिन प्रत्ययों के लगाने से नाम बनते हैं वे कृत् और जिनके लगाने से क्रियाएँ बनती हैं वे क्रिया-प्रत्यय कहलाते हैं । ऊपर लिखावट में वट कृत्प्रत्यय है और आया में या क्रिया-प्रत्यय ।

नाम के अन्त में आनेवाले प्रत्यय भी दो प्रकार के हैं—तद्धित-प्रत्यय और कारकान्त प्रत्यय । नाम में जिन प्रत्ययों के लगाने से शब्दभेद बनते हैं वे तद्धित-प्रत्यय और जिनके लगाने से कारक बनते हैं वे कारकान्त प्रत्यय कहलाते हैं । ऊपर त्व, वाला, ता और ई तद्धित प्रत्यय हैं । ने, को इत्यादि कारकान्त प्रत्यय पीछे कारक प्रकरण में दिये गये हैं ।

नोट—(१) इस प्रकार सब मिलकर प्रत्ययों के चार भेद हो जाते हैं । कृत्प्रत्यय, क्रिया-प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कारकान्त प्रत्यय ।

(२) क्रिया-प्रत्यय और कारकान्त प्रत्यय 'चरम' प्रत्यय हैं । (पीछे शब्दाश का नोट देखो ।)

(३) धातु के अन्त में प्रत्यय लगाने से धातुज शब्द और नाम के अन्त में लगाने से नामज शब्द बनते हैं ।

कृत्प्रत्ययान्त शब्द कृदन्त भी कहलाते हैं ।

अभ्यास

१. 'प्रत्यय' शब्द को क्या करता है ? २. प्रत्यय कितने प्रकार के

है ? ३. तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ? ४. कृत्प्रत्यय किसे कहते हैं ?
५. क्या क्रिया में भी चर्म प्रत्यय होते हैं ?

धातुज शब्द धातुज नाम (कृदन्त)

१. संज्ञा

(क) भाववाचक—

प्रत्यय—०, आ, आई, आन, आप, आव, आम, ई, औनी, त, ती, न्नी, न, ना, नी, र, वट, हट, इत्यादि ।

शब्द—मार, दौड़, देख, सोच, विचार । गुजारा, घाटा, छापा, घेरा । लड़ाई, चढ़ाई, गढ़ाई, पढ़ाई । उठान, लगान । मिलाप, जुलाप । चढ़ाव, उतराव, बनाव, घुमाव । निकास, हुलास, प्यास । बोलो, हँसी । पढ़ोनी, लिखोनी, कमोनी । बचत, लागत, लगत, खपत । चढ़ती, घटती । बढ़न्ती, घटन्ती । लेन, देन, मारन, मोहन, उच्चाटन । होना, चलना । होनी, कटनी, मरनी । ठोकर । मिलावट, सजावट, दिखावट । चिल्लाहट, खुजलाहट, इत्यादि । ❀

∴ संस्कृत नियमों से बने कुछ भाववाचक शब्द जो हिन्दी में आये हैं—
प्रत्यय—अ (घञ् अच्), अन (ल्युट्), आ (अङ्), न (नङ्), ति (क्तिन्), इत्यादि ।

शब्द—प्रभाव, जय, शोक, भाव, पाक । गमन, दर्शन, शपथ, कारण, भोजन, कथन, दान, भवन । दया, क्रिया, कृपा । यत्न, प्रश्न । गति, मति, प्रगति, शक्ति, भ्रान्ति, भक्ति, नीति, रीति, विभूति, सम्पत्ति ।

नोट—शुद्ध संस्कृत शब्द को धातु और प्रत्यय से सिद्ध करना हिन्दी के व्याकरण का उद्देश्य नहीं है, किन्तु वह संस्कृत से सिद्ध होता है । यहाँ केवल बहुलता-मात्र के लिये संस्कृत के कुछ प्रत्यय और शब्द दिये गये हैं ।

नोट—“उनके देखे से जो आ जाती हैं रौनक मुँह पर; वह सम-
झते हैं कि बीमार का हाउ अच्छा है। आन सँभाले जान थी जाती,
जान बचाये आन थी जाती। एक न सँभाला तेरा सँभाला। न आये
अगर वह तुम्हारे कहे से।” इन वाक्यों में ‘देखे से’ सँभाले, बचाये,
सँभाला और कहे से’ ये पाँच कृदन्तीय भाववाचक हैं जो ‘देखने से,
सँभालने से, बचाने से, सँभालने से और कहने से’ के संक्षिप्त रूप हैं।

(ख) कर्तृवाचक *—

प्रत्यय—आ, का, इत्यादि।

शब्द—भूँजा (भूँजनेवाला, काँदू) उचक्का, झालर, इत्यादि।

नोट—कर्तृवाचक प्रत्ययान्त शब्द वास्तव में विशेषण होते हैं,
परन्तु ऊपर के शब्द प्रयोग में संज्ञाएँ हैं। (आगे देखो)

(ग) कर्मवाचक*—

प्रत्यय—०, ना, नी, इत्यादि।

शब्द—दाल। ओढ़नी। सूँघनी (एक प्रकार की वस्तु जिसको
सूँघते हैं), ओढ़नी, खैनी, पीनी, इत्यादि।

(घ) करणवाचक*—

प्रत्यय—आ, आनी, ई, री, ऊ, औटी, न, ना, नी, पा, इत्यादि।

शब्द—भूला, घोटा, डोला, जाता, लगा। मथानी। रेती,
जोती, लगी। कटारी। झाड़। कसौटी। बेलन। घोटना,
बेलना, ढकना, छनना, चलना, भरना, ढपना। घोटनी, बेलनी,
ढकनी, चलनी, करनी, कतरनी, छोलनी, सुमरनी, कुरेदनी,
खोदनी। खुरपा, इत्यादि। ❀

* कर्तृ शब्द से करनेवाले पदार्थ का, कर्म से कर्मत्व का और
करण से, जिसके द्वारा काम हो उस पदार्थ का बोध होता है।

† संस्कृत में अच्, अन् (ल्युट्) और त्र इत्यादि प्रत्ययो से करण-
वाचक शब्द बनते हैं। जैसे—कर, चरण, नयन, पत्र, स्तोत्र, शास्त्र, इत्यादि।

२. विशेषण

(क) कर्तृवाचक *—

प्रत्यय—आऊ, आक, आका, आड़ी, आलू, इया, उआ, ऊ, एरा, ऐत, ऐया, ओड़, ओड़ा, क, ककड़, टा, ना, वाला, वैया, मार, हार, हारा, इत्यादि ।

शब्द—टिकाऊ, कमाऊ । तैराक, पैराक । लड़ाका, उड़ाका । खिलाड़ी । भगड़ा लू । बढ़िया, घटिया । पटुआ । डरू, खाऊ । लुटेरा । फनैत, ठलैत । बटैया । हँसोड़ । भगोड़ा । घातक, याचक । भुलक्कड़, कुदक्कड़ । चट्टा । रोना (जैसे—रोनी सूरत) । पढ़नेवाला । पढ़वैया । मिलनसार । होनहार । राखन-हारा । इत्यादि ।

नोट—(१) आजकल 'हारा' 'हार' इन प्रत्ययो से बने हुए बहुत से शब्द प्रायः गद्य में नहीं आते । जैसे—राखनहारा, मिरजनहार, इत्यादि ।

(२) कुछ कर्तृवाचक प्रत्यय पीछे दिये गये हैं ।

(ख) भूतकालिक कृदन्त विशेषण † —

प्रत्यय—आ ।

*संस्कृत के कुछ कर्तृवाचक शब्द जो हिन्दी में आये हैं—

प्रत्यय—अक (ण्वुल्), अ (क, अण्, ट, ड), अन (ल्युट्), इन (णिन्), ता (तृच, तृन्), ट, इत्यादि ।

शब्द—कारक, पाचक, धावक, नायक, पाठक । गणक, भेदक, दायक । मालाकार, सूत्रधार, कुम्भकार । धनद, जलद, मधुप, गृहस्थ । पंकज । मदन, नंदन, नाशन, पातन, पावन, मर्दन । घराशायी । नेता, कर्त्ता, दाता, श्रोता, वक्ता, भर्ता, विजेता । वनचर, दिवाकर, निशाचर, खेचर, किकर ।

नोट—पीछे इस प्रकरण में भाववाचक की पादटिप्पणी का नोट देखो ।

† भाषा भास्कर में इनका नाम कर्मवाचक है ।

शब्द—पढ़ा, धोया, खाया, नहाया, इत्यादि । ❀

❀ कभी-कभी आ के आगे 'हुआ' भी लाते हैं । जैसे—
पढ़ा हुआ, खाया हुआ, इत्यादि ।

प्रयोग—(१) 'खाया' भुँह 'नहाया' बदन नहीं छिपता ।

(२) 'बीती, ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेय ।

(३) 'मरे' को मारतो न सूर की बड़ाई है ।

(४) ऐ 'जानी पहचानी' रातो ।

तनहाई की डरानी रातो ।

(५) 'गया' वक्त फिर हाथ आता नहीं ।

(६) 'आये हुए' को मत जाने दो ।

नोट—(१) 'आ' प्रत्यय के अर्थ में 'इत, ऊ' इत्यादि भी मिलते हैं । जैसे—थकित, जड़ित । जरू, कर्मजरू, इत्यादि ।

(२) 'औआ' प्रत्यय भी इसी अर्थ में हैं । जैसे—चढ़ौआ (चढ़ाया हुआ), बनौआ (बनाया हुआ) । जब यह 'वाला' अर्थ में आता है तब कर्तृवाचक प्रत्यय होता है । जैसे—चढ़ौआ (चढ़नेवाला), बिकौआ (बिकनेवाला) ।

*संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द बनानेवाले प्रत्यय—

प्रत्यय—'त (क्त), तव्य, अनीय, य' ये प्रत्यय 'उचित' और 'योग्य' के अर्थ भी देते हैं ।

शब्द—कृत, उक्त, दत्त, पठित, मृत, स्थित, भीत, जागर्मित, गत, आरब्ध, लिखित, अनुभूत, विजित, हृत, शिक्षित, शान्त, प्रकाशित, अनु-दित, ज्ञात । दातव्य, भवितव्य, कर्तव्य, मन्तव्य, द्रष्टव्य, । श्रवणीय, रम-णीय, ग्रहणीय, प्रशंसनीय । देय, श्रव्य, भव्य, ग्राह्य, गम्य, भोज्य, इत्यादि ।

(ग) वर्त्तमानकालिक कृदन्त विशेषण *—

प्रत्यय—ता

शब्द—पढ़ता, बहता, चलता, नहाता, दौड़ता । †

कभी-कभी 'ता' के आगे 'हुआ' भी लाते हैं । जैसे—

पढ़ता हुआ, दौड़ता हुआ, इत्यादि ।

प्रयोग—बहता पानी निर्मला बंधा गन्दा होय !

बहती गङ्गा में हाथ धो लो ।

चलती गाड़ी उलट गई ।

दौड़ता हुआ घोड़ा अड़ गया ।

३. अव्यय

(क) भूतकालिक और वर्त्तमानकालिक विशेषण क्रिया इत्यादि को विशेषता बतलाने के कारण अव्यय भी हो जाते हैं । ऐसे अव्यय द्वित्व होकर अधिकतर आते हैं, परन्तु अकेले कम । जैसे—

(१) बैठे-बैठे दिन नहीं कटता ।

(२) लड़का दौड़ते-दौड़ते थक गया ।

(३) लड़की दौड़ते-दौड़ते थक गई ।

(४) इस जीव को शरीर में न तो किसीने आते देखा न जाते ।

(५) ईश्वर की माया को लोग सोचते और विचारते ही रहे, पर आज तक उसका भेद किसीने नहीं पाया ।

(६) थक मई में दुःख सहते-सहते, थक गये आँसू बहते-बहते ।

उठते-बैठते रोका सबको, सोते-जागते टोका सबको ।

* भाषाभास्कर आदि कई व्याकरण ग्रन्थों में इसका नाम क्रियाद्योतक है ।

† संस्कृत धातुओं में 'ता' की जगह शतृ (अत्) और शानच् (आन, मान) प्रत्यय आते हैं । जैसे—हसत्, धावत्, शयान, वर्त्तमान, वर्द्धमान, क्रियमाण, इत्यादि । हिन्दी में शतृप्रत्यान्त शब्द कदाचित् ही प्रयुक्त होते हैं ।

(७) तेरे आते ही आते काम आखिर हो गया ।

(ख) क्रिया का पूर्वकालिक रूप भी अव्यय का अर्थ देता है । जैसे—नन्दजी से मिल कुशलक्षेम पूछ कहने लगे । वह पूछके आता है । मैं खाकर जाता हूँ । मैं खाकर के जाता हूँ ।

नोट—इये, इयेगा, इयो और ना (केवल विधि में) प्रत्ययान्त क्रियाएँ अविकारी हैं, क्योंकि उनमें लिङ्ग, वचन, पुरुष के कारण कोई विकार नहीं होता । जैसे—चाहिये, खाइये, बैठियेगा, चलियो । लगा कहने चउ भाग रे फिर न आना मियाँ मैं भी चलता हूँ टुक रह के जाना ।

(२) संस्कृत के जितने तत्सम और नद्वय शब्द हिन्दी में आये हैं उनमें अधिकांश शब्द धातुज हैं । हिन्दी व्याकरण में केवल उन्हीं शब्दों को धातुज मानना उचित जान पड़ता है जो खाना, पीना, करना इत्यादि के समान हिन्दी क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हों, नहीं तो लुहार (लोहकार) का अपभ्रंश लोहकर्म पूर्व में रहते कृ धातु से अण् (प्रत्यय) और मुनार इत्यादि शब्दों को भी कृदन्त में गिनना पड़ेगा, जो हिन्दी भाषा के लिये एक भारी खटक है ।

धातुज धातु और क्रियापद

पीछे क्रियाप्रकरण में इन्हीं दोनों के विस्तृत वर्णन दिये गये हैं ।

अभ्यास

१. हिन्दी व्याकरण में किन शब्दों को धातुज मानना उचित है ? क्यों ? २. धातुज प्रत्ययों से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं ? एक-एक उदाहरण दो । ३. क्या जातिवाचक संज्ञाएँ भी धातुज प्रत्ययों से बनती हैं ? उदाहरण दो । ४. धातुज अव्ययों के पाँच उदाहरण दो । ५. 'पढ़ता मुग्गा उड़ गया ।' इसमें 'पढ़ता' किस प्रकार का विशेषण है ? ६. धातुज

* पीछे विधि-क्रिया की पादटिप्पणी देखो ।

प्रत्ययों से बनी कर्तृवाच्य संज्ञाओं के पाँच उदाहरण दो । ७. कर्तृवाच्य के किन-किन प्रत्ययों का प्रयोग आजकल की हिन्दी में नहीं होता ? ८. करणवाचक 'आ' और 'ई' प्रत्ययों से बनी संज्ञाओं को बताओ ।

९. नीचे लिखे वाक्यों में कौन-कौन शब्द, किन-किन कृत प्रत्ययों से और किन-किन अर्थों में बने हैं ?

पढ़ता सुग्गा उड़ गया । उठते-बैठते रोका सबको, सोते-जागते टोका सबको । दाता से बिना दिये रहा नहीं जाता । गया वक्त फिर हाथ आता नहीं । खैनी मत खाओ । झालर हटा दो । आन सँभाले जान थी जाती, जान बचाये आन थी जाती । सब ही से मिल बोलना, मीठे-मीठे बोल । मीठी बोली बोलकर बनो यार अनमोठ । उसकी निशानियाँ और यादगारें सैंत-सैंतकर रखते थे । बहुतेरे ने उसकी रीस से गुलबन्द बाँधना छोड़ दिया । हरी-भरी वर वृक्षाली, लिये फूलों की है डाली । ओके आ-आकर किन्हे, हाथ चूमते हैं इसके ।

नामज शब्द

तद्धित प्रत्ययान्त शब्द

१. संज्ञा

(क) भाववाचक—

प्रत्यय—आ, आई, आना, आपा, आस, इख, इत, ई, ठी, डा, त, नी, पन, हट, गी, इत्यादि ।

शब्द—आपा । बुराई, भलाई । ठिकाना । बुढ़ापा, सुघरापा । मिठास, खटास । कालिख । अपनाइत । गर्मी, सर्दी । कनैठी । दुखड़ा । रंगत, संगत । चाँदनी । लड़कपन, बचपन । चिकना-हट, रुखराहट । जिन्दगी, बन्दगी, गन्दगी, ताजगी, रंजगी, मर्दानगी ('गी' प्रत्यय फारसी है), इत्यादि ।

संस्कृत-प्रत्यय—अ (अण्), इमा (इमन्), ता, त्व, य, इत्यादि ।

संस्कृत-शब्द—शैशव, लाघव, गौरव । लघिमा, गरिमा, लालिमा, महिमा । गुरुता, सुन्दरता, प्रभुता । गुरुत्व, सुन्दरत्व, प्रभुत्व, लघुत्व । आलस्य, चाञ्चल्य, माधुर्य, इत्यादि ।

(ख) ऊनवाचक (लाघवार्थक) *—

प्रत्यय—आ, वा, ई, क, चा, टा, डा, डी, या, री, ली, इत्यादि ।

शब्द—पिलुआ, नौआ । बचवा, चमरवा । रस्सी, कटोरी । ढोलक, खुर्दक, बालक, तुपक । बगीचा, सन्दूकचा । रोंगटा । जोगड़ा, टुकड़ा । पलंगड़ी, टँगड़ी, खलड़ी । खटिया, डिबिया, कुतिया । कोठरी, छतरी । खटुली, बटुली । इत्यादि ।

(ग) कर्तृवाचका—

प्रत्यय—आर, इया, ई, उआ, रा, वन, बाल, वाला, हारा, गर, गार, ची, दार, इत्यादि ।

शब्द—सुनार, लुहार, कुम्हार । अढ़तिया, मखनिया । भण्डारी, कोठारी, तेली । मल्लुआ । सँपेरा, कसेरा । दंतवन । कोतबाल । गाँववाला, अगरवाला । चुड़िहारा ।

कलईगर, कारीगर, जरगर । यादगार । खजानची, मशालची । जमोदार । इत्यादि । (इनके उर्दू ढंग के प्रत्यय हैं) ।

नोट—कर्तृवाचक प्रत्ययान्त शब्द वास्तव में विशेषण हैं, परन्तु ऊपर के शब्द प्रयोग में संज्ञाएँ हैं । (आगे देखो) ।

* ऊनवाचक से (ऊनता या छोटेपन) का बोध होता है ।

† तद्धितार्थ कर्तृवाचक से किसी पदार्थ का बनानेवाला, रखनेवाला आदि आशय है ।

(घ) सम्बन्धवाचक *--

प्रत्यय—आल, औली, औटी, जा, ठी. डा, रा, ल, हर, आना, ई, का, ची, इत्यादि ।

शब्द—ससुगल, ननिहाल । कठौती । हथौटी । भतीजा, भांजा । अँगूठी । मुखड़ा, नाकड़ा । कठरा, मगरा, ककहरा । पीतल, नकेन । खँड़हर, दोहर ।

जुर्मांना, तलवाना, नजराना, बयाना, दस्ताना । आदमी, मिर्जई । एका, मैका । घड़ौची, दुमची । पानदान, गुलदान, जुजदान, कलमदान, शमादान, इत्यादि (इनमें उर्दू ढंग के प्रत्यय हैं) ।

संस्कृत के कतिपय शब्दों के आदि स्वरों की वृद्धि करने से अपत्यवाचक शब्द बनते हैं जो सम्बन्धवाचक ही के अन्तर्गत हैं । जैसे—वैष्णव, दानव, मानव, इत्यादि ।

नोट—(१) ये शब्द संज्ञाप्रयोग में हैं, परन्तु बहुत-से सम्बन्धवाचक प्रत्ययों से विशेषण बनते हैं । (आगे देखो)

(२) किसी-किसी ने रत्रीवाचक तद्धित भी माना है । जो सम्बन्धवाचक के ही अन्तर्गत है । जैसे—यति से पत्नी, शिव से शिवा, इत्यादि ।

२. गुणवाचक (विशेषण)

(१) **प्रत्यय**—आ, आरन, आहा, ई, ऊ, एरा, ऐ, ऐया, ऐता, ऐला, ओ, ओं, का, टा, तना, था, ना, रा, ल, ला, वार, वाश, वाँ, मा. हर, हरा, हा, इत्यादि ।

शब्द—ठंढा, भूखा, निगोड़ा, कुवड़ा । गोबराइन, घिनाइन । दखिनाहा, उतराहा । कई । पेटू, घरू बाजारू, गर्जू ।

* किसी पदार्थ का सम्बन्धी भी कर्तृवाचक है, परन्तु इसको हमने सम्बन्धवाचक नाम से एक अलग ही भेद मान लिया है । यदि कोई इसे कर्तृवाचक ही गिन ले तो भी कोई विशेष आपत्ति नहीं ।

चचेरा, फुफेरा, ममेरा । जै, कै, तै । घरैया, बनैया । नचैत, लठैत । बनैला, विपैला । बीसो, पचीसो । बीसों, पचीसों । मायका । छठा । इतना, उतना । चौथा । अपना । दूसरा, तीसरा । बिगड़ैल, खपड़ैल । अगला, पिछला, पहला, सुनहला । दिल्लीवाल, काशीवाल । रामवाला, आपवाला । पाँचवाँ, बारहवाँ । आप-सा, आग-सा, ऐसा, वैसा । छुतहर, सुनहरा, रुपहरा, इकहरा, दुहरा । भुतहा, पैसाहा । इत्यादि ।

(२) उर्दू ढंग के प्रत्यय—आना, गीन, नाक, बान, मन्द, वर, सार, शाही, गार, दार, बाज, इत्यादि ।

शब्द—दोस्ताना, सालाना । गमगीन । दर्दनाक, खौफनाक । निगहबान, मिहरबान । अकलमन्द, दौलतमन्द । ताकतवर, कूबतवर । खाकसार । आपशाही, नादिरशाही । मददगार । मजेदार । दगाबाज । इत्यादि ।

(३) संस्कृत-प्रत्यय—आन्, इक, इत, इष्ट, ई, ईष्ट, तन, तम, तर, तीय, थ, म, मान्, ल, वत्, लान, बी, इत्यादि ।

शब्द—दयालु, कृपालु । मानसिक, सामाजिक । आनन्दित, दुःखित, पुलकित । गरिष्ठ, कनिष्ठ, श्रेष्ठ । धनी, गुणी, रामानन्दी । भारतीय, स्वर्गीय । पुरातन । लघुतम, प्राचीनतम । लघुतर, अधिकतर । द्वितीय, तृतीय । चतुर्थे, षष्ठ । पञ्चम, सप्तम, अष्टम । श्रीमान्, बुद्धिमान् ॥ शीतल, श्यामल, वत्सल । चन्द्रवन, पुत्र-वत् । गुणवान, दयावान, ज्ञानवान । मायावी, यशस्वी, तेजस्वी ।

३. सर्वनाम

प्रत्यय—स, ना ।

शब्द—आम, अपना ।

* संस्कृत का मनुप् (मान्, वान्) प्रत्यय तद्धित में और ज्ञानच् (आन, मान) कृदन्त में आता है । मनुप् प्रत्ययान्त शब्द का अन्त्य न हलन्त होना है; परन्तु ज्ञानच् का नञी । विद्यार्थियों को इस भेद पर ध्यान रखना चाहिये ।

व्या० चं०—११

४. अव्यय

आँ, ए, ओं, तक, न, ब, भर, यों, सों, वॉ, हॉ, इत्यादि ।

शब्द—वहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ । ऐसे, कैसे, जैसे । कोसों, मुद्दतों, पहरों, घंटों । घरतक, हालतक, भीतरतक । दूधन, पूतन, मुसलन, मुश्किलन, जव्रन* । अब, तब, जब, कब । घरभर, रातभर । यों, त्यों, ज्यों, क्यों । परसों, तरसों, नरसों, अतरसों । बारहवाँ । अक्सरहाँ । इत्यादि ।

संस्कृत-प्रत्यय—इन, चित्, तः, त्र, था, वा, दा, धा, शः, इत्यादि ।

शब्द—मुखेन, येन केन प्रकारेण । कदाचित्, किञ्चित्, क्वचित् । प्रथमतः । साधारणतः । एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र । यथा, अन्यथा, सर्वथा । एकदा, सर्वदा । द्विधा, बहुधा । क्रमशः, अल्पशः, शतशः । इत्यादि ।

क्रिया

पीछे क्रिया-प्रकरण में नामज धातु देखो ।

नोट—(१) पीछे लिङ्ग-परिवर्तन के नियमों में आये हुए तथा और-और स्थानों के कई प्रत्यय तद्धित हैं ।

(२) यहाँ जितने प्रत्यय बताये गये हैं वे बहुत ही थोड़े हैं । हिन्दी में सैकड़ों प्रत्यय हैं जिनमें अधिकतर-संस्कृत के शुद्ध या बिगड़े हुए हैं । फारसी इत्यादि अन्य भाषाओं के प्रत्यय भी थोड़े से आये हैं ।

(३) जो प्रत्यय नहीं बताये गये हैं उन्हें परीक्षा द्वारा स्वयं जाँच लेना चाहिये । जैसे—‘बबुआ’ इस शब्द की परीक्षा से जान पड़ता है कि इसमें आलाववाच्य प्रत्यय है, क्योंकि वह बाबू शब्द से बना है ।

(४) किसी शब्द के परे एक ही अर्थ में एक बार दो प्रत्ययों का लगाना अशुद्ध है । जैसे—ऐक्यता, धैर्यता । (ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं, इनके बदले ऐक्य और धैर्य या एकता और धीरता लिखना उचित है । यही बात कृतप्रत्ययों के साथ भी है ।)

*आगे कारकान्त-प्रत्ययों के वर्णन में ‘से’ का पाठ देखो ।

अभ्यास

१. हिन्दी व्याकरण में किन शब्दों को नामज मानना उचित है ?
 २. नामज प्रत्ययो से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं ? एक-एक उदाहरण दो ।
 ३. नामज सर्वनाम कौन-कौन हैं ? ४. क्या जातिवाचक संज्ञाएँ भी नामज प्रत्ययो से बनती हैं ? उदाहरण दो ।
 ५. नामज अव्ययों के पाँच उदाहरण दो ।
 ६. नामज प्रत्ययो से बनी कर्तृवाचक संज्ञाओं के पाँच उदाहरण दो ।
 ७. किसी शब्द के परे एक ही अर्थ में एक बार दो प्रत्ययो को ला सकते हैं या नहीं ?
 ८. 'आलस्यता, ऐक्यता, धैर्यता' इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं ? क्यों ?
 ९. नीचे लिखे वाक्यों में कौन-कौन शब्द किन-किन तद्धित-प्रत्ययो से किन-किन अर्थों में बने हैं ?

किसीकी बुराई मत सोचो । रंगत अच्छी नहीं जान पड़ती ।
 को तुम श्यामल गौर शरीरा । आलस छोड़ करो पुरुषार्थ । प्रभुता पाइ
 काहि मद नाही । रोंगटे खड़े हो गये । भण्डारी से सीधा ले लो । मिर्जई
 पहन लो । फिर जब विरुद्ध पक्षवाला इसका चुटीला उत्तर देता था
 और चियेडने लगता था तब पूरब के सूर्य को पश्चिम में उगवा देना
 था । इसमें जब एक आदमी खड़ा होकर कोई वक्तृता करता तब इधर
 की दुनियाँ उधर हो जाती थी ।

कारकान्त-प्रत्यय (Case-endings)

शून्य चिह्न

‘शून्य’ चिह्न नीचे लिखी अवस्थाओं में आता है—

१. उक्त कर्ता में । जैसे—मोहन आया । महाराज बोले ।
 वह तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूल गये । सीता एक ग्रन्थ
 लाई । वह पीछे हो लिया । श्रीकृष्ण मथुरा चल दिये । निकल
 आओ कि अब मारता है बूढ़ा ।

२. उक्त कर्म में । जैसे—मैंने रोटी खाई । रावण से सीता हरी गई । यों ही रात सारी उन्होंने गँवाई ।

३. द्विकर्मक क्रिया के जब दोनों कर्म रहें तब मुख्य कर्म में । जैसे—उसने नंगों को वस्त्र दिये । मैंने उसे एक रीति सिखाई । हमको चालें बतायगा अब कौन ?

४. विधेयभाव में । जैसे—लड़की सूखकर काठ हो गई । आपने उसे आदमी समझा है ?

५. सम्बोधन में । जैसे—छिपे हो कौन से पर्दे में बेटा !

नोट—बहुवचन में चिह्न-संस्कार के अनुसार अर्द्धानुस्वार रहित ओ या यो लाते हैं । जैसे—हे बेटो !

६. किसी शब्द के केवल अर्थ मात्र में और लिङ्ग, वचन, परिमाण, संख्या या दर इत्यादि के अर्थ में । जैसे—बालक, सुन्दर, घोड़ियाँ, घोड़े, एक मन चावल, चार, दो रुपये सेर मिठाई, इत्यादि ।

७. किसी-किसी क्रियाविशेषण में । जैसे—न खाया, अच्छा ही हुआ ! हो चुका भला चलो भी तो । बेढब पड़ा हुआ है, भगड़ा इधर-उधर ।

ने

‘ने’ चिह्न नीचे लिखी अवस्था में आता है*—

(क) अनुक्त कर्ता में अर्थात् सकर्मक क्रियाओं के सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतकालों में कर्ता के आगे । जैसे—मैंने रोटी खाई । बच्चों ने पेड़े खाये हैं । रानियों ने सखियों को बुलवाया था । राम ने पुस्तक पढ़ी होगी ।

* ने चिह्न नीचे लिखी अवस्थाओं में नहीं आता—

उक्त कर्ता में अर्थात्—

अपवाद—

१. भूलना क्रिया के कर्त्ता में 'ने' चिह्न का प्रयोग नहीं होता ।
जैसे—आप वह प्रतिज्ञा न भूले होंगे । वह तो भूले थे हमें हम भी उन्हें
भूल गये । बुद्धिमती माँ का उपदेश गारफील्ड कभी न भूले ।

नोट—‘लाना’ क्रिया के लिये नीचे की टिप्पणी देखो ।

२. बोलना, समझना, बकना, जनना, सोचना और पुकारना—
इन क्रियाओं के कर्त्ता ‘ने’ चिह्न विकल्प से लेते हैं ।

बोलना—महाराज बोले (प्रेमसागर)

(क) अकर्मक क्रिया के कर्त्ता में ‘ने’ चिह्न कभी नहीं आता ।
जैसे—वह आया । मैं गया हूँ । राम सोया था ।

(ख) सकर्मक ‘भूलना’ क्रिया के कर्त्ता में ‘ने’ चिह्न का प्रयोग नहीं
होता तथा ‘बोलना, समझना, बकना, जनना, सोचना और पुकारना’ में
विकल्प से होता है (उदाहरण ऊपर देखो) ।

(ग) सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्धभूत भिन्न सभी कालों
की सकर्मक क्रियाओं के कर्त्ता ‘ने’ चिह्न रहित होते हैं । जैसे—मैं भात
खाता था । राम पुस्तक पढ़ता है ।

(घ) एक, अधिक या सब खण्ड अकर्मकवाली संयुक्त क्रियाओं के
कर्त्ता ‘ने’ चिह्न रहित होते हैं । जैसे—मैं एक पुस्तक लाया । श्याम पीछे
हो गया । राम पढ़-लिख चुका । सीता सो गई ।

नोट—‘लाना’ क्रिया ‘ले’ धातु और ‘आना’ के योग से बनी है । पहले
इसका रूप लाना था, पर बाद लाना हो गया (पं० अ० प्र० बाजपेयी)

अपवाद—संयुक्त अकर्मक क्रिया का अन्तिम खण्ड डालना हो तो
सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतकालों में कर्त्ता के आगे ‘ने’
चिह्न सदा आता है । परन्तु यदि अन्तिम खण्ड देना हो तो विकल्प से आता
है । (उदाहरण पाठ में देखो) ।

(ङ) नित्यताबोधक सकर्मक संयुक्त क्रिया का कर्त्ता ‘ने’ चिह्न कभी
नहीं लेता । (उदाहरण पाठ में देखो) ।

(कर्म लुप्त रहने पर वह झूठ बोला । (पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी)
 'ने' लुप्त रहता है, रामचन्द्रजी ने झूठ नहीं बोला । (रामजीलालशर्मा)
 परन्तु कर्म के साथ उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला । (बाल विनोद)
 कोई-कोई लाते हैं) उसने कई बोटियाँ बोझीं । (पं० अ० प्र० बाजपेयी)

समझना—हमने तुम्हारी बात नहीं समझी ।

हम तुम्हारी बात नहीं समझे ।

हम को समझा है दिल में क्या तूने ।

हम न समझे कि यह आना है या जाना तेरा । (भट्ट)

बकना—तुम बहुत बके ।

तुमने बहुत बका । (पं० अम्बिकादत्त व्यास)

जनना—भैंस पाडा जनी ।

भैंस ने पाडा जना । (पं० अम्बिकादत्त व्यास)

बकरी तीन बच्चे जनी । (पं० केशवराम भट्ट)

चित्रांगदा ने तुम्हे जना । (लाला भगवानदीन)

आमन्त्रित कर सूर्यदेव को मैंने मन मे ।

मन्त्रशक्ति से तुम्हे जना था पिताभवन मे ॥

—(श्री मैथिलीशरण गुप्त)

सोचना—उसने यह बात सोची ।

वह यह बात सोचा । (पं० केशवराम भट्ट)

पुकारना—पूतना पुकारी (पं० केशवराम भट्ट)

(कर्म लुप्त रहने | चौबदार पुकारा करा खों ! निगाह ह्वरू ।

पर 'ने' भी लुप्त | (राजा शिवप्रसाद)

रहता है, नहीं तो सत्पुरुषों ने जिसको बारंबार पुकारा, अच्छा है ।

नहीं—(भट्ट) | जिसने गली में तुझको पुकारा (पं० केशवरामभट्ट)

३. सजातीय कर्म लेने के कारण जो अकर्मक क्रिया सकर्मक हो जाती है उसके कर्त्ता के आगे 'ने' चिह्न नहीं आता, परन्तु कोई-कोई

ऐसी कुछ क्रियाओं के साथ सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्धभूत-
कालों में 'ने' चिह्न लाते भी हैं । जैसे—

सिपाही कई लडाइयाँ लड़ा ।

वह शेर की बैठक बैठा । (पं० कामता प्रसाद गुरु)

मैं क्रिकेट खेला । (पं० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी)

उसने टेढ़ी चाल चली ।

मैंने बड़े खेल खेले हैं ।

उसने चौपड़ खेली । (पं० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी)

४. छीकना, नहाना, खाँसना और धूकना इन चार अकर्मक क्रियाओं में भी उपर्युक्त चारों कालों में 'ने' चिह्न का प्रयोग मिलता है । जैसे—
तुमने क्यों छोका ? हमने नहाया । उसने खाँसा । मैंने धूका ।

(ख) सब खण्ड सकर्मकवाली संयुक्त क्रिया के कर्त्ता के आगे सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतकालों में 'ने' चिह्न आता है । जैसे—मोहन ने ग्रन्थ को देख लिया । मैंने उत्तर दे दिया था ।

अपवाद—नित्यनावोधक*सकर्मक संयुक्त क्रिया का 'कर्त्ता' 'ने' चिह्न कभी नहीं लेता ।

वे बार-बार गिना किये, हाथ कुछ न लगा । (भारतेन्दु)

वह रात भर बैठे-बैठे पढ़ा किया ।

वह चित्र-सी चुपचाप खड़ी मुना की । (पं० अम्बिकादत्त व्यास)

पाण्डव इस दृश्य को सामने बैठे देखा किये । (बाळभारत)

वह तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूल गये ।

हजरत भी कल कहेंगे कि हम क्या किया किये । (पं० केजवराम भट्ट)

(ग) संयुक्त अकर्मक क्रिया का अन्तिम खण्ड 'डालना' हो तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सन्दिग्ध भूतकालों में कर्त्ता

के आगे 'ने' चिह्न सर्वदा आता है, परन्तु यदि अन्तिम खण्ड 'देना' हो तो विकल्प से आता है। जैसे—

उसने रातभर जाग डाला। (पं० अम्बिकादत्त व्यास)

जब मानसिंह चढ़ आये तब पठानों की सेना चल दी।

(पं० केशवराम भट्ट)

श्री कृष्ण मथुरा चल दिये। (प्रेम्सागर)

मैं अपना-सा मुँह लेकर चल दिया। (विद्यार्थी)

उसने रात-भर जाग दिया (पं० अम्बिकादत्त व्यास)

अपवाद—

‘मुस्कुरा देना, हँस देना और रो देना’ क्रियाओं के कर्त्ता ‘ने’ चिह्न कभी नहीं छोड़ते। जैसे—मोहन ने नारद को देखकर मुस्कुरा दिया। जब वह आये, धार ने हँस दिया। मुक़्दर ने रो दिया हाथ मलकर।

(पं० केशवराम भट्ट)

नोट—अनुक्त कर्त्ता में ‘से’ इत्यादि चिह्न भी आते हैं।

(घ) संकेत में संयुक्त क्रिया के अन्त में होना का हेतुहेतुमद्भूत रूप ‘ने’ चिह्न के साथ भी प्रयुक्त होता है। जैसे—

यदि राम ने पढ़ा होता तो अवश्य सफल होता।

यदि भैया आये थे तो आपने उन्हें रोक लिया होता।

को

‘को’*चिह्न नीचे लिखी अवस्थाओं में आता है—

१. अनुक्त कर्म में। जैसे—आमों को खाता है। तारों को देखता है। फलों को बटोरता है। राम उसे पहचानता है। मैंने ब्राह्मण को सताया है।

नोट—अप्राणिवाचक तथा धृज्जन्तवाना कर्मों के साथ बहुधा ‘को’ चिह्न का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे—मैं आम खाता हूँ। वह तारे गिनने लगा। उसने जुगनू देखा।

* सर्वनाम के ‘को’ के बदले कहीं-कहीं ‘ए’ भी लगाते हैं। सम्प्रदान अर्थ में ‘के लिये’ भी आता है। ‘ए’ के प्रयोग में ऊपर के सभी नियम और ‘के लिये’ के प्रयोग में सम्प्रदान अर्थवाले नियम लगते हैं।

२. व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक और व्यापार कर्तृवाचक में। जैसे—राम का पढ़ने दो। मालिक को समझाना। सिपाही को बुलाओ। वह अपने नौकर को कभी नहीं मारता।

३. गौणकर्म या सम्प्रदान कारक में। जैसे—पूतना, कृष्ण को दूध पिलाने लगी। भला वह किसीको मुँह दिखावेगी ! तूने मुझे क्या कहा ? मैंने उसको पुस्तक खरीद दी। उसने नंगों को वस्त्र दिये।

४. आना, छजना, पचना, पड़ना, भाना, मिलना, रुचना, लगना, शोभना, सुहाना, सूझना, होना और चाहिये इत्यादि के योग में। जैसे—उन्हें याद आती है आपकी बातें। आपको टोपी नहीं छजती। उसको भोजन नहीं पचता। दिल को कल नहीं पड़ती। उसको क्या पड़ा है, बिगड़ता है मेरा। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेर तू। मुझे प्यारे के बिछोह में कुछ नहीं भाता। मुझे अपना स्वत्व कब मिलेगा ? आपको क्या रुचता है, भात या रोटी ? बच्चों को मिठाई बहुत रुचती है। अपना घर सभी को भला लगता है। मुझे यह चाल नहीं शोभती। तुम्हारी बात मुझे कुछ नहीं सुहाती। आपको क्या सूझी है। तुम्हें अठगेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। यशोदा को लड़की के होने की भी सुध न थी। क्या मुझे आपसे कुछ भी लगाव नहीं है ? आपको सवेरे उठना चाहिये।

५. निमित्त, आवश्यकता और अवस्थाद्योतन में। जैसे—राम हमसे मिलने को आये थे। वे स्नान को गये हैं। भोजन बनाने को सीधा तौलते हैं। इसीको देखने को मैं बचा था। अब मुझको पढ़ने जाना है। तुझको वहाँ फिर आना होगा। उसको अपना पाठ सीखना है। उसको कल रोते-रोते बीता।

६. योग्य, उपयुक्त, उचित, आवश्यक, प्रणाम, नमस्कार, धिक्कार और धन्यवाद आदि तथा इनके अर्थवाची और-और शब्दों के योग में। जैसे—यह आपको योग्य नहीं। क्या यह उसको उपयुक्त है? स्वच्छ वायु सेवन आपको उपयोगी होगा। ऐसा करना आपको उचित नहीं। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य रखना उचित है। मुझको जाना आवश्यक है। पंडित जी को प्रणाम। ऐसी स्वतन्त्रता को नमस्कार। पापी को धिक्कार। मूठे को फटकार। आपको धन्यवाद।

नोट—निमित्तबोधक क्रिया के बाद 'को' चिह्न नहीं भी लगता है। जैसे—वह पढ़ने जाता है। मैं आपसे मिलने आया था।

७. समय, स्थान और विनिमय द्योतक में। जैसे—गाड़ी भोर को जायगी। वह रात को आवेगा। कल रात को अच्छी वर्षा हुई। मोहन घर को गया। घोड़ा कितने को दोगे? पुस्तक कितने को ली है?

नोट—देश और काल के साथ कही-कही 'को' चिह्न नहीं भी लगता। जैसे—मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वह कल रात आया।

विकल्प—ऐसी जगह कही में और कही पर भी लाते हैं। विनिमय में सम्बन्ध के चिह्न भी आते हैं। जैसे—गाड़ी भोर में जायगी। वह रात में आवेगा। कल रात में अच्छी वर्षा हुई। मोहन घर गया। घोड़ा कितने में (पर) दोगे? पुस्तक कितने में (पर या की) ली है?

८. समाना, चढ़ाना, खुलना, लगाना, होना, डरना, कहना और पूछना आदि क्रियाओं के योग में। जैसे—आपको भूत समाया है। ऐसी क्या बू समा गई तुमको? आपको भूत चढ़ा है। मुझे इस चोरी का भेद खुल गया। वह किसी काम का नहीं, उसको आग लगा दो। कोठरी में क्यों नहीं रहते, उसको क्या

हुआ है ? कायर को डरें तो कहाँ रहें ? तुमको एक बात कहता हूँ घर पर कह देना । उसने आपको क्या पूछा ?

विकल्प—समाना, खुलना, लगाना और होना इत्यादि के योग में 'को' के बदले कही 'में' और कही 'पर' तथा डरना, कहना और पूछना इत्यादि में 'को' के बदले 'से' चिह्न भी लगाते हैं । जैसे—आपमें भूत समाया । ऐसी क्या बू समा गई तुममें ? आप पर भूत चढ़ा है । मुझपर इस जोरी का भेद खुल गया । वह किसी काम का नहीं, उसमें आग लगाओ । कोठरी में क्यों नहीं रहते, उसमें क्या हुआ है ? कायर से डरें तो कहाँ रहें ? तुमसे एक बात कहता हूँ, घर पर कह देना । उसने आपसे क्या पूछा ?

नोट—होना क्रिया के साथ अस्तित्व अर्थ में 'को' के अर्थ में 'के' भी लाते हैं । जैसे—नन्दजी के पुत्र हुआ है । उसके दाढ़ी है । मेरे एक बेटी है । चली थी बछीं किसीपर किसी के आन लगी ।

नीचे लिखी अवस्थाओं में 'को' चिह्न प्रायः लुप्त रहता है, परन्तु विशेष अर्थ में स्वराघात के बदले कहीं-कहीं लाते भी हैं—

(१) छोटे-छोटे जीवों तथा अप्राणिवाचक संज्ञाओं के साथ । जैसे—उसने बिल्ली मारी । मगर एक जुगनू चमकते जो देखा । मैं चिढ़ी लिखता हूँ । बैल घास खाता है ।

(२) अन्य उदाहरण—मैं सुबह आया । वह पढ़ने गया । राम पढ़ने जाता है ।

से

'से' चिह्न नीचे लिखी अवस्थाओं में आता है—

१. करण कारक में । जैसे—बाण से मारा । श्रीकृष्ण दोनों छाथों से छाती में मुँह लगा, लगे प्राण समेत पय पीने ।

२. अनुक्त कर्त्ता में । जैसे—मुझसे रोटी खाई गई । आपसे ग्रन्थ पढ़े गये । रानी से सोया नहीं जाता ।

३. प्रेरक कर्त्ता में । जैसे—यदि शत्रुओं से तेरा नाम न जप-वाऊँ तो मैं चाणक्य नहीं ! सभा में जाते हो तो मेरा प्रस्ताव लोगों से मनवा के छोड़ना । मैं राम से पत्र लिखवाता हूँ ।

४. क्रिया करने की रीति या प्रकार बताने में । जैसे—वह सारी शक्ति से यत्न करता है । अन्तःकरण से पूजा करो । धीरे से बोलो ।

५. मूल्यवाचक संज्ञा और प्रकृतिबोध में । जैसे—कल्याण कञ्चन से मोल नहीं ले सकते । अनाज किस भाव से बेचते हैं ? दो सौ रुपये से घोड़ा मोल लिया । छूने से गर्मी जान पड़ती है । देखने से धनी मालूम होता है ।

विकल्प—ऐसी जगह कही 'में' और कद्दी 'पर' भी लाते हैं ।

६ कारण, साथ, द्वारा, चिह्न, विकार, उत्पत्ति और निषेध में । जैसे—आलस्य से वह समय पर न आया । दया से हृदय पिघल गया । वह गर्मी से रुख तमतमाया हुआ । वह रोने से मुँह भरभराया हुआ । घृत और दुग्धाभाव से दुर्बल हुए हम रो रहें । नदी में रहना, मगर से बैर । छाती से छाती मिलाओ । राजा से साधु सलाह करते हैं । आप पुस्तकें रख जाइये, अपने नौकर से भेज दूँगा । अक्षरों से लेखक पहचाने जाते हैं । जटा से साधु जान पड़ता है । वह एक आँख से काना और एक पाँव से लँगड़ा है । कपास, ऊन आदि से वस्त्र बनते हैं । विद्या से ज्ञान होता है । आप-से-आप कुछ नहीं हो सकता । जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, दौड़-धूप से क्या लाभ ? भगड़ने से क्या प्रयोजन ?

विकल्प — साथ, विषेय, विकार इत्यादि अर्थ में 'रो' के बदले कभी-

कभी सम्बन्ध का चिह्न भी आता है। जैसे—उसने उनपर क्रोध की दृष्टि की। झगड़े का क्या प्रयोजन ? एक आँख का काना। एक पाँव का लँगडा। आँखों के अन्धे नाम नयनमुख। कानों के बहरे।

‘से’ के बदले कही-कही ‘में’ भी आता है। जैसे—ऐसा काम करो जिसमें यश मिले।

नोट—हेतु, कारण इत्यादि शब्दों के साथ भी ‘से’ चिह्न लाते हैं। जैसे—इस हेतु से वह समय पर नहीं पहुँचा। इस कारण से उमका निवारण मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार से तुम्हारा रहना ठीक नहीं।

७. अपादान (विभाग) में। जैसे—वृक्ष से पत्र गिरते हैं। वह ऐसा गिरा जैसे आकाश से वज्र गिरे।

८. पूछना, दुहना, जाँचना, कहना, रीँधना, (पकाना, राँधना) इत्यादि क्रियाओं के गौणकर्म में। जैसे—मैं आपसे पूछता हूँ। ग्वाला गाय से दूध दुहता है। दरिद्र धनी से जाँचता है। मोहन आपसे कई बातें कह चुका। रसोइया चावल से भात पकाता है।

विकल्प—यहाँ ‘से’ के बदले ‘को’ भी लाते हैं, परन्तु कही-कही मुख्य कर्म को लोप करना पड़ता है (पीछे देखो)।

९. भिन्नता, परिचय, तुलना, आरम्भ, परे, बाहर, रहित, हीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अतिरिक्त, लज्जा, बचाव, डर, निकालना इत्यादि और इन्हीं शब्दों के अर्थवाले दूसरे शब्दों तथा दिग्वाचक शब्दों के योग में। जैसे—यह उससे भिन्न है। राम अपने भाइयों से अलग है। ‘तीन लोकों से मथुरा न्यारी।’ उसको इन सिद्धान्तों से अच्छा परिचय है। धन से विद्या श्रेष्ठ है। बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्र से उत्तम है। उससे तो वह पशु भला जो काम सैकड़ों आता है। गंगा से हिमालय तक और कोशी से गण्डक तक मिथिला देश है। घर से बाहर तक खोज डाला। घर से परे वन है। अमेरिका समुद्र

से परे है । देश से बाहर जाया करो । ऐ अटकल और ध्यान से बाहर, जान से और पहचान से बाहर । वह विद्या से रहित है । ईश्वर दोषों से रहित हैं । विद्या से हीन मनुष्य और पशु में भेद नहीं । मँझधार से किनारा दूर है । रहते हैं मुझसे दूर-दूर आठो पहर अलग-अलग । मुझसे आगे । राम से पीछे । कृष्ण से ऊपर । मोहन से नीचे । उस जाति से अतिरिक्त वह जाति है । गुरु से लज्जा क्या ? तुम्हें यारों से शर्माना पड़ेगा । दुष्टों से सदा बचते रहना । वह सिंह से बाल-बाल बच गया । मैं तुमसे क्यों डरने लगा ? ईश्वर से डरो । अब आपसे भय होता है । लोगों को मैदान से निकाल दो । दूध से घी निकाला जाता है । घर से दक्षिण नदी बहती है ।

विकल्प—आगे, पीछे, ऊपर, नीचे इत्यादि और दिग्वाचक शब्दों के योग में 'से' के बदले सम्बन्ध का चिह्न भी आता है ।

१०. स्थान और समय की दूरी बताने में । जैसे—जनकपुर यहाँ से चार कोस है । पटना गया से प्रायः ६० मील दूर है । आज से कितने दिन पीछे आप आइयेगा ? आज से हजार वर्ष पहले की क्या दशा थी ?

११. लक्षण के अर्थ में । जैसे—जाति से ब्राह्मण । कर्म से शून्य । स्वभाव से उदार ।

नोट—ऐसे स्थान में विकल्प से सम्बन्ध का चिह्न भी आता है ।

१२. क्रियाविशेषण के योग में । जैसे—कहाँ से टपक पड़े । किधर से टहलकर आये ? बाहर से भीतर गये ।

१३. पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में । जैसे—पेड़ से उसने बन्दूक चलाई (पेड़ पर चढ़कर) । कोठे से देखो तब दोख पड़ेगा (कोठे पर चढ़कर) ।

१४. निर्धारण (निश्चय) में । जैसे—हिमालय पहाड़ सबसे ऊँचा है ।

विकल्प—इसी अर्थ में 'से' अधिकरण के चिह्न के आगे भी आता है । ऐसी अवस्था में 'से' गिर भी जाता है, जैसे—इन विद्यार्थियों में से किपको चुनते हो ? पुरुषों में रामचन्द्र उत्तम थे । पत्थरों में हीरा बहुमूल्य है ।

नीचे लिखे वाक्यों में 'से' चिह्न प्रायः लुप्त रहता है, परन्तु विशेष अर्थ में कहीं-कहीं लाते भी हैं । द्वारा शब्द के आगे 'से' कभी नहीं लाते । जैसे—

इस कारण उनका निवारण मैं नहीं कर सकता । इस हेतु वह समय पर नहीं आ सका । इस प्रकार तुम्हारा रहना ठीक नहीं । इस तरह आप क्यों बोलते हैं ? मन्त्री के द्वारा राजा से भेंट हुई । मैं तुम्हें जूते-जूते मारूँगा । चावल किस भाव बेचते हो ? नौकर के साथ पुस्तकें भेजी थीं । न आँखों देखा न कानों सुना । वे दाँतों अँगुलियाँ काटने लगे । खिल गई मेरे दिल की कली आर-ही-आप । तुमने अपने हाथों ये बखेड़े खड़े किये । बच्चा घुटनों चलता है । अब तेरे किये क्या होगा ? किसके भरोसे लड़ूँ ? आपके सहारे मेरे दिन कटते हैं । साँप पेट के बल चलता है । ठंडे-ठंडे सिधारिये घर को । दूधन नहाओ पूतन फलो । किसके मुँह खबर भेजी है ? उसकी ओर तुम रहो ।

में और पर *

नीचे लिखी अवस्थाओं में ऊपर के चिह्न आते हैं—

१. अधिकरण में । जैसे—तिल में तेल है । पेड़ पर पत्ती है । पाठशाला में विद्यार्थी हैं । छप्पर पर चिड़ियाँ हैं । ईश्वर में मन लगा है ।

* 'पै' भी अधिकरण का चिह्न है, परन्तु इसका प्रयोग गद्य में अब कदाचित् ही होता है ।

२. निर्धारण, कारण, भीतर, भेद, मूल्य, अवस्था और द्वारा अर्थ में। जैसे—पशुओं में हाथी बड़ा है। पहाड़ों में हिमालय सबसे ऊँचा है। ऐसा काम करो जिसमें वह कार्य सिद्ध हो। आप कितने दिनों में पहुँचेंगे? समुद्र में अथाह जल है। शिव और विष्णु में भेद नहीं। तुमने यह पुस्तक कितने में (पर) ली है? रामजी के ध्यान में लीन रहो। रामजी ने एक ही बाण में उसका भवबन्धन काट दिया।

नोट—निर्धारण, कारण और मूल्य बताने में दूसरे चिह्न भी लाते हैं। (पीछे देखो)।

३. अनुसार, पौनःपुन्य, दूरी, ऊपर, संलग्न और अनन्तर के अर्थों और वार्तालाप के प्रसंग में 'पर' चिह्न लगाते हैं। जैसे—नियम पर काम करो। पत्र-पर-पत्र भेजते गये, कुछ उत्तर नहीं। यहाँ से चार कोस पर घोड़े पर चढ़ा। द्वार पर खड़े रहो। इसपर वह क्रोध से बोला।

४. गत्यर्थ धातुओं के साथ। जैसे—मोहन घर पर गया। मैं तुम्हारी शरण में आया।

विकल्प—मोहन घर को गया। मोहन घर पर गया। मैं तुम्हारी शरण आया। मैं तुम्हारी शरण में आया।

नीचे लिखे वाक्यों में 'में' या 'पर' चिह्न प्रायः लुप्त रहते हैं, परन्तु विशेष अर्थ में कहीं-कहीं लाते भी हैं —

इस समय तुम चले जाओ। सीधे जाओ, दायें-बायें कभी मत भ्रँको। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। इस जगह रहना ठीक नहीं। आपको क्या हाथ लगा? मुझे पढ़ना-लिखना कुछ काम नहीं आया। एक ही बार इतना खर्च मत करो। वह आठों पहर ईश्वर का ध्यान करता है। जीते जी सुख नहीं मिला। आने सेर

चावल कब मिलेगा ? प्यारे दीन-दयाल के भनक पड़ेगी कान ।
आँखों देखा खुशरू कहे । सामने रहो ।

नोट—सम्बन्ध बोधक अवयवों के आगे भी अधिकरण के चिह्न लुप्त रहते हैं । (पीछे देखो ।)

सम्बन्ध और सम्बोधन के चिह्न

(१) सम्बन्ध का चिह्न 'का'

'का' चिह्न नीचे लिखी अवस्था में आता है—

१. सम्बन्ध * में । जैसे—तुलसीदास की † रामायण । राम का भक्त । राम का पुत्र । हाथ की अँगुली । रानी की दासो । पीतल का थाल । स्वर्ण का भूषण । मिट्टी का घड़ा ।

२. सम्पूर्णता, मूल्य, समय, परिमाण, व्याप्ति, अवस्था, दर, बदला, केवल, स्थान, प्रकार, योग्यता, शक्ति, साथ, भविष्यत्, कारण, आधार, निश्चय, शुद्धता, भाव, लक्षण और शीघ्रता आदि में । जैसे—सब-के-सब चले गये । सात रुपये की थाली । एक दिन की छुट्टी । एक हाथ का साँप । चार दिनों की चाँदनी, फिर अँधेरी रात । एक वर्ष का बच्चा । इसी भारत में कभी आठ मन के भाव से चावल बिकता था । राजा का रङ्ग । राई का पर्वत । घर-के-घर ही में हो जाय फैसला दिल का । खुली

* 'सम्बन्ध' कई प्रकार के होते हैं—कर्तृ कर्मभाव, मेव्यसेवकभाव, जन्यजनकभाव, अङ्गाङ्गिभाव, स्वामिभाव, कार्यकारणभाव, इत्यादि ।
(उदाहरण ऊपर देखो ।)

† आकारान्त विशेषण के समान 'का' भी 'की' और 'के' में बदलता है तथा सर्वनाम में और रूपों में आता है । जैसे—अच्छा घोड़ा—राम का घोड़ा, अच्छी घोड़ी—राम की घोड़ी—अच्छे घोड़े—राम के घोड़े, मेरा घोड़ा—मेरी घोड़ी, इत्यादि ।

की खुली रह गई आँखें सब की । बहुत अरमान ऐसे हैं कि दिल के दिल में रहते हैं । मिथिला की नारियाँ । अचम्भे की बात सुनने योग्य होती है । दुःख की बोली दुःख देती है । यह पानी पीने का है । बूढ़ा हो गया, अब मैं चलने-फिरने का नहीं । यह बात अब लौटने की नहीं । अब यह विपत्ति की घड़ी टलने की नहीं । गया तो फिर यह नहीं मेरे हाथ आने का । राह का थका बटोही गाड़ी नींद सोता है । समुद्र की मछलियाँ बड़ी होती हैं । सच्चे का सच्चा और झूठे का झूठा । आज ही आप जान सकेंगे । दूध का दूध और पानी का पानी । तेरी महिमा अपार, गुण गावे संसार । दिन का सोना और सदा एक वस्तु खाना अच्छा नहीं । बात का ढीला । मुँह का हल्का । शरीर की कोमलता । बात-की-बात में बात निकल आई । रेलगाड़ी आन-की-आन में आ पहुँची ।

नोट—आधार में ‘का’ के पूर्व ‘में’ और ‘पर’ तथा लक्षण में ‘का’ के बदले ‘से’ भी लाते हैं । जैसे—समुद्र में की मछलियाँ । घोड़े पर का आसन ।

३. तुल्य, अधीन, समीप, ओर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, बाँया, दहिना, योग्य, अनुसार, प्रति, साथ इत्यादि और इनके अर्थवाची अन्य शब्दों तथा अव्ययों के योग में । जैसे—राम के तुल्य । कर्म के अधीन । घर के समीप । नदी की ओर । आपके आगे । मेरे पीछे । आपके ऊपर । घर के नीचे । पाठ-शांला के बाहर । राम का बायाँ । तुम्हारे योग्य । कहने के अनुसार । उनके प्रति । पति के साथ । तुम्हें माता कब की पुकार रही है । वह कहाँ का कहाँ गया ।

विकल्प—ऊपर के कई शब्दों के योग में ‘से’ भी आता है । जैसे—तुम्हें माता कब से पुकार रही है । वह कहाँ से कहाँ गया । (शेष उदाहरण पीछे देखो ।)

४. विशेष उपमान हो तो उपमेय में । जैसे—दया का समुद्र, प्रेम का बन्धन । प्रेम की गॉँठ । कर्म की फाँस ।

५. कभी-कभी गौण कर्म में । जैसे—कोई गधा तुम्हारे लात मारे ।

६. उन शब्दों के योग में जो कृदन्तीय शब्दों के कर्त्ता या कर्म के अर्थों में आ सकें । जैसे—उसीके आने से तुम भागे जाते हो (वह आया, इसलिये तुम भागे जाते हो) । क्या हुआ जग के रूठे से ? तेरे पढ़ने से मुझे नहीं आवेगा । तुम्हारी कतरव्योंत नहीं जाती । रोटी के खाते ही जी मचलने लगा । (रोटी खाई इसलिये जी मचलने लगा ।)

नोट—(१) कभी-कभी सबन्धी लुप्त रहता है । जैसे—तुम सबकी सुध लेते हो, लेकिन अपनी कुछ भी नहीं कहते । मन की मन ही में रहे । यह कभी नहीं होने का, मैं तेरी न सुनूँगा । ऐसा तो न हो कि तकरार ही ठहरे ।

(२) सम्बन्ध का चिह्न लुप्तावस्था में कदाचित् ही मिलता है । हाँ, समाप्त करने पर लुप्त हो जाता है ।

(२) सम्बोधन चिह्न

हे, ऐ, अरे, अरी, इत्यादि

हे, ऐ, अरे, अरी इत्यादि चिह्न किसीको बुलाने, धिक्कारने अथवा हर्ष, शोक इत्यादि के साथ उनके नाम लेने में आते हैं । हमने ये चिह्न विस्मयादिबोध के पाठ में रख दिये हैं, परन्तु ये अन्य विस्मयादि चिह्नों से बहुत ही भिन्न हैं ।

अरी, री इत्यादि को केवल स्त्रीलिंग के सम्बोधन में लाते हैं । जैसे—अरी लड़की, री पगली ! इत्यादि ।

सम्बोधन बिना चिह्न के भी आता है। जैसे—राम ! कुछ भी तो सुध लो। लड़के, क्या करते हो ?

कारकादि के चिह्नभेद से अर्थभेद

एक ही शब्द में भिन्न-भिन्न चिह्नों के लगाने से अर्थ में भेद पड़ता है। नीचे ऐसे थोड़े-से उदाहरण दिये जाते हैं—

- { उसके बहिन नहीं है = उसको बहिन नहीं है।
- { उसकी बहिन नहीं है = दूसरे की बहिन है।
- { चार दिन पर आये = चार दिन के बाद आये।
- { चार दिन में आये = चार दिन के भीतर आये।
- { लंका भारत से दक्षिण है = भारत से बाहर।
- { कुमारी अन्तरीप भारत के दक्षिण है = भारत का अंग।
- { पुस्तक कितने को लाये = निश्चित मूल्य।
- { पुस्तक कितने की लाये ? }
- { पुस्तक कितने में लाये ? } = सीमा।

अभ्यास

१. नीचे लिखे वाक्यों में कारक इत्यादि का कौन चिह्न किस अर्थ में आया है ?

वामन से बलि छला गया। हो चुका भला छोड़ भी दो तो। राजा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिये। छिपे हो कौन से पर्दे में बेटा। मुझे मिठाई अच्छी लगती है। कायर को क्यों डरे ? राम ने उसे बड़ी मार मारी। मेरी गैया कौन दुहेगा ? उनसे मुँह छिपाने को क्या पड़ा है। आपको प्रणाम। राम ने वाग से रावण को मारा। मैं नौकर से भेज दूँगा। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। उसे सुन्दर वेश में देख खुशी हुई। इससे क्या काम, मुझसे कहो। जब पाँच बरस का बालक हुआ। छः छः पसेरी की बात। बिपद की घड़ी टलने की नहीं। मुँहमाँगा घन पाता है। उसके बहिन नहीं हैं। माँ कक की पुकार रही।

कवियों में कालिदास बड़े हैं। मैं उनसे किस बात में कम हूँ? हाथ-पैर तो कहने ही में नहीं हैं। एक ही तीर में काम तमाम किया।

२. नीचे के वाक्यों में कारक आदि के चिह्न कहाँ-कहाँ लुप्त हैं और क्यों? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वह यह बात कहता है। वे बार-बार गिना किये, हाथ कुछ न लगा। मैं अपना-सा मुँह लेकर चल दिया। राम कलकत्ते गये। मैं तुम्हें जूते-जूते मारूँगा। दूधन नहाओ, पूतन फलो। अब तेरे लिये क्या होगा? वह आठो पहर ईश्वर का ध्यान करता है। आँखों देखा खुशरो कहे।

३. पाँच ऐसे वाक्य कहो, जिनमें सम्बन्धी लुप्त हों। ४. पाँच ऐसे वाक्य कहो, जिनमें कर्म चिह्न रहित हो। ५. चार ऐसे वाक्य कहो, जिनमें करण चिह्न रहित हों। ६. तीन ऐसे वाक्य कहो, जिनमें अधि-करण चिह्न रहित हों।

७. नीचे लिखे प्रत्येक जोड़े के वाक्यों में क्या है?—

उम्के बेटी नहीं है। उसकी बेटी नहीं है।

दो दिन में आये। दो दिन पर आये।

घोड़ा कितने को लाये? घोड़ा कितने में लाये?

८. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

उसने पीछे हो लिया। सीता ने एक ग्रन्थ लाई है। जब मैंने आपके यहाँ जाकर बैठा तब आपने बोला—“कहो भाई, किधर पर आये हो? राम ने दिन भर बैठे-बैठे लिखा किया। वह दिन भर सो डाला। जब उसने रोया, राम रो दिया। तुममें यह चाल नहीं शोभती। उसके ओर तुम रहो। राम का बेटी आती है। सीता की बाप अच्छा है। वह सात रुपये लिये तब पुस्तक लाई। कल पानी ने बरसा था, इसलिये मैंने घर से बाहर नहीं निकला।

समास (Compound)

कई पदों का मिलकर एक हो जाना ‘समास’ कहलाता है।

जैसे—राजा के मन्त्री ने = राजमन्त्री ने, चक्र है पाणि में जिनके उनको = चक्रपाणि को, गौरी की और शंकर की = गौरी-शङ्कर की ।

समास से उत्पन्न यौगिक शब्दों को समस्त या सामासिक शब्द कहते हैं । ऊपर राजमन्त्री, चक्रपाणि और गौरीशङ्कर सामासिक शब्द हैं । इनसे विदित होता है कि समस्त शब्दों के केवल अन्त ही में कारक आदि के चिह्न ला सकते हैं, परन्तु प्रत्येक खंड पर चिह्न-संस्कार बना रहता है तथा शब्दों में कुछ हेर-फेर भी होता है ।

समस्त शब्दों में किसीमें एक खंड प्रधान होता है, किसीमें सब और किसीमें एक भी नहीं । जैसे—राजमन्त्री ने गौरीशङ्कर की पूजा की । इस वाक्य में पूजा करनेवाला 'मन्त्री' है, राजा नहीं, तथा पूजा की गई 'गौरी और शङ्कर' दोनों की, इसलिये राजमन्त्री में अन्तिम खंड प्रधान है और गौरीशङ्कर में दोनों ।

समास वास्तव में चार प्रकार के हैं—तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वन्द्व और अव्ययीभाव । तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का एक भेद द्विगु । इस प्रकार सब मिलाकर समास के ६ भेद हो जाते हैं ।

नोट—नञ् समास भी हिन्दी में आता है जो एक उपभेद है ।

सामासिक शब्दों के प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग करने का नाम विग्रह या व्यास है ।

तत्पुरुष

जिस समस्त शब्द का अन्तिम खण्ड प्रधान हो उसमें तत्पुरुष समास रहता है । जैसे—राजमन्त्री ने पूजा की ।

गङ्गाजल लाओ। यहाँ राजमन्त्री और गङ्गाजल में तत्पुरुष समास है।

तत्पुरुष समासयुक्त शब्द के पूर्वखण्ड में कर्तृवाच्य के कर्ता को छोड़कर अन्य कारकों और सम्बन्ध के चिह्नों में से कोई एक चिह्न आता है। जैसे—तेलचट्टा (तेल का चाटनेवाला), शोकाकुल (शोक से आकुल), शरणागत (शरण को आया), बुद्धिहीन (बुद्धि से हीन), गङ्गाजल (गङ्गा का जल), आनन्दमग्न (आनन्द में मग्न)।

पूर्वखण्ड में कर्म के चिह्न रहने से द्वितीया, करण से तृतीया, सम्प्रदान से चतुर्थी, अपादान से पञ्चमी, सम्बन्ध से षष्ठी और अधिकरण से सप्तमी तत्पुरुष के सामासिक शब्द बनते हैं। जैसे—

द्वितीयातत्पुरुष—चिड़ीमार, आँखफोड़वा, तिलचट्टा, गठकट्टा, माखन चोर, गङ्गाप्राप्त, मुँह तोड़, इत्यादि।

तृतीयातत्पुरुष—शोकाकुल, शराहत, दुःखार्त, जल-भरे, कपड़छान, मनमाना, इत्यादि।

चतुर्थीतत्पुरुष—हथकड़ी, राहखर्च, इत्यादि।

पञ्चमीतत्पुरुष—देशनिकाला, पदच्युत, ऋणमुक्त, इत्यादि।

षष्ठीतत्पुरुष—गङ्गाजल, लखपती, मुँह चोर, दनौरी, तिलौरी, दुधहर, रसोईघर, इत्यादि।

सप्तमीतत्पुरुष—गृहवास, वनवास, आपबीती, काम आना, बटमार, घरघुसा, इत्यादि।

कर्मधारय

तत्पुरुष के जिस समस्त शब्द से विशेष्य-विशेषण या उपमान-उपमेय का बोध हो उसमें कर्मधारय समास रहत

है। जैसे—परम है जो आत्मा = परमात्मा, दीर्घ है जो आकार = दीर्घाकार, कमल की उपमावाला है जो नयन (या कमल स्वरूप नयन, या कमलवत् नयन) = कमलनयन, चन्द्र की उपमावाला है जो मुख (या चन्द्रमा-सा मुख) = चन्द्रमुख, छोटा है जो भैया = छोटेभैया, फूली हुई जो बरी = फूलौरी, पकी हुई जो बरी = पकौरी । ❀

द्विगु

कर्मधारय समास के जिस समस्त शब्द का पूर्वखण्ड संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास रहता है। जैसे—पाँच हैं जो तत्त्व उनका समूह = पञ्चतत्त्व। चार हैं जो वर्ण = चतुर्वर्ण, इसी प्रकार त्रिभुवन, त्रिरात्र, पञ्चरात्र, पञ्चपात्र, त्रिफला, चौमुहानी, चौहद्दी, दुअन्नी, चौअन्नी, अठन्नी, चौकोन, तिकोना, इत्यादि।

नोट—यह समास बहुधा समाहार (समूह) अर्थ में आता है।

बहुव्रीहि

जिस समस्त शब्द का कोई खण्ड प्रधान न हो, बल्कि बाहर से आकर कोई विशेष अर्थ प्रधान हो जाय उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे—चक्रपाणि (चक्र है पाणि में जिनके = विष्णु), चन्द्रशेखर (चन्द्र है शेखर पर जिनके = महादेव), चन्द्रचूड़ (चन्द्र है चूड़ा पर जिनकी = महादेव), चतुर्भुज (चार हैं भुजाएँ जिनकी = विष्णु), पीताम्बर (पीला है वस्त्र जिनका = विष्णु), चन्द्रमुखी (चन्द्रमा-सा मुख है जिसका = वह स्त्री), इत्यादि।

* उपमा के शब्द अन्त में भी रहते हैं। जैसे—चरणकमल।

केवल विशेष्य शब्दों से बने समस्त शब्द में 'व्यधिकरण' और विशेष्य-विशेषण या उपमान-उपमेय से बने शब्द में 'समानाधिकरण' बहुव्रीहि समास होता है। ऊपर के समस्त शब्दों में चक्रपाणि, चन्द्रशेखर और चन्द्रचूड़ 'व्यधिकरण' के तथा चतुर्भुज, पीताम्बर और चन्द्रमुख 'समानाधिकरण' के उदाहरण हैं।

नोट — कई समस्त शब्द कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं।
जैसे—

पीताम्बर { पीला है जो वस्त्र (कर्मधारय)
 { पीला है वस्त्र जिनका = विष्णु (बहुव्रीहि)

चतुर्भुज { चार हैं जो भुजाएँ (कर्मधारय का भेद द्विगु)
 { चार हैं भुजाएँ जिनकी = विष्णु (बहुव्रीहि)

द्वन्द्व

जिस समस्त शब्द के सब खण्ड प्रधान हों उसमें द्वन्द्व समास रहता है। समास होने पर बीच का योजक अव्यय लुप्त हो जाता है। जैसे—गौरी की और शङ्कर की = गौरीशङ्कर की, मन से और कर्म से और वचन से = मनकर्मवचन से, इसी प्रकार लोटा-डोरी, भात-दाल, हाथो-घोड़ा, छत्तीस (छः और तीस), चौबीस, पढ़ना-लिखना, आना-जाना, खाना-पीना, मरना-जीना, इत्यादि।

नोट—द्वन्द्व समास के अन्त में आनेवाले 'निशा' और 'रात्रि' शब्दों के अन्तिम स्वर अ से बदल जाते हैं। जैसे—अर्हनिश, अहोरात्र, दिवारात्र, इत्यादि।

अव्ययीभाव

जिस समस्त शब्द से अव्यय का बोध हो अर्थात् जिसका रूप, लिंग, वचन आदि के कारण कभी नहीं बदले उसमें अव्ययीभाव समास होता है *। जैसे—यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुरूप, आसमुद्र, हाथोंहाथ, बार-बार, पहले-पहल, एकाएक, रोज-रोज, † हररोज, रातोंरात, अनजाने, अनपूछे, निधड़क, दरहकीकत, इत्यादि।

नञ् समास

निषेधार्थक 'न' शब्द के योग में जब समास होता है तब उसे नञ् समास कहते हैं। जैसे—नहीं जो अन्त = अनन्त, नहीं है अन्त जिसका वह = अनन्त, नहीं है नाथ जिसका वह = अनाथ।

संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द का उत्तर खण्ड यदि स्वर से आरम्भ हो तो न का 'अन्' और यदि व्यञ्जन से हो तो न का 'अ' हो जाता है। जैसे—अनन्त, अनादि, अनाथ, अचेतन, अपवित्र, अनादर, अजात, अछूत।

नीचे लिखे शब्दों में भी नञ् समास हैं—अनसुना, निकम्मा, नाखुश, अनपढ़, नाराज, अनजान, इत्यादि।

नोट—(१) समासों के नीचे लिखे चार भेद भी हो सकते हैं—

(क) संज्ञा और संज्ञा के योग में। जैसे—गंगाजल।

(ख) संज्ञा और धातु के योग में। जैसे—मुँहतोड़।

*जब दो शब्द मिलकर अव्यय हो जायँ, अर्थात् उनका स्वरूप विभक्तियों में न बदले तब ऐसे समास को अव्ययीभाव कहते हैं।

—पं० रामावतार शर्मा।

† बहुधा द्विरक्ति का लोप कर देने पर वही अर्थ निकलता है।
जैसे—बदले में हँसने के 'रोज' रोता था।

—पं० केशवराम भट्ट।

(ग) धातु और धातु के योग में । जैसे—पढ़-लिख लो ।

(घ) अव्यय और भिन्न शब्दों के योग में । जैसे—आसमुद्र ।

(२) बहुतेरे संस्कृत तथा कुछ अन्य भाषाओं के समस्त शब्द अपभ्रंश होकर हिन्दी में आये हैं । उनके अर्थ मूलरूपों में परिवर्तित करने ही पर स्पष्ट होते हैं । जैसे—अट्टाबकर (अट्टाबक), सौत (सपत्नी), सलोना (सलवण), बादल (बारिद), कहार (स्कन्धहार), सोना (सुवर्ण), सवा (सपाद), साढ़े (सार्द्ध), पौन (पादोन), हथसार (हस्तिशाला), भनसार (महानमशाला), कंसार (कान्दुशाला), इत्यादि ।

(३) संस्कृत नियमों से बने कतिपय समस्त शब्द जो हिन्दी में आये हैं । जैसे—

घृतान्न, व्यर्थ, अर्हनिश, अहोरात्र, वाचस्पति, सरसिज, मनसिज, नवागत, सुखसुम, एकाह, समाह, ग्रामान्तर, निर्भीक, अन्यमनस्क, सस्त्रीक, सदय, सभय, मुपुत्र, चञ्चलाक्ष, कुक्कुटाक्ष, पुण्डरीकाक्ष, कमलाक्षी, पद्माक्षी, चञ्चलाक्षी, शरचापहस्त, आबालवृद्धवनिता, यावज्जीवन, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, त्रिलोकी, सपत्नी, सोदर, सहोदर, नृपकुञ्जर, मद्यपायी, मिष्टभाषी, नेत्रपथ, कापुख, कदन्न, दम्पति, अश्रुतपूर्व, वीरकेशरी, इत्यादि ।

अभ्यास

१. समास किसे कहते हैं ? २. समास कितने प्रकार के हैं ? कौन कौन ?
३. विग्रह किसे कहते हैं ? ४. तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । ५. तत्पुरुष और कर्मधारय में क्या भेद है ? ६. कर्मधारय और द्विष्टु में क्या भेद है ? उदाहरण देकर समझाओ । ७. बहुव्रीहि समास का कौन-खण्ड प्रधान होता है ? उदाहरण देकर समझाओ । ८. पीताम्बर और चतुर्भुज कौन-समास हैं ? समझाओ । ९. द्वन्द्व समास किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । १०. अव्ययीभाव समास का क्या अर्थ है ? ११. नञ्-समास के पाँच उदाहरण दो ।

१२. नीचे के समस्त शब्दों में समास बताओ—

हाथोंहाथ, अनपढ़, सीताराम, चन्द्रमुख, चौकोन, दुधहर, शरणागत, चालचलन, पङ्कज, चौतीस ।

समासप्रयोग

१. द्वन्द्व समास में स्त्रीलिङ्ग, मान्य और अल्प स्वरवाले शब्द प्रायः पहले आते हैं। जैसे—राईनोन, राजारानी, राम-लक्ष्मण, सीताराम, राधाकृष्ण, दालरोटी, इत्यादि ।

२. द्वन्द्व समास से बने समस्त शब्द का लिङ्ग अन्तिम खण्ड के अनुसार होता है, परन्तु जिसमें पूर्व खण्ड की प्रधानता हो उसका लिङ्ग उसी खण्ड के अनुसार होता है। जैसे—आज ही हमारे राजारानी आये हैं।

नोट—(१) “कुत्ते-बिल्ली खामे डालते हैं। नरनारी आये हैं। पिता-माता अच्छे हैं। कितने दिनरात गुजर गये।” इत्यादि वाक्य भी प्रयोग में हैं।

(२) हिन्दी में एक दशा के कई शब्दों को जब द्वन्द्व समास की रीति पर लाते हैं तब अन्तिम शब्द को छोड़ और शब्दों के आगे कार-कादि के चिह्नों को, कभी अकेले और कभी चिह्न संस्कारों के साथ, लोप कर देते हैं। ऐसी दशा में ‘और’ इत्यादि समुच्चायक का भी लोप होता है, परन्तु प्रायः अन्तिम शब्द से पहले नहीं। जैसे—सोनपुर का मेला देखने योग्य है। वह पुरुषों से और स्त्रियों से, बालकों से और बूढ़ों से भरा रहता है तथा वहाँ हाथियों का और घोड़ों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता = सोनपुर का मेला देखने योग्य है। वह पुरुषों, स्त्रियों, लड़कों और बूढ़ों से भरा रहता है तथा वहाँ हाथी-घोड़ों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता।

३. तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु के लिङ्ग अन्तिम अंश के अनुसार और बहुव्रीहि के विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे—गंगाजल मीठा है। महारानी चली गई। विक्रमादित्य

की सभा में नवरत्न थे ! स्वच्छतोया नदी कल-कल शब्द करती हुई बह रही है । ❀

नोट—बहुव्रीहि के समस्त शब्द विशेषण होते हैं, इसलिये उनके परे विशेषण के अर्थ में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, अतएव नीरोग और निरपराध इत्यादि के बदले में नीरोगी, निरपराधी इत्यादि लिखना अशुद्ध है । यह समास पुँल्लिङ्ग में प्रायः दीर्घान्त नहीं होता । † अतः, निराशा, हताशा इत्यादि के बदले, निराग, हताश इत्यादि होंगे ।

४. अव्ययीभाव का समस्त शब्द प्रयोग में अव्यय है । जैसे—बह मेरे पास प्रतिदिन आता है । मैंने भगवान् की पूजा यथाशक्ति की ।

५. पदों में समास हो जाने पर यदि सन्धि भी हो सके तो वे मिलाकर लिखे जाते हैं, परन्तु हिन्दी और दूसरी भाषाओं के शब्दों में इस नियम का पूरा पालन नहीं होता । जैसे—देशोन्नति, शिक्षानुसार, घर-आँगन, रामआसरे, बेईमान, इत्यादि ।

अभ्यास

१. द्वन्द्व समास के पूर्व खण्ड में कैसे शब्द आते हैं ? उदाहरण दो ।
२. द्वन्द्व समास के बने समस्त शब्द का लिंग किस खण्ड के अनुसार होता है ? उदाहरण दो ।
३. बहुव्रीहि के समस्त शब्द के परे विशेषण अर्थ में कोई प्रत्यय लग सकता है या नहीं ? उदाहरण दो ।
४. अव्ययी-भाव समास का समस्त शब्द प्रयोग में क्या होता है ? वाक्य बनाकर दिखाओ ।

* यौगिक शब्दों के लिङ्ग 'लिंगप्रकरण' में भी दिये गये हैं ।

† 'महात्मा, उदारचेता' आदि कुछ दीर्घान्त शब्द भी पाये जाते हैं, किन्तु उनकी संख्या कम है ।

५. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

रामसीता वन को चले गये। नोनराई लाओ ! आपके राजारानी कहाँ रहती हैं ? सीतामढ़ी का मेला बहुत सा घोड़ा, हाथी, बैल और मनुष्यों से भरा रहता है। मेरी आज्ञानुसार चलो। नीरोगी मनुष्य के आनन्द का ठिकाना नहीं।

द्विरुक्ति (Words repeated)

समास के समान द्विरुक्ति भी व्याकरण का एक विषय है। कभी द्विरुक्ति के दोनों खण्ड एक से होते हैं और कभी कुछ विकृत। जैसे—घर-घर देखा। चोर-चोर मौसेरे भाई। एकाएक इस काम में पड़ गये। एक-एक पुस्तक सबके पास है।

१. संज्ञा की द्विरुक्ति से 'प्रत्येक' का बोध होता है। जैसे—घर-घर देखा एकै लेखा।

यदि संज्ञा की द्विरुक्ति के बीच में 'ही' आवे तो 'केवल' या 'अभ्यन्तर' का बोध होता है। जैसे—राम ही राम पुकारो। मन ही मन सोचो। यदि बीच में सम्बन्ध का कोई चिह्न आवे तो 'लगातार' या 'अत्यन्त' का बोध होता है। जैसे—दल-के-दल आ पड़े। गधों का गधा। यदि द्विरुक्ति का पहला खण्ड केवल बहुवचन का संस्कार रखे तो, 'लगातार' का बोध होता है। जैसे—यह चीज हाथों-हाथ पहुँच गई। बात कानों-कान फैल गई। बातों-बात में भेद खुल गया।

२. विशेषण की द्विरुक्ति से 'अत्यन्त' और 'समस्त' का बोध होता है। परन्तु संज्ञा की द्विरुक्ति से 'प्रत्येक' का अर्थ निकलता है। जैसे—भीठे-भीठे बोल बोलो ! एक-एक आम दो ! सबके दो-दो बेटे हुए।

यदि एक दूसरे को 'उत्कृष्ट' या 'निकृष्ट' बताना हो तो विशेषण की 'द्विरुक्ति' के बीच में 'से' चिह्न लाते हैं। जैसे—अच्छे-से-अच्छे शिक्षक मेरे स्कूल में हैं। 'समुदाय' के अर्थ में संख्या की द्विरुक्ति बीच में सम्बन्ध का चिह्न लेती है। जैसे—दोनों-के-दोनों लड़के मूर्ख निकले।

सौ से ऊपर की किसी संख्या की द्विरुक्ति केवल ईकाई के दुहराने से और अपूर्णाक संख्या की मुख्य संख्या के दुहराने से बनती है। जैसे—एक सौ पाँच-पाँच, दो हजार चार सौ तीन-तीन, पौने दो-दो, सवा तीन-तीन, साढ़े चार-चार।

अपवाद—सवा-सवा, डेढ़-डेढ़, ढाई-ढाई।

यदि संख्यावाचक विशेषण के आगे रुपया, मन या दिन इत्यादि अपने अंश या अंशों (आना, पाई, सेर, छटाँक, घंटा, मिनट) के साथ आवें तो उनकी द्विरुक्ति केवल अन्तिम अंश के दुहराने से होती है। जैसे—दो रुपये चार आने एक-एक पाई। पाँच मन दो-दो सेर। तीन दिन चार घंटे सात-सात मिनट। दो महीने पाँच-पाँच दिन। तीन वर्ष चार-चार महीने।

क्रिया और अव्यय की द्विरुक्ति से 'बराबर', निश्चय' और 'धीरे-धीरे' का बोध होता है। जैसे—सीता रो-रो कहने लगी। 'जब-जब' मैं दूध लाता हूँ, बिल्ली पी-पी जाती है। होते-होते वह पहुँच गया। रगड़ते-रगड़ते आग निकल गई। जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब भगवान् अवतार लेते हैं। नये-नये वृक्ष ला-लाकर लगाये गये।

अभ्यास

१. संज्ञा की द्विरुक्ति से क्या अर्थ निकलता है ? उदाहरण दो ।
 २. विशेषण की द्विरुक्ति के बीच में 'से' लाने से क्या अर्थ निकलता है ?
 उदाहरण दो । ३. सौ से ऊपर की किसी संख्या की द्विरुक्ति किस प्रकार
 बनती है ? उदाहरण दो । ४. अव्यय की द्विरुक्ति से क्या बोध होता है ?

कुछ अशुद्ध शब्दों पर विचार (Wrongly formed words)

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अकाश्र्य	अखण्ड	दुरावस्था	दुरवस्था
अजानित	अज्ञात	द्वारिकानाथ	द्वारकानाथ
अत्योक्ति	अत्युक्ति	धैर्यता	धैर्य
अधीनस्थ	अधीन	निरपराधी	निरपराध
आधिक्यता	आधिक्य	निराशिता	नैराश्य
आधीन	अधीन	निर्दोषी	निर्दोष
आवश्यक्रीय	आवश्यक	निर्धनी	निर्धन
इतिपूर्व	इतःपूर्व	निर्लज्जी	निर्लज्ज
उच्छ्वास	उच्छ्वास	नीरोगी	नीरोग
उत्कर्षता	उत्कर्ष	नैराश	निराश
उपरोक्त	उपर्युक्त	पश्वाधम	पश्वधम
कृतघ्न	कृतघ्नी	पार्वतीय	पार्वत्य
गुणीगण	गुणिगण	पैत्रिक	पैतृक
घनिष्ट	घनिष्ठ	प्रतिकार	प्रतीकार
जगबन्धु	जगद्बन्धु	प्रव्रीत्त	प्रवृत्त
त्रिवार्षिक	त्रैवार्षिक	फाल्गुण	फाल्गुन
दर्शण	दर्शन	बारम्बार	वारंवार
दारिद्र्यता	दारिद्र्य	बाहुल्यता	बाहुल्य
		भरथ	भस्त

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
भगवत	भागवत	श्रीवान्	श्रीमान्
भगिरथी	भागीरथी	शालिग्राम	शालग्राम
भाग्यमान	भाग्यवान्	षष्ठम	पष्ठ
भुजङ्गिनी	भुजङ्गी	सत्तम	क्षम
भ्रातागण	भ्रातृगण	सदोपदेश	सदुपदेश
मनान्तर	मतान्तर	सन्मान	सम्मान
मनोकष्ट	मनःकष्ट	सन्मुख	सम्मुख
मनोकामना	मनःकामना	संबन्धीय	सम्बन्धी
महदुपकार	महोपकार	सम्बत्	संवत्
महानता	महत्ता	सराहनीय	श्लाघनीय
मैत्रता	मैत्री	सशङ्कित	शङ्कित
वद्री	वदरी	साम्यत्व	साम्य
विद्यमान्	विद्यमान	सिञ्चन	सेचन
विद्यामान्	विद्यावान्	सिञ्चित	सिक्त
व्यवहारित	व्यवहृत	सिंघ	सिंह
व्याकुलित	व्याकुल	सौन्दर्यता	सौन्दर्य
लक्ष्मीमान्	लक्ष्मीवान्	होतव्य	भवितव्य

नोट—हमने ऊपर जिन शब्दों को अशुद्ध बताया है, वे संस्कृत-प्रणाली के अनुसार अशुद्ध हैं, परन्तु इनमें से कई को हिन्दी के विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है। जैसे—

..हिन्दुओं का साम्यत्व निश्चित करके धीरे से कहते हैं। (भारतेन्दु)

आप लोग बिना विचारे अकाव्य सिद्धान्त न मान लें ।

(विभक्ति-विचार)

अपनी महानता से परिचित होना चाहते हैं । (प्रभा)

विचार रखना बहुत ही आवश्यकीय है । (पं० केशवराम भट्ट)

✍ 'अपने स्वाधीन, सावधानपूर्वक, सविनयपूर्वक, वास्तविक में' इत्यादि प्रयोग भी उचित नहीं । इनकी जगह 'स्वाधीन, सावधान, सविनय, वास्तव में' इत्यादि प्रयोग शुद्ध हैं ।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

भगवान् जगबन्धु कहलाते हैं । आपके दर्सग कब होंगे ? उसकी पैत्रिक सम्पत्ति अच्छी है । आपके भ्रातागण कहाँ गये ? ग्रन्थकर्ता ने सब अधिकार अपने स्वाधीन रखे हैं । नायकानापूर्वक आओ ।

कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द

यहाँ कुछ ऐसे तद्भव शब्दों की तालिका दी जाती है, जिनका व्यवहार हिन्दी-भाषा में प्रायः हुआ करता है । साथ ही उनके शुद्ध संस्कृत रूप भी दिये गये हैं ।

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
अजान	अज्ञ	आग	अग्नि
अंधा	अन्ध	आँख	अक्षि
अनाड़ी	अनाय	आँसू	अश्रु
आठ	अष्ट	इट	इष्टका
आज	अद्य	उमस	उष्म
आवा	अर्द्ध	उल्लू	उलूक

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
ऊख	इक्षु	छोह	क्षोभ
उछाह	उत्साह	जीभ	जिह्वा
ऊँट	उष्ट्र	जेठ	ज्येष्ठ
इगारह		भट	भटिति
एगारह	एकादश	भड़	भटिका
ग्यारह		ठाकुर	ठक्कुर
ओखल		डाँड़	दंड
ओठ	उलूखल	डंडा	
किवाड़	ओष्ठ		
कुँआ	कपाट	तीता	तिक्त
काठ	कूप	थाली	स्थाली
कान	काष्ठ	थन	स्तन
खार	कर्ण	दही	दधि
खाट	क्षार	दूध	दुग्ध
गदहा	खट्वा	दूब	दुर्वा
गाभिन	गदंभ	दाल	द्विदल
घड़ा	गभिणी	धान	धान्य
घड़ी	घट		
घाम	घटिका		
घाव	घर्म	धोरज	धैर्य
घी	घात	नाक	नक्र
चौँद	घृत	नस	नस्य
चोंच	चन्द्र	नींद	निद्रा
चूर	चंचु	पीला	पीत
चून		पोथा	पुस्तक
चूरन	चूर्ण	पैर	पद
		पानी	पानीय

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
पत्ता	पत्र	सेज	शय्या
फिटिकरी	स्फटिका	सीख	शिक्षा
बाघ	व्याघ्र	सुहाग	सौभाग्य
बच्छा	वत्स	साई	स्वामी
बन्दर	वानर	सच	सत्य
भालू	भल्लूक	सौ	शत
मछली	मत्स्य	हाथ	हस्त
राकस	राक्षस	हिय	हृदय
लाख	लाक्षा, लक्ष		

नोट—कुछ ऐसे अपभ्रंश शब्द हैं जो अपने शुद्ध संस्कृत रूप से विशिष्ट ही अर्थ रखते हैं। जैसे—वत्स (मव जीवधारियों के वच्चे)—वच्छा (गाय का बच्चा)। स्तन (स्त्री-जाति मात्र के स्तन)—थन (पशुओं के स्तन)। गर्भिणी (जिसके पेट में बच्चा हो वह स्त्री मात्र)—गाम्बिन (मादा पशु, जिसके पेट में बच्चा हो)।

अभ्यास

१. इन शब्दों के अपभ्रंश बताओ—

सत्य, सौभाग्य, लाक्षा, खट्वा, जटिका, कर्ण, चूर्ण और अक्षि।

२. नीचे के शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप बताओ—

आँसू, सुहाग, दही, धान, घडा, चोंच, चाँद, नाक, कुँआ, ग्राम और ऊख।

शब्दभेदों में परिवर्तन

(The same words used as different Parts of Speech)

हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग के अनुसार भिन्न-

भिन्न शब्द-भेदों में आते हैं। नीचे थोड़े से ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं।

अच्छा...संज्ञा—अच्छों से मिलिये, बुरों से बचिये।

विशेषण—राम ने अच्छा काम किया।

अव्यय—अच्छा हम आवेंगे।

आगे...संज्ञा—पुस्तक आपके आगे में है।

क्रियाविशेषण—वह आगे आया।

सम्बन्धबोधक अव्यय—वाटिका मंदिर के आगे है।

और...विशेषण—और लड़कों ने क्या कहा?

अव्यय—राम और श्याम पढ़ने गये हैं।

संज्ञा—यह बात औरों से नहीं कहना।

इसलिये...क्रियाविशेषण—वह इसलिये नहाता है कि ग्रहण लगा है।

समुच्चय—तू दुर्दशा में है, इसलिये मैं तुम्हें दान दिया चाहता हूँ।

एक...विशेषण—एक दिन ऐसा हुआ।

सर्वनाम—एक जाता है तो एक आता है।

पुनि बन्दों सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥

मज्जन पान पाप हर एका । कहत मुनत इक हर अविवेका ॥

की...क्रिया—आपने यह प्रतिज्ञा की।

सम्बन्ध का चिह्न—आपकी घोड़ी अच्छी है।

कुछ...सर्वनाम—घी में कुछ मिला है।

विशेषण—कुछ पानी।

क्रियाविशेषण—रड़की कुछ छोटी है।

केवल...विशेषण—रामहि केवल प्रेम विचारा ।

क्रियाविशेषण—तू केवल चिल्लाता है ।

समुच्चायक—‘करती हुई विकटताण्डव-सी मृत्यु निकट दिख
लाती है । केवल एक तुम्हारी आशा प्राणों को
अटकाती है !’

कोई...सर्वनाम—कोई गया या नहीं ।

विशेषण—तुम्हारी कोई पुस्तक अच्छी नहीं ।

क्रियाविशेषण—इसमें कोई २०० पृष्ठ हैं ।

क्या...सर्वनाम—राम ने आपको क्या कहा ?

विशेषण—वहाँ क्या बातें हुई ?

क्रियाविशेषण—घोड़े दौड़े क्या हैं, उड़ आये हैं ।

जो...सर्वनाम—बाघ जो बैठा था, मारा गया ।

विशेषण—जो किताब चाहो, ले लो ।

अव्यय—इसकी सामर्थ्य नहीं, जो आपका सामना करे ।

दोनों...विशेषण—दोनों लड़के ।

सर्वनाम—दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम ।

पत्थर...संज्ञा—पत्थर मत फेंको ।

अव्यय—तुम मेरी मदद पत्थर करोगे ।

साथ...संज्ञा—विपत्ति में कोई साथ नहीं देता ।

सम्बन्धबोधक—अव्यय-मैं आपके साथ गया ।

क्रियाविशेषण—वे लड़के साथ खेलते हैं ।

यह...सर्वनाम—यह किसका घर है ?

विशेषण—यह किताब किसकी है ?

क्रियाविशेषण—श्रीजिये, महाराज मैं यह चला ।

हाँ...क्रियाविशेषण—तुमने भात खाया ? हाँ ।

संज्ञा—उसने हाँ-मैं-हाँ मिलाया ।

अभ्यास

नीचे लिखे शब्दों को भिन्न भिन्न शब्द-भेदों में रखकर वाक्य बनाओ—कौन, जो, थोड़ा, दूर, न, प्रति, बहुत, सो, यह, वाह-वाह ।

वाक्यविचार

वाक्य (Sentence)

जिसके सुनने से कहनेवाले का पूर्ण अभिप्राय समझ में आ जाय ऐसे शब्दसमूह को वाक्य कहते हैं । जैसे—बालक सोता है । फूल लाल है ।

नोट—कभी-कभी हमलोग किसी घोड़े इत्यादि को देख कर ‘घोड़ा क्या कर रहा है ? कौन पशु आता है ?’ इत्यादि प्रश्न किया करते हैं । ऐसे प्रश्नों के लिये ‘चरता है, घोड़ा’ इत्यादि उत्तर पाते हैं और सुनते ही पूर्ण अभिप्राय भी सुगमता से समझ जाते हैं । अतएव, ऐसे स्थानों में ‘चरता है, घोड़ा’ इत्यादि पूर्णवाक्य हैं, यद्यपि ये ‘घोड़ा चरता है । घोड़ा आता है ।’ इत्यादि के लिये आये हैं ।

किसीने पूछा—“आज खान्हेगा ?” उत्तर मिला—“हाँ” । ऐसी जगह ‘हाँ’ इतना ही पूर्णवाक्य है । इसमें कर्त्ता और क्रिया दोनों छुप्त हैं ।

खण्डवाक्य (Clause) और वाक्यांश (Phrase)

१. जो वाक्य दूसरे की अपेक्षा रख सके उसे खण्डवाक्य कहते हैं । जैसे—तब वह परीक्षा देगा । वह ज्यों ही सो गया । जब वह आता है । यदि वह जाय ।

खण्डवाक्य दो प्रकार के हैं—प्रधान खण्डवाक्य और अधीन खण्डवाक्य । प्रधान खण्डवाक्य (Principal clause) की अधीनता

में अधीन खण्डवाक्य (Subordinate Clause) रहता है और उसके एक अंग का काम देता है। जैसे—मैंने समझ लिया कि वह चोर है। इस वाक्य में 'मैंने समझ लिया है' 'प्रधान' है और 'वह चोर है' अधीन। यह अधीन 'खण्डवाक्य' की क्रिया का कर्म है।

नोट—(१) वाक्य के बीच में भी छोटे वाक्य प्रयुक्त होते हैं जिन्हें 'अन्तर्वाक्य' कहते हैं। जैसे—क्या आपने आर्यपुत्र को मैं उनका नाम कैसे लूँ, देखा है ? मैं कृष्ण को, वह बड़ा छली है, ढूँढते-ढूँढते हार गई।

(२) वाक्य के परस्पर सम्बन्धी दो या अधिक शब्दों को जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती, वाक्यांश कहते हैं। जैसे—इतना मुनते ही, आपके पीछे; भली-भाँति परीक्षा कर लेने पर।

उद्देश्य और विधेय (Subject and Predicate)

प्रत्येक वाक्य के दो अंग हैं—उद्देश्य और विधेय।

जिसके विषय में कुछ कहा जाय उसे उद्देश्य और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय उसे विधेय कहते हैं। जैसे—बालक सोता है। इस वाक्य में 'बालक' उद्देश्य है और 'सोता' है विधेय।

नोट—कितना ही बड़ा या छोटा वाक्य क्यों न हो, परन्तु ये दोनों मोटे भाग उसमें अवश्य रहते हैं। कभी-कभी 'वाक्य' में कहीं उद्देश्य, कही विधेय और कही दोनों लुप्त रहते हैं। (पीछे 'वाक्य' के दोनों नोट देखो)।

उद्देश्य और विधेय दोनों 'विशेषण' 'क्रियाविशेषण' इत्यादि शब्दों से बढ़ाये जा सकते हैं। जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बतलाते हैं उन्हें 'उद्देश्य का विस्तार' और जो विधेय की विशेषता बतलाते हैं उन्हें 'विधेय का विस्तार' कहते हैं। जैसे—सुशील बालक खाकर सोता है।

नोट—विस्तार के विचार से उद्देश्य और विधेय दोनों के दो-दो भेद हो सकते हैं—साधारण और वद्वित।

उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार

(Subject and its Adjuncts)

१. उद्देश्य में नीचे लिखे शब्द-भेद हो सकते हैं—

- (क) संज्ञा (Noun)—बालक पढ़ता है ।
- (ख) सर्वनाम (Pronoun)—मैं पढ़ता हूँ ।
- (ग) विशेषण (Adjective)—लोभी दुःख सहते हैं ।
- (घ) क्रियाविशेषण (Adverb)—जिनका भीतर-बाहर एक-सा हो ।

(ङ) वाक्यांश (Phrase)—साँझ-सवेरे टहलना स्वास्थ्यप्रद है ।

(च) मंज्ञावत् कोई शब्द (Any words used as Noun) पढ़कर पूर्वकालिक कृदन्त है ।

२. उद्देश्य किन-किन कारकों में होता है ?

(क) कर्त्ता कारक में—मोहन रोटी खाता है ।—प्रधान ।

श्याम ने रोटी खाई ।—अप्रधान ।

(ख) कर्म कारक में—पुस्तक लिखी गई है ।—कर्मवाच्य, चिह्न रहित । शर्माजी को मभापति बनाया गया ।—चिह्न सहित ।

(ग) करणकारक में—

बूढ़े से चला नहीं जाता ।

आप से बोलते नहीं बनता ।

भाववाच्य

(घ) सम्प्रदान कारक में—

आपको यह कहना योग्य नहीं है ।

राम को लिखना पड़ेगा ।

योग्यता, कर्त्तव्य और

आवश्यकता जताने में *

*कोई-कोई कहते हैं कि इन वाक्यों में 'क्रिया का साधारण रूप' ही उद्देश्य हो सकता है ।

नोट—जो संज्ञा सम्बोधन में आती है, वह मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकती, क्योंकि विधेय से साक्षात् सम्बन्ध नहीं रखती। सम्बोधन के आगे 'उद्देश्य' मध्यमपुरुष सर्वनाम में गुप्त या प्रकट रहता है। * जैसे—हे प्यारे, कहाँ जाते हो? भगवान् ! तू मेरी खबर कब लेगा ?

३. उद्देश्य के विस्तार में नीचे लिखे शब्दभेद हो सकते हैं—

(क) विशेषण । जैसे—लाल घोड़ा आता है। पढ़ता सुगा उड़ गया। आया हुआ नौकर सो गया।

(ख) समानाधिकरण शब्द । जैसे—परमहंस बँसुलिया बाबा पटने गये थे। राम के पिता दशरथजी यह नहीं चाहते थे। मैं मोहन लाल इकरार करता हूँ।

(ग) सम्बन्ध । जैसे—राम का घोड़ा घास खाता है।

(घ) वाक्यांश । जैसे—आकाश में फिरता हुआ चन्द्रमा राहु से ग्रसा जाता है।

विधेय और विधेय का विस्तार

(Predicate and its Extension)

१. विधेय से, उद्देश्य के विषय में नीचे लिखी कोई एक बात पाई जाती है।

(क) करना । जैसे—मैं खाता हूँ। वह पढ़ता है।

(ख) सहना । जैसे—नौकर भगाया गया। खेत बोया जायगा।

२. साधारण विधेय में केवल एक क्रिया रहती है। जैसे—बालक सोता है। सीता जाती है।

नोट—कई अकर्मक अपूर्ण क्रियाएँ ऐसी हैं जिनके पूरक शब्द विधेय के नित्य साथी सम्भोज जाते हैं और ऐसे विधेय को जटिल विधेय कहते हैं।

*वाक्यविभाजन में सम्बोधन को छोड़ देते हैं या सर्वनाम के साथ उद्देश्य में रख देते हैं।

प्ररक के नीचे लिखे शब्द-भेद हो सकते हैं—

(क) विशेषण । जैसे—वह लड़का पागल है ।

(ख) संज्ञा । जैसे—राम का भाई चार निकला ।

(ग) सम्बन्ध । जैसे—चार बैल उनके हुए ।

(घ) क्रियाविशेषण । जैसे—श्याम वहाँ था ।

३. विधेय के विस्तार में नीचे लिखे शब्द-भेद हो सकते हैं

(क) कर्म । जैसे—घोडा घास खाता है ।

(ख) विधेयार्थवर्द्धक । जैसे—

१. वह घर गया । (संज्ञा)

२. नव दिन चले ढाई कोस । (संज्ञा-वाक्यांश)

३. ललिता मधुर गायी है । (क्रियाविशेषणवत् विशेषण)

४. त्रियाँ उदास बैठी थीं । (विशेष्य के परे विशेषण)

५. स्त्री बकते-बकते चली गई । (अपूर्ण क्रियाधोतक)

६. मोहन छाता लिये जाता था । (पूर्ण क्रियाधोतक)

७. रामचन्द्र पट्टर चला गया । (पूर्वकालिक)

८. बच्चा लेटते ही सो गया । (तत्कालबोधक कृदन्त)

९. तुम इतनी रात गये क्यों आये ! (स्वतन्त्र वाक्यांश)

१०. गाड़ी जल्दी जायगी । (क्रियाविशेषण)

११. चोर कहीं-न-कहीं छिपा है । (क्रियाविशेषण वाक्यांश)

१२. बिड़िया धोती समेत उड़ गई । (सम्बन्ध सूचकान्त)

१३. मैंने छुरी से कलम काटी । (कर्ता, कर्म और सम्बन्ध छोड़ शेष कारक)

नोट—कई विद्वान् विधेयार्थवर्द्धक के बदले विधेय के विस्तार में उपर के सभी भेदों की अलग-अलग गिनती मान लेते हैं ।

कर्म इत्यादि अन्यान्य कारकों में भी उद्देश्य ही के समान शब्दभेद और विस्तार हो सकते हैं । इसी प्रकार विस्तार का प्रत्येक अंश आवश्यकतानुसार विशेषण इत्यादि शब्दों से बढ़ाया जा सकता है ।

अभ्यास (Exercise)

१. वाक्य किसे कहते हैं ? २. खण्डवाक्य और वाक्यांश किसे कहते हैं ?
 ३. खण्डवाक्य कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो । ४. अन्तर्वाक्य किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । ५. वाक्य के कितने अंश हैं ? उदाहरण देकर समझाओ । ६. उद्देश्य और विधेय के विस्तारों में क्या भेद है ? ७. उद्देश्य के कौन-कौन कारक हैं ? उदाहरण दो । ८. क्या सम्बोधन की संज्ञा भी उद्देश्य है ? क्यों ? ९. अकर्मक अपूर्ण क्रियाओं के पूरक में कौन-कौन शब्द-भेद हो सकते हैं ? उदाहरण दो ।

१०. नीचे लिखे वाक्यों में प्रत्येक अंग को अलग-अलग करो—

तुम अपने मन में ऐसा कभी न सोचो । तुमलोग भारत के पुत्र हो ।
 चरित्रबल पाकर ही तुमलोगो का हृदय बलिष्ठ होगा । एक-एक गुण का अभ्यास करके लोग गुणों में अपने को अलंकृत कर सकते हैं ।

११. नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य का विस्तार करो—

कृष्ण को लोग योगी कहते हैं । अर्जुन ने लड़ाई में आश्चर्यजनक कार्य किये । रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण समेत वन गये । स्त्री अपने पति के लिये प्राण देती है । राम ने वन में लाखों राक्षसों को मारा ।

१२. नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य में विधेय का विस्तार करो —

शूद्रक नाम का परम बुद्धिमान् प्रबल महाप्रतापी राजा राज करता था ।
 राजा बैठे थे कि द्वारपाल ने निवेदन किया — “चाण्डाल कन्या आई है ।”
 राजा बोले । प्रतिहारी ले आया ।

१३. नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य के उद्देश्य और विधेय दोनों को बढ़ाओ ।

शकुन्तला यही है । रामचन्द्र वन गये । मृग ने आशीर्वाद दिया ।
 मृग उसी ओर देखने लगा । कादम्बरी ने पूछा । मदलेखा ने कहा ।

१४. नीचे लिखे प्रत्येक वाक्याश को उद्देश्य या विधेय का विस्तार मानकर वाक्य बनाओ—

हमारी तपस्या के विघ्न की मूर्ति । कैसा विघ्न । साथवालो को विदा करके शकुन्तला के हावभाव देखने की । मेरे हृदय से कैसे । पवन के सम्मुख चलती । बड़े चाव से कान लगाकर । टिड्डी के समान ।

वाक्यभेद (Kinds of Sentences)

स्वरूप के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—साधारण (अमिश्र), मिश्र (संयुक्त) और संयुक्त (संसृष्ट) ।

जिम वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं । जैसे—राम पढ़ता है ।

जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य तथा इसीके आश्रित एक या अधिक अंगवाक्य होते हैं उसे मिश्रवाक्य कहते हैं । जैसे—मैं देखता हूँ कि श्याम खेलता है । इसमें 'मैं देखता हूँ' यह साधारण वाक्य है जो मुख्य है और 'श्याम खेलता है' यह अंग है, क्योंकि क्रिया का कर्म है । अन्य उदाहरण—साधु कहता है कि भूखों को भोजन दो । वह आदमी, जो कल आया था, आज भी आया है । जब पानी बरसता है तब मेढ़क बोलते हैं ।

जिम वाक्य में दो या अधिक साधारण या मिश्रवाक्य रहते हैं उसे संयुक्तवाक्य कहते हैं । संयुक्तवाक्य में मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण वाक्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते । जैसे—

(१) राम पढ़ता है और श्याम खेलता है । (दो साधारण वाक्य)

(२) श्याम माखनचोर है, इसलिये जब मैं ढूँढ़ती हूँ तब वह छिप जाता है । (एक साधारण और एक मिश्र वाक्य) ।

(३) जब भाफ जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कुहरा कहते हैं और जब वह हवा में कुछ ऊपर इकट्ठी दीख पड़ती है तब उसे बादल कहते हैं । (दो मिश्रवाक्य) ।

अङ्गवाक्य (आश्रितवाक्य)**(Subordinate sentences)**

ऊपर कह आये हैं कि मिश्रवाक्यों के अङ्गवाक्य होते हैं जो मुख्य वाक्यों के अधीन रहते हैं ।

अङ्गवाक्य तीन प्रकार के होते हैं—संज्ञावाक्य, विशेषणवाक्य और क्रियाविशेषणवाक्य ।

१. जब किसी अंगवाक्य का प्रयोग मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान में होता है तब उसे संज्ञावाक्य कहते हैं । जैसे—इससे जान पड़ता है कि बुरी सङ्गति का फल बुरा होता है । साधु कहता है कि भूखों को भोजन दो । उसका कथन कि सूर्य चलता है, मैं नहीं मानता । यहाँ तीन वाक्यों के अंगवाक्य क्रमशः कर्त्ता, कर्म और समानाधिकरण संज्ञा के बदले आये हैं ।

नोट—‘संज्ञावाक्य’ संयोजक अव्यय ‘कि’ से आरम्भ होता है, किन्तु कभी-कभी ‘कि’ का लोप भी करते हैं । जैसे—तुम सुशील हो, यह सब जानते हैं । मेरे मित्र ने कहा, ‘अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं ।’

२. जब कोई अंगवाक्य मुख्यवाक्य की किसी संज्ञा के विशेषण का काम देता है तब उसे विशेषणवाक्य कहते हैं । जैसे—वह आदमी, जो कल आया था, आज भी आया है । वह अपने विद्यार्थी को, जो भाग गया था, मारते हैं । वह अपने विद्यार्थी को, उस छड़ी से मारते हैं जो मेले में खरीदी गई थी । यहाँ तीन वाक्यों के अंगवाक्य क्रमशः कर्त्ता, कर्म और करण के विशेषण होकर आये हैं ।

नोट—विशेषण-वाक्यों को ‘जो, जैसे, जितना, जब, जहाँ, जैसे’ इत्यादि शब्दों से आरम्भ करते हैं और मुख्य वाक्यों में उनके नित्य सम्बन्धी ‘शब्द’ आते हैं । कभी-कभी ये शब्द लुप्त भी रहते हैं । जैसे—जो आवे सो जाय । जो बचे सो भागे । जिसकी लाठी उसकी भैंस । हुआ सो हुआ, सब हो तो कह दो । उन्होंने जितना काम किया उतना कोई न करेगा ।

९. जब कोई अङ्गवाक्य किसी क्रिया के विशेषण का काम देता है तब उसे क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे—“जब पानी बरसता है तब मेढ़क बोझते हैं। जहाँ पहले थल था वहाँ अब जल है। जैसे वह आया तैसे चला गया। कोई नहीं उतना खाता, जितना वह खाता है।” यहाँ चारों वाक्यों के अङ्गवाक्य क्रमशः कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हैं।

नोट—क्रियाविशेषण वाक्य को ‘जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि, कि’ इत्यादि शब्दों से आरम्भ करते हैं और मुख्य वाक्यों में उनके नित्य-सम्बन्धी शब्द आते हैं। कभी-कभी ये शब्द लुप्त भी रहते हैं। जैसे—यदि जा सको तो जाना। यह रसीद लिख दी कि मनद रहे। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ।

समानाधिकरणवाक्य (Co-ordinate Sentences)

हम पीछे लिख आये हैं कि संयुक्तवाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरणवाक्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते।

समानाधिकरणवाक्य चार प्रकार के होते हैं—संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और कारकसूचक।

१. संयोजक में एक वाक्य दूसरे के समान या समान अवधारण के साथ केवल युक्त रहता है। जैसे—मैं आगे बढ़ गया और तू पीछे रह गया। वस्त्र केवल शोभा के लिये नहीं हैं, परन्तु उनसे स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। एक तो मेरे पाँव में दर्द की पैनी अनी लगी है दूसरे कुरे की डाढ़ में अंचल उलझा है।

२. विभाजक के मुख्यवाक्यों में व्यावृत्ति या विकल्प का सम्बन्ध रहता है। जैसे—वह जीता है या मर गया। न वहाँ कोई मनुष्य मिला, न कोई पशु दिखाई दिया।

३. विरोधदर्शक के मुख्यवाक्यों में परस्पर विरोध रहता है। जैसे—आपसे बहुत कुछ आशा थी, परन्तु वह फलवती न हुई। मुझे सत्य चाहिये, परन्तु वह अप्रिय न हो।

४. कारणसूचक के मुख्य वाक्यों में परम्पर फल और कारण का सम्बन्ध रहता है। जैसे—बाप उस बहुत चाहते थे, इसलिये वह नष्ट हुआ। हिमालय पर्वत रमणीय है, क्योंकि वहाँ प्रकृति के वास्तविक दर्शन होते हैं।

नोट—जब संयुक्त वाक्य के अंगों में उद्देश्य-विधेय इत्यादि की पुनरावृत्ति न करके अव्यय इत्यादि से काम चलाते हैं तब उसे संकुचित वाक्य कहते हैं। जैसे—राम और श्याम एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं। मैंने पुस्तकें खरीदी और पढ़ी। न उसमें मनुष्य थे, न जानवर। अब वह राजर्षि के नाम से नहीं वरन् ब्रह्मर्षि के नाम से प्रसिद्ध हो गये। गुरुजी बीमार हैं, इसलिये पढ़ाने नहीं आये।

वाक्यभेद

(१)

क्रिया के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—कर्तृप्रधान, कर्मप्रधान और भावप्रधान।

कर्तृप्रधान की क्रिया कर्तृवाच्य, कर्मप्रधान की कर्मवाच्य और भावप्रधान की भाववाच्य होती है। जैसे—(१) राम पुस्तक पढ़ना है। (२) सीता से प्रण्य पढ़ा गया। (३) चला जाय। बैठा जाय। (४) रानी से सोया नहीं जाता है।

वाक्यभेद

(२)

सभी वाक्य नीचे लिखे आठ रूपों में मिलते हैं—

१. विधानार्थक—जिससे किसी बात का होना पाया जाय। जैसे—रामजी लंका गये। लड़कियाँ लिख रही हैं।
२. निषेधार्थक—जिससे किसी बात का न होना पाया जाय। जैसे—उसने पुस्तकें नहीं लिखी।
३. आज्ञार्थक—जिससे आज्ञा समझी जाय। जैसे—वहाँ जाओ। बैठा जाय। भात मत खाना।
४. प्रश्नार्थक—जिससे प्रश्न समझा जाय।

जैसे—कहाँ जाते हो ? यह सड़क कहाँ गई है ? ५. विस्मयार्थक—जिससे विस्मय आदि समझा जाय । जैसे—वाह ! क्या ही उत्तम दृश्य है । ६. इच्छार्थक—जिससे इच्छा जानी जाय । जैसे—जय हो ! भगवान् आपका भला करे । ७. सन्देहार्थक—जिससे सन्देह या संभव का बोध हो । जैसे—शायद मैं जाऊँ । राम जाता होगा । ८. कल्पनार्थक—जिससे कल्पना का बोध हो । जैसे—यदि तुम पढ़ते रहते तो आज तुम्हारी यह अवस्था नहीं होनी ।

अभ्यास (Exercise)

१. स्वरूप के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण दो । २. समानाधिकरण वाक्य किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । ३. आश्रित वाक्य और समानाधिकरण वाक्य में क्या भेद है ? उदाहरण दो । ४. आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण दो । ५. सामानाधिकरण वाक्य कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो । ६. संकुचित वाक्य किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । ७. सभी प्रकार के वाक्य किन-किन रूप में मिलते हैं ? एक-एक उदाहरण दो ।

८. नीचे लिखे वाक्यों में कौन किस प्रकार का है ? तीनों वाक्य-भेदों के अनुसार बताओ—

“ किसी अच्छे काम में आप प्रवृत्त होता है उसकी सहायता ईश्वर करते हैं ।” यह उपदेश माँ के मुँह से बचपन से मातृभक्त गारफील्ड को बार-बार सुनने में आता था । बुद्धिमती माँ का उपदेश गारफील्ड कभी न भूले ।

वाक्यरचना (Syntax)

व्याकरण से सिद्ध किये पदों को लाघव, रोजमर्रे और मुहाबरे इत्यादि पर ध्यान रखकर मेल के अनुसार यथाक्रम रखने को वाक्यरचना कहते हैं ।

वाक्यरचना में मुख्यतः ‘मेल, क्रम, लाघव, रोजमर्रा और मुहाबरा’ इन पाँच विषयों की चर्चा रहती है ।

मेल (Concord)

वाक्य का एक पद दूसरे से लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल और नियम इत्यादि का जो सम्बन्ध रखता है उसे मेल कहते हैं।

जब वाक्य में दो शब्द एक ही लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल और नियम के हों तब वे आपस में मेल, समानता या सादृश्य रखनेवाले कहे जाते हैं।

हिन्दी में कर्त्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का, सम्बन्ध^१ के साथ सम्बन्धी का और विशेष्य के साथ विशेषण का मेल रहता है। कुछ शब्द भी आपस में सम्बन्ध रखते हैं जो नित्यसम्बन्धी कहलाते हैं।

कर्त्ता और क्रिया में मेल

१. चिह्न-रहित कर्त्ता की क्रिया कर्त्ता ही के अनुसार होती है, चाहे वाक्य में कर्म किसी अवस्था में रहे या न रहे। जैसे—
श्याम पढ़ता है। सीता पढ़ती है। राम का बालक आता है। सब बालक आते हैं। मैं आता हूँ। वे आते हैं। स्त्री जाती है। स्त्रियाँ जाती हैं। श्याम रोटी खाता है। सीता दासी को पुकारती है।

२. यदि वाक्य में एक ही लिङ्ग, वचन और पुरुष के कई चिह्न-रहित कर्त्ता 'और' (या इसी अर्थ के किसी अन्य योजक शब्द) से † युक्त हों तो क्रिया उसी लिङ्ग में बहुवचन होगी, परन्तु यदि उनके समूह से एकवचन का अर्थ समझा जाय तो क्रिया एकवचन हाँगी। जैसे—राम और श्याम आते हैं।

* 'का, की, के, चिह्न युक्त सम्बन्ध-पद जब विशेषण माना जाय तब सम्बन्ध और सम्बन्धी का, नहीं तो केवल सम्बन्ध के चिह्न और सम्बन्धी का।

† समास-प्रयोग और 'विरामचिह्न' देखो।

सीता, सावित्री और माधुरी वाटिका में गई हैं।
उत्साह और आनन्द बढ़ा है। भेड़ें और बकरियाँ चर रही हैं, व
वह और वह जाते हैं।

२. यदि वाक्य में दोनों लिङ्गों और वचनों के अनेक चिह्न-
रहित कर्त्ता हों तो क्रिया बहुवचन के सिवा लिङ्ग में अन्तिम कर्त्ता के
अनुसार होगी। जैसे—एक घोड़ा, दो बैल और बहुत-सी बकरियाँ
चरती हैं। एक बकरी, दो गायें और बहुत-से बैल चरते हैं।

नोट—(क) ऐसी जगह प्रायः बहुवचन और पुँल्लिङ्ग कर्त्ता अन्त में
रखते हैं। (प्रयोग में इसका विशेष विचार नहीं देखा जाता।)

(ख) यदि पिछला कर्त्ता एकवचन हो तो क्रिया एकवचन और बहुवचन
दोनों होती है। जैसे—तुम्हारी बकरियाँ, उसकी घोड़ी और मेरा बैल उस
खेत में चरता है (चरते हैं)।—पं० अम्बिकादत्त व्यास।

(ग) यदि दोनों लिङ्गों के एकवचन कर्त्ता 'और' (या इसी अर्थ के
किसी अन्य योजक शब्द) से युक्त हों तो क्रिया प्रायः पुँल्लिङ्ग और
बहुवचन होती है। जैसे—किसी गाँव में एक बुढ़वा और एक बुढ़िया रहते
थे। आज ही तो राजारानी गये हैं। इस राज्य में बाघ और बकरी एक घाट
पानी पीते हैं।

(घ) समस्त शब्दों की क्रियाओं के नियम 'समास-प्रयोग' में देखो।

४. यदि चिह्नरहित अनेक कर्त्ता हों और उनके बीच में
भाजक शब्द लावें तो क्रिया लिङ्ग और वचन में अन्तिम कर्त्ता के अनुसार
होती है। जैसे—मेरी बेटो या उसका बेटा आता है। आज मोहन
का घोड़ा या राम की बकरियाँ बिकेंगी।

५. यदि चिह्नरहित अनेक कर्त्ताओं और क्रिया के बीच में
कोई समुदायवाचक शब्द आ पड़े तो क्रिया, लिङ्ग और वचन में
समुदायवाचक शब्द के अनुसार होगी। जैसे—लड़ाई में बालक-युवा,
नर-नारी, राजा-रानी सब-के-सब पकड़े गये या भीड़-की-भीड़
पकड़ी गई। (छा नियम देखो)

. यदि चिह्नरहित अनेक कर्त्ताओं से बहुवचन का अर्थ निकले तो क्रिया बहुवचन और यदि एकवचन का अर्थ लें तो क्रिया एकवचन होती है, चाहे कर्त्ताओं के आगे समुदायवाचक शब्द हो या न हो। जैसे—इसके मोल लेने में दो रुपये सात आने तीन पैसे लगे हैं। धन, जन, स्त्री और राज मेसू क्यों न गया ? खेती-बारी, घर-द्वार मेरा सब चला गया। चार मास और तीन बरस इसके करने में लगा है। मेरा उत्साह, धैर्य और आनन्द बढ़ता जाता है। इसके मोल लेने में दो रुपया आठ आना लगा है। दाल और भात अच्छा बना है (यह नियम जीवधारी के लिये नहीं है।)

७. यदि वाक्य में उत्तमपुरुष मध्यम और अन्य दोनों पुरुषों के साथ या किसी एक के साथ कर्त्ता होकर आवे तो क्रिया उत्तमपुरुष के अनुसार होगी। यदि कर्त्ता केवल मध्यम और अन्य पुरुषों में हो तो क्रिया मध्यमपुरुष के अनुसार होगी। जैसे—तुम, वह और हम चलेंगे। तुम, वह और मैं चलूँगा। तुम और हम चलेंगे। तुम और मैं चलूँगा। वह और हम चलेंगे। वह और मैं चलूँगा। तुम और वह (श्याम) चलोगे।*

नोट—वाक्य में पहले मध्यमपुरुष आता है और अन्त में उत्तम पुरुष। अन्यपुरुष दोनों के बीच में आता है। †

८. आदर के लिये चिह्नरहित एकवचन कर्त्ता की क्रिया भी बहुवचन होती है। जैसे—पण्डितजी आये हैं। वह जाते हैं।

नोट—परमेश्वर के लिये एकवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे—ईश्वर जानता है, वह झूठ नहीं बोलते।

* ऐसी जगह दिल्ली के उर्दू वाले पण्डित क्रिया को सदा पुँल्लिग, और अन्यपुरुष में रखते हैं।

† इस क्रम को कोई-कोई नहीं भी मानते।

६. जब कोई स्त्री, अपने पति या परिवार की ओर से वा किसी ऐसे समुदाय की ओर से जिसमें स्त्री-पुरुष सब हों, कुछ कहती है तब वह भी अपने लिये—पुँल्लिङ्ग और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करती है। जैसे—ब्राह्मणी ने कुन्ती से कहा कि न जाने हम बकासुर राक्षस के अत्याचार से कैसे छुटकारा पावेंगे।”

१०. क्रिया मुख्य कर्त्ता के अनुसार होती है, कर्त्ता के विधेय-स्वरूप के अनुसार नहीं। जैसे—लड़की बीमारी से सूखकर काठ हो गई। वह राजा स्त्री हो गया। वह विरोध ही का फल है कि अर्जुन विराट् के घर स्त्री-रूप में वृहन्नला कहलाते हैं।

११. एक कर्त्ता की दो या अधिक क्रियाएँ भिन्न-भिन्न कालों में हों तो कर्त्ता का चिह्न केवल पहली क्रिया के अनुसार आता है, परन्तु शेष क्रियाएँ भी नियमबद्ध रहती हैं। जैसे—मेरे सब लड़कों ने साथ-साथ एक ही स्थान में विद्या सीखी और साथ-साथ एक ही स्थान में काम करते हैं।

१२. दो या अधिक क्रियाओं के एक ही कर्त्ता को बार-बार न लाकर केवल एक ही बार लाते हैं और यदि क्रियाओं के उत्तर-अंश समान हों तो उन्हें सब में नहीं रखते, केवल अन्तिम क्रिया में रखते हैं। जैसे—सीता खाती, पीती और सोती थी।

१३. एक वाक्य में पूर्वकालिक का वही कर्त्ता होता है जो समाप्तिक्रिया का होता है, परन्तु कर्त्ता का चिह्न पूर्वकालिक के अनुसार नहीं होता। जैसे—मैंने पाठशाला में बैठकर पढ़ा।

कर्म और क्रिया में मेल

१. यदि कर्म चिह्नरहित हो तो चिह्नसहित कर्त्ता की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। परन्तु यदि दोनों चिह्नयुक्त हों तो क्रिया सदा एकवचन, पुँल्लिङ्ग और अन्यपुल्ल में रहती है। जैसे—मैंने रोटी खाई। मुझसे रोटी खाई गई। रानी ने भात खाया। रानी

ने सहेलियों को बुलाया। दासी कहती है कि रानी ने मुझे मारा। उन्होंने उसे अधिक आदर की चीज समझा है।

नोट—‘श्रोताओं ने खूब ही उत्साह और आनन्द प्रकट किया।’ इस वाक्य में ‘उत्साह और आनन्द’ से बहुवचन का अर्थ लिया गया है। (पीछे ‘कर्त्ता और क्रिया में मेल’ शीर्षक पाठ का छठा नियम देखो।)

२. यदि कर्म न हो सके या लुप्त हो तो चिह्नसहित कर्त्ता की क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिङ्ग और अन्यपुरुष में रहती है। जैसे—मुझसे बैठा नहीं जाता। मैंने पढ़ा है। रानी ने देखा था।

कर्त्ता, कर्म और क्रियासम्बन्धी नोट—

(१) अङ्गवाक्य और क्रियार्थक संज्ञा के अनुसार होनेवाली क्रियाएँ सर्वदा एकवचन, पुल्लिङ्ग और अन्यपुरुष में होती हैं। जैसे—तूने कहा कि पुस्तक अच्छी है। इस कार्य के लिये उमका दौड़ना-धूपना कुछ लाभदायक नहीं हुआ। टहलना अच्छा है।

(२) क्रिया जिसके अनुसार होनेवाली है यदि उसके लिङ्ग में सन्देह हो तो क्रिया पुल्लिङ्ग ही होती है। जैसे—उसने कुछ न किया। महाभारत में लिखा है। दरवाजा कौन खटखटाता है?

(३) कतिपय संज्ञाओं के केवल बहुवचन प्रयोग मधुर जान पड़ते हैं। जैसे—‘प्राण निकल गये।’ उन्होंने प्राण छोड़ दिये। बूँदें पड़ रही हैं। आँसू टपक पड़े। आपके दर्शन होंगे? अच्छत छोटे गये। ओठ फरकने लगे।’ ऐसी जगह एकवचन-प्रयोग भी मिलते हैं।

संज्ञा और सर्वनाम में मेल

१. सर्वनाम में उसी संज्ञा के लिङ्ग और वचन होते हैं जिसके बदले वह आता है, परन्तु कारकों में भेद रह सकता है। जैसे—राम ने कहा—“मैं जाऊँगा।” सीता कहती है कि मैं यहाँ न रहूँगी, मुझको वन ही में सुख मिलेगा।

२. सम्पादक, ग्रन्थकार, किसी सभा के प्रतिनिधि और बड़े-बड़े अधिकारी अपने लिये 'मैं' के बदले 'हम' का प्रयोग करते हैं। जैसे—हमने पहले किसी अंक में, यह बात लिखी है। हम चौथे अध्याय में यह बात लिख आये हैं। हम अपने सभा-सदों से इसके विषय में फिर राय लेंगे। हम अपने राज्य का प्रबन्ध कर लेंगे।

नोट—वक्ता केवल अपने लिये भी 'मैं' के स्थान में बहुधा 'हम' का प्रयोग करते हैं। जैसे—'हम आधी दक्षिणा लेके क्या करें? हमने यह धर गत वर्ष बनवाया।'।

३. एक प्रसंग में किसी एक संज्ञा के बदले पहली बार जिस वचन में सर्वनाम का प्रयोग करें, आगे के लिये भी वही वचन रखना उचित है। एक ही संज्ञा के लिये आप और तुम अथवा महाराज और आप कहना असङ्गत है। जैसे—'राम ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हें कभी न पढ़ाऊँगा, क्योंकि तुमने मेरी पुस्तकें, जिन्हें मैंने तुम्हारे बाप से खरीदा था, चुरा ली हैं।' 'जिस बात की चिन्ता आपको है सो कभी न हुई होगी, क्योंकि तपोवन के विघ्न तो केवल आपके धनुष की टंकार ही से मिट जाते हैं।' 'आपने बड़े प्यार से कहा कि आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। उसने आपको विदेशी जान आपके हाथ से जल न पिया।

नोट—कभी-कभी एक ही वाक्य में 'मैं' और 'हम' एक ही संज्ञा के लिये क्रमशः व्यक्ति और प्रतिनिधि के अर्थ में आते हैं। जैसे—'मैं' चाहता हूँ कि आगे कोई ऐसी सूरत न हो और हम सब एकचित्त होकर रहे।

४. कई संज्ञाओं के बदले का एक सर्वनाम वही लिङ्ग और वचन लेगा जो उनके समूह से सम्भले जायँगे। जैसे—राम

और श्याम पढ़ने गये हैं, परन्तु वे शीघ्र आवेंगे। श्रोताओं ने जो उत्साह और आनन्द प्रकट किया उसका वर्णन नहीं हो सकता।

५. 'तू' अनादर और प्यार अर्थ में किसी संज्ञा के बदले तथा देवताओं के लिये आता है। जैसे—अरे शठ, तू क्या करता है? अरे बेटा, तू मुझसे क्यों रूठ गया है? हे ईश्वर! तू संसार का स्वामी है। तू अनन्त है। घट-घट की जानता है। तेरी महिमा अपरम्पार। (अब ऐसी जगह 'तुम' भी आने लगा है।)

६. मध्यमपुरुष में आप शब्द की अपेक्षा अधिक आदर सूचित करने के लिये किसी संज्ञा के बदले ये शब्द आते हैं—
(१) पुरुषों के लिये—कृपानिधान, महाशय, महानुभाव, कृपासागर, श्रीमान्, हुजूर, हुजूरवाला, साहिब, इत्यादि। (२) स्त्रियों के लिये—श्रीमती, देवी, इत्यादि। जैसे—यदि कृपानिधान की आज्ञा होती तो यह दास घर जाता। हुजूर का क्या हुक्म होता है? श्रीमती की आज्ञा कब होगी?

७. बड़ों के सामने अपनी हीनता और दीनता दिखलाने के लिये उत्तमपुरुष के बदले ये शब्द आते हैं—(१) पुरुषों के लिये सेवक, दास, सेवकाधम, विनयावनत, अपराधी, बन्दी, इत्यादि। (२) स्त्रियों के लिये—दासी, आज्ञाकारिणी, इत्यादि। जैसे—इस सेवक को भी याद रखियेगा। इस दासों क्या अपराध किया है?

८. आदरार्थक अन्यपुरुष 'आप' के बदले ये शब्द आते हैं।—
(१) पुरुषों के लिये—श्रीमान्, प्रभुवर, मान्यवर, हुजूर, इत्यादि।
(२) स्त्रियों के लिये—श्रीमती, देवी, इत्यादि। जैसे—क्या तुम जानते हो कि श्रीमान् कब आवेंगे? श्रीमती के विषय में आपके पास कोई सामाचार आया है?

सम्बन्ध* और सम्बन्धी में मेल

१. सम्बन्ध के चिह्न में वही लिङ्ग और वही वचन होते हैं सम्बन्धी के होते हैं। जैसे—सीता का घर। सीता के दो पुत्र। राम की घोड़ी। राम की घोड़ियाँ।

२. आकारान्त विशेषण के परिवर्तन में जो-जो नियम लगते हैं वे ही नियम सम्बन्ध के चिह्न के लिये भी हैं। जैसे—अच्छा घोड़ा—राम का घोड़ा। अच्छे घोड़े—राम के घोड़े। अच्छे घोड़े को—राम के घोड़े को। अच्छे घोड़ों को—राम के घोड़ों को। अच्छी घोड़ी—राम की घोड़ी। अच्छी घोड़ियाँ—राम की घोड़ियाँ।

नोट—समस्त शब्द जब सम्बन्धी होकर आवे तब भी ऊपर के ही नियम लगते हैं। (समास-प्रयोग देखो)

३. यदि सम्बन्धी में कई संज्ञाएँ बिना समास के आवे तो सम्बन्धी का चिह्न उस संज्ञा के अनुसार होगा जिसके पहले वह रहेगा। जैसे—राम का बैल, गाय और बकरियाँ चरती हैं। मेरी माता और पिता जीवित हैं।

विशेषण और विशेष्य में मेल †

 कई बात पीछे 'विशेषण' में देखो।

१. विशेषण के लिंग और वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं, चाहे वह विशेषण के आगे रहें या पीछे। जैसे—यह पीली धोती है। यह धोती पीली है। पीले कपड़े लाओ। कपड़े पीले हैं।

नोट—(१) जब कर्मकारक के आगे चिह्न न रहे तब उसका विधेय-विशेषण ठीक ऊपर के नियम से कर्म ही के अनुसार होता है। जैसे—

* पीछे मेल-शीर्षक पाठ की पादटिप्पणी देखो।

† विशेषस्य हि यल्लिङ्गं विभक्तिवचने च ये।

तानि सर्वाणि योज्यानि विशेषणपदेष्वपि ॥

अपनी लाठी सीधी करो । कोई चीज समझो न अपनी बुरी तुम । मैंने लाठी सीधी की । मैंने यह बात पूरी की ।

(२) जब कर्मकारक के आगे चिह्न रहे तब उसका विधेय विशेषण या तो कर्म के अनुसार होता है या सदा एकवचन पुल्लिङ्ग रहता है । जैसे — उसने लाठी को सीधी किया या उसने लाठी को सीधा किया । ‘रहो बात को अपनी करते बड़ी तुम’ । ‘हम आप जल बुझे, मगर इस दिल की आग को, सीने में हमने जौक न पाया बुझा हुआ ।’

३. समय, परिमाण या धन का विशेषण यदि बहुवचन संख्या-वाचक हो तो विशेष्य, कारकादि के प्रत्यक्ष चिह्नों के साथ प्रायः एकवचन रूप में रहता है, परन्तु जब चिह्न प्रत्यक्ष नहीं रहते तब बहुवचन रूप में भी आता है । जैसे—तीन घंटे की छुट्टी मिली । पाँच रुपये की पुस्तक लाये । चार मेर का आटा बिका । तीन घंटे लगे । मैं चार रुपये दूँगा ।

यदि कई विशेषणों का एक ही विशेष्य हो तो सब-के-सब उसी विशेष्य के अनुसार होंगे तथा अन्तिम विशेष्य के पहले ‘और’ ‘या’ इत्यादि, में से कोई एक समुच्चायक आवेगा । जैसे—काला और उजला घोड़ा लाओ । काले और उजले घोड़े लाओ । काले और उजले घोड़ों को लाओ । मैंने स्वप्न में एक बड़ी ऊँची और डरावनी मूर्ति देखी ।

३ यदि एक विशेषण की कई समासरहित संज्ञाएँ विशेष्य हों तो विशेषण लिङ्ग और वचन में उसी संज्ञा के अनुसार होगा जिसके समीप वह रहेगा । जैसे—छोटे लड़के और लड़कियाँ । ऐसी माता और पिता ।

नोट—समस्त शब्द के विशेषण के लिये ‘समास-प्रयोग’ देखो । उदाहरण—अच्छे माँ-बाप । हमारे राजारानी ।

४. यदि क्रिया का साधारण रूप, किसी संज्ञा के आगे विधेयविशेषण होकर, सम्प्रदान या क्रिया की पूर्ति का अर्थ दे

तो वह लिंग, वचन आदि में उसी संज्ञा के अनुसार होगा, मरन्तु यदि वह उस संज्ञा के सम्बन्धी का अर्थ दे तो ज्यों-का-त्यों रहेगा । जैसे—‘मुझे प्रतीक्षा करनी होगी, बुद्धदेव की है यह उक्ति—कब तक जब तक तुच्छ जीव तक पा न सकें पृथ्वी पर मुक्ति ।’ दुःख की व्यथा उठानी पड़ेगी । जो बात होनी थी, हो गई । जो उपदेश करना था, कर दिया । जो रुपये देने थे, दे दिये । मुझे रोटी खानी चाहिये । उसे दस काम करने चाहिये । * क्या जान देना आसान है ? झूठमूठ कसम खाना छोड़ दो । रोटी बनाना सीख लो ।

नोट—ऊपर के उदाहरणों में जहाँ हमने सम्प्रदान इत्यादि या सम्बन्ध का अर्थ लिया है वहाँ कोई-कोई प्रतिकूल अर्थ भी करते हैं और अपने अर्थ के अनुसार वाक्यों में भेद डालते हैं । जैसे—“जो बात होना था हो गया । रुपये की हानि सहना पड़ेगा । दुःख की व्यथा उठाना पड़ेगा । उसे भिक्षा माँगना पड़ेगा । झूठमूठ कसम खाना छोड़ दो । रोटी बनाना सीख लो ।” हमारे जानते ये मधुर नहीं जान पड़ते, अतएव प्रतिकूल अर्थ करना भी खटकता है ।

५. भूतकालिक और वर्तमानकालिक कृदन्त विशेषण जब क्रिया की विशेषता बतलाते हैं तब उनके अन्त्य स्वर ‘आ’ के बदले सर्वदा ‘ए’ लाते हैं । जैसे—लड़की दीड़ते-दीड़ते थक गई । “थक गई मैं दुःख सहते-सहते, थक गये आँसू बहते-बहते ।”

नित्यसम्बन्धी शब्द

वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो नित्यसम्बन्धी होते हैं । बहुत-से अन्यत्र, कतिपय सर्वनाम और थोड़े से अन्य शब्द नित्यसम्बन्धी हैं ।[†] नित्यसम्बन्धी शब्दों में भेद डालने से वाक्य

* कोई ‘चाहिये’ का बहुवचन ‘चाहिये’ बनाते हैं, परन्तु यह खटकता है ।

+ ‘नित्यसम्बन्धी शब्द’ पीछे स्थान-स्थान पर दिये गये हैं ।

अशुद्ध हो जाता है। नीचे थोड़े-से प्रयोग दिये जाते हैं—

१. यद्यपि और तथापि में नित्यसम्बन्ध है। 'तथापि' के बदले किन्तु, पर या परन्तु का लिखना खटकता है, परन्तु 'तोभी' लिख सकते हैं। जैसे—यद्यपि वह नहीं आया, तथापि मैंने वहाँ का सारा वृत्तान्त सुन लिया। यद्यपि वह नहीं आता है, तो भी हम उसको प्यार करते हैं।

२. जब के साथ 'तब' का और 'यदि' के साथ 'तो' का सम्बन्ध है। 'तब' के बदले 'तो' का प्रयोग खटकता है। जैसे—यदि मनुष्य मरणशील न होता तो उसकी श्रेष्ठता का कहना ही क्या था ? जब वह आवे तब मुझे खबर दीजियेगा।

नोट—(१) 'यदि' के पहले इसी अर्थ में 'जो' भी आता है। जैसे—'जो' आना हो तो कल ह आओ।

(२) कभी-कभी नित्य सम्बन्ध शब्द लुप्त भी रहते हैं। जैसे—आप आवेंगे तो मैं जाऊँगा। जब आप आवें, पुस्तक लाइयेगा।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

१. सीता ने दासी को पुकारता होगा रोटी और दाल अच्छा है। एक बैल, दो घोड़ा और बहुत-सी गायें चरता है। आपके राजा रानी कहाँ रहती हैं ? आज मेरी बेटा या उसका भाई आवेंगे। मैं, तू और वह चलेगा। ईश्वर जानते हैं, हम झूठ नहीं बोलता। वह बी बीमारी से सूखकर काठ हो गया। स्त्रियाँ भी मनुष्य कहलाता है। श्रोता खूब ही उत्साह और आनन्द प्रकट किये। रानी भ्रात खाई था। राम कहा कि पुस्तक अच्छी है। रानी बैठी नहीं जाती। रामायण में लिखी है। राम प्राण छोड़ दिया। आप खाये ? हाँ, हम खाये। आप कहा था जो नहीं; हम नहीं कहा था।

२. राम श्याम से कहा कि मैं ने तुझे कभी न पढ़ाऊँगा, क्योंकि तुम

हमारी पुस्तकें, जिसे हम तुम्हारे बाप से खरीदी थी, चुरा लिया है। जिस बात की चिन्ता महाराज को है सो कभी न हुआ होगा, क्योंकि तपोवन के विघ्न तो केवल आपके धनुष की टङ्कार ही से मिट जाता है। आप बड़े प्यार से कहा कि आ बच्चे, पहले तू ही ने पानी पी ले। तुम्हें वह विदेशी जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया। श्रोता जो उत्साह और आनन्द प्रकट किये उनके वर्णन नहीं हो सकते। मैं पाँचवें अध्याय में यह बात लिखा हूँ।

३. चार घंटों का छुट्टी मिला। मैंने तीन रुपये का पुस्तक लाई। मैं रोटी को पतली बनाई। छोटे लडके और लडकियाँ आई हैं। दुख की व्यथा उठाना पड़ेगा। बातें करनी पड़ेगी। आपको दाल खाना चाहिये। रोटी बनाना सीख लो। मैं पीडा सहती-सहती थक गई। यदि आप नहीं आते तब मुझे कौन सहायता देता? यद्यपि आप नहीं आया, परन्तु मैं सभी बातें जान लिया? मैं जरा ही सा घुड़का था कि वह फटकर गे दिया। वह चोर को पकड़िस है।

क्रम (Order)

१. वाक्यों में उद्देश्य या कर्त्ता को पहले और विधेय या क्रिया को अन्त में रखते हैं। जैसे—बालक खाता है।

नोट—कर्त्ता या क्रिया चाहे एक हो या अनेक, दोनों अपने ठीक स्थान पर आते हैं और जब अनेक हो तब अन्तिम कर्त्ता या क्रिया के पहले 'और, या' इत्यादि समुच्चायक अव्यय लाते हैं। जैसे—राम या मोहन आता है। सीता आई, बैठी और रोई।

२. उद्देश्य के विस्तार को उद्देश्य के पहले और विधेय के विस्तार को विधेय के पहले रखते हैं। जैसे—सुशील बालक धीरे-धीरे पढ़ता है।

३. कर्म कारक को सकर्मक क्रिया के पहले और गौण कर्म

को मुख्य कर्म के पहले रखते हैं । जैसे—राम ने घर में पुस्तक निकाली । राजा ने दरिद्रों को वस्त्र दिये ।

४. 'करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण' ये चार कारक, कर्ता और कर्म के बीच में उलटे क्रम से आते हैं अर्थात् पहले अधिकरण, तब अपादान, तब सम्प्रदान और तब करण । जैसे—राम ने घर में आरुमारी से श्याम के लिये हाथ से पुस्तक निकाली ।
—पं० रामावतार शर्मा

नोट—जब एक साथ अनेक अधिकरण आवें तब पहले कालाधिकरण लाते हैं । जैसे—संध्या में घर-घर आनन्द रहता है । वर्षा-ऋतु में आकाश में बादल छाये रहते हैं ।

५. सम्बोधन वाक्य में सबसे पहले आता है । जैसे—हे राम, मेरी खबर क्यों नहीं लेते ?

६. सम्बन्धी के पहले सम्बन्ध को, विशेष्य के पहले विशेषण को और क्रिया के पहले क्रियाविशेषण को लाते हैं, परन्तु विधेयविशेषण और उपाधिसूचक विशेषण विशेष्य के आगे आते हैं । जैसे—राम का सिपाही अच्छे घोड़ों को खूब पहचानता है । आपका पुत्र मुशील है । मोहन मिश्र आये हैं ।

नोट—(१) विशेषण का भी विशेषण होता है जो उसके पहले आता है । जैसे—अत्यन्त सुन्दर बालक । बहुत ही अच्छा घोड़ा । बड़ा भारी वृक्ष ।

(२) सम्बन्धी का विशेषण सम्बन्ध के पहले रखना उचित नहीं, परन्तु यदि भ्रम न हो तो रख भी सकते हैं । जैसे—आश्रम की शीतल, मन्द और सुगन्धित वायु भ्रम को नाश करती है । सरोवर के समीप एक बड़ा भारी शालमली का वृक्ष था । (कादम्बरी)

(३) जब एक ही विशेष्य के कई विशेषण एक साथ आवें तब अन्तिम विशेषण के पहले 'और, या' इत्यादि समुच्चायक अव्यय लाते हैं ।

जैसे—‘महाराज, यह सूआ सकलशास्त्रवेत्ता, राजनीतिज्ञ, सद्बक्ता, चतुर, सकलकलाभिज्ञ, महाकवि और गुणी है। (कादम्बरी)

(४) ‘केवल, सिर्फ, प्रधानता, कठिनता से’ इत्यादि शब्द जिसके पहले आते हैं उसकी विशेषता बतलाने लगते हैं। इनका प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिये, नहीं तो अर्थ में उलटफेर हो जायगा। जैसे—केवल राम चिट्ठी को पढ़ सकता है। राम केवल चिट्ठी को पढ़ सकता है। राम चिट्ठी को केवल पढ़ सकता है।

(५) यदि एक सम्बन्धी के कई अधिकारी हो तो सम्बन्ध के चिह्न को संज्ञा रहने पर अन्तिम अधिकारी के आगे और सर्वनाम पर सभी अधिकारियों के आगे लाते हैं। जैसे—यह माधुरी और कुन्ती की माता है। तुम्हारा और मेरा घर है।

(६) सम्बन्ध के समानाधिकरण में कई संज्ञाओं के रहने पर भी सम्बन्ध का चिह्न केवल अन्तिम संज्ञा के आगे लाते हैं। जैसे—वह रत्नवाल साहब, स्थानीय कलक्टर और मजिस्टर की चिट्ठी है।

(७) क्रिया की पूर्ति उसीके पहले आती है। जैसे—एक पलंग बिछा हुआ था। उसका लडका चोर निकला।

(८) प्रश्नवाचक शब्द को उसीके पहले रखना चाहिये जिसके विषय में मुख्यतः प्रश्न किया जाता है। जैसे—“वह कौन शिक्षक है? वह शिक्षक कौन है? राम क्या बनाता है? क्या राम बनाता है?” इन चारों वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के स्थान-भेद ही के कारण अर्थभेद हो गये हैं।

यदि पूरा वाक्य ही प्रश्न हो तो प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के आरम्भ में रखते हैं। जैसे—क्या आपको यही करना था?

नोट—जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आवे तब बोझने के ढंग और वक्ता के मुख की आकृति से प्रश्न समझा जाता है। जैसे—मुझे ठहरना होगा? कुछ पूछना चाहते हो?

८. पूर्वकालिक क्रिया समापिका क्रिया के पहले आती है। जैसे—राम खाकर पढ़ता है। मोहन सोकर पढ़ेगा। सीता ने देखभाल कर खाया।

नोट—(१) पूर्वकालिक और समापिका दोनों क्रियाएँ अपने-अपने विस्तारों को अपने से पहले रखती हैं। जैसे—राम अपने घर में रोटी खाकर स्कूल में पुस्तकों को भली-भाँति पढ़ता है।

(२) यदि पूर्वकालिक और समापिका दोनों क्रियाओं का एक ही विस्तार हो तो उसे पूर्वकालिक ही से पहले रखते हैं। जैसे—राम ने पाठशाला में मेरी पुस्तक लेकर पढ़ ली।

९. विस्मयादिबोधक शब्द को प्रायः वाक्य के आरम्भ में लाते हैं। जैसे—वाह ! आपने खूब कहा।

१०. वाक्य में आनेवाले पदों में से जो पद जिसके साथ अन्वित हो उसको यथासम्भव उसीके पास रखना चाहिये। जैसे—यह घर पर किस हेतु गया है ? देवमन्दिर घर के आगे है।

ऊपर क्रमनिर्णय के जितने नियम दिये गये हैं, यद्यपि वे मुख्य हैं तथापि उनका निर्वाह भलीभाँति नहीं होता। कारण नीचे लिखे जाते हैं—

१. वाक्य के जिस भाग वा पद की प्रधानता दिखानी हो, उसे पहले रखते हैं। इससे वाक्य के अन्य अंशों में भी स्थान परिवर्तन हो जाता है। जैसे—

क्रिया कर्त्ता से पहले—खाता तो हूँ मैं, आप क्यों दुखी होते हैं ?
बुलाहट थी मेरी, गया वह। पूर्वकालिक क्रिया कर्त्ता से पहले—
मुझे देखकर वह घर में घुस गया। साँप देखकर सभी डर जाते हैं।
कर्म पहले—तुम्हीं को वह बुलाता है। उसीको मैं मारूँगा। करण पहले—छुरी से उसने हाथ काटा। सम्प्रदान पहले—आपके लिये मैंने सब

कुछ दिया । अपादान पहले—झूठे से वह गिरी तो सही, परन्तु सखियों ने बीच ही में लोक लिया । सम्बन्ध पहले—मेरी तो आपने कोई पुस्तक नहीं देखी । सम्बन्ध से सम्बन्धी पहले—घर किसका है ? यह पुस्तक मोहन की है । घर मेरा और झगड़ा तुम लोगों में । अधिकरण पहले—तिरु में तेल है । ज्ञान पर राजा है । अन्य-शब्द सम्बोधन से पहले—सुनते हो लड़के ! अभी-अभी, बेटा ! क्रियाविशेषण पहले—अभी-अभी वह यहाँ से उठके गया है । क्रिया-विशेषण कर्म से पहले—वह भली-भाँति आपको पहचानता है । विधेयविशेषण पहले—सच्चे और निराले तो तुम्हारे सभी कार्य होते हैं । पूरक पहले—चोर तो उसका लड़का निकल, इसका क्या अपराध ? इत्यादि ।

२. कविता में प्रायः सभी पद और किली-किसी के टुकड़े भी स्थान परिवर्तन करते हैं ।

दो प्राणी भी अवनिव्रज के साथ जो बैठते थे ।

तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते ।

पूछा जाता परस्पर भी व्यग्रता से यही था ।

दोनों प्यारे कुँअर अबलों लोट के क्यों न आये ।

—प्रियप्रवाम

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

जब नरु का ऐसा दुर्दशा हुई तब उसने दमेन्ती से बोला कि आयसी आपती में हम तू अलग हो जाँ। दमेन्ती ने कहा 'हे राजा, तेरा बात सुनकर मेरा छाती फटता है । ऐसी विपत्ती में हम तुमको छोड़ कर किस तरह जाने सकते हैं । जब तुम मारण का थाका अऊर भूषा अपना पूरब सुध समरन करेगा तो हम तेरी दुख का साथी हूँगा ।

मन्दिर का भीतरवाँ चारिका भीत पर पाथर में खुदा हुआ अनेक प्रकार का देवमूर्तियाँ बना है जिनका आकृत आरजों का मूर्तियों में व्या० चं०—१५

बहुत मिलते हैं। इनके अतिरिक्त उम मन्दिर में पत्थर पर आयसी अद-
भूत चितकारियाँ हैं जिसको देखने से अचरज होता है।

बिल्ली उत्तर दी “हाँ आपकी प्रभुता मुझे शक्तिमान बिल्ली बनाई
है। अभी हम दुसरे बिल्लियों से डर नहीं करती हूँ, पर मैं एक नई बैरी
पाई हूँ।

मैं आपका कृपापत्र पाया। बाँच के बड़ा प्रसन्न हुए। आप जो पुस्तकें
हमारे पास ऐसे कृपा से भेजे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने संस्कृत में
दो नवीन ग्रन्थ बनाया हूँ।

लाघव (Abbreviation)

१. कोई आशय जितने ही थोड़े पदों से प्रकट किया जाय
उतना ही वह उत्कृष्ट समझा जाता है। जैसे—“हम तो यहाँ अब
बैठ गये, अब हम यहाँ से उठनेवाले नहीं हैं। जो लोग उठा
देने से उठ जाते हैं हम उनके सदृश नहीं हैं।” लाघव के विचार
से इसकी जगह यों बोलना चाहिये—हम जहाँ बैठ गये, बैठ गये।
उठनेवाले कोई और होंगे।

लाघव करने में इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिये कि
अर्थ-भ्रष्ट न होने पावे।

२. निश्चय, आवश्यकता आदि के कारण किसी विषय को
जोर देकर कहना हो तो वहाँ लाघव का विचार नहीं किया
जाता। जैसे—सच बोलना कितना अच्छा होता है, सच बोलना कितना
आवश्यक है, सच बोलने में कितनी बड़ी वीरता है—मैं सब कुछ दिखा
चुका। उस लडके में कौन-सा दोष नहीं है? भूत वह बोलना है, चोरी
वह करता है, जूआ वह खेलता है।

गम दिया, रंज दिया, दाग दिया, जहर दिया—

खूब बीमारे * मुहब्बत की दवा तो तुमने की।

* ‘बीमारे मुहब्बत’—यह उर्दू है, हिन्दी नहीं।

३. (क) जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो, या जिसे बराबर लिखना पड़े, उसका अक्सर पहला अक्षर लिखते हैं। जैसे—सन् के लिये स०, तारीख के लिये ता०, मिति के लिये मि०, नम्बर के लिये नं०, पण्डित के पं०, संवत् के लिये सं०, विक्रमीय के लिये वि०, नाटक आदि में राम, कृष्ण, शकुन्तला वा और कोई नाम बार-बार न लिखकर रा०, कृ०, श० आदि लिखते हैं।

(ख) पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा इत्यादि क्रम से '१ या, २ रा, ३ रा, ४ था, ५ वाँ, ६ ठा' आदि लिखते हैं।

(ग) किसी शब्द को दो बार लिखना हो तो अक्सर उसे एक बार लिखके उसके परे २ (अंक) लिख देते हैं, पर यह चाल अच्छी नहीं*।—पं० केशवराम भट्ट।

रोजमर्रा (Common Use)

१. हिन्दी जिनकी मातृभाषा है वे अपनी नित्य की बोल-चाल में वाक्यरचना जिस रीति से करते हैं उसे रोजमर्रा कहते हैं। जैसे—'कलकत्ते से पेशावर तक सात-आठ कोस पर एक पक्की सराय और एक कोस पर एक चबूतरा बना हुआ था।' यह वाक्य रोजमर्रा के अनुसार नहीं है। इसकी जगह यों होना चाहिये—'कलकत्ते से पेशावर तक सात-सात आठ-आठ कोस पर एक-एक पक्की सराय और कोस-कोस भर पर एक-एक चबूतरा बना हुआ था।'

* उस वर्ग के अच्छे २ लड़कों को पुरस्कें दी गईं। ऊपर की रीति से इस वाक्य के ये दो अर्थ होते हैं—(क) अच्छे दो लड़कों को और (ख) अच्छे-अच्छे लड़कों को।

२. बोलने में और लिखने में यथासम्भव रोजमर्रे का विचार रखना बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके लिखना या बोलना कौड़ी काम का नहीं।

३. रोजमर्रे के प्रयोग का ऐसा कुछ नियम नहीं बन सकता। अच्छे-अच्छे लेखकों के लेख बराबर ध्यान देकर पढ़ना और अच्छे-अच्छे बोलनेवालों की बातचीत ध्यान देकर सुनना—सिवा इसके कदाचित् और कोई उपाय नहीं।

४. बोलचाल का रोजमर्रा नया गढ़ा नहीं जा सकता। जैसे 'पाँचसात' 'सातआठ' या 'आठसात' पर अनुमान करके 'छआठ' 'आठछ' या 'सातनौ' बोला जाय तो उसे रोजमर्रा नहीं कहेंगे, क्योंकि भाषा में कभी ऐसा नहीं बोलते।

—पं० केशवराम भट्ट।

लेखक को उचित है कि वाक्यों में एक ही ढंग के शब्दों का प्रयोग करें। उच्च भाषा के शब्दों के साथ साधारण भाषा के शब्द रहने से वाक्य मधुर नहीं हो सकते। यदि अन्यान्य भाषाओं के शब्दों की आवश्यकता हो तो उन्हीं को लाना चाहिये जो प्रयोग में भली-भाँति आ गये हों। वाक्यों में संदिग्ध शब्दों को लाना उचित नहीं, इन कारणों से उसने मेरा हस्त पकड़ा। मैंने राम का हाथ धारण किया। यह काव्य उच्च दर्जे का है। अभी इकजामिनेशन के फिफ्टीन डेज हैं। शायद मॉनिंग ट्रेन से टुमारो स्टार्ट हो जाऊँ। इस सोझाइटी में पब्लिक का क्या ओपिनियन है ? इत्यादि वाक्य हिन्दी के लिये योग्य नहीं।

अध्याहार

वाक्य-रचना में बहुत-से शब्दों को छोड़ देते हैं, जिनके न रहते हुए भी अर्थ समझने में कोई बाधा नहीं हो। इस प्रयोग का नाम अध्याहार

है। जैसे—“तुम अपनी ही [] ओटने लगते हो”—इस वाक्य में “अपनी ही” के बाद “बात” शब्द गुप्त है।

अध्याहार से दो मुख्य लाभ हैं—

(१) थोड़े ही में वक्ता का आशय प्रकट हो जाता है।

(२) रचना मुहावरेदार हो जाती है।

अध्याहार तीन तरह के होते हैं—

(१) सम्बद्ध—जिसमें अध्याहार किया हुआ शब्द-समूह पहले आ चुका रहता है। जैसे—“मैं धन का उतना आदर नहीं करता जितना विद्या का [आदर करता हूँ]।”

(२) मुक्त—जिसमें अध्याहार किया हुआ शब्द पहले नहीं आया रहता है। जैसे—“मैं तुम्हारी [] एक नहीं सुनूँगा।”

(३) विवक्षित—जिसमें अध्याहार किया हुआ शब्द वा शब्द-समूह वक्ता के आकार-प्रकार से अनुमान-गम्य हो जाता है। जैसे—“आप तो यहाँ सैर कर रहे हैं, मगर घर पर []?”

सम्बद्ध अध्याहार के प्रयोग

(१) जब अनेक कर्त्ताओं की एक समापिका क्रिया रहे, तब उसे सब कर्त्ताओं के साथ नहीं जोड़कर सिर्फ अन्तिम कर्त्ता के साथ जोड़ते हैं। जैसे—व्यायाम शरीर को सवल, मस्तिष्क को पुष्ट और हृदय को प्रफुल्ल बनाता है।

(२) संयुक्त वाक्य के पूर्वार्द्ध में यदि ‘ने’ चिह्न सहित कर्त्ता आवे और उत्तरार्द्ध में चिह्न-रहित, तो पिछले कर्त्ता की कोई जरूरत नहीं रहती। जैसे—“उसने सांसारिक विषयों को छोड़ दिया और [] विरक्त हो ईश्वर भजन करने लगा।”

(३) संयुक्त वाक्य के पूर्वार्द्ध में यदि ‘ने’ चिह्न-रहित कर्त्ता आवे और उत्तरार्द्ध में ‘ने’ चिह्न-सहित, तो पिछला कर्त्ता देने की कोई

(४) क्रियाविशेषण और समुच्चयबोधक अव्ययो के साथ यदि होना, बनना आदि क्रियाएँ हों तो उनका कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है।

जैसे—“जहाँतक [] हो सके परिश्रम से मुँह नहीं मोड़ना चाहिये। जैसे बने [] आप इस काम को पूरा कीजिये।”

(५) विधि क्रिया में कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है। जैसे—“जरा [] इधर तो आइये। [] कुछ कहिये भी तो सही।”

(६) मिश्र वाक्य में सामान्यतः ‘कि’ शब्द छोड़ देने से। जैसे—“तुम जानते हो [] पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।”

(७) निपेधवाचक विधेय में प्रायः महाप्रक ‘होना’ क्रिया का सामान्य वर्तमानकालिक रूप लुप्त रहा करता है। जैसे—“मैं अँगरेजी नहीं जानता []। वह झूठ नहीं बोलता []।”

(८) लोकोक्ति तथा उद्गार में होना क्रिया का वर्तमानकालिक रूप प्रायः लुप्त कर देने हैं। जैसे—“घर का योगी योगड़ा []। भारत माता की जय []।”

(९) नीचे मुक्त अध्याहार के कुछ और उदाहरण दिये जाते हैं—

आजकल तुम्हारी उनकी [] कमी पटती है ?

तुम्हारी ही [] चक्री-बनी है।

मेरी उनकी [] निभ नहीं सकती है।

उनकी [] क्या पूछते हो ?

विवक्षित अध्याहार

वक्ता यदि संकोचवश अथवा अन्य किसी कारण से आगे का शब्द न कहे और वह श्रोता की समझ में आ जाय तो उसे विवक्षित अध्याहार कहते हैं। इसके प्रयोग के लिये कोई नियम नहीं दिया जा सकता।

नोट—ऊपर जो-जो नियम दिये गये हैं उनके अनिश्चित और भी कितने ही स्थलों पर अध्याहार का प्रयोग किया जाना है, जिसका प्रसंग स्थान-स्थान पर अन्य पाठों में मिल सकता है। ऊपर विषय का कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है।

वाग्धारा या मुहावरा (Idiom)

१. कोई वाक्य या वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न जताकर कुछ और विलक्षण अर्थ जताये तो उसे 'वाग्धारा' कहते हैं। जैसे—रणजीतसिंह ने पट्टनों के दाँत खट्टे कर दिये। घर में बैठे हुए यों 'पाँव निकाते' तुमने। इतना कहते ही वह पानी-पानी हो गया। 'उसे अच्छे से पाला पड़ा है।' 'इस बात के सुनते ही उसके पेट में घोड़ा कूदने लगा।

२. रोजमर्रे की पाबन्दी जहाँ तक सम्भव हो लिखने और बोलने में जरूरी समझी गई है। यहाँ तक कि वाक्य में जितना रोजमर्रे की पाबन्दी कम हो उतना ही उसमें लाजिल्य कम होगा, मुहावरे के लिये यह बात नहीं है। मुहावरा जो उत्कृष्ट रीति से बाँधा जाय तो निस्तन्देह निकृष्ट आशय को उत्कृष्ट और उत्कृष्ट को उत्कृष्टतर कर देता है, पर हर जगह मुहावरे को बाँधना ऐसा कुछ आवश्यक नहीं। बिना मुहावरे के ओजस्वी वाक्य हो सकता है। मुहावरा मानो मनुष्य के शरीर में कोई सुन्दर अंग है और रोजमर्रे को ऐसा जानना चाहिये जैसे अंगों का तारतम्य मनुष्य के शरीर में। लोग साधारणतः उसी लेख को बहुत पसंद करते हैं जो रोजमर्रे पर ध्यान देकर लिखा गया हो और जो रोजमर्रे के साथ मुहावरे की चाहनी हो तो वह उनको और भी अधिक स्वाद देता है।

—पं० केशवराम भट्ट।

वाक्यार्थबोध

वाक्यार्थबोध के लिये आगे लिखी बातों का होना भी आवश्यक है—
आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति।

१. आकांक्षा—वाक्य में एक पद को दूसरे पद के साथ अन्वय के लिये

जो चाह होती है, उसे 'आकांक्षा' कहते हैं। जैसे—“घोड़ा, बैल, हाथी” इत्यादि अकेले रहकर वाक्यार्थ नहीं दे सकते। जब तक उनके साथ 'चरता है, जाता है, आवेगा' इत्यादि अपेक्षित पद न आवें।

२. पदों के परस्पर उचित सम्बन्ध को 'योग्यता' कहते हैं। जैसे—यदि कोई कहे कि 'आग से सींचते हैं' तो यह शुद्ध वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि 'सींचते हैं' क्रिया की योग्यता आग में नहीं बल्कि 'जल' में है। इस कारण जल से सींचते हैं— शुद्ध वाक्य हुआ। इसी प्रकार 'गत दिवस को काशी जाऊँगा। आगामी सोमवार को मित्र आये थे।' इत्यादि वाक्य भी अशुद्ध हैं।

३. पदों की समीपता को 'आसक्ति' कहते हैं। जैसे—यदि कोई भोर को 'बारूक' कहकर सौंभ को 'पढ़ता' है, बोले तो यह अर्थ-बोधक वाक्य नहीं होता। 'बारूक' के साथ ही 'पढ़ता है' कहने से शुद्ध वाक्य होगा।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों को लाघव, रोजमर्रे, मुहावरे इत्यादि पर ध्यान रखकर ठीक करो—

मेरे पास चार करोड़ चौरासी लाख सत्तावन हजार पाँच सौ ब्यालिस रुपये चौदह आने तीन-तीन पैसे निकले। वे इतना हँसेगे और इतना हँसायेंगे कि सबके मुँह थक जायँगे, पर न वे उन्नति की डेगों को आगे की ओर बढ़ायेंगे और वे न अगली अटारियों को ऊँचा उठायँगे। गर्दा उड़-उड़कर पड़ जाने से सड़क पर के मकान ठीक नहीं रहते। कई दिनों के बाद आज दो चावल भात खाया है। ऐसे-ऐसे ग्राहक सब हाथ में मिल जायँगे कि उनका एक-एक फल केसर की क्यारी के मोल में बिक जाया करेगा।

वाक्यविभाजन* (Analysis)

वाक्यविभाजन में वाक्य के अंग अलग-अलग कर दिये

* वाक्यविश्लेषण, वाक्यपृथक्करण, वाक्यविग्रह, वाक्यविच्छेद इत्यादि वाक्यविभाजन के नाम हैं।

जाते हैं और यह दिखाया जाता है कि वे आपस में क्या सम्बन्ध रखते हैं ।

नोट—पीछे लिख आये हैं कि स्वरूप के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं—अमिश्र, संकीर्ण और संयुक्त । आगे उन्हीं वाक्यों के विभाजन बताये जाते हैं ।

(१) अमिश्र वाक्य (Simple Sentences)

अमिश्रवाक्य के विभाजन में मुख्य चार भाग दिखाये जाते हैं—उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार । ‘विधेय के विस्तार’ में कर्म, कर्म का विस्तार और विधेयार्थवर्द्धक नाम के तीन भाग किये जाते हैं । इसलिये सब मिलाकर छः भाग हुए—

१. उद्देश्य ।
२. उद्देश्य का विस्तार ।
३. क्रिया और यदि क्रिया अपूर्ण हो तो पूरक भी ।
४. कर्म ।
५. कर्म का विस्तार ।
६. विधेयार्थवर्द्धक ।

उदाहरण

विभाजन के लिये वाक्य—

१. मोहन का भाई मेरी पुस्तक धीरे-धीरे पढ़ता है ।
२. वह कुत्ता परसों से पागल हो गया है ।
३. आये हुए मनुष्य ने पाठशाला में मुझे एक चित्र दिखाया ।
४. एक सेर दूध ठीक होगा ।
५. मुझे कल रुपये देने पड़ेंगे ।
६. छिपे हो कौन से पर्दे में, बेटा ।
७. बिना सफाई के जीना कठिन है ।

विभाजन—

उद्देश्य		विधेय			
उद्देश्य	विस्तार	क्रिया	विस्तार		
			कर्म	कर्म का वि.	विधेयार्थ व०
[१] भाई	मोहन का	पढ़ता है	पुस्तक	मेरी	धीरे-धीरे
[२] कुत्ता	वह	पागल (पू०) हो गया है	—	—	परमों से
[३] मनुष्य ने	आये हुए	दिखाया	चित्र (मु०) मुझे (गौ०)	एक	पाठशाला में
[४] दूध	एक सेर	ठिक (पू०) होगा	—	—	—
[५] मुझे	—	देने पड़ेगे	रुपये	—	कल
[६] (तुम) बेटा	—	छिपे हो	—	—	कौन से पर्द में
[७] जीना	—	कठिन (पू०) है	—	—	बिना सफाई के

पू० = पूरक । मु० = मुख्य । गौ० = गोण ।

(२) संकीर्णवाक्य (Complex Sentences)

संकीर्णवाक्य में पहले यह बूँदना होगा कि कौन अंश प्रधान है और कौन अङ्गवाक्य । फिर अङ्गवाक्य को पद-विशेष समझकर समूचे वाक्य का विभाजन 'अमिश्रवाक्य' के समान करना पड़ेगा । इसके पीछे अङ्गवाक्य का भी विभाजन अमिश्रवाक्य के समान करना होगा ।

उदाहरण

विभाजन के लिये वाक्य—

१. श्याम कहता है कि शीघ्र पढ़ो ।
२. मेरा भाई, जो यहाँ बैठा था, परसों आया ।
३. जब राम का बैल आता है तब काली गाय जाती है ।

विभाजन —

(२३६)

वाक्य	वाक्यभेद	उद्देश्य	विस्तार	विधेय			
				क्रिया	कर्म	कर्म का वि०	विधेयार्थ- वर्द्धक
(१) श्याम कहता है कि (तुम) शीघ्र पढ़ो	प्रधान { संकीर्ण अङ्ग (संज्ञा)	श्याम तुम	...	कहता है पढ़ो	तुम शीघ्र पढ़ो	...	...
(२) मेरा भाई परसों आया जो यहाँ बैठा था ।	प्रधान { संकीर्ण अङ्ग (विशेष- पण)	भाई जो	मेरा जो, यहाँ बैठा था	आया बैठा था	...	...	परसों यहाँ
(३) काली गाय तब जाती है जब राम का बैल आता है	प्रधान { संकीर्ण अङ्ग (क्रिया वि०)	गाय बैल	काली राम का	जाती है आता है	...	...	तब, जब राम का बैल आता है जब

[३] संसृष्ट वाक्य (Compound Sentences)

जिन सब वाक्यों के मिलाने से संसृष्टवाक्य बना हो, उन्हें अलग-अलग कर दो और समुच्चयायक को भी दिखाओ। यदि संसृष्ट वाक्य अमिश्र वाक्यों से बना हो तो अमिश्रवाक्य की रीति से और यदि 'संकीर्ण' वाक्यों से बना हो तो 'संकीर्ण' वाक्य की रीति से 'वाक्य-विभाजन' करो।

विभाजन के लिये वाक्य—

१. राम पढ़ेगा, पर भोजन नहीं करेगा।

२. श्याम दुष्ट है, इसलिये जब वह आता है, मैं चल देता हूँ।

३. जब बच्चा रोता है, माँ आती है और जब सोता है, चली जाती है।

विभाजन—

वाक्य	भेद	
१. राम पढ़ेगा ^१ पर (वह) भोजन नहीं करेगा ^१	संसृष्ट	अमिश्र^१ अमिश्र^१
२. श्याम दुष्ट है ^१ इसलिये { मैं (तब) चल देता हूँ ^२ { वह जब आता है ^३	संसृष्ट	अमिश्र^१ संकीर्ण { प्रधान^२ अंग (क्रि० वि०)^३
३. { माँ (तब) आती है ^१ { बच्चा जब रोता है ^२ और { (वह तब) चली जाती है { (वह) जब सोता है ^४ ।	संसृष्ट	संकीर्ण { प्रधान^१ अंग (क्रि० वि०)^२ संकीर्ण { प्रधान^३ अंग (क्रि० वि०)^४

विभाजन के लिये संकीर्ण वाक्य का विभाजन देखो।
क्षेप पूर्ण के

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों का विभाजन करो —

१. राम के पास एक सुन्दर चित्र है ।
२. किसी समय दो मित्र एक साथ चले जाते थे ।
३. आदिनाथ बाबू उस लड़के को पानी में डूबते हुए देखकर अपने प्राणों का मोह न करके उद्धारार्थ कुँए में कूद पड़े ।
४. आदिनाथ ने एक हाथ से लड़के को पकड़ा और दूसरे हाथ से डोरी पकड़ी ।
५. जिनका चरित्र अच्छा है वे भद्र हैं ।
६. जो लोग स्थायी 'ऐश्वर्य' के लिये क्षणभंगुर शरीर और चञ्चला लक्ष्मी का मोह नहीं रखते वे देवत्व प्राप्त करके महाधन के अधिकारी होते हैं ।
७. जो मनुष्यों को प्यार करता है वह ईश्वर का प्यारा होता है ।
८. उन्होंने निर्भय होकर पूछा—“आप इस पुस्तक में क्या लिख रहे हैं ?”
९. तुम्हारा कोई पड़ोसी यदि दुर्जन है तो उसके साथ तुम सर्वदा सदैव व्यवहार करो ।
१०. जब उसमें से निकलने का कोई उपाय न देखा तब वे कबूतर जाल लेकर उड़े ।

परिवर्तन (Conversion)**१. पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य ***

(Words, Phrases and Clauses)

नोट—पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य के परस्पर परिवर्तन के मुख्य आधार 'समास, कृदन्त और तद्धित' हैं ।

(क) पद के बदले वाक्यांश

सुखद—सुख देनेवाला । द्रुतगामी—शीघ्र चलनेवाला । यथाशक्ति — शक्ति के अनुसार । आपादमस्तक—पैर से सिर तक । शाक्त—शक्ति के उपासक ।

* विशेष वर्णन 'रचना-चन्द्रोदय' में देखो ।

(ख) पद के बदले खण्डवाक्य

कृतज्ञ—जो की हुई भलाई को मानता है । स्वदेशी—जो अपने देश का है । सधवा—जिस स्त्री का पति जीवित है । देय—जो देने के योग्य हो । दुःखी—जिसको दुःख हो ।

(ग) वाक्यांश के बदले खण्डवाक्य

मेरे बेल के आते ही—जब मेरा बेल आता है । निन्दा का पात्र—जिसकी निन्दा सभी करते हैं । नीति का जाननेवाला—जो नीति को जानता है । पहचान से बाहर—जो पहचाना न जा सके ।

(घ) पद के बदले वाक्यांश और खण्डवाक्य

क्षणस्थायी—१. क्षण भर ठहरनेवाला (वाक्यांश) । २. जो क्षण भर ठहरनेवाला है । (खण्डवाक्य) ।

निरामिगशी—१. मांय-मछली नहीं खानेवाला—(वाक्यांश) । २. जो मांय-मछली नहीं खाता है (खण्डवाक्य) ।

निर्जन—१. मनुष्यों की गतिविधि से रहित (वाक्यांश) २. जहाँ मनुष्यों की गतिविधि नहीं है (खण्डवाक्य) ।

म्वेण—१. स्त्री के वशीभूत (वाक्यांश) । जो स्त्री के वशीभूत रहता है (खण्डवाक्य) ।

अवश्यम्भावी—१. अवश्य घटित होनेवाला (वाक्यांश) । २. जो अवश्य घटित होगा (खण्डवाक्य) ।

२. वाक्यसंकोचन और सम्प्रसारण

(Contraction and Expansion of Sentences)

अर्थ में बिना कुछ भेद डाले अनेक पदों के किसी वाक्य को थोड़े पदों में प्रकाशित करने को वाक्यसंकोचन और थोड़े पदों के वाक्य को अनेक पदों में प्रकाशित करने को वाक्यसम्प्रसारण कहते हैं ।

नोट—वाक्यसंकोचन का उलटा वाक्यसम्प्रसारण है, इसलिये संकोचन के नियमों को विपरीत भाव से काम में लेकर सम्प्रसारण करते हैं ।

समापिका क्रिया को असमापिका में तथा अंगवाक्यो, वाक्यांशो या पदों को सामासिक, प्रत्ययान्त या अल्पपदों में बदलने से बड़ा वाक्य छोटा हो जाता है। जैसे—

प्रसारित वाक्य

१. शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ते देखा और उसे पारितोषिक देने का वचन दिया।

२. मोहन परदेश से लौट आये और अपने घर के लोगों का प्रेम से पालन किया।

३. देव और अमुर का संग्राम हुआ।

४. जानकी का मुख चन्द्र के समान है।

५. जिसको दुःख हो उसका दुःख हटाओ।

संक्षिप्त वाक्य

१. शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ते देख पारितोषिक देने का वचन दिया।

२. मोहन ने परदेश से लौटकर परिवार का प्रेम से पालन किया।

३. देवासुर संग्राम हुआ।

४. जानकी चन्द्रमुखी है।

५. दुःखी का दुःख हटाओ।

संक्षिप्त वाक्य

१. आकाश अनन्त है।

२. रामचन्द्र शिव हैं।

३. यह कार्य अनिवार्य है।

४. राम ने चिट्ठी पढ़ते ही प्रसन्न होकर कहा—“पुस्तक ले जाओ।”

५. भीम हनुमान-सा बलवान् पुरुष था।

प्रसारित वाक्य

१. आकाश का अन्त नहीं है।

२. रामचन्द्र शिव के उपासक हैं।

३. इस कार्य का निवारण नहीं किया जा सकता।

४. राम ने चिट्ठी पढ़ी, पढ़कर प्रसन्न हुए और कहा कि पुस्तक ले जाओ।

५. जैसा हनुमान बलवान् पुरुष था वैसे भीम भी था।

नोट—वाक्य में दो या अधिक पूर्वकालिक क्रियाओं का एक साथ आना उचित नहीं। यदि अधिक पूर्वकालिक क्रियाओं की आवश्यकता

पढ़ने लगे तो वाक्य को बाँट देना चाहिये । जैसे—शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ते देखकर, बड़े आनन्दित होकर और पारितोषिक देकर उसका साहस बढ़ाया । यह वाक्य मधुर नहीं जान पड़ता । इसके बदले नीचे का वाक्य उचित है—“शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ते देख बड़े आनन्दित हुए और पारितोषिक देकर उसका साहस बढ़ाया ।”

३. कई वाक्यों के बदले एक वाक्य

वाक्यसंयोजन (*Combination of Sentences*)

(क) नियम—समापिका क्रिया को असमापिका में बदलाने, मिलते हुए अंशों को एक ही बार रखने और अव्ययों के प्रयोग से कई वाक्य एक वाक्य में बदले जाते हैं । जैसे—

१. कई वाक्य—राम ने रोटी खाई । राम ने पुस्तक पढ़ी ।

एक वाक्य—राम ने रोटी खाकर पुस्तक पढ़ी ।

२. कई वाक्य—श्याम रोटी खाता है । श्याम दाढ़ खाता है । श्याम तरकारी खाता है । श्याम पानी पीता है ।

एक वाक्य—श्याम रोटी, दाढ़ और तरकारी खाकर पानी पीता है ।

३. कई वाक्य—मोहन गरीब है । मोहन सन्तोषी है । मोहन सुखी है ।

एक वाक्य—यद्यपि मोहन गरीब है तथापि सन्तोषी होने से सुखी है ।

(ख) नियम—यदि अर्थ में बाधा न पड़े तो वाक्यों के शब्दों को कुछ उलटफेर करके कम कर दो । कतिपय वाक्यों को पद, वाक्यांश और अंगवाक्य में भी बदल दे सकते हैं । जैसे—

१. कई वाक्य—अर्जुन धनुर्धर थे । उन्होंने लड़ाई में आश्चर्यजनक काम किये । लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई ।

एक वाक्य—धनुर्धर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आश्चर्यजनक काम किये ।

२. कई वाक्य—गङ्गा प्रसाद रामपुर गये हैं। वे मोहनलाल के भाई हैं। मोहनलाल मेरे स्कूल के शिक्षक हैं।

एक वाक्य -- मेरे स्कूल के शिक्षक मोहनलाल के भाई गङ्गाप्रसाद रामपुर गये हैं।

३. कई वाक्य—वैदेहीशरण राधाउर में रहता है। वह एक विद्यार्थी है। राधाउर मुरमंड के समीप है। राधाउर एक ग्राम है।
एक वाक्य -- वैदेहीशरण विद्यार्थी मुरमण्ड के समीप राधाउर ग्राम में रहता है।

४. एक वाक्य के बदले कई वाक्य

वाक्यवियोजन (*Resolution of Sentences*)

वाक्यसंयोजन का उलटा वाक्यवियोजन है, इसलिये संयोजन के नियमों को विपरीत भाव से वाक्य में लाकर 'वियोजन' करते हैं। जैसे—

१. एक वाक्य—रात बीतते ही चिड़ियाँ चहचहाने लगी।

कई वाक्य—रात बीत गई। चिड़ियाँ चहचहाने लगी।

२. एक वाक्य—मबेरा होते ही ठंडी हवा बहने लगी।

कई वाक्य—मबेरा हो गया। ठंडी हवा बहने लगी।

३. एक वाक्य—साइसी राम ने एक बाघ को मारा।

कई वाक्य—राम साइसी है। उसने एक बाघ को मारा।

४. एक वाक्य—परीक्षा समाप्त होने पर अब मुझे रखके समय कशे खराब करते हैं ?

कई वाक्य—परीक्षा समाप्त हो गई। अब मुझे मत रखिये। मेरा समय खराब जाता है।

अभ्यास

१. नीचे लिखे प्रत्येक पद को वाक्यशास्त्र में परिवर्तित करो—
सादर, अलौकिक, सन्प्राप्ती, नास्तिक, आपादमस्तक।

२. नीचे लिखे प्रत्येक खण्डवाक्य को पद में परिवर्तित करो—
जो की हुई भलाई को नहीं मानता । जिम स्त्री के पति नहीं है । जिसको सुख हो । जो दुःख देनेवाला हो ।

३. नीचे लिखे प्रत्येक खण्डवाक्य को वाक्यांश में परिवर्तित करो—
जब मेरी गाय आती है । जिमकी प्रशंसा सभी करते हैं । जो गणित अच्छा जानता है । जिसपर दया की जाय । जो सुख देनेवाला है ।

४. नीचे लिखे वाक्यों को एक वाक्य में बदलो—
रामलाल एक प्रतिद्ध पुरुष है । उसकी प्रशंसा सब करते हैं । रामलाल मोहनपुर का रहनेवाला है । मोहनपुर गंगा के किनारे है । प्रशंसा करनेवाले लोग मारे बिहार में रहते हैं । रामलाल राजेन्द्रप्रसाद का भाई है ।

५. नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य को कई मधुर वाक्यों में परिवर्तित करो—

इस संकट में सिवा भगवान् के मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता ।
मुझे रखकर समय खराब करने के बदले जाने की आज्ञा दीजिये ।

५. वाक्य-परिवर्तन

(Interchange of Sentences)

आमिश्र, संकीर्ण और संमृष्टवाक्य

(१) अमिश्र से संकीर्ण और संकीर्ण से अमिश्रवाक्य—

नियम—अमिश्रवाक्य के एक या अधिक पदों को अङ्गवाक्य में बदल देने से संकीर्णवाक्य बन जाता है ।

१. अमिश्र—सुनील बालक बड़ों की आज्ञा मानते हैं ।

संकीर्ण—जो बाऊक सुनील होते हैं, बड़ों की आज्ञा मानते हैं ।

२. अमिश्र—चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा ।

संकीर्ण—चोर ने देखा कि मेरे बचाव का कोई उपाय नहीं है ।

३. अमिश्र—मेरे बेल के आते ही काली गाय चली जाती है ।

संकीर्ण—जब मेरा बेल आता है तब काली गाय चली जाती है ।

संकीर्णवाक्य के अङ्गवाक्य को पद या वाक्यांश में बदलने से वह अमिश्रवाक्य बन जाता है । (उदाहरण ऊपर देखो ।)

(२) अमिश्र में संसृष्ट और संसृष्ट से अमिश्रवाक्य—

नियम—अमिश्रवाक्य के किसी वाक्यांश को एक अपेक्षा-रहित वाक्य में बदल देने से वह संसृष्टवाक्य बन जाता है । ऐसी अवस्था में योजक अव्यय का प्रयोग होता है ।

यदि वाक्यांश में कोई असमापिका क्रिया हो तो उसे समापिका में बदलकर निरपेक्षवाक्य बनाना चाहिये ।

१. अमिश्र— { आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो ।
शत्रुओं का सामना करने के लिये आगे बढ़ो ।

संसृष्ट—आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो ।

२. अमिश्र—बिल्ली के पंजों में नख होते हैं ।

संसृष्ट—बिल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं ।

३. अमिश्र—सूर्योदय होते ही हम अपने कार्य में लगे ।

संसृष्ट—सूर्योदय हुआ और हम अपने कार्य में लगे ।

संसृष्टवाक्य में एक निरपेक्षवाक्य को छोड़ शेष का पदों या वाक्यांशों में बदलने से वह अमिश्रवाक्य बन जाता है । कभी-कभी समापिका क्रिया को पूर्वकालिक में बदलकर अमिश्रवाक्य बनाते हैं । अमिश्रवाक्य बनाने पर योजक अव्यय छूट जाता है । (उदाहरण ऊपर देखो ।)

(३) संकीर्ण से संसृष्ट और संसृष्ट से संकीर्णवाक्य—

नियम—संकीर्णवाक्य के अङ्गवाक्य को प्रधान में बदल देने

से वह संसृष्टवाक्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में संकीर्ण के नित्यसम्बन्धी अव्यय इत्यादि शब्दों और 'कि' के बदले योजक या विभाजक अव्यय लाते हैं। जैसे—

१. संकीर्ण—यद्यपि तू धनी है; तथापि सुखी नहीं है।

संसृष्ट—तू धनी है, परन्तु सुखी नहीं है।

२. सङ्कीर्ण—तू जानता है कि वह खराब लड़का है।

संसृष्ट—वह खराब लड़का है और तू यह जानता है।

३. सङ्कीर्ण—यदि अकाल पड़ेगा तो मरेंगे।

संसृष्ट—अकाल पड़ेगा और मरेंगे।

संसृष्टवाक्य के एक निरपेक्षवाक्य को छोड़ शेष को अप्रधान में बदलने से वह सङ्कीर्णवाक्य बन जाता है। ऐसी अवस्था में योजक और विभाजक अव्ययों के बदले नित्य सम्बन्धी शब्दों और 'कि' का प्रयोग होता है।

(उदाहरण ऊपर देखो)

६. वाच्यपरिवर्तन (Changes of voices)

वाच्यपरिवर्तन की सभी बातें पीछे क्रियाप्रकरण में लिखी जा चुकी हैं। यहाँ केवल थोड़े-से उदाहरण दिये जाते हैं।

१. कर्तृवाच्य—मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।

कर्मवाच्य—पुस्तक पुस्तक पढ़ी जाती है।

२. कर्तृवाच्य—राम पुस्तक देगा।

कर्मवाच्य—राम से पुस्तक दी जायगी।

१. कर्तृवाच्य—तू बैठता है।

भाववाच्य—तुझसे बैठा जाता है।

२. कर्तृवाच्य—आइये।

भाववाच्य—आया जाय।

३. कर्तृवाच्य—वह सोवे ।

भाववाच्य—उससे सोया जाय ॥

नोट—(१) 'मैं ग्रन्थ पढ़ जाता हूँ । राम पुस्तक दे जायगा । तू बैठ जाता है । आ जाइये । वह सो जावे ।' इन वाक्यों के 'कर्म' और 'भाववाच्य' भी क्रमशः ऊपर ही के अनुसार * होते हैं, परन्तु, कही-कही अर्थों में कुछ भेद हो जाता है । इसी प्रकार 'मैं रोटी खा गया' का कर्मवाच्य 'मुझसे रोटी खाई गई' है ।

(२) 'शर्माजी' के नियम से 'मैंने रोटी खाई' यह वाक्य कर्मवाच्य है, इससे कर्म में 'को' जाने से 'मैंने रोटी को खाया' भाववाच्य बन जाता है । ये दोनों वाक्य 'गुरुजी' के नियम से कर्तृवाच्य है और वाच्यपरिवर्तन में इनके बदले 'मुझसे रोटी खाई गई' कर्मवाच्य है ।

७. उक्तिभेद (Reported speech)

जब किसीकी कही हुई बात को दूसरे से कहते हैं तब, उसे या तो वक्ता ही की उक्ति में कहते हैं या अपनी उक्ति में ।

जब वक्ता के वक्तव्य को ठीक-ठीक उसीके शब्दों में प्रकाश करें तब उसे प्रत्यक्ष या साक्षात् उक्ति और जब अपने शब्दों में करें तब उसे परोक्ष उक्ति कहते हैं ।

१. प्रत्यक्ष—राम ने कहा था—“मैं जाऊँगा ।”

परोक्ष—राम ने अपने जाने की बात कही थी ।

२. प्रत्यक्ष—पिता ने मुझे कहा—“राम की पुस्तक पढ़ो ।”

परोक्ष—पिता ने मुझे राम की पुस्तक पढ़ने को कहा ।

* पीछे वाक्य प्रकरण देखो ।

३. प्रत्यक्ष—ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया—“कल्याण हो ।”

परोक्ष—ब्राह्मण ने कल्याण होने के लिये आशीर्वाद दिया ।

४. प्रत्यक्ष—मैंने पूछा—‘आप कहाँ जाते हैं ?’

परोक्ष—मैंने उनके जाने के बारे में पूछा ।

५. प्रत्यक्ष—गुरुजी ने कहा—“पृथ्वी चलती है ।”

परोक्ष—गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी चलती है ।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे अमिश्र, संकीर्ण और संसृष्ट वाक्यों का परस्पर परिवर्तन करो ।

मनुष्य-समाज को सुखी बनाने के हेतु कितने ही उपाय हैं । मनुष्य जो कुछ काम करते हैं, सुख के लिये ही करते हैं । इस पवित्र विशाल भारतवर्ष में आदर्श पुरुषों का बिल्कुल अभाव हो जाना क्या कभी सम्भव है ? इस वर्तमान भारत में भी अनेक महापुरुषों ने जन्म-ग्रहण करके अपने उदार चरित्रों से लोगों को अनेक उपदेश दिये हैं । आदर्श पुरुष उच्च हृदय के हुए, तो जाति उन्नत होती है और आदर्श नीच प्रकृति के हुए तो जाति की अवनति होती है ।

(२) नीचे लिखे वाक्यों को वाच्य के अनुसार परिवर्तित करा—

मनुष्य जो कुछ काम करते हैं सुख के लिये ही करते हैं । आइये, आप ही का घर है, पंकोच मत कीजिये । तारापद ने स्थिर किया था कि वह रुपये को लौटा देगा । भगवन् ! तूने भी मुझे यों ही त्याग दिया ! यह भी आशीर्वाद दीजिये कि सच्चरित्र पुरुषों के पदाङ्क का अनुसरण कर सकूँ ।

(२) नीचे लिखे वाक्यों को उक्तिभेद के अनुसार परिवर्तित करो—

कुछ देर तक चुप रहकर तारापद ने कहा—“अच्छा, जाइये ।” राम ने कहा—“कुछ नहीं” । श्याम ने बहुत देर के बाद मुझसे पूछा—“आप कहाँ जाते हैं ?” कातरता से और कुछ दिन ठहरने के लिये कहा । गुरुजी ने घर जाने के लिये कहा ।

अनुक्तपदों की पूर्ति (Filling up of Ellipses)

अनुक्तपदों की पूर्ति के लिये कोई विशेष नियम नहीं दिया जा सकता। शब्द-प्रकरण के भिन्न-भिन्न प्रयोगों और वाक्य रचना के नियमों पर ध्यान रखकर वाक्यार्थबोध के अनुसार शब्दों की पूर्ति करनी चाहिये।

प्रत्येक रिक्त स्थान के लिये केवल एक शब्द या एक पद को चुनना चाहिये। दो-तीन पदों को रखना अनुचित है।

(१) आदर्श—

.....किताब लिखी। उसने.....पढ़ी। राम ने रोटी...।
श्याम ने किताब लिखी। उसने पुस्तकें पढ़ी। राम ने रोटी खाई।

अनुक्त पदों की पूर्ति करो—

(१) पत्र लिखा है। आम दिये हैं। बातें
कही हैं। मछली मारी थी। फल खाये होंगे।
.....किताब पढ़ी होगी।

(२) राम ने मारे। लड़की ने लिखे हैं।
कौआ ने खा डाले हैं। विद्यार्थी ने लिखी होगी।
सीता ने सुनी थी।

(३) आपने ग्रन्थ...। सीता ने चिट्ठियों...। व्याधों ने चिड़ियों
.....। मोहन ने दूध.....। श्याम ने मक्खन.....।

(२) आदर्श—

मोहन...सोहन...। गाय...बकरी.....।

मोहन और सोहन जाते हैं। गाय या बकरी बिकेगी।

राम का...घोड़ा...आता है। तुम्हारी...पुस्तक...है।

राम का काला घोड़ा धीरे-धीरे आता है। तुम्हारी यह पुस्तक अच्छी है।

यदि पढ़ोगे बुद्धि और रहेंगे ।

यदि विद्या पढ़ोगे तो बुद्धि होगी और सुखी रहेंगे ।

अनुक्त पदों की पूर्ति करो—

(१) सीता राम को भेज ।

(२) सीता की बेटी चली गई । मेरा विद्यार्थी पढ़ता है । घर की दीवार पर बिल्ली बैठी है ।

(३) वह है तथापि बुद्धि है । जब दुष्ट आता है राम का चुपचाप है । लाठी भैंस ।

(३) आदर्श—

इस जो सुखी चाहता हो क्रोध प्रयत्न चाहिये । क्रोध को वश में रख सकता वह वस्तुओं के हुए सुख भोग सकता ।

इस संसार में जो मनुष्य सुखी रहना चाहता हो उसे क्रोध छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये । जो क्रोध को अपने वश में नहीं रख सकता वह सुख की वस्तुओं के रहते हुए भी सुख नहीं भोग सकता ।

अनुक्त पदों की पूर्ति करो—

मनुष्य कुछ करते हैं, सुख के लिये करते हैं । पीने की मक्की । उद्देश्य रहता है हमको मिले, गला सुख चिल्लाने मुख मिल सकता ।

मिश्रित अभ्यास (Miscellaneous Exercise)

१. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो—

किसने आज रात में चिल्लाया कि मेरी नींद ने टूट गई । मैं तो तुझसे कहा ही था कि हमारी कान में आज बड़ा खुजलाहट है । उसका विषय मैं आप क्या जानते हो ?

एक राजा जब नींद में पड़ा था कि उनका परम भक्त सेवक एक बानर उन्हें पंखा झल रहा था। एक मक्खी को बार-बार उसके छाती पर बैठता देख बानर तड़कार चढ़ाया। राजा मर गया। मक्खी तो पहले ही उड़ गई।

२. नीचे के शब्दों को इस प्रकार बेठाओ कि एक पूर्ण वाक्य बन जाय।

छोटी, दूर, पहले, होने के, कारण, वस्तु, दिखाई, जो, देती, थी तो, बड़ी, अब, जान पड़ती है। मिली, और, जो, हुई, सी, थी, निकली, अलग, मो, अलग।

३. नीचे लिखे वाक्यों का विभाजन करो—

हिमालय पर्वत रमणीय है, क्योंकि वहाँ प्रकृति के दर्शन होते हैं। अब वह राजर्षि के नाम से नहीं वरन् ब्रह्मर्षि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। मेरे मित्र ने कहा—“अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं”।

चकई, अब चकवा से न्यारी हो, रान आई। तुक मुझसे इस दशा में हँसी करती हो।

चिह्नविचार (Punctuation)

वाक्यों में कुछ चिह्न लगाये जाते हैं, जो ठीक ठीक ठहराव के साथ उनके बोलने में सहायक होते, उनके पदों, वाक्यांशों और खण्डवाक्यों में परस्पर सम्बन्ध सूचित करते तथा उनके अर्थों को भलीभाँति स्पष्ट करते हैं ।

(१) विराम या ठहराव के चिह्न (Stops)

(,) अल्पविराम (Comma)

जहाँ यह चिह्न (,) रहे वहाँ उतने समय तक ठहरना चाहिये जितना 'एक' के उच्चारण करने में लगता है ।

प्रयोग के नियम—

१. यदि कई शब्द पद, वाक्यांश या खण्डवाक्य एक ही दशा में हों तो अंतिम शब्द या पद इत्यादि को छोड़ शेष के आगे अल्पविराम लाते हैं, परन्तु अंतिम शब्द या पद इत्यादि के पहले प्रायः 'और' 'या' इत्यादि समुच्चायक लाते हैं । जैसे—राम, श्याम और मोहन ने यह काम किया । धर्म और विद्या की शिक्षा प्राप्त कर उस समय के गिण्य जितेन्द्रिय, मत्तवादा, परोपकारी, दयालु और विवेकी हो जाते थे । उनका यहाँ रहना, लोगों से प्रेमपूर्वक मिलना, बड़ों का आदर करना और सीधी-सादी चाल सबों को पसन्द है । यदि आप अपने पुत्र के पढ़ने का समुचित प्रबन्ध न करेंगे तो वह आलसी बन जायगा, उसका समय व्यर्थ जायगा, उसकी उन्नति के स्थान में अवनति होगी और वह समाज में मूर्ख गिना जायगा । प्रायः इस बात को सभी जानते हैं कि माता, पिता, गुरु आदि बड़े सभी पूज्य हैं ।

२. जहाँ अर्थ में बाधा पड़े वहाँ भी अल्पविराम (,) दिया जाता है। जैसे—राजा स्वदेशी हो या विदेशी, राजा का प्रधान कर्तव्य है कि प्रजा में विद्या का प्रचार करे।

३. सम्बोधन के परे अल्पविराम (,) लाते हैं और यदि सम्बोधनपद वाक्य के बीच में पड़ जाय तो उसके पहले भी। जैसे—बालको, परिश्रम करो। सुनो, बच्चो, जंगल में मत जाओ। (आगे विम्मयादिबोधक चिह्न देखो।)

४. यदि दो परस्पर अन्वित पदों को कोई पद, वाक्यांश या खण्डवाक्य बीच में आकर अलग-अलग कर दे तो उनके दोनों ओर अल्पविराम (,) लाते हैं। जैसे—राम, जिसे सब जानते हैं, बड़ा नेक है। मेरा घर, आपकी दुर्गति, कभी नहीं बिक सकता। वह ग्रन्थ, जो कल खरीदा है, जरा ले तो आओ। उस दिन, जब मैं पुस्तक लिख रहा था, आपसे भेंट हुई। (आगे निर्देशक चिह्न का तीसरा नियम देखो।)

५. नित्यसम्बन्धी शब्दों के प्रत्येक जोड़े का दूसरा शब्द यदि लुप्त रहे तो वहाँ अल्पविराम (,) लाते हैं। जैसे—यदि आप आवें, मेरे लिये कुछ फल लाइयेगा। वह जहाँ जाता है, बैठ रहता है। यदि पढ़ना है, पढ़ो, नहीं तो घर जाओ।

६. 'वह, यह' जब लुप्त हों तब अल्पविराम (,) लाते हैं। जैसे—कब लुट्टी मिलेगी, मैं कह नहीं सकता। राम कब आवेगा, हम नहीं जानते। मनुष्य जो कुछ करते हैं, सुख के लिये करते हैं।

७. किसीकी उक्ति के पहले अल्पविराम (,) लाते हैं। जैसे—राम ने कहा, "मैं परसों जाऊँगा।" ऐसी जगह अल्पविराम के बदले निर्देशक चिह्न (—) भी लाते हैं।

८. यदि कोई खण्डवाक्य वरन्, पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, क्योंकि, इसलिये, तो भी, कारण या इसी प्रकार के किसी अन्य

शब्द या संस्कार से आरम्भ हो तो उसके पहले अल्पविराम (,) लाते हैं। जैसे—माँ उसे व्याकरण का नियम नहीं समझाती, वरन् शुद्ध बात बता देती है। पहले-पहल केवल बोली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों को म्याथी रूप देने के लिये कई प्रकार की लिपियाँ निकाली गईं। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परन्तु कथित प्राकृत विकसित अर्थात् परिवर्तित होती गई। उसका यह रूप नया नहीं है, किन्तु उतना ही पुराना है जितने कि उसके दूसरे रूप। खाने में तो अच्छा है, लेकिन वह स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। आजकल इस काव्य की मूलभाषा का ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लेखकों और गवैयों ने इसे अपनी-अपनी बोलियों का रूप दे दिया है। वह बीमार है, इसलिये नहीं आया। स्वच्छ वायु आवश्यक है, कारण मैली वायु से रोग होते हैं। दिखलाई तो नहीं देते, तो भी ये पानी में अवश्य मिले रहते हैं। यह रूपया मेरा न था, मेरे मालिक का था। राम रो रहा है, कोई नहीं सुनता। आप दौड़-धूप मत करें, कुछ फल नहीं मिलेगा। (अर्द्धविराम का नोट देखो।)

६. वाक्य के आरम्भ में आनेवाले पद या वाक्यांश में पूर्व के किसी विषय के सम्बन्ध की कुछ भी गन्ध हो तो उसके आगे अल्पविराम (,) लाते हैं। जैसे—हाँ, एक-एक गुण का अभ्यास करके लोग गुणों से अपने को अलंकृत कर सकते हैं। बस, एक सत्य का आश्रय ग्रहण करने से और जितने गुण हैं, आप-से-आप आकर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। प्रथम, नागर अपभ्रंश और द्वितीय, अर्द्धभागधी। अन्यथा, प्राकृत भाषा का व्यवहार भारत में उस समय से चला होगा।

१०. अन्य स्थानों में भी ठहराव के कारण यदि अल्पविराम (,) देने की आवश्यकता हो तो दे सकते हैं। जैसे—क, थ, म, इत्यादि। हिमालय, दूसरा भाग, बारहवाँ अंक (आश्विन, २०१०)। प्रकाशक, पुस्तक-भंडार, बाँकीपुर, पटना।

(;) अर्द्धविराम (Semicolon)

जहाँ यह चिह्न (;) रहे वहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक काल तक ठहरना चाहिये ।

नियम—जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक काल तक ठहरने की आवश्यकता हो तथा एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे का दूर का सम्बन्ध बताना हो, वहाँ अर्द्धविराम लाते हैं । जैसे—व्यवसाय बन्द है; वाणिज्य बन्द है; कृषिकार्य बन्द है; चारों ओर हाहाकार खूब उत्थित हो रहा है । प्रपु-संख्या ३००; आकार मझोला; छपाई और कागज उत्तम; जिल्द-बँधी हुई; मूल्य १) रुपया । वे हमारी चिट्ठी साफ हजम कर गये; डकार तक न ली ।

नोट—(१) बहुत से विद्वान् अर्द्धविराम की जगह अल्पविराम या पूर्णविराम ही से काम लेते हैं । हमने भी ऐसा ही किया है ।

(२) कोई-कोई 'पर, परन्तु, इसलिये, किन्तु, क्योंकि, लेकिन, तो भी, कारण' इत्यादि के पहले भी अर्द्धविराम लाते हैं । (देखो अल्पविराम का ८ वाँ नियम) ।

(:) अपूर्णविराम (Colon)

जहाँ यह चिह्न (:) रहे वहाँ अर्द्धविराम की अपेक्षा कुछ अधिक काल तक ठहरना चाहिये ।

नोट—अकेले अपूर्णविराम से विसर्ग का भ्रम होता है, इसलिये उसके आगे एक छोटी लकीर लगाकर इस (:—) रूप में लिखते हैं ।

नियम—किसी वक्तव्य को कुछ अलग करके बताना या गिनाना हो तो उसके पहले अपूर्णविराम (:—) लाते हैं । ऐसा जगह केवल एक लकीर (—) से भी काम चलाते हैं । जैसे—

नीचे के वाक्यों को शुद्ध करो :—

नीचे के वाक्यों को शुद्ध करो—

नोट—आगे 'निर्देशक' चिह्न देखो ।

(।) पूर्णविराम (Full stop)

जहाँ यह चिह्न (।) रहे वहाँ भलीभाँति ठहरना चाहिये ।

नियम—प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्णविराम (।) आता है । जैसे—हिन्दी हमारी मातृभाषा है ।

नोट—(१) परिभाषा या सूत्र लिखकर उदाहरण लिख देने में 'जैसे', 'यथा' इत्यादि शब्दों के पहले अर्धविराम देने से वाक्य की जटिलता दूर हो जाती है । अन्यथा, उनके पहले पूर्णविराम भी ला सकते हैं ।

(२) नीचे के दो चिह्न (? !) पूर्णविराम के अपवाद में हैं ।

(?) प्रश्नबोधक (Note of Interrogation)

प्रश्नबोधक वाक्य के आगे पूर्णविराम के बदले यह (?) चिह्न आता है । जैसे—तुम कहाँ जाते हो ?

नोट—जहाँ शुद्ध या उचित प्रयोग होने में लेखक को सन्देह होता है वहाँ आगे कोष्ठ में प्रश्न का चिह्न लिखा जाता है । जैसे—सच बोलना कितना आवश्यक (?) है—सच बोलने में कितनी बड़ी वीरता है—मेरे सब कुछ दिखा चुका ।

(!) विस्मयादिबोधक (Note of Admiratioon)

नियम—(?) विस्मय, शोक, करुणा आदि चित्तवृत्ति जताने वाले शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य के आगे विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लाते हैं । जैसे—'हाय ! ऐसा आन्धेर !' 'यदि मैं परिश्रम करता तो मैं भी न आज गुलछर्रे उड़ाता !' 'अहा ! ओहो !! हुर्रे हुर्रे !! उड़ गये धुर्रे !'

(२) यदि किसी वाक्य में प्रश्न की झलक रहने पर भी उत्तर की आकांक्षा न हो तो उसके आगे भी विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लाते हैं। जैसे—बुढ़ापे पर दया मेरे जो करते, तो वन की ओर क्यों तुम पैर धरते !

(६) जिस सम्बोधन से विस्मय, शोक, आनन्द इत्यादि भाव प्रकाशित करें उसके आगे विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लाते हैं। जैसे—छिपे हो कौन से पर्दे में बेठा ! प्यारे अब फिर कब दर्शन होंगे ? भाग्य ! तेरी भी क्या प्रशंसा करें।

नोट—जो शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य किसी असम्भव बात का सूचक हो और उपर विस्मय भी प्रकाश किया जाय तो उसके आगे कोष्ठ में चिह्न (!) लाने हैं। जैसे—त्रिकारुदर्शी (!) लेडवीटर।

(—) निर्देशक (Dash)

नियम—(१) जहाँ वाक्य टूट गया हो, जहाँ कोई पद या वाक्यांश किसी कारण से लिखने योग्य न हो और जहाँ किसी पद या वाक्य का भूल सुधारने या उस पर अधिक प्रकाश डालने के लिये विवरण करना हो; वहाँ निर्देशक चिह्न (—) लाते हैं। जैसे—जिनको ऐश्वर्य का मद-हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझी को कहते हो* ! गत परीक्षा में तुमने—की थी, यह बात सब जान गये। वह तुम्हारी बात—बात नहीं करामात है।

(२) विषयविभाग-सम्बन्धी प्रत्येक शीर्षक के आगे तथा वार्त्तालाप विषयक लेखों में वक्ता के नाम के आगे निर्देशक चिह्न (—) लगाते हैं। जैसे—राजभक्ति के लाभ—राजा की भक्ति से।
शकुन्तला—मैं बड़ों का अपराध न लूँगी।

* वक्ता के मुँह से 'जिनको ऐश्वर्य का मद' यह वाक्यांश सुनते ही बात काटकर थोता ने कहा—“हाँ-हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझी को कहते हो।”

(३) यदि वाक्य के बीच में कोई स्वतन्त्र पद, वाक्यांश या वाक्य आ जाय तो उसके दोनों ओर निर्देशक चिह्न (—) लाने हैं। जैसे—‘मेरे पति ने—परमात्मा उनकी रक्षा करे !—विदेश यात्रा की है।’

(४) कोष्ठ और विराम के बदले भी निर्देशक चिह्न (—) कभी-कभी लाते हैं। जैसे—‘अपना जीवन’—अपनी जिन्दगी—भलीभाँति सार्थक करो।

तेरी उल्फत की चिनगारी ने, जालिम, एक जहाँ फूँका।

उधर चमकी—उधर सुलगी—यहाँ फूँका—वहाँ फूँका।

(५) यदि बोलने में ठिठकना पड़े तो निर्देशक चिह्न लाते हैं। जैसे—‘हमें—चिन्ता है—कि—आपके—दर्शन—नहीं—होंगे।’

नोट—अल्पविराम का मातवाँ नियम देखो।

(२) अन्य चिह्न (Other Signs)

[] { } () कोष्ठ चिह्न (Brackets)

नियम—(१) किसी पद, वाक्यांश या वाक्य को अथवा किसी अन्य वाक्य, वाक्यांश या पद को कोष्ठ-चिह्नों के भीतर रखते हैं। जैसे—वातों का क्रम (सिलसिला) ठीक है। मरस्वती (प्रयाग) के पाँचवें अङ्क में छपा था।

(२) यदि कई पद, वाक्यांश या वाक्य ऊपर-नीचे लिखकर घेरे जायँ तो इन [] { } () चिह्नों से घेरते हैं।

नोट—कोष्ठ के चिह्न गणित में अधिकता से आते हैं।

“ ” उद्धरण चिह्न (Inverted Commas)❖

नियम—दूसरे की जिस उक्ति को अविकल उद्धृत करना हो या लेख के जिस छोटे या बड़े अंश पर विशेष ध्यान की आवश्यकता हो, उसे इन “ ” के भीतर रखते हैं। जैसे—शिक्षक ने कहा—“बालको, ध्यानपूर्वक सुनो” “ने चिह्न के प्रयोग” भली-भाँति सीखो।”

नोट—यदि दूसरे की उक्ति के भीतर तीसरे की उक्ति आ जाय तो उसे एकहरे उद्धरण चिह्नो (‘ ’) के भीतर रखते हैं। जैसे—गुर्जरजी ने लिखा है—“रामजी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। उन्होंने ‘दीर्घजीवी हो’ कहकर आशीर्वाद दिया।”

(-) योजक (Hyphen)

नियम—(१) लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अन्त में समूचा न लिखा जा सके तो उसके एक या अधिक खण्डों को उस पंक्ति में लिखकर योजक चिह्न (-) लगाने हैं और शेष दूसरी पंक्ति के आरम्भ में लिखते हैं। जैसे—

दिनभर में दिनभर भोजन भी कठिन- ता से मिलता था।

नोट—(१) उच्चारण के अनुसार प्रत्येक शब्द में एक, दो या अधिक खण्ड हो सकते हैं। जैसे—श्रीमान् कथा-धर। यदि ये दोनों शब्द बाँटकर लिखे जायें तो ठीक ऊपर लिखे अनुसार बाँटना चाहिये, उन्हें श्रीमान् और ‘कथा-धर’ में बाँटना उच्चारण-विरुद्ध होगा। पुस्तकों में प्रेसों की अनावधानी से शब्दों के खण्ड प्रायः ठीक ठीक बिलगाये नहीं रहते। प्रेषकों को इस भ्रूट पर ध्यान देना चाहिये।

* ! इस चिह्न का दूसरा नाम ‘अवतरण विराम’ भी है।

(२) आजकल दो-चार को छोड़ शेष सभी विद्वान् 'ने' को, से, का, में' इत्यादि चिह्नों को शब्दों से अलग-अलग ही लिखते हैं। इसी परिपाटी के अनुसार हमने भी इन्हें अलग ही लिखा है, परन्तु जो साथ लिखनेवाले हैं वे ऊपर लिखी अवस्था में बिलगाने के समय योजक चिह्न लगाते हैं।

(३) आजकल कोई-कोई विद्वान् समस्त शब्दों के मूल खण्डों को अलग-अलग लिखने लगे हैं। ऐसी अवस्था में योजक चिह्नों से काम लेते हैं। जैसे—

जयति मनुज-कूल दया द्रवित, दुखियन-दुख-भंजन ।

जय भारत-निज प्रजा-प्रणय-भाजन, जन-रंजन ॥

(श्रीधर पाठक)

(—) या (.....) (× × ×) इत्यादि

वर्जन या लोपचिह्न—

नियम—(१) लेख में जब एक या अधिक वाक्य, शब्द या अक्षर अप्रकाशित रखना चाहें तब वर्जन चिह्न लाते हैं। जैसे—उमने.....कहकर गाली दी ।

(२) यदि किसी वर्णन का कुछ अंश लिखने से सम्पूर्ण का बोध हो जाय तो शेष के लिये वर्जन चिह्न लाते हैं। जैसे—

आगे चलें बहुरि.....परबन नियराई ।

(० , .) लाघव चिह्न—

नियम—जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार-बार लिखना पड़े उसका प्रायः पहला अक्षर लिखते हैं और आगे लाघव चिह्न लाते हैं। जैसे—ताराख के लिये ता०, मिति के लिये मि०, इत्यादि । (पीछे 'लाघव' का पाठ देखो) ।

* 'ने, को, से, में' इत्यादि चिह्नों को अलग लिखना चाहिये, या साथ ?
इस प्रश्न के उत्तर के लिये पं० अम्बिकादत्त व्यास कृत 'विभक्ति-विभाग' और पं० गोविन्द नारायण मिश्र कृत 'विभक्ति-विचार' नाम की पुस्तकें पढ़ो ।

(२) त्रुटिचिह्न—

नियम—यदि लेख के बीच में कोई अक्षर, शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य लिखने से छूट जाय तो वहाँ त्रुटि चिह्न लगाकर छूटे हुए अंश को किनारे पर लिख देने हैं। जैसे—

बाजार से आटा और चीनी लाना। . दाल

 हस्तचिह्न—

नियम—किसी प्रधान बात को लक्षित करना हो तो हस्तचिह्न लगाते हैं।

 'ने' चिह्न पर ध्यान रखो।

(*, +, †, ‡, §, ¶, इत्यादि) तारक चिह्न—

नियम—किसी अक्षर, शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य के सम्बन्ध में कुछ अन्यत्र लिखना हो तो उसके आगे तारक चिह्न लगाते हैं और पृष्ठ के अधोभाग में रेखा के नीचे फिर वैसे ही चिह्न लगाकर तत्सम्बन्धी बातें लिखते हैं। (उदाहरण इसी पुस्तक में अन्यत्र देखो।)

किसी-किसी ने उक्त सभी चिह्नों को विराम ही के अन्तर्गत माना है।

अनुच्छेद (Paragraph)

जब कई वाक्यों में किसी विषय का एक भाग या खण्ड समाप्त होता है और उसपर लेखक को कुछ कहना शेष नहीं रहता तब उसका विच्छेद किया जाता है और दूसरा खण्ड नई पंक्ति से आरम्भ होता है।

नोट—लघुता और गुरुता के विचार से एक भाग कई खण्डों में लिखा जा सकता है, परन्तु एक खण्ड में कई भागों का समावेश करना अनुचित है।

अभ्यास

नीचे जहाँ-जहाँ उचित हो विरामादि चिह्नों को लगाओ और अनुच्छेदों को अलग करो—

उनकी मुद्रा भी देखने ही योग्य थी वह पथ इन भाँति पढ़ते कि आप आशय का रूप बन जाते थे और लोग भी नकल उतारते थे पर वह बात कहाँ वह पढ़ने में अङ्गो से भी काम लेते थे जैसे प्रदीप का विषय बाँधते तो पढ़ते समय एक हाथ से प्रदीप और दूसरे हाथ की ओर वही फातूस बनाकर बताते क्रोध या अप्रसन्नता का विषय होता तो आप भी त्योरी चढ़ाकर वही बिगड़ जाते कहकहो के शब्द आते हैं देखना कवियों का भुण्ड आन पहुँचा इनका आना गजब का आना है ये ऐसे खुले चौड़े होंगे कि इनकी डिग्री गम्भीरता से जरा न छिपेगी इतना हीसे और हँसायेंगे कि मुँह थक जायेंगे उन्ही कोठो पर कूदते फाँदते फिरेंगे पर न उन्नति के डेग आगे बढ़ायेंगे न अगली अटारियों को ऊँचा उठायेंगे इन भाग्यवानों को पठना भी अच्छा मिलेगा ऐसे ग्राहक हाथ आयेंगे कि एक एक फूल इनका केसर की क्यारी के मोल बिकेगा । देवबाला क्या मैं तुमको भूल सकता हूँ पर क्या करूँ आज गुरुजी ने छुट्टी मुरज डूबने पर दी इसी से यहाँ आने में कुछ अवेर हो गई क्या मैं थोड़ी देर और न आता तो तू यहाँ से चली जाती देवबाला हाँ भाई क्या करती अंधेरा होने पर यहाँ ठहर तो नहीं सकती माँ जो कुढ़ने लगती है देवनन्दन तो फिर हमसे तुमसे आज भेंट कैसे होती दे० वा० कैसे होती इसीसे तो कहती हूँ तुम जैसे पहले मेरे घर आया करते थे उपी भाँति अब भी आया करो माँ भी एक दिन कहती थी बहुत दिन हुए कि देवनन्दन को मैंने नहीं देखा दे० न० तुम्हारे घर आने में मुझ कौन अटक है पर देखो ये ही दिन पढ़ने लिखने के हैं जो इधर उधर घूम फिरकर इनको बिता दूँगा तो फिर पढ़ना लिखना कैसे आवेगा ।

काव्यविचार

१—काव्य के लक्षण और भेद

काव्य की परिभाषा है —

“वाक्यं रसात्मकं काव्यम् ।” (साहित्य-दर्पणम्)

जिस वाक्य में रस हो, कलामर्मज्ञ जिसका रसाभ्यादन कर आनन्द उठा सकें, उसको ‘काव्य’ कहते हैं ।

रसगंगाधर में काव्य का लक्षण कहा गया है ।

“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः ।”

जिस काव्य के भाव में विलक्षण सौन्दर्य हो, या पदविन्यास में मनोहर लालित्य हो, उसीको काव्य समझना चाहिये ।

काव्य से एक अलौकिक आनन्द को प्राप्ति होती है । जिस प्रकार संगीत की मधुर स्वरलहरी चित्त को आकर्षित कर लेती है उसी प्रकार काव्य की सरस पदावली भी हृदय के अन्तस्तल को स्पर्श करती हुई उसमें एक अपूर्व भावोल्लास का सञ्चार करती है । यह उल्लास शुद्ध, साहित्यिक और मात्त्विक होता है अतएव काव्य को ‘लोकोत्तर आनन्ददायिनी रचना’ कहते हैं ।

काव्य के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह छन्दोबद्ध ही हो । जिसमें कुछ विशेष चमत्कार हो, जिसे सुनते ही मन में एक आह्लाद उत्पन्न हो, जिसके द्वारा हृदय में एक अनिर्वचनीय आनन्द का उद्रेक हो, उसे ही काव्य समझना चाहिये, चाहे वह गद्य में हो या पद्य में । अतएव रचना की दृष्टि से काव्य तीन प्रकार के होते हैं ।

(१) गद्यकाव्य—जैसे, 'उद्भ्रान्तप्रेम', 'सौन्दर्योपासक', आदि)

(२) पद्यकाव्य—(जैसे, 'भारभारती', 'साकेत', आदि)

(३) मिश्रकाव्य—(जैसे, 'चम्पू', 'प्रेमसागर', आदि)

काव्य का आनन्द दो तरह से उठाया जा सकता है—

(क) सुनकर या पढ़कर, और (ख) देखकर ।

(१) श्रव्यकाव्य - जैसे—कथा-कहानी. कविता. उपन्यास,
नाटक, (लिखित) ।

(२) दृश्य काव्य—रंगमंच पर किया जाने वाला अभिनय ।

श्रव्यकाव्य दो प्रकार का होता है—

(१) महाकाव्य—जिसमें आदि से अन्त तक एक ही मुख्य विषय का आधार रहता है । इसमें सभी अंगों में आनुपूर्विक सम्बन्ध रहता है । 'रामचरितमानस', 'रामचरितचिन्तामणि' आदि इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

(२) मुक्तक—जिसमें सभी अंग एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखते । यहाँ कोई विशेष आधार नहीं रहता, केवल स्फुट और स्वतन्त्र रचनाएँ रहती हैं । उदाहरण—चाँखे चौपद', 'विद्यापति की पदावली ।'

नोट—कला की दृष्टि से काव्य की तीन कोटियों मानी गई हैं—

(१) ध्वनि—जहाँ व्यङ्ग्य की प्रधानता रहती है । इसमें शब्दों का वाच्यार्थ नहीं किया जाता, व्यङ्ग्यार्थ ग्रहण किया जाता है ।

जैसे—

“सीता हरण तात जनि, कहहु पिता सन जाइ ।

जौ मैं राम त कुलसहित, कहिहि दमान आइ ।”

यहाँ इस वाक्य में यह ध्वनि टपकती है कि “मैं रावण का नाश करूँगा ।” यहाँ संकेत मृत्त्यु है । कोरे शब्दार्थ से तात्पर्य नहीं है । इस तरह का व्यङ्ग्य-प्रधान-काव्य उत्तम समझा जाता है ।

(२) गुणीभूत व्यङ्ग्य—जिसमें वाच्यार्थ ही प्रधान और व्यङ्ग्यार्थ गौण रहता है । यह मध्यम कोटि का काव्य समझा जाता है ।

जैसे—

पितृ समेत कहि निज-निज नामा ।

अगे करण सब दंड प्रनामा ॥

यहाँ यह भा ध्वनि निकलती है कि सभी राजा क्रुद्ध परशुरामजी के भय में उनकी खुशामद करने लगे । किन्तु प्रधान वाच्यार्थ ही है ।

(३) चित्र (अलंकार)—जिसमें व्यङ्ग्यार्थ की ओर संकेत नहीं रहता, केवल वाच्यार्थ में ही चमत्कार रहता है । यह निम्न श्रेणी का काव्य समझा जाता है ।

जैसे—

“कुजल मे कलिल मे कछारन में कुञ्जन मे;

क्यारिन मे कलित कलीन विकपंत है ।

कटे पदमाकर परागहु में गौन हू में;

पातन मे पीकन पलाशन पगंत है ।

द्वार में दिमान में दुनी में देस देवन में,

देखो, दीप दीपन में दीपत दिगंत है ।

बोधिन मे, ब्रज में, नवेलिन में वेलिन में,

वनन में बागन में बगरयो बपंत है ॥

यहाँ केवल शब्दाडम्बर-मात्र की छटा है । इसमें कुछ व्यञ्जन या ध्वनि नहीं निकलती, केवल अभिधेय-मात्र अर्थ का बोध होता है ।

काव्य में तीन प्रकार के शब्द माने गये हैं—(१) वाचक, (२) लक्षणात्मक और (३) व्यञ्जक ।

इन तीनों में प्रत्येक की भावप्रकाशन शक्ति (वृत्ति) भिन्न-भिन्न होती है । इन वृत्तियों को क्रमशः (१) अभिधा, () लक्षणा और (३) व्यञ्जना कहते हैं । इनके अनुसार जो अर्थ निकलते हैं, वे क्रमशः (१) वाच्यार्थ ; (२) लक्ष्यार्थ और (३) व्यङ्ग्यार्थ कहलाते हैं ।

निम्नलिखित उदाहरणों से ये बातें स्पष्ट हो जायँगी ।

१. अभिधा—जहाँ शब्द का प्रयोग केवल उसके मुख्यार्थ (कोपन्याकरणादि-सम्मत-अर्थ) में किया जाय । जैसे—

‘वन में विचरन केसरी’

यहाँ केसरी का वाच्यार्थ (सिंह नामक पशु) लिया गया है । अतः, वह वाचक है ।

२. लक्षणा—जहाँ शब्द से उस पदार्थ का कोई लक्षण मात्र अभिप्रेत हो । जैसे—

‘नृप विक्रम हैं केसरी’

यहाँ ‘केसरी’ का लक्ष्यार्थ (शूर, पराक्रमी) लिया गया है । अतः, वह लक्षणात्मक है ।

३. व्यञ्जना—जहाँ शब्द से किसी और ही बात की ध्वनि निकले । जैसे—

महमबाहु भुज छेदन हारा ।

परमू छिल्लोकु महीप कुमारा ॥

यहाँ ध्वनि यह निकलती है कि जब पराक्रमी शत्रुओं को मारते मुझे देर नहीं लगी तब तुम किम खेत की मूली हो ? इसलिये सावधान हो जाओ ।

व्यञ्जनामूलक काव्य सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है !

२-रस

रस की व्युत्पत्ति है - 'रस्यते आस्वाद्यते इति रसः ।' अर्थात् जां आन्वादन किया जाय, सगाह-सराहकर चखा जाय, वही रस है । जिस तरह मिठाई खाने से जीभ को तृप्ति होती है, उसी तरह मधुर काव्य का रसाम्वादन करने से हृदय को आनन्द मिलता है । यह आनन्द अलौकिक और अकथनीय है । इसी साहित्यिक आनन्द का नाम 'रस' है ।

साहित्य में रस का बड़ा ही अधिक महत्त्व माना गया है । काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थों में तो रस से होने वाले परमानन्द की तुलना साक्षात् ब्रह्मानन्द ही से की गई है । जिस रचना में रस नहीं, वह 'काव्य' कहलाने की अधिकारिणी नहीं हो सकती इसीलिये साहित्यदर्पणकार ने कहा है—'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' रस ही काव्य की आत्मा है ।

रस के निम्नलिखित अवयव माने गये हैं—

(१) स्थायी भाव ।

(२) विभाव ।

(३) अनुभाव ।

(४) सञ्चारी भाव ।

काव्य के द्वारा जिस रस वा आनन्द का अनुभव होता है उसके भिन्न-भिन्न स्वरूप होते हैं । जिस समय तुम 'आल्हा' सुनते हो या वीर अभिमन्यु का नाटक देखते हो उस समय तुम्हारे मन में एक विलक्षण उत्साह का भाव रहता है । जब सीता वनवास का दृश्य देखते हो या शैव्या-विलाप पढ़ते हो तब मन में एक करुणा का भाव विद्यमान रहता है । ऐसे भाव को 'स्थायी भाव' कहते हैं, क्योंकि यह भाव चित्त की और-और

क्षणिक भावनाओं के बीच में स्थायी रूप से वर्तमान रहता है । प्रत्येक रस का अपना पृथक् स्थायीभाव होता है ।

स्थायी भाव का जो कारण होता है, उसे 'विभाव' कहते हैं । विभाव के दो अवान्तर भेद होते हैं—(क) आलम्बन और (ख) उद्दीपन । स्थायी भाव के मुख्य आधार को 'आलम्बन' और सहायक कारणों को 'उद्दीपन' कहते हैं । जैसे—सर्प का देखने से तुम्हारे मन में भय का संचार होता है । यहाँ तुम्हारे भय का आलम्बन है सर्प । अब मान लो, वह स्थान निर्जन भी है और सर्प फन फैलाकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है । ये बातें तुमको और भी अधिक उत्तेजित कर देती हैं । अतएव इन्हें उद्दीपन कहते हैं ।

उपर्युक्त उदाहरण में भय का अनुभव तुमको किस प्रकार होता है ? तुम्हारे शरीर में कंपकंपो होने लगती है, छाती जोर से धड़कने लग जाती है, श्वास को गति रुक-सी जाती है, और आँखों के सामने उस दृश्य की भयंकरता नाचने लगती है । इन चेष्टाओं को 'अनुभाव' कहते हैं ।

मान लो, डर के मारे तुम्हारी आँखें छिप जाती है और थोड़ी देर तक तुम चैतन्यशून्य हो जड़वन खड़े रह जाते हो । यह दशा अत्म-विस्मृति की है । तुम एक क्षण के लिये अपने को भूल जाते हो । किंतु यह अवस्था अधिक देर तक नहीं ठहरती । एकाएक बिजली की तरह आकर फिर तुरंत विलीन हो जाती है । यह क्षणिक अवस्था (आत्म-विस्मृति) केवल भय में ही नहीं, किन्तु शोक, प्रेम आदि में भी आ जाती है । ऐसी वृत्ति को 'सम्बारी' अथवा 'व्यभिचारी' भाव कहते हैं ।

नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि कहते हैं—

विभावान्तराद्विभावोऽस्ति स्थायीभावः ।

अर्थात् विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव, इन तीनों के संयोग से रस का परिपक्व होता है। विभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अनुभाव से उसकी व्यक्ति होती है और सञ्चारी भाव से उसकी पुष्टि होती है। जब इन तीनों के द्वारा स्थायी भाव से पूर्णता आ जाती है, तब वह रस कहलाता है।

जिस तरह गुड़ की चाशनी में इमली और मसालों के मिलाने से चटपटी खटमिठ्टी तैयार हो जाती है, उसी तरह उपर्युक्त उपादानों के सम्मिश्रण से तृप्तिकारक रस की सृष्टि हो जाती है। यदि जीरा, मिर्च या गुड़ अलग-अलग खाइये तो वह स्वाद नहीं मिल सकता जो खटमिठ्टी में है। इसी तरह विभाव, अनुभाव आदि को पृथक्-पृथक् लेने से वह आनन्द नहीं मिल सकता जो परिपक्व रस में है।

काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थों में रस की उपाय शरबत से दी गई है। शरबत बनाने में सौंफ, मिर्च, बादाम, चीनी वगैरह अन्दाज से डालते हैं। यदि किसी वस्तु की मात्रा न्यूनाधिक हो जाय अथवा कोई बेमेल चीज उसमें पड़ जाय तो शरबत बेजायका हो जाता है। इसी तरह रस में भी भिन्न-भिन्न उपादानों का उचित परिमाण में होना आवश्यक है। यदि उसके बीच में कोई खटकनेवाली चीज आ जाय तो 'रसभङ्ग' हो जाता है। ऐसे दोषपूर्ण रस को 'रसाभास' कहते हैं। जिन रसों में मेल नहीं होता अर्थात् जिन्हें एक साथ रखने से दोनों का स्वाद विकृत हो जाता है, उन्हें 'विरोधी रस' कहते हैं। जैसे—शृंगार और वीभत्स जिस तरह दूध और नमक का एक साथ मिलाना आयुर्वेद में वर्जित है, उसी तरह परस्पर विरोधी रसों को एक साथ मिलाना काव्यशास्त्र में वर्जित है।

यहाँ रस-गङ्गाधर के अनुसार विरोधी रसों की तालिका दी जाती है—

रसों के नाम	विरोधी रस
शृङ्गार	वीभत्स, करुण, शान्त
वीर	भयानक
रौद्र	शान्त

नोट—यहाँ एक प्रश्न उठता है। ‘शृङ्गार, हास्य’ आदि रसों में आनन्द की प्राप्ति होती है, किन्तु सभी रसों में तो यह बात नहीं है। करुण रस से शोक का सञ्चार होता है, भयानक रस में भय का और वीभत्स में घृणा का। इनको कैसे आनन्ददायक मानें।

इनके उत्तर में साहित्यदर्पणकार का कहना है कि करुण आदि रसों में जो मनोविकार होते हैं वे बाह्यतः शोकमूचक होने हुए भी यथार्थतः हृदय को आनन्द देनेवाले हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग दुःखान्त नाटक क्यों देखना चाहते ? अन्त में काव्य-जनित्र जो शोक वा भय के भाव उत्पन्न होने हैं, वे लौकिक नहीं होते। हम कल्पना के द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं। नाटक का करुण-दृश्य देखकर जो अश्रुपात होता है वह दुःख का नहीं, रसास्वादन का सूचक है।

साहित्य में नौ प्रकार के रस माने जाते हैं—

(१) शृङ्गार, (२) हास्य, (३) करुण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) भयानक, (७) वीभत्स, (८) अद्भुत और (९) शान्त।

निम्नाङ्कित कोष्ठक में भिन्न-भिन्न रसों के अंग-प्रत्यंग दिखलाये जाते हैं—

रस	स्थायी भाव	विभाव		अनुभाव	संचारी भाव
		आलम्बन	उद्दीपन		
शृङ्गार	रति (प्रेम)	नायक-नायिका (प्रेमी प्रेमापात्र)	मुन्दर प्राकृतिक दृश्य, मंगीत, मुगन्ध, एका- न्त स्थल, चौदनी, गुण, वसंतऋतु, आदि	अवलोकन; स्पर्श, आदि	स्मृति, लज्जा, मोह, उत्कण्ठा, हर्ष, आवेग, रोमाञ्च, आदि ।
		विचित्र आकृतिवाला मनुष्य, आदि	वैतुकी बाने, अनगल वैशाख, असम्बद्ध क्रियाएँ, आदि	हँसी, मुसकुराहट, ओष्ठ विकसित होना, आदि ।	चंचलता, औत्सुक्य, आलस्य, आदि ।
करुण	शोक	दृष्ट व्यक्ति की मृत्यु वा शोचनीय अवस्था	निधुक्त बन्धु की ममरक वस्तुएँ, दाह- कर्म, आदि ।	रोना, कलपना, विल हना, भाग्य को कोसना, आदि ।	चिन्ता, विषाद, जड़ता, सूचछाँ, उन्माद, आदि ।
रौद्र	क्रोध	अपराधी, शत्रु	अपराध, अन्याचार	आँखें लाल होना, गर्जन तर्जन, भौं चढ़ाना, दाँत से ओठ चबाना, आदि ।	उपेता, मद, अनर्थ, आदि ।

रस	स्थायी भाव	विभाव			संचारी भाव
		आलम्बन	उद्दीपन	अनुभाव	
वीर	उत्साह	युद्धक्षेत्र, सैन्य- कोशहृत्, रणवाद्य, आदि	युद्धवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर, दयावीर ।	अंग-अंग फड़कना	गर्व, हर्ष, उत्कण्ठा, आदि ।
भयानक	भय	शून्य स्थान, जंगल, अन्धकार, आदि	बाध, विह, चोर, डाकू, सर्प, आदि	थरथर नाँपना, सिहर उठना, चेहरा उतर जाना, छाती घड़कना, आदि ।	त्रास, आवेग, बिन्ता, अपस्मार, मूर्च्छा, मृत्यु, आदि
वीरभत्स	शुष्कता (घृणा)	सड़ना, गलना, कीड़ा पड़ना	हथिर, मांय, चर्वी, दुर्गन्ध	औंख, नाक बन्द करना, मुँह फेरना, धूंकना	व्याधि, अपस्मार, आवेग, मरण
अद्भुत	विस्मय (आश्चर्य)	आश्चर्यजनक चम- त्कार सुनना	विचित्र वस्तु वा घटना	औंखे फाड़कर नाकना, स्तंभित रह जाना, गद्गद हो जाना ।	आति, वितर्क, मोह, आदि ।
शान्त	निवेद (शान्ति)	तीर्थारति, तपोवन, सत्त्वज्ञ, आदि	संगार की असा- रता, ईश्वर-चिन्तन	पुलकित होना	धृति (धैर्य), मति, ज्ञान, हर्ष, आदि ।

नोट—कोई-कोई 'वात्सल्य' और 'भक्ति' को पृथक् रस मानते हैं। किन्तु ये शृङ्गार के अन्तर्गत ही चले आते हैं। शृङ्गार का स्थायी भाव है प्रेम (रति या अनुराग)। पति-पत्नी में जो प्रणयभाव रहता है, माता का शिशु के प्रति जो वात्सल्य भाव रहता है, भक्त का उपास्य देवता में जो भक्ति-भाव रहता है, वे सब प्रेम ही के भिन्न-भिन्न रूप हैं। अतः, शृङ्गार रस का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और जीवन में प्रेम का मूल्य सर्वमर्थक है। अतएव शृङ्गार रस सभी रसों का राजा माना जाता है।

यहाँ भिन्न-भिन्न रसों के उदाहरण रामायण से चुनकर दिये जाते हैं।

(१) शृङ्गार—

(क) संयोग शृङ्गार—

थके नयन रघुपति द्विधि देखे ।
पलकन्हि हूँ परिहरी निमेषे ॥
अधिक सनेह देह भइ भोरी ।
सरद ससिहिं जनु चितव चकोरी ॥

[बाळकाण्ड—पुष्पवाटिका प्रसंग]

(ख) (वियोग विप्रलम्भ) शृङ्गार—

हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी ।
सजल नयन पुलकावलि टाढ़ी ॥
× × × ×
वचन न आव नयन भरि वारी ।
अहह नाथ हौं निपट विसारी ॥

[मुन्दरकाण्ड—जानकी-हनुमान संवाद]

(२) हास्य—

सिव समाज जब देखन लागे ।

बिडरि चले बाहन सब भागे ॥

× × ×

वर बौराह बरद असवारा ।

व्याल कपाल विभूषन छारा ॥

[बालकाण्ड—शिव-पार्वती-विवाह]

(३) करुण—

राम राम कहि राम कहि, राम राम काहि राम ।

तनु परिहरि रघुवर-विरह, राउ गयेउ मुरधाम ॥

[अयोध्याकाण्ड—दशरथ-मरण]

(४) रौद्र—

रे नृप बालक ! कालबस, बोलत तोहि न संभार ।

धनुही सम त्रिपुरारि-धनु, विदित सकलमंसार ॥

× × × ×

मातु पितहि जनि सोचबस, करेसि महीप किशोर ।

गर्भन के अर्भकदलन, परसु मोर यह घोर ॥

[बालकाण्ड—परशुराम लक्ष्मण-संवाद]

(५) वीर—

जौं राउर अनुसासन पाऊँ ।

कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ ॥

× × ×

काँचे घट जिमि डारेउँ फोरी ।

सकउँ मेरु मूलक इव तोरी ॥

[बालकाण्ड—सीता-म्वयंवर]

(६) भयानक—

धाये बिसाल कराल मर्कटभालु कालसमान ते ।

मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर वृन्द नाना बान ते ॥

× × × ×

गोमायु गोध कराल खररव स्वान रोवहिं अति घने ।

जनु कालदूत उलूक बोलहिं वचन परम भयावने ॥

[लंकाकाण्ड—युद्धवर्णन]

(७) वीभत्स—

नाक कान बिनु भइ बिकरारा ।

जनु खव सैल गेरु की धारा ॥

[अरण्यकाण्ड—शूर्पणखा का अङ्गभङ्ग]

× × × ×

मारहि काटहिं धरहि पछारहि ।

सीस तोरि सीसन्हसन मारहिं ॥

उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं ।

गहि पद अवनि पटक भट डारहिं ॥

[लंकाकाण्ड—युद्धवर्णन]

(८) अद्भुत—

जोजन भरि तेहि बदन पसारा ।

कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥

सोरह जोजन मुख तेहि ठयेऊ ।

तुरत पवनसुत बत्तिस भयेऊ ॥

जस जस सुरसा बदन बढावा ।

तासु दुगुन कपि रूप दिखावा ॥

[सुन्दरकाण्ड—समुद्रतरण]

(६) शान्त—

एहि कलिकाल न साधन दूजा ।
 जोग जग्य जप तप व्रत पूजा ॥
 रामहिं सुमिरिय गाइय रामहिं ।
 सन्तत सुनिय राम गुण ग्रामहिं ॥ [उत्तरकाण्ड]

अलङ्कार

अलङ्कार का अर्थ है आभूषण, अर्थात् ऐसी वस्तु जिसके द्वारा शोभा की वृद्धि हो । जिस प्रकार गहना पहनने से शरीर की कान्ति निखर उठती है, उसी प्रकार किसी बात को चमत्कार के साथ कहने से उसकी रोचकता बढ़ जाती है । ऐसे ही चमत्कार को 'अलङ्कार' कहते हैं ।

अलङ्कार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—

(१) शब्दालङ्कार—जहाँ शब्द में चमत्कार हो ।

(२) अर्थालङ्कार—जहाँ भाव में चमत्कार हो ।

यहाँ कुछ चुने हुए अलङ्कारों का दिग्दर्शन कराया जाता है ॥*

(१) शब्दालङ्कार—

१. अनुप्रास—जहाँ समान वर्णों की ध्वनि (Sound) बराबर सुन पड़े । इसके कई भेद होते हैं ।

(क) छेकानुप्रास—जहाँ कई ध्वनियों की एक-एक बार पुनरावृत्ति हो जाय । जैसे—

जन रंजन भंजन, दनुज, मनुज रूप सुर भूप ।

विश्व बदर विश्वधृत उदर, जीवत सोवत सूप ॥

* अलङ्कारों का विशेष वर्णन 'अलङ्कार-चन्द्रोदय' में देखो ।

यहाँ 'अंजन', 'अनुज' 'ऊप', 'दर' 'ओबत'—इन ध्वनियों की एक-एक बार पुनरावृत्ति हो जाने से पद में माधुर्य आ गया है।

(ग्व) वृत्त्यनुप्रास—जहाँ एक तरह की ध्वनि बार-बार सुन पड़े।
जैसे—

धर्म धुरीन धीर नयनागर ।

सत्य सनेह सील सुख सागर ॥

धिरति विवेक विनय विज्ञाना ।

बोधु जथारथ वेद पुराना ॥

ऊपर के उदाहरण में वर्णों की कई बार पुनरावृत्ति हो जाने से ध्वनिसादृश्य का धाराप्रवाह-सा मालूम पड़ने लगता है। अंग्रेजी में इसे Alliteration कहते हैं। उदाहरण—

“Begot by butcher by bishop bread,
How high his highness holds his haughty head.

नोट—जहाँ कोमल और मधुर अक्षरों का विन्यास हो, वहाँ 'कोमला' वृत्ति समझनी चाहिये। इसके विपरीत जहाँ ट्वर्ग और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो वहाँ 'परुषा' (कठोरा) वृत्ति जाननी चाहिये। कोमल कान्त पदावली में माधुर्य और 'प्रसाद' गुण रहते हैं। कठोर शब्द विन्यास में 'ओज' गुण रहता है।

कोमला वृत्ति—

ललितलवंगलता-परिशीलन कोमलमलयसमीरे

परुषा वृत्ति—

वक्र वक्त्र करि पुच्छ अति, रुष्ट ऋच्छ कपि दिग्घ ।

सुभट ठट्ट घन घट्ट सम, दर्दहि रच्छन बिग्घ ।

(ग) लाटानुप्रास—जहाँ वे ही शब्द ज्यों-के-त्यों दुहरा दिये जायें, किन्तु उनका अन्वय करने से तात्पर्य में भेद हो। जैसे—

ॐ उपनागरिका भी यहाँ कोमला के अन्तर्गत ही सन्निविष्ट कर दी गई है।

“तीरथ व्रत साधन कहा, जो निसि दिन हरि गान ।

तीरथ व्रत साधन कहा, बिनु निसि दिन हरिगान ॥”

यहाँ पूर्वार्द्ध हरिभजन करने पर तीर्थादि की निष्प्रयोजनता और उत्तरार्द्ध में हरिभजन नहीं करने पर तीर्थादि की निष्फलता बतलाई गई है। अतएव ‘मोटे अक्षरोंवाले’ पदों का अर्थ वही रहते हुए भी तात्पर्य में भिन्नता है।

(घ) श्रुत्यनुप्रास—जहाँ एक ही स्थान (तालु-कण्ठ आदि) * से उच्चारित होनेवाले वर्णों की अधिकता हो। जैसे—

तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निठुराई ।

यहाँ ‘मोटे अक्षरवाले’ सभी अक्षर दन्त्य हैं, अतः इनमें एक धागवाहिक समानता है।

(ङ) अन्त्यानुप्रास—इसका वर्णन आगे छन्द के प्रकरण में देखो।

(२) यमक—जहाँ एक ही तरह का शब्द दो या कई बार मुनाई पड़े; किन्तु अर्थ भिन्न-भिन्न हों। जैसे—

मूरति मधुर मनोहर देखी ।

भयेउ बिदेह बिदेह बिसेखो ॥

यहाँ एक ही शब्द (बिदेह) के भिन्न अर्थों—(१) जनक (२) मुग्ध—में पुनरावृत्ति हुई है।

भूषण कवि का यह कवित्त यमक का प्रसिद्ध उदाहरण है—
ऊँचे घोग मन्दर के अन्दर रहनवारी ।

ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर खाती है ।

कंदमूल भोग करै, कंदमूल भोग करै,

तीन बेर खाती सो वै तीन बेर खाती हैं ।

* वर्णों के उच्चारण-स्थान जानने के लिये ‘वर्णविचार’ वाला प्रकरण देखो ।

भूखन सिथिल अंग, भूखन सिथिल अंग,

बिजन डोलाती ते वै बिजन डोलाती हैं ।

भूषण भनत, सिवराज वीर तेरे आस,

नगन जड़ाती ते वै नगन जड़ाती हैं ।

यहाँ मोटे अक्षरवाले पदों के सुनने से जान पड़ता है कि वही बात दुहराई गई, किन्तु शब्द वही रहते हुए भी बातें प्रतिकूल हैं ।

× × × ×

‘राम-चरितचिन्तामणि’ के रावण-अंगद-संवाद में बहुत सुन्दर यमक दिये गये हैं । जैसे—

× × × ×

निर्बल के बल केवल राम हैं ।

ग्रह दशा न दशानन ! है भली

× × × ×

कठिन संगर संग रमेश के ।

× × ×

दनुज होम न हो मन में डरो ।

नोट—उपर्युक्त यमक ‘सभङ्गपद’ के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ यमक के लिये पद को तोड़ देना पड़ता है । जहाँ किसी पद को तोड़ना नहीं पड़े वह ‘अभङ्गपद’ कहलाता है । जैसे—‘भयेउ बिदेह बिदेह बिसेखी ।’ आगे जो श्लेष दिया जाता है, उसमें भी यह बात समझनी चाहिये ।

(३) श्लेष—जहाँ अनेकार्थक (दुमानियाँ) शब्द का प्रयोग हो अर्थात् एक ही पद से कई तरह के अर्थ निकल सकें । जैसे—

नाढ़ों नाही करें थोरे माँगे बहु देन कहैं,

मंगन को देखि पट^१ देत बारबार हैं ।

जाको मुख देखे भली प्रापति की घटी^२ होत,

सदा शुभ^३ जन मन भाये निरधार हैं ।

भोगी^४ है रहन विलासत अरुनी के मध्य,

कन कन^५ जोरैं दान पाठ परवार है ।

‘सेनापति’ बैनन को रचना विचारे जायैं,

दाना अरु सूम दोऊ कीन्हैं टकनार हैं ।

यह कविच दाता और सूम दोनों पर लागू हो सकता है ।

दातापक्ष

१. पट = वस्त्र

२. घटी = घडी

३. शुभ जन मन भाये ।

४. भोगी = विलासी ।

५. कनक न जोरैं ।

सूमपक्ष

पट = किवाड़ ।

घटी = तुकसान ।

शुभ जनम न भाये ।

भोगी = सर्प ।

कनकन जोरैं ।

(४) वक्रोक्ति—जहाँ टेढ़ी तरह से कोई बात कही जाय । यह दो तरह की होती है ।

(क) काकु वक्रोक्ति—जहाँ कंठध्वनि से शब्द का कुछ और ही अर्थ निकले । जैसे—

‘काटे पै कदली फरे, कोटि जनन करि मीच ।’

क्या कट जाने पर कदली फल सकती है ? अर्थात् नहीं ।

काह न पावक जरि सकै, का न समुद्र ममाय ।’

आग क्या नहीं जला सकती ? अर्थात् सब कुछ जला सकती है ।

मैं मुकुमारि नाथ बन जोगू ।

तुमहि उचित तप मो कहैं भोगू ॥

मैं मुकुमारि हूँ और आप वन के योग्य हैं ? अर्थात् नहीं ।

(ख श्लेषवक्रोक्ति जहाँ श्लेष के द्वारा वान का दूसरा ही अर्थ लगाया जाय। जैसे—

खोखो झू किवार. तुमको हो एती बार,

हरि नाम है हमारो बनो कानन पहार में।

हो तो प्यारी माधव, तो कोकिला के माथे भाग,

मोहन हैं प्यारी, परो मन्त्र अभिचार मे।

रागी हो गंगोत्री, तो जु जाहु काहु दाता पास,

भोगी हो छबीली, जाय बसो जु पतार मे।

नायक हो नागरी. तो शको कहूँ टारा जाय,

हो तो धनश्याम, वरमो झू काहू खार मे।

यहाँ राधा-कृष्ण का परिहास वर्णन है। कृष्ण अपना परिचय देने के लिये भिन्न-भिन्न नाम बतलाने जाते हैं और राधा उन सबमें श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ लगाती जाती है। राधा ने क्रमशः ये अर्थ लगाकर वक्तव्य की है—हरि = बन्दर। माधव = वैशाख मास। मोहन = तंत्र का प्रयोग। रागी = गवैया। भोगी = मर्प। नायक = बंजारा। धनश्याम = काला बादल।

२. अर्थालङ्कार—

(१) उपमा—जहाँ किसी वस्तु की समता दूसरी वस्तु से दिखाई जाय। जिस वस्तु की तुलना की जाती है, उसे 'उपमेय' और जिसके साथ तुलना की जाती है उसे 'उपमान' कहते हैं। दोनों में जो समान गुण रहता है उसे 'धर्म' कहते हैं। सादृश्य-बोधक शब्द 'वाचक' कहलाते हैं। जैसे—

ससि समान सुन्दर मुख सोहै

यहाँ 'मुख' उपमेय 'ससि' उपमान है, 'सुन्दरता' धर्म है और 'समान' वाचक है। इस प्रकार जहाँ ये चारों अङ्ग

विद्यमान रहें वहाँ 'पूर्णपमा' जाननी चाहिये, और जहाँ कोई अङ्ग लुप्त रहे, वहाँ 'लुप्तपमा' । जैसे—

कुन्द इन्दु-सम देह

यहाँ धर्म का उल्लेख नही किया गया है, अतएव यह 'धमलुप्ता' है । इसी प्रकार—

नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन वारिज नयन

यहाँ सादृश्य बाधक शब्द नहीं होने से 'वाचकलुप्ता' समझना चाहिये ।

नोट—उपमा सभी अर्थालङ्कारों में मुख्य है, प्रायः जितने अर्थालङ्कार हैं, उन सबका मूल आधार उपमा ही है । अतएव इसकी गणना सर्वप्रथम की जाती है । उपमालङ्कार को अंग्रेजी में 'Simile' और उर्दू में 'तशबीह' कहते हैं ।

(२) रूपक—जहाँ उपमेय और उपमान को बिलकुल एकरूप अथवा अभिन्न समझ लिया जाय । जैसे—

(क) तद्रूप—यह मुख दूसरा चन्द्रमा ही है ।

(ख) अभिन्न—यह मुख ही चन्द्रमा है ।

'चरणकमल', 'गोमाता', 'गुरुदेवता' आदि पदों में यही अलङ्कार समझना चाहिये ।

नोट—रूपकालङ्कार अंग्रेजी में 'Metaphor' और उर्दू में 'ताजमहल' कहलाता है ।

कही-कही उपमान के समस्त अङ्गों का आरोप उपमेय में किया जाता है । इसे 'सादृ रूपक' (Sustained Metaphor) कहते हैं । जैसे—

उदित उदयगिरिमंच पर, रघुवर बाल पतंग ।

बिकसे सन्त मरोज सब, हरषे लोचन भृंग ॥

यहाँ स्वयंवर-सभा में श्री रामचन्द्रजी की शोभा वर्णन करने के लिये

सूर्योदय का साङ्गोपाङ्ग रूपक बाँधा गया है। सूर और तुलसी के काव्यों में इसके बहुत-से उदाहरण मिलते हैं।

(३) ललितोपमा—जहाँ उपमेय और उपमान में मित्रता, प्रतिद्वन्द्विता, ईर्ष्या आदि का भाव कल्पित किया जाता है। जैसे—

उनका रथ हवा से बातें करने लगा। वियोगिनी की आँखें बादल से होड कर रही हैं।

(४) उपमेयोपमा—जहाँ उपमेय और उपमा के समान तीसरी वस्तु का अभाव बताया जाय। जैसे—

वे तुम मम, तुम उन मम स्वामी।

× × ×

मुधा संत के वैन मम, वैन मुधा मम जानि।

× × × ×

(५) अन्वय—जहाँ उपमेय की कोई उपमा ही नहीं मिले अर्थात् उपमेय अपना उपमान स्वयं आप ही हो। जैसे—
राधा छवि तुल्य एक राधा की ही छवि है।

× × × ×

राम-से राम, सिया-सी सिया

सिरमौर विरंचि विचारि सँवारे।

(६) प्रतीप—जहाँ उपमा के अङ्गों में उलटफेर किया जाय अर्थात् उपमान ही को उपमेय के सदृश बताया जाय। जैसे—

राधामुख के समान चन्द्रमा लखात है।

नोट—कही-कही उपमेय के द्वारा उपमान का निरादर भी कगया जाता है। जैसे—

हालाहल ! जनि गरव कर, हो ही कठिन अपार ।
हैं न कहा तेरे सदृश, खल-जन-वचन निहार ।

× × × ×

(७) व्यतिरेक—जहाँ उपमेय का उत्कर्ष और उपमान की लघुता दिखाई जाय । जैसे—

× × × ×

संत हृदय नवनीत समाना ।
कहा कविन पै कहा न जाना ॥
निज परिताप द्रवै नवनीता ।
पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता ॥

× × × ×

जन्म सिन्धु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलंक ।
सिय-मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक ॥

× × ×

तेरे जस प्रताप के आगे ।
ससि मलिन रवि सीतल लागे ॥

× × × ×

कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय ।
या खाये बौरात नर, वा पाये बौराय ॥

(८) सन्देह—जहाँ उपमेय को देखकर यह सन्देह प्रकट किया जाय कि यह स्वयं उपमान ही तो नहीं है । जैसे—

× × × ×

यह चेहरा है अथवा गुलाब का फूल ?

कहीं-कहीं कई वस्तुओं की सम्भावना दिखलाकर संशय या अनिश्चय प्रकट किया है । जैसे—

सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है,
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है !

(६) भ्रान्ति—जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाय—

पाय महावर देन को, नाइन बैठी आय ।

पुनि-पुनि जानि महावरौ, एँडी मोजत जाय ॥

यहाँ नायिका की गँड़ों में जो स्वाभाविक लाली है, उसे नाइन महावर का रंग समझकर छुड़ाने की चेष्टा करती है ।

कहीं-कहीं परम्पर भ्रान्ति भी होती है । जैसे—

किशुक मुकुल सु जानि जिय, परत भौर शुक्तुंड ।

सोळ जामुन भ्रांति सों धरण चहत अलिमुंड ॥

अर्थात् तोते की लाल चोंच को पलाश का फूल समझकर भौरा उसपर जा मरता है, और तोता भी उसे पका हुआ जामुन समझकर चोंच मारना चाहता है । यहाँ दोनों ही भ्रम में हैं ।

(१०) अपहृति—जहाँ किसी वस्तु को छिपाकर उसके समान दूसरी वस्तु का निर्देश किया जाय । जैसे—

‘यह चेहरा नहीं, गुलाब का ताजा फूल है ।’

नोट—अपहृति कई तरह की होती है । उपयुक्त उदाहरण ‘शुद्धापहृति’ का है । यदि इसका हेतु भी बदल दिया जाय तो ‘हेत्वपहृति’ हो जायगी । जैसे—यह गुलाब का फूल ही है, क्योंकि चेहरे में इतनी कोमलता नहीं हो सकती ।

कहीं-कहीं किसी पदार्थ से वास्तविक धर्म को भूठ बतलाकर वह धर्म किसी अन्य वस्तु में आरोपित किया जाता है । इसको ‘पर्यस्तापहृति’ कहते हैं । जैसे—

कालकूट विष नाहि, विष है केवल इन्दिरा ।

कही वास्तविक बात को छिपाने के लिये कोई काल्पनिक बात गढ़ ली

जाती है। इसको 'छेकापहुति' कहते हैं। अमीर खुशरो की मुकरियाँ इसी अलङ्कार के अन्तर्गत आती हैं। यथा—

शोभा सदा बढ़ावन हारा ।

आँखिन ते जिन करौं न न्यारा ॥

आठ पहर मेरो मनरंजन ।

हे सखि, साजन ? ना सखि अंजन ॥

(२१) उत्प्रेक्षा—जहाँ किसी बात को देखकर उसीके अनुरूप एक काल्पनिक चित्र खड़ा किया जाय। इसमें 'मानो' (अथवा उसके पर्यायवाची शब्द) के साथ अन्वय किया जाता है। उत्प्रेक्षा तीन प्रकार की होती है—

(क) वस्तुत्प्रेक्षा—जहाँ प्रस्तुत विषय के अनुरूप किसी अप्रत्यक्ष वस्तु की भावना की जाय। जैसे—

“लताभवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाइ ॥

(ख) हेतुत्प्रेक्षा—जहाँ किसी असम्भव हेतु की कल्पना की जाय। जैसे—

पूरा दिन में हँ रखौ, अगिन कोन में भानु ।

मैं जानो जाड़ा बली, ते वह डरै निदानु ॥

(ग) फलोत्प्रेक्षा—जहाँ किसी असम्भव हेतु की कल्पना की जाय। जैसे—

तुव पद सेवन को कमल, जल सेवत इक पौंय ।

X
X
X
X

(२२) अन्योक्ति—जहाँ कहा जाय किसी एक से, किन्तु लक्ष्य हो दूसरे पर। जैसे—कोई कवि किसी कंजूस धनी को लक्ष्य कर समुद्र से कहता है—

“भयो सरितपति सलिलपति, अरु रतनन की खानि ।
कहा बड़ाइ समुद्र की, जु पै न पीवत पानि ॥”

(१३) पर्यायोक्ति—जहाँ किसी बात को सीधे शब्दों में न कह कर बहुत घुमा-फिराकर कहें । जैसे—

कत भटकत गावत न क्यों, वाही के गुन नाथ ।

जाके लोचन ही किये, बिन बलयन रति हाथ ॥

यहाँ ‘शंकर का भजन करो ।’ इस बात को इतने द्राविड़ी प्राणायाम के साथ कहा गया है कि जिसके नेत्र ने रति के हाथों को बलय-रहित कर दिया (अर्थात् कामदेव को भस्म कर रति को विधवा बना दिया !) उसको भजो ।

“आप मेरे घर को अपनी चरण-धूलि से पवित्र कीजिये” (मेरे यहाँ आइये) इत्यादि वाक्यों में भी यही अलङ्कार समझना चाहिये ।

(१४) दृष्टान्त—जहाँ एक बात का समर्थन दूसरी बात का दृष्टान्त देकर किया जाय । जैसे—

भरतहि होइ न राज मद, विधि हरिहर पद पाइ ।

कबहुँ कि काँजी सीकरनि, छीर-सिन्धु बिनसाइ ॥

नोट—ऐसे स्थलों में ‘ज्यों’, ‘जैसे’ आदि शब्दों का व्यवहार रहने पर ‘सदृश’ होता है ।

(१५) अर्थान्तरन्यास—जहाँ सामान्य बात का विशेष उदाहरण के द्वारा (अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा) समर्थन किया जाय । जैसे—

रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि ।

दूध कलारिन हाथ लखि, मद समुझत सब ताहि ॥

×

×

×

×

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ।

दास मलूका कह गये, सबके दाता राम ॥

(१६) विरोधाभास—जहाँ बाहर से विरोध-सा जान पड़े, किन्तु यथार्थ में विरोध न हो । जैसे—

या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहिं कोय ।

ज्यों-ज्यों बूड़े 'श्याम' रँग, त्यों-त्यों उज्ज्वल होय ॥

× × × ×

जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी ।

× × × ×

(१७) व्याजस्तुति—जहाँ ऊपर से देखने पर तो निन्दा-सी जान पड़े, किन्तु यथार्थतः प्रशंसा सूचित हो । जैसे—

जमुना तू अविवेकिनी, कौन कियो यह ढंग ।

पापिन मो निज बन्धु को, मान करावति भंग ॥

यहाँ बाह्यतः यमुना की निन्दा जान पड़ती है, किन्तु यथार्थ में उनका महत्त्व दिखलाया गया है । यमुनाजी का माहात्म्य ऐसा है कि पापीजन भी उनमें स्नान कर यमराज के फन्दे से छूट जाते हैं ।

(१८) व्याजनिन्दा—जहाँ बाहर से देखने पर तो प्रशंसा जान पड़े, किन्तु यथार्थ में निन्दा हो । जैसे—

‘सैमर ! तू बडभाग है, कहा सराह्यो जाय ।

पंछी करि फल आस तोहि, निमि दिन सेवहि आय ॥’

(१९) स्वभावोक्ति—जहाँ स्वाभाविक गुण का वर्णन हो । जैसे—

कहाँ सुभाव न कुलहि प्रसंसी ।
कालहुँ डरहि न रन रघुवंशी ॥
रघुकुल रीति मदा चलि आई ।
प्राण जाई बरु बचन न जाई ॥

(२०) अतिशयोक्ति—जहाँ हृद से ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर किसी बात का वर्णन किया जाय । जैसे—

फवि फहरे अति उच्च निशाना ।
जिन महुँ अटकत विबुध विमाना ॥

× × × ×
आयो आयो मुनत ही, मिव सिरजा तुव नाउँ ।
वेरि-नारि-दग जलन मो, बूडि जान अरि गाउँ ॥
× × × ×

४. काव्य के दोष

जिन बातों से काव्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाय उन्हें 'दोष' कहते हैं । ये दोष शब्दगत, अर्थगत, अथवा रसविषयक होते हैं । काव्य को निर्दोष रखना चाहिये । यहाँ कुछ दोषों के उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) श्रुतिकटु—जहाँ ऐसा शब्द प्रयुक्त हो जो सुनने में कानों को अप्रिय लगे । जैसे—

तजो धाष्ट्र्य सज्जनता पकड़ो ।

यहाँ मोटे अक्षरवाले शब्द कर्णकटु हैं ।

(२) अप्रयुक्त—जहाँ अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया जाय । जैसे—

यमुना शम्बर विमल सों, छूटत कलमल कोश ।

यहाँ जल के लिये 'शम्बर' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अप्रचलित है ।

(३) निहतार्थ—जहाँ प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग कर बिल्कुल अप्रसिद्ध अर्थ में शब्द का व्यवहार किया जाय । जैसे—

पुत्र जन्म-उत्सव समय, स्पर्श कीन बहु गाय ।

व्याकरण में स्पृश धातु दानार्थ भी माना गया है । किन्तु 'स्पर्श' शब्द का व्यवहार छूने ही के अर्थ में प्रसिद्ध है, देने के अर्थ में नहीं । अतः ऐसा प्रयोग अयुक्त है ।

(४) क्लिष्ट—जहाँ ऐसे जटिल शब्द का प्रयोग किया जाय, जिसका अर्थ बहुत परिश्रम करने पर लगे । जैसे—

अहिरिपुपतितियसदन है, मुख तेरो रमणीय ।

यहाँ मोटे अक्षरोंवाले शब्द का अर्थ लगाने में काफी माथा-पच्ची करनी पड़ती है । अदि=सर्प । अहिरिपु=गरुड़ । गरुड़पति=विष्णु । विष्णुतिय=लक्ष्मी । लक्ष्मीसदन=कमल । इतना हिसाब करने के बाद कमल का अर्थ ममझ में आता है ।

(५) निरर्थक—जहाँ केवल पाद पूर्ति के लिये व्यर्थ ही किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाय । जैसे—

बंदों रामचरण मुखदाई । जिनते मुक्ति होत है भाई ॥

यहाँ मोटे अक्षरवाला शब्द बिल्कुल खोगीर की भरती है ।

(६) ग्राभ्य—जहाँ किसी देहाती (गँवारू) बोली के शब्द का प्रयोग किया जाय । जैसे—

होत उछाह जनक के अँगना ।

(७) अश्लील—जहाँ ऐसे लज्जाजनक शब्द का व्यवहार हो, जो सभ्य-समाज में नहीं बोला जा सके । जैसे—

रहिमन चारु कुम्हार को, माँगे दिया न देइ ।

छेद में डंडा डारि कै, चहै नाँद लै लेइ ॥

(८) अधिक पद—जहाँ कोई पद आवश्यकता से अधिक हो। जैसे—

अलि कलिका पै बैठि के चाखत पुष्प पराग ।

यहाँ पुष्प शब्द व्यर्थ है; क्योंकि पराग केवल पुष्प के ही रज को कहते हैं। अतएव 'पुष्प का पराग' कहना फिजूल है।

(९) न्यून पद—जहाँ शब्द अपर्याप्त रहने से भाव प्रकाशन में बाधा पहुँचे। जैसे—

कृपा-दृष्टि मे नाहि कछु, जग में दुर्लभ काज ।

यहाँ किसकी कृपा-दृष्टि ? यह प्रकट नहीं होता। अतएव 'ईश्वर की कृपा-दृष्टि' या ऐसा ही कुछ स्पष्ट रूप से कहना चाहिये था।

(१०) पुनरुक्ति—जहाँ एक ही भाव विनिष्प्रयोजन दुहराया जाय। जैसे—

सतसंगति है सुख की खान । दुःसंगति है विपति निदान ।

यहाँ एक ही बात का पिष्टपेषण किया गया है।

(११) क्रमविरुद्ध—जहाँ उचित क्रम का भंग किया जाय। जैसे—

नृप ! मोको हय दीजिये, अथवा मत्त गजेन्द्र ।

यहाँ पहले हाथी कहकर तब घोड़ा कहना समीचीन होता; किन्तु इसका उलटा ही कहा गया है।

(१२) प्रकाशित विरुद्ध—जहाँ अभीष्ट भाव का उलटा ही अर्थ निकल आवे। जैसे—

राजश्री को प्राप्त हो, नृप ! तब ज्येष्ठ कुमार ।

यहाँ कवि का अभीष्ट है राजा को आशीर्वाद देना, किन्तु

इस पद से अभिशाप (राजा की मृत्यु) ही का अर्थ निकल आता है ।

(१३) विद्या-विरुद्ध—जहाँ शास्त्र अथवा अनुभव के विरुद्ध बात का वर्णन किया जाय । जैसे—

ऋतु वसन्त आये सुखद, दादुर चहुँ दिशि बोल ।

वसन्त-ऋतु में मेढ़कों का बोलना बिलकुल असङ्गत बात है ।

(१४) रसभङ्ग—जहाँ देशकालपात्रादि का विचार नहीं करने से रस अनौचित्य आ जाय । जैसे—श्मशान में प्रेम क्रीड़ा, शिर्शिर ऋतु में जल-विहार अथवा गाय के पराक्रम का वर्णन करना ।

छन्द-विचार (Prosody)

जिस वाक्य में मात्राओं या वर्णों की गिनती होती है और प्रायः चार चरण होते हैं उसे छन्द (पद्य) कहते हैं ।

नोट—गद्य में मात्राओं या वर्णों की गिनती नहीं होती है । गद्य में शब्द क्रमानुसार रहते हैं, परन्तु पद्य में शब्दों के क्रम का कोई नियम नहीं । कवि की इच्छा और बुद्धि के अनुसार पद्य में शब्दों के क्रम भिन्न-भिन्न होते हैं ।

छन्द दो प्रकार के होते हैं—मातृवृत्त या मात्रिक और वर्णवृत्त या वर्णिक । जिसमें मात्राओं की गिनती होती है उसे मात्रिक और जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसे वर्णिक छन्द कहते हैं ।

मात्राओं की गिनती—

अक्षर-प्रकरण में कह आये हैं कि कुछ स्वर ह्रस्व होते हैं और कुछ दीर्घ । ह्रस्व स्वर और जिन व्यंजनों में ह्रस्व हों वे लघु या एकमात्रिक तथा दीर्घस्वर और जिन व्यंजनों में दीर्घ स्वर हों वे गुरु या द्विमात्रिक कहलाते हैं । जैसे—

१ १ ५ १ २ २ २ २ २ १ २ १ १ १ २

नि शि च र ने वै दे ही को य हाँ हर लि या । (२२) मात्राएँ ।

१ २ १ २ १ १ १ १ २ २ २

य हाँ ह री नि शि च र वै दे ही ।

नोट—(१) अनुस्वार और विसर्ग तथा इनसे युक्त ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ ही गिने जाते हैं, परन्तु चन्द्रबिन्दु को एक मात्रा होती है ।

२ २ १ २ १

जैसे—अं, अः, क, कः, कै ।

(२) एक शब्द के भीतर संयुक्ताक्षर के पहले का लघुवर्ण गुरु गिना जाता है तथा दीर्घाक्षर के आगे ह्रस्ववर्ण की मात्रा अगल नहीं गिनी जाती ।
जैसे—उद्योग, स्यात् ।

(३) संस्कृत के छन्दों में होनेवाली हिन्दी की कविता में भी कभी-कभी उच्चारण के अनुसार लघु अक्षर को गुरु और गुरु को लघु मान लेते हैं, तथा कवि लोग जिस अक्षर को लघु पढ़ें वह भी लघु समझा जाता है।

कवि लोग मात्राओं की गिनती सरलता से दिखाने के लिये लघु अक्षर को सीधी लकीर (।) से और गुरु को टेढ़ी लकीर (ऽ) से दिखाते हैं।

गण—

गणों के विचार से मात्रिक छन्दों के पाँच गण होते हैं, जिनके नाम और रूप नीचे दिये जाते हैं

१. टगण	SSS	छः मात्राओं का।
२. ठगण	SSI	पाँच मात्राओं का।
३. डगण	SS	चार मात्राओं का।
४. ढगण	SI	तीन मात्राओं का।
५. णगण	S	दो मात्राओं का।

नोट—मात्रागणों में मात्राओं को उलट-पुलट भी दें तो भी गण का नाम नहीं बदलता।

वर्णिक छन्दों के तीन-तीन वर्णों के आठ गण होते हैं। इनके नाम, रूप, देवता और फल नीचे दिये जाते हैं—

नाम	रूप	देवता	फल
१. मगण	SSS	पृथ्वी	मंगल
२. यगण	ISS	जल	वृद्धि
३. रगण	SIS	अग्नि	मृत्यु
४. सगण	IIS	वायु	विदेश
५. तगण	SSI	आकाश	शून्य
६. जगण	ISI	भानु	रोग

७. भगण	SI	चन्द्र	कीर्ति
८. नगण	III	नाग	सुख

नोट—(१) क्रम से आदि, मध्य और अन्त में यगण, रगण और तगण में लघु वर्ण तथा भगण, जगण और सगण में गुरु वर्ण आते हैं । भगण में तीनों गुरु और नगण में तीनों लघु वर्ण आते हैं ।

आदि मध्य अवसान, 'यरता' में लघु जानिये ।
'भजसा' गुरु प्रमाण, 'मन' तिहु गुरु लघु मानिये ॥

(२) रगण, सगण, तगण और जगण (रमतज) के फर अशुभ माने जाते हैं , इसलिये ये छन्द के आदि में नहीं रक्खे जाने ।

दग्धाक्षर—

'झ, ह, र, भ और प' छन्द के आदि में नहीं रक्खे जाते, क्योंकि कवियों ने इन्हें दग्धाक्षर माना है ।

दीजो भूल न छन्द के आदि 'झ ह र भ ष' कोय ।
दग्धाक्षर के दोष ते, छन्द दोषयुत होय ॥

नोट—'झ, ह, र, भ, और ष' को गुरु कर दें या वे देवता और मंगलवाची शब्दों के आदि में आवें तो दग्धाक्षर* का कलंक मिट जाता है और अशुभ गणों का दोष भी जाता रहता है ।

मंगल सुरवाचक सबद, गुरु होवे पुनि आदि ।
दग्धाक्षर को दोष नहिं, अरु गुण दोषहुं बादि ॥

अन्त्यानुप्रास—

'अन्त्यानुप्रास' तुकबन्दी या तुकान्त को कहते हैं । इसमें

* गणागण विचार एवं दग्धाक्षर को हम बखेड़ा-मात्र समझते हैं । इनमें कोई सार पदार्थ नहीं समझ पड़ता । (मिश्रबन्धुविनोद)

† अनुप्रास का सविस्तर वर्णन 'काव्य-विचार' में किया जा चुका है ।

छन्दों के कम-से-कम दो चरणों के एक या अधिक अन्त्याक्षर समान होते हैं। तुकचन्दी से छन्दों में मधुरता आ जाती है और वे श्रवणसुखद हो जाते हैं। भिन्नतुकान्त छन्द भी रचे जाते हैं। संस्कृत में ऐसे छन्दों का बाहुल्य है।

नोट—(१) चरणों के विचार से वृत्त तीन प्रकार के होते हैं—सम-वृत्त, अर्द्धसमवृत्त और विषमवृत्त। जिनके चारों चरण सम हो वे सम, जिनके दो सम और दो विषम हों वे ‘अर्द्धसम’ और जिनके सब विषम हो वे विषमवृत्त कहलाते हैं। ‘चौपाई’ समवृत्त का उदाहरण है और ‘दोहा’ अर्द्धसमवृत्त का। विषमवृत्त प्रायः अप्रयुक्त हैं।*

(२) मात्रिक छन्दों में जित छन्दों की मात्राएँ ३२ से अधिक होती हैं वे मात्रिक दण्डक कहलाते हैं। वर्णवृत्तों में ११ अक्षरों से अधिक-वाले को स्रग्धरा और ३६ अक्षरों से अधिक वाले को दण्डक कहते हैं। ऐसे दण्डक दो प्रकार होते हैं—गणबद्ध और मुक्तक। गणबद्ध में वर्णों की गिनती गणों के अनुसार होती है और मुक्तक में केवल वर्णों की गिनती रहती है, गण नियत नहीं होते।

❧ छन्दों में प्रस्तार, उद्दिष्ट, नष्ट, मेरु इत्यादि और कई बातें होती हैं जिन्हें हमने विस्तार-भय से छोड़ दिया है।

छन्दों के भेद

छन्द कई प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ उन्हीं मुख्य-मुख्य छन्दों को दिया है जो विद्यार्थियों की पाठ्य-पुस्तकों में अधिकता से आते हैं।

* पण्डित श्री अयोध्या विहजी उपाध्यायवृत्त ‘प्रियप्रवास’ हिन्दी में भिन्नतुकान्त-छन्दों का अतूठा ग्रन्थ है।

मात्रिक छन्द

[क] समवृत्त

१. तोमर—.....(१२ मात्राएँ)
तोमर छन्द के प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ होती हैं, परन्तु
अन्त में एक गुरु और एक लघु वर्ण लाते हैं। जैसे—

जब कीन्ह ते पाखण्ड । भय प्रकट जन्तु प्रचण्ड ।
बैताल भूत पिशाच । कर धरे धनु नाराच ।

२. उल्लाला—.....(१३ मात्राएँ)

उल्लाला छन्द के प्रत्येक चरण में १३ मात्राएँ होती हैं। जैसे—

अब भी कुछ बिगडा नही, क्यो आलस में हो पड़े ।
मेरे कर को पकडकर, सत्वर हो जाओ खड़े ।

नोट—इस छन्द के चरणों के पहले और तीसरे में पन्द्रह-पन्द्रह
तथा दूसरे और चौथे में तेरह-तेरह मात्राएँ भी रखते हैं। जैसे—

कै रासरमन में हरि मुकुट, आभा जल दिखरात है ।
कै जल उर हरि मूर्ति बसाति, ता प्रतिबिम्ब लखात है ।

३. जयकरी—.....(१५ मात्राएँ)

जयकरी के प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ होती हैं, परन्तु
अन्त में एक गुरु और एक लघु वर्ण लाते हैं। जैसे—

पूरब पश्चिम दिशि अवदात । नभ में कल्लु लालिमा लखात ।
सो क्रम सो बड़ि ओज बढ़ाय । लीन्हैसि व्योममंढलहि छाय ॥

४. चौपाई—.....(१६ मात्राएँ)

चौपाई* के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं, परन्तु अन्त
में जगण या तगण नहीं पढ़ना चाहिये। जैसे—

* बन्धु, सुपथा, पदाकुलादि इसीके भेद हैं ।

जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनि ते ताते ॥
तनु धन धाम धरनि पुर राजू । पति-विहीन सब सोक-समाजू ॥

६. पद्मरि — ... (१६ मात्राएँ)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं, परन्तु
अन्त में जगण या तगण रहता है । जैसे—

श्रीकृष्णचन्द्र अरविन्द नैन । धरि अघर बजावत मधुर बैन ॥

गण ग्वाल सङ्ग राजे सुधेनु । बन तें ब्रज आवत मोद देनु ॥

इस छन्द में आठ मात्राओं के आगे विराम श्रुतिमधुर
होता है ।

६. सुमेरु — ... (१९ मात्राएँ)

सुमेरु छन्द के प्रत्येक चरण में २२ मात्राएँ होती हैं, परन्तु
अन्त में यगण होना चाहिये । जैसे—

अरे तू पेट पापी जो न होता । तो लम्बी तानकर मैं खूब सोता ॥

नही निज नाथ से निज मान खोता । नही दो रोटियों के हेतु रोता ॥

७. कुण्डल — ... (२२ मात्राएँ)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में २२ मात्राएँ होती हैं । आरम्भ
से १२ मात्राओं के आगे विश्राम लेते हैं । इस छन्द के चरणान्त
में दो वर्ण गुरु होते हैं । जैसे—

सीतापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई ।

बिहँसत मुख मन्द-मन्द सुन्दर मुखदाई ॥

कीरति ब्रह्माण्ड-खण्ड तीन व्योम छाई ।

हरखि निरखि तुलसिदास चरणनि रज पाई ॥

८. लावनी — ... (२२ मात्राएँ)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में २२ मात्राएँ होती हैं, परन्तु
अन्त में एक गुरु वर्ण लाते हैं और आरम्भ से दूसरी तथा
बारहवीं मात्राओं के आगे विश्राम लेते हैं । जैसे—

सबके पहिले जेहि ईश्वर धन-बल दीनो ।
 सबके पहिले जेहि मध्य विधाता कीनो ॥
 सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो ।
 सबके पहिले विद्याफल जेहि गहि लीनो ॥
 अब सबके, पीछे सोई परत लखाई ।
 हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥

९. रोला या काव्य— ... (२४ मात्राएँ)

रोला छन्द के प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं और
 आरम्भ से ११ मात्राओं के आगे विश्राम होता है । जैसे—

पर निन्दा ठगपनो कबहुँ नहि चोरी करिहै ।
 जंतुन को दै पीर कबहुँ नहि जीवन हरिहै ॥
 मिथ्या अप्रिय बचन नाहि काहू छन कहिहै ।
 पर उपकारन हेतु सबै विधि सब दुख सहिहै ॥

१०. गीतिका— ... (२६ मात्राएँ)

गीतिका छन्द के प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती हैं,
 परन्तु अन्त में एक लघु और एक गुरु का होना आवश्यक है ।
 विश्राम के कारण इसके कई भेद हैं । जैसे—

नाथ के तीखे बचन उर में लगे जब तीर से ।
 दास तब निज नेत्र को भरने न देता नीर से ॥
 मुसकुराकर भाव अपना वह छिपाता है अहो ।
 कौन ऐसा कष्ट भोगे पेट पापी जो न हो ॥

११. सरसी— ... (२७ मात्राएँ)

सरसी छन्द के प्रत्येक चरण में २७ मात्राएँ होती हैं । अन्त
 में एक गुरु और एक लघु का होना अनिवार्य है । आरम्भ से
 १६ मात्राओं के आगे विश्राम होता है । जैसे—

मावित्री-सी पतिव्रता से, भूषित हो यह देश ।
अबलाएँ अब सहे न ईश्वर, विधवापन के क्लेश ॥
पिता-बचन पालक बालक भी, होवें राम समान ।
ग्रन्थकार हो यहाँ व्यास से, पाणिनि-से विद्वान ॥

१२. विधाता— ... (२८ मात्राएँ)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं । इसकी पहली, आठवीं और पन्द्रहवीं मात्राएँ सदा लघु रहती हैं । इसे शुद्धगामी भी कहते हैं ।

भलाई को न भूलेंगे सुशिक्षा को न छोड़ेंगे ।
हठीले प्राण खो देंगे प्रतिज्ञा को न तोड़ेंगे ॥
बढ़ेंगे प्रेम के पौधे दया के फूट फूलेंगे ।
भरे आनन्द में चारों फलों के झाड़ भूलेंगे ॥

१३. हरिगीतिका — ... (२८ मात्राएँ)

हरगीतिका छन्द के प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं । अन्त में एक लघु और एक गुरु का होना आवश्यक है । और, आरम्भ से १६ मात्राओं के आगे विश्राम लेते हैं । जैसे—

जिस अंक-विद्या के विषय में वाद का मुँह बन्द है ।
वह भी यही के ज्ञान-रवि की रश्मि एक अमन्द है ॥
डरकर कठोर कलंक से वा सत्य के आतङ्क से ।
कहते अरबवाले अभी तक 'हिन्दसा' ही अङ्क में ॥

नोट—यह छन्द 'सगण, दो जगण, भगण, रगण, सगण और एक लघुगुरु' से भी बनता है ।

१४. ताटङ्क — ... (३० मात्राएँ)

ताटङ्क छन्द के प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ होती हैं, परन्तु प्रायः १६ मात्राओं पर विश्राम होता है । जैसे—

जैसे दास-वृत्ति करने से मान नहीं रह जाता है ।

जैसे सूर्य ग्रहण लगने पर अन्धकार हो जाता है ॥

जैसे अग्नि-योग से पारा उड़ जाता है, वैसे ही—

अच्छे गुण भी मिट जाते हैं नर के याचक बनते ही ।

नोट—अन्त में तीन गुरु रहने से शुद्ध ताटङ्क बनता है । दो गुरु रहने से कुक्कुभ और एक गुरु रहने से रुचिरा छन्द बनते हैं ।

१५. चौपेया— ... (३० मात्राएँ)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएँ होती हैं । आरम्भ से १० और १८ मात्राओं के आगे विश्राम लेते हैं । इस छन्द का अन्तिम वर्ण गुरु होता है । जैसे—

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशलया हितकारी ।

हरषित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी ॥

लोचन अभिरामा तनुघनश्यामा निज आयुध भुजचारी ।

भूपन बनमाला नयन बिसाला सोभासिन्धु खरारी ॥

१६. वीर— ... (३१ मात्राएँ)

वीर छन्द के प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएँ होती हैं, परन्तु अन्त में एक गुरु और एक लघु अवश्य रहे । प्रायः २६ मात्राओं पर विश्राम लेते हैं । जैसे—

इतना काम अवश्य कीजियो तुझे शपथ है मीत समीर ।

अपना दास समझ तू मुझको जब तक मेरा बना शरीर ॥

तुझे बहुत क्या मैं समझाऊँ तू ही मन में देख विचार ।

जितने काम जगत में उनमें सबमें अच्छा पर-उपकार ॥

१७. आल्हा— ... (३१ मात्राएँ)

आल्हा छन्द के प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएँ होती हैं, परन्तु अन्त में एक गुरु और एक लघु रहने से रुचिकर होता है । आरम्भ से आठ-आठ मात्राओं पर दो जगह विश्राम लेते हैं । जैसे—

सुमिरि भवानी, जगदम्बा को, श्रीशारद के चरण मनाय ।
आदि सरस्वति, तुमको ध्यावों, माता कण्ठ विराजौ आय ॥
जोति बखानो, जगदम्बा कै, जिनकी कला बरनि ना जाय ।
शरदचन्द सम, आनन राजै, अति छवि अंग-अंग रहि छाये ॥

१८. त्रिभङ्गी— ... (३२ मात्राएँ)

त्रिभङ्गी छन्द के प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ होती हैं तथा
आरम्भ से दसवीं, अठारहवीं और छब्बीसवीं मात्राओं के बाद
विश्राम लेते हैं, पर अन्त में एक गुरु होना चाहिये । जैसे—

जिमि जिमि दिनराऊ अधिक प्रभाऊ बढि आकाश में प्रकट कियो ।
तिमि तिमि बलधारी तेज बगारी सबही को हठि कष्ट दियो ॥
इमि भूमि कँपावत लखि दल धावत सघन धूरि उडि व्योम चली ।
अति घाम घनेरो लखि रवि केरो कीन्ह मनो तेहि छाँह भली ॥

[ख] अर्द्ध समवृत्त

१९. दाहा— ... (१३, ११, १३, ११ मात्राएँ)

दोहे के चरणों के पहले और तीसरे में तेरह-तेरह तथा दूसरे
और चौथे में ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ होती हैं, परन्तु पहले और
तीसरे चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिये । जैसे—

मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरि सोइ ।
जा तन की झौँई परे, श्याम हरित दुति होइ ॥

२०. सोरठा— ... (११, १३, ११, १३ मात्राएँ)

दोहे को उलट देने से सोरठा बनता है अर्थात् इसके चरणों
के पहले और तीसरे में ग्यारह-ग्यारह तथा दूसरे और चौथे में
तेरह-तेरह मात्राएँ होती हैं । जैसे—

मूक होइ बाबाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन ॥
जामु कृपा सुदयालु, द्रवौ सकल कलमल-दहन ॥

२१. बरवा— ... (१२, ७, १२, ७ मात्राएँ)

बरवा छन्द के चरणों के पहले और तीसरे में बारह-बारह तथा दूसरे और चौथे में सात-सात मात्राएँ होती हैं, परन्तु अन्त में जगण रोचक होता है । जैसे—

केम मकुन सखि मरकत, मनिमय होत ।

हाथ लेत पुनि मुक्ता, करत उदोत ॥

२२. आर्या— ... (१२, १८, १२, १५ मात्राएँ)

आर्या छन्द के पहले और तीसरे में बारह-बारह, दूसरे में १८ और चौथे में १५ मात्राएँ होती हैं । जैसे—

ऊँच नीच दोनों में, सज्जन कुछ भी भेद नहीं रखता ।

फूट मुगन्धित करता, है देखो युग्म हाथों को ॥

२३. गीति— ... (१२, १८, १२, १८ मात्राएँ)

आर्या छन्द के पहले दो चरणों की मात्राओं के समान क्रमशः तीसरे और चौथे चरणों की मात्राएँ भी लावें तो इस प्रकार के चारों चरणों से 'गीतिछन्द' बनता है । जैसे—

छोटा भी पर दुर्गुण, दुर्जन देखे बिना नहीं रहता ।

कोटि यत्न करिये पर, वह खलता को कभी न छोड़ेगा ॥

२४. उपगीति— ... (१२, १५, १२, १५ मात्राएँ)

आर्या छन्द के तीसरे और चौथे चरणों की मात्राओं के समान क्रमशः पहले और दूसरे चरणों की मात्राएँ भी लावें तो इस प्रकार चारों चरणों से उपगीति छन्द बनता है । जैसे—

फूल मुगन्धित करता है, देखो युग्म हाथों को ।

आतप सहकर भी तरु, छाया देता पथिक जन को ॥

(ग) मिश्रित

२५. कुण्डलिया— ... (दोहा + रोला)

दोहे के आगे रोला छन्द मिलाने से कुण्डलिया बनती है,

परन्तु दोहे का अन्तिम चरण रोला छन्द के आदि में दोहराया जाता है तथा दोहे के प्रथम चरण के कुछ या सब अंश प्रायः कुण्डलिया के अन्त में मिला दिये जाते हैं। जैसे—

साई एक गिरि घरे, गिरिधर गिरिधर होय ॥
 हनुमान बहु गिर घरे, गिरिधर कहे न कोय ॥
 गिरिधर कहै न कोय, हनु धवलागिरि लायो ।
 ताको कनिका टूटि परो, सो कृष्ण उठायो ॥
 कह गिरिधर कविराय, बड़न की बड़ी बड़ाई ।
 थोड़े ही यश होय, यशी पुरुषन को साई ॥

२६. छप्पय—

...

(रोला + उल्लाला)

रोला छन्द के आगे उल्लाला मिलाने से छप्पय छन्द बनता है। जैसे—

क्यो मिसरी को छोड़ हुए हो गुड पर राजी ?
 छोड सुधा क्यो भला प्रेम से पीते काँजी ?
 कल्पद्रुम को छोड़ सीचते क्यो करीर हो ?
 कुक्कुट को कर दूर पालते क्यो न कीर हो ?
 क्या कह सकते हो कभी मैं किस भाषा से हूँ बुरी ?
 हा ! अपने ही हाथ से मुझको मत मारो छुरी !

नोट—कोई कवि सरसी, ताटङ्क, चौपैया, वीर इत्यादि में कन्ही दो छन्दो के चरणो को मिलाकर भी छन्दरचना करते हैं।

वर्णिक छन्द

१. मनमोहन—

...

...

(५ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक सगण और एक जगण रखते हैं। जैसे—

छबि है ललाम, जनु रूप काम ।
 रघुनाथ वीर, धनु खंडि धीर ॥

इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो नगण और एक लघु रखते हैं। जैसे—

बहु मुमट जमकि, उठि गहत तमकि ।

बल विपुल करता, हरिपद न टरन ॥

३. अनुष्टुप — (८ अक्षर)

इस छन्द के चारो चरणों में पाँचवाँ वर्ण लघु और छठा वर्ण गुरु हो; परन्तु दूसरे और चौथे चरणों में सातवाँ वर्ण भी लघु हो। इसके अतिरिक्त और वर्णों के लिये कोई नियम न हो। इस छन्द में ८ अक्षर उक्त नियम के अनुसार होते हैं। इसे श्लोक भी कहते हैं। जैसे—

देखो आही गया लोगो, ग्रीष्मकाल भयावना ।

सन्ताप नित्य देते ये, मित्र भी शत्रु हो गये ।

४. भुजङ्गी — (११ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में तीन यगण, एक लघु और एक गुरु रखते हैं। जैसे—

बनाया गया कोयला रत्न है ।

मरे भी जिये हो रहा यत्न है ॥

करें काम देने लगी हैं सभी ।

करेगा न विज्ञान क्या-क्या अभी ॥

५. सुपथ — (११ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक-एक रगण, नगण, भगण और दो गुरु रखते हैं। जैसे—

मैं अतीत अब मुक्त हुआ हूँ,

वर्तमान ! इति युक्त हुआ हूँ ।

किन्तु दूर तुझसे न रहूँगा,
पत्र भेज निज वृत्त कहूँगा ॥

६. शालिनी या वासर— ... (११ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक मगण, दो तगण और दो गुरु रखते हैं। जैसे—

आके जाना चाहती है कहाँ तू ।
बैठी मेरे चित्त में है यहाँ तू ॥
लेती है क्या तू प्रतीक्षा परीक्षा ।
क्या ऐसी ही है प्रिये प्रेमदीक्षा ॥

७. इन्द्रवज्रा— ... (११ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो गुरु रहते हैं। जैसे—

क्या कौमुदी क्या मणिमञ्जुमाला ।
है काँपती दीपशिखा विशाला ॥
जो सामने हो वह दिव्य बाला ।
तो अन्ध भी देख उठे उजाला ॥

८. उपेन्द्रवज्रा— ... (११ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगण, एक जगण और दो गुरु रखते हैं। जैसे—

समीर-जेता रथ तासु सोहै ।
बिलोकि शोभा रणवीर मोहै ॥
महावली नागगुनाह्वारी ।
उपेन्द्रवज्रा मम बानधारी ॥

द्रुतविलंबित— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक नगण, दो भगण और एक रगण रखते हैं। जैसे—

व्या० च०—२०

यह हुआ मणिकाञ्चन योग है ।

मिलन है यह स्वर्ण सुगन्धि का ॥

यह मुऔसर पा बहु पुण्य से ।

अवनि में अति भाग्यवती हुई ॥

२०. वंशस्थ— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक-एक जगण, तगण, जगण
और रगण रखते हैं । जैसे—

जहाँ लगा चो जिस कार्य बीच था ।

उसे वहाँ ही वह छोड़ दौड़ता ॥

समीप आया रख के प्रमत्त सा ।

बिलोकने को घनश्याम माधुरी ॥

११. तोटक— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में चार सगण रखते हैं । जैसे—

सुखकारक ऊपर श्याम घटा ।

दुखहारक भूपर गस्य छटा ॥

दिन में रवि लोचप्रकाशक हैं ।

निशि में शशि तापविनाशक हैं ।

१२. भुजङ्गप्रयात— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में चार जगण रखते हैं । जैसे—

सभी भौंति है तू हमें मोददायी ।

न तेरे बिना है हमारी भलाई ॥

सदा पूजनीया तुही, है हमारी ।

अहो ! कष्ट, तोभी गई तू बिसारी ॥

१३. लक्ष्मीधर— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में चार रगण रखते हैं । जैसे—

अच्युतं केशवं रामनारायणं
 कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
 श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
 जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥

१४. इन्द्रवंशा— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और एक रगण रखते हैं। जैसे—

यों ही बड़ा हेतु हुए बिना कहीं,
 होते बड़े लोग कठोर यों नही ॥
 वे हेतु भी यों रहते सुगुप्त हैं,
 ज्यों अग्नि अम्भोनिधि में प्रलुप्त हैं ॥

१५. मोतियदाम— ... (१२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में चार जगण रखते हैं। जैसे—

कह्यो बलि भूप बढ़ाय हुलास—
 “यही वर माँगता हूँ सुखरास ।
 प्रभात प्रभो ! मम धाम पधारि,
 सदा निज दर्शन देहु मुरारि ।”

१६. वसन्ततिलका— (१४ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु रखते हैं। जैसे—

जो यूथ मानव स्वकर्म-निपीड़नों से,
 नीचे समाज-वपु के पग लौं पड़ा है ।
 देना उसे शरण मान प्रयत्न-द्वारा,
 है भक्ति लोकपति की पदसेवनाख्या ॥

१७. मालिनी— ... (१५ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण रखते हैं । जैसे—

प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ?

दुख-जलनिधि-झूबी का सहारा कहाँ है ?

लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ,

वह हृदय हमारा नैन-तारा कहाँ है ?

१८. मन्दाक्रान्ता— ... (१७ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक-एक मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु रखते हैं । जैसे—

हा ! वृद्धा के अतुल धन हा ! वृद्धता के सहारे ।

हा ! प्राणों के परम प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ।

हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्यवारे ।

हा ! बेटा हा ! हृदय-धन हा ! नैन-तारे हमारे ॥

१९. शिखरिणी— ... (१७ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक-एक यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु-गुरु रखते हैं । जैसे—

अनूठी आभा से सरस सुषमा से मुरस से,

बना जो देती थी बहुगुणमयी भूविपिन को ॥

निरखि-फूलों की विविध दलवाली अनुपमा,

जड़ी-बूटी नाना बहु फलवती थीं विलसती ॥

२०. शार्दूलविक्रीडित— ... (१९ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक-एक मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और एक गुरु रखते हैं । जैसे—

मेरे हो तुम बन्धु विज्वर हो आनन्द की मूर्ति हो ।
 क्यों मैं जा ब्रज में सका न अब लौं हो जानते भो इसे ॥
 कैसी है अनुरागिणी हृदय से माता, पिता, गोपिका ।
 प्यारे है यह भी छिपा न तुमसे जाओ अतः प्रात ही ॥

२१. सवैया —

(२२, २३, २४, २५, या २६ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में २२ से २६ तक अक्षर होते हैं । आदि-अन्त के हेरफेर के कारण इसके कई भेद हैं । प्रत्येक छन्द के बीच के प्रायः सब गण एक-से रहते हैं । नीचे थोड़े से उदाहरण दिये जाते हैं ।

(क) मदिरा या मालिनी सवैया + ... (२२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु रखते हैं । जैसे—

भासत गौरि गुसाँइन को वर राम धनू दुइ खण्ड कियो ।
 मालिन को जयमाल गुहो हरि के हिय जानकि मेलि दियो ॥
 रावन की उतरी मदिरा चुपचाप पयान जु लंक कियो ।
 राम बरी सिय-मोद भरी नभ में मुर जै-जयकार कियो ॥

(ख) मत्तगयन्द सवैया —

...

(२३ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु रखते हैं । जैसे—

पोधिहुँ बीन लसे कर में नित माल मृनाल बिसाल बिराजै ।
 बाहन हंस बनो मुखमाकर ध्यान धरे भ्रम संकट भाजै ॥
 सारद मातु कबीसन पारद मोह नदारद कै मुख छावै ।
 पूरति कै किरनैं जस की जग की जड़ता अँधियारि नसावै ॥

(ग) दुर्मिल सवैया—

...

(२४ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ सगण रखते हैं । जैसे—

तनु की युति श्याम सरोरुह लोचन कंज कि मंजुलताइ हरैं ।
 अति सुन्दर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनंग कि दूरि धरैं ॥
 दमकै दैतियाँ युति दामिनि-ज्यो किलकै कलबाल-बिनोद करैं ।
 अवधेश के बाळक चारि सदा तुलसी मन-मन्दिर में विहरैं ॥

(घ) किरीट सवैया— ... (२४ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ भगण रखते हैं। जैसे—

मानुस हौं तो वही रसखान बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 जो पशु हौं तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्द को धेनु मँझारन ।
 पाहन हौं तो वहै गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरन्दर धारन ।
 जौं खग हौं तो वसेरो करौं मिलि कालिदि-कूल कदम्ब के डारन ॥

(ङ) मुन्दरी सवैया— ... (२५ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ सगण और एक गुरु रखते हैं। जैसे—

मुख पंकज कंज विलोकनमंजु मनोज-सरासन-सी बनि भौं हैं ।
 कमनीय कलेवर कोमल स्यामल गौर किसोर जटा सिर सो हैं ॥
 तुलसी कटि तून परैं धनु-बान अचानक दृष्टि परी तिरछौं हैं ।
 केहि भौंति कहौ सजनी तोहि सो मृदु मूरति द्वै निबसी मनमो हैं ॥

(च) सुख सवैया — ... (२६ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ सगण और दो लघु रखते हैं। जैसे—

सब बात सैं कडवी न कहैं कलु मानस में अह मैल न लावत ।
 पर को अपवाद विवाद वृथा हठ रंचक हूँ सपनों नहि भावत ॥
 सुनि कै अपना गुन-गान रैं चुप दोस छिपा सबको गुन गावत ।
 जिनके गुन ये सब हों भरपूर वही नर साधु महान कहावत ॥

२२. कवित्त या वर्णिक दण्डक—

(क) मनहरण—

(३१ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३१ अक्षर होते हैं। आदि से १६ अक्षरों के आगे विराम रखते हैं। अन्त का अक्षर गुरु अवश्य होता है। इसे घनाक्षरी भी कहते हैं।

इन्द्र जिमि जंभ पर, बाडव सुअंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुलराज हैं।
पौन बारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्रबोह पर राम द्विजराज हैं।
दावाद्रुमदण्ड पर, चीता मृग भुण्ड पर, भूषण वितुण्ड पर, जैमे मृगराज हैं।
तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों विपक्षवंश पर, गेर शिवराज हैं।

(ख) रूपघनाक्षरी—

...

(३२ अक्षर)

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३२ अक्षर होते हैं। आदि से १६ अक्षरों के आगे विराम होता है। इस छन्द में गुरु-लघु का कोई नियम नहीं है, किन्तु अन्त में लघु होने से विशेष रोचक रहता है।

हाड़न को परी तलबेली है ममरहित

देखिकै प्रबल यह गौरन को अभिमान ।

राज मैं बिलोकि पद अरपन बैरिन को

भय ते सरीख पद परसित नागमान ॥

कहैं जु रिबीर यदि आयो गौर संगर को

दबिकै रहेंगे नहीं जौ लौं तन माँहि प्रान ।

काटि सगसेरन सकल दल बैरिन को

चलौ रनचण्डिहि चड़ावै आजु वलिदान ।

(ग) देव घनाक्षरी— ... (३३ अक्षर

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३३ अक्षर होते हैं। आदि से आठवें, सोलहवें और चौबीसवें अक्षरों के आगे विराम होता है। अन्त के तीन वर्ण लघु होते हैं और ऐसे ही उनके दोहरे प्रयोग श्रुतिमधुर होते हैं।

उमड़े हैं घन के घुमण्ड घमसान घटा
 चपला चपल पुनि जात है फरकि फरकि ।
 इन्द्र के धनुष राजे भेक बाजने से बाजे
 बकहु की पौँति उठि चली है खरकि खरकि ।
 कवि अम्बादत्त सोभा पावस की पूरी लसी
 बोलत है मोर अति आनन्द लरकि लरकि ।
 धरकि धरकि उठी छाती बिरहीजन की
 आँसुन की धार धाई चली है ढरकि ढरकि ।

